माला, खंड 27, अंक 24

सोमवार, 7 मई, 2007
17 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 21 Feb 2008

(खंड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 24, सोमवार, 7 मई, 2007/17 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
क्यूबा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 460	4–80
अतारांकित प्रश्न संख्या 4269 से 4374	80–265
सभा पटल पर रखे गए पत्र	266–269, 273–274
राज्य सभा से संदेश	269
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
18वां प्रतिवेदन	269
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	270
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	270
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	271–273
(एक) पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) और (2006-07) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें और 20वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	271–272
(दो) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	272
(तीन) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	273

विषय कॉलम

याचिका समिति

24वें से 26वां प्रतिवेदन 275

नियम 377 के अधीन मामले 286-299

(एक) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी 286-287

(दो) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से मूल्यवर्धित कर (वैट) हटाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 287-288

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत असम में गोलपाड़ा जिले के लिए पर्याप्त निधि जारी किए जाने हेतु कदम उठाए जाने तथा धूबरी जिले को इस योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन 288

(चार) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को पर्याप्त बजटीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 288-289

(पांच) देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 289

(छह) "हैरिटेज रूट" के रूप में घोषित अहमदाबाद-दांडी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228) पर कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी 289-290

(सात) सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) में कार्मिकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू 290

(आठ) उड़ीसा में क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के घाटगांव में नारियल तेल निकालने/खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र तथा नारियल जटा (कयर) उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 290-291

(नौ) राजस्थान के अजमेर में एक हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 291-292

(दस) देश में आवश्यकता के आधार पर रसायन उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 292-293

(ग्यारह) काजू हेतु एक पृथक निदेशालय, जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो, स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 293

विषय	कॉलम
(बारह) फैब्रिकेटेड रेलवे बोगी के विनिर्माण हेतु भारतीय रेल और स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड केरल (सिल्क) के संयुक्त उद्यम की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
डा. के.एस. मनोज	293–294
(तेरह) उत्तर प्रदेश के महोबा में पान की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता और अन्य कृषि सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	294
(चौदह) रेलवे द्वारा यात्रियों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	295
(पन्द्रह) राजस्थान के भरतपुर में ताज ट्रपीजियम ज़ोन में स्थित ब्रज पर्वतों का खनन कार्य रोके जाने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	295–296
(सोलह) भारतीय रेलवे द्वारा अमरावती-मुर्तीजापुर-यवतमाल रेलमार्ग का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत गुढे	296
(सत्रह) कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी के पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तहरि महताब	296–297
(अठारह) पुद्दुचैरी में पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. एम. रामदास	297–298
(उन्नीस) जम्मू-कश्मीर में काजी गुंड से बारामूला तक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	298–299
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
डाकघरों में लघु बचत की ब्याज दर बढ़ाए जाने तथा इसे बैंकों की ब्याज दर के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता	299–314
श्री गुरुदास दासगुप्त	299, 301–304
श्री पी. चिदम्बरम	299–301, 307–314
श्री शैलेन्द्र कुमार	305
श्री रूपचन्द पाल	305–306
श्री खारबेल स्वाईं	306
श्री वरकला राधाकृष्णन	306
विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005	314–367, 367–404
विचार करने के लिए प्रस्ताव	314
श्री के.एस. राव	314–317
श्री पी. करूणाकरन	317–322

विषय	कॉलम
श्री रामजीलाल सुमन	322–325
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	325–331
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	331–335
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	335–337
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	337–341
श्री एस.के. खारवेनथन	341–344
श्री अनिल बसु	344–347
श्री शैलेन्द्र कुमार	347–349
प्रो. रासा सिंह रावत	349–352
चौधरी लाल सिंह	352–355
श्री किन्जरपु येरननायडु	355–357
प्रो. एम. रामदास	357–361
श्री खारबेल स्वाईं	361–364
श्री जे.एम. आरून रशीद	364–367
श्री एम. शिवन्ना	367–369
श्री वरकला राधाकृष्णन	369–372
श्री आलोक कुमार मेहता	372–374
श्री मणि चारेनामै	374–376
श्री गणेश सिंह	376–377
श्री सुशील कुमार शिंदे	377–387
खंड 2 से 11 और 1	387–403
पारित करने के लिए प्रस्ताव	404
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	367
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	417
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	418–422
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423–424
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	423–424

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 7 मई, 2007/17 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

क्यूबा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से नेशनल असेम्बली आफ पीपुल्स पावर आफ रिपब्लिक आफ क्यूबा के वाइस-प्रेसिडेंट महामहिम श्री जैम क्राम्बेट हरनेंडेज बैकीरो और क्यूबाई संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं। हमारे ये सम्मानित अतिथि भारत की यात्रा पर आए हैं।

वे शनिवार, 5 मई, 2007 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद, सरकार तथा मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे संबंध पारम्परिक रूप से प्रगाढ़ और मित्रतापूर्ण रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 441, डा. एम. जगन्नाथ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं पांच दिन से बराबर नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रूक जाएं। मुझे उठाए जा रहे मुद्दे को समझ लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो मुद्दा उठा रहे हैं मुझे उस मुद्दे को समझ लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल का समय है और हमें उसे शुरू करना है। तत्पश्चात् आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, कई मासूमों को बेरहमी से मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। हमें इसे उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आज सभा में काफी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जानी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: वहां यह सब क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कई अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि पर चर्चा होनी है। मैं उन्हें नहीं ले सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, वहां मीडिया पर अटैक किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे करने का कुछ तरीका है। मैं आपको अवसर दूंगा। परन्तु यदि आप सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ नहीं सुन सकता। इस प्रकार मैं किसी बात की चर्चा नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: लोगों को मारा जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उचित समय पर आपको अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं आप सभी से अनुरोध कर सकता हूं? आप एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं, परन्तु सभा तो चलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के सभी वर्गों से मेरा यही अनुरोध है। माननीय सदस्यों कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभा जारी रहे। मैं इसकी अनुमति प्रश्न काल के बाद उचित समय पर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**.

अध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रश्न काल जारी रखना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रकार मैं सभा की कार्यवाही कैसे चलाऊं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: लोगों को मारा जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए यह समय नहीं है। यह प्रश्न काल का समय है। मुझे क्षमा करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा को नहीं चलने देना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं है। कार्यवाही चलाना असंभव हो गया है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न काल समाप्त होने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरक कंपनियों को राजसहायता की प्रतिपूर्ति

***441. डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया है कि उर्वरक कंपनियां राजसहायता प्रतिपूर्ति का दावा केवल तभी कर सकती है जब उनके उत्पाद वांछित गन्तव्य तक पहुंच जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों की आपूर्ति को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्यों में प्रत्येक जिले में उर्वरक डिपुओं की स्थापना के लिए उर्वरक कंपनियों को आदेश जारी किये है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उर्वरक कंपनियों ने क्या कार्यवाही की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 8 मार्च, 2007 को अधिसूचित नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-III के अंतर्गत यूरिया पर राजसहायता का भुगतान तभी किया जाएगा जब यह जिले में पहुंच जाएगा। पी एंड के उर्वरकों के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

(ग) और (घ) जी, हां। उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक जिले में प्राथमिक गोदामों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां वे प्रचालन कर रही हैं ताकि फैक्टरियों/बंदरगाहों से प्राथमिक गोदामों तक उर्वरकों के संचलन की निगरानी की जा सके।

(ङ) सभी उर्वरक कंपनियों ने जिलों में प्राथमिक गोदामों की पहचान कर ली है जहां वे प्रचालन कर रही हैं।

अवक्रमिक भूमि

***442. श्री विजय कृष्ण:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार अवक्रमिक भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत भूमि कृषि श्रेणी में आती है; और

(ग) इस प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) मृदा निर्माण और अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पारिस्थितिकीय प्रणाली में सन्तुलन बनाए रखने के लिए साथ-साथ चल रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) के राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भू-उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएसएंडएलयूपी), नागपुर द्वारा आयोजित हाल ही के अध्ययन के अनुसार, कुल 328.60 मिलियन हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से, लगभग 146.82 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र (45%) विभिन्न किस्मों के भूमि अवक्रमण से ग्रस्त है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	भूमि अवक्रमण का किस्म	क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर
1.	जल अपरदन	93.68
2.	वायु अपरदन	9.48
3.	जल प्लावन	14.30
4.	लवणीयता/क्षारीयता	5.95
5.	मृदा अम्लीयता	16.03
6.	सम्मिश्र समस्याएं	7.38
	कुल अवक्रमिक क्षेत्र	146.82

अवक्रमित भूमि की राज्य-वार और वर्ग-वार मात्रा और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में इसकी प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) प्रारम्भिक आकलन से पता चलता है कि इस क्षेत्र का लगभग 50% कृषि वर्ग के अधीन है।

(ग) भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है: नामत: (1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी और एफपीआर) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (3) क्षारीय मृदा सुधार (आरएएस), (4) झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजनाएं (डब्ल्यूडीपीएससीए), (5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (6) मरुस्थल विकास परियोजना (डीडीपी), (7) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), (8) पनधारा विकास कोष (डब्ल्यूडीएफ) और (9) देश में वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)। इन कार्यक्रमों के तहत शुरूआत से दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भूमि के लगभग 50.83 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है, जिसका योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, कृषि के बृहत प्रबंधन (एमएमए) के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अम्लीय मृदा के सुधार के लिए एक नई पहल की गई है।

विवरण I

भारत में भूमि अवक्रमण की विभिन्न किस्मों की राज्यवार मात्रा
(1:250,000 के पैमाने पर एनबीएसएसएण्डएलयूपी-आईसीएआर, 2005 के अनुसार)

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जल अपरदन	वायु अपरदन	जल प्लावन	लवणता/क्षारीयता	मृदा अम्लीयता	सम्मिश्र समस्याएं	अवक्रमित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	अवक्रमित क्षेत्र (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11518	0	1896	517	905	156	14992	27505	54.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	2372	0	176	0	1955	0	4503	8374	53.8
3.	असम	688	0	37	0	612	876	2213	7844	28.2
4.	बिहार+झारखण्ड	3024	0	2001	229	1029	0	6283	17387	36.1
5.	गोवा	60	0	76	0	2	24	162	370	43.9
6.	गुजरात	5207	443	523	296	0	1666	8133	19602	41.5
7.	हरियाणा	315	536	146	256	0	214	1467	4421	33.2
8.	हिमाचल प्रदेश	2718	0	1303	0	157	0	4178	5567	75.0
9.	जम्मू-कश्मीर	5460	1360	200	0	0	0	7020	22224	31.6
10.	कर्नाटक	5810	0	941	110	58	712	7631	19179	39.8
11.	केरल	76	0	2098	0	138	296	2608	3886	67.1
12.	मध्य प्रदेश+छत्तीसगढ़	17883	0	359	46	6796	1126	26210	44345	59.1
13.	महाराष्ट्र	11179	0	0	1056	517	303	13055	30771	42.4
14.	मणिपुर	133	0	111	0	481	227	952	2233	42.6
15.	मिजोरम	137	0	0	0	1050	694	1881	2108	89.2
16.	मेघालय	137	0	7	0	1030	34	1208	2243	53.9
17.	नागालैण्ड	390	0	0	0	127	478	995	1658	60.0
18.	उड़ीसा	5028	0	681	75	263	75	6122	15571	39.3
19.	पंजाब	372	282	338	288	0	0	1280	5036	25.4
20.	राजस्थान	3137	6650	53	1418	0	110	11368	34224	33.2
21.	सिक्किम	158	0	0	0	76	0	234	710	33.0
22.	तमिलनाडु	4926	0	96	96	78	138	5334	13006	41.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	त्रिपुरा	121	0	191	0	203	113	628	1049	59.9
24.	उत्तर प्रदेश+उत्तरांचल	11392	212	2350	1370	0	0	15324	29441	52.0
25.	पश्चिम बंगाल	1197	0	710	170	556	119	2752	8875	31.0
26.	दिल्ली	55	0	6	10	0	11	82	148	55.4
27.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	187	0	0	9	0	9	205	825	24.8
28.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
30.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	सकल योग	93680	9483	14299	5946	16033	7381	146820	328602	
	सकल योग (मिलियन है.)	93.68	9.48	14.30	5.95	16.03	7.38	146.82	328.60	

विवरण II

आरम्भ से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विकसित भूमि

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर और व्यय करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/स्कीम और आरम्भ होने का वर्ष	आरम्भ से नौवीं योजना तक प्रगति (2002-07)		दसवीं योजना के दौरान प्रगति		आरम्भ से दसवीं योजना के अन्त तक प्रगति*	
		क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय	क्षेत्र	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)						
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए (1990-91)	69.79	1877.74	23.30	1147.82	93.09	3025.56
2.	आरवीपी एण्ड एफपीआर (1962 और 81)	54.88	1516.26	9.98	727.98	64.86	2244.24
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए (1974-75)	2.58	166.27	1.35	129.31	3.93	295.58

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आरएएस (1985-86)	5.81	76.39	1.30	45.35	7.11	121.74
5.	डब्ल्यूडीएफ (1999-00)	0.00	0.00	0.59	26.02	0.59	26.02
6.	ईएपी	13.35	2039.81	4.80	1927.54	18.15	3967.35
	कुल योग	146.41	5676.47	41.32	4004.02	187.73	9680.49
	ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)						
1.	डीपीएपी (1973-74)	68.95	3284.74	68.32	1557.76	137.27	4842.50
2.	डीडीपी (1977-78)	33.56	797.38	45.17	1152.50	78.73	1949.88
3.	आईडब्ल्यूडीपी (1988-89)	37.34	616.51	62.22	1821.64	99.56	2438.15
4.	ईएपी	1.40	18.39	3.60	272.28	5.00	292.67
	कुल योग	141.25	4717.02	179.31	4806.18	320.56	9523.20
	कुल (क+ख)	287.66	10393.49	220.63	8810.20	508.29	19203.69

*इसमें वर्ष 2006-07 की अन्तरिम उपलब्धि शामिल है।

संक्षेपाक्षर

एनडब्ल्यूडीपीआरए - वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

आरवीपी और एफपीआर - नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी

डब्ल्यूडीपीएससीए - झूम खेती क्षेत्रों हेतु पनधारा विकास परियोजना

आरएएस - क्षारीय मृदा का सुधार

डब्ल्यूडीएफ - पनधारा विकास कोष

ईएपी - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

डीपीएपी - सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

डीडीपी - मरूस्थल विकास कार्यक्रम

आईडब्ल्यूडीपी - समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना

स्रोत: योजना आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के कार्यकारी दल की रिपोर्ट, फरवरी, 2007

भेषज नीति का प्रारूप

***443. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज नीति के प्रारूप पर कोई सहमति नहीं बन पाई है जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औषधियों के मूल्यों पर मतभेदों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय नीति, 2006 संबंधी मंत्रिमंडलीय नोट, विभिन्न विभागों की राय के साथ, मंत्रिमंडल के समक्ष इसके विचार/अनुमोदन हेतु रखा गया था। मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी, 2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय किया जाए। जीओएम का गठन किया जा चुका

है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई थी। जीओएम, नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरांत मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं करेगा।

कृषि विश्वविद्यालय

***444. डा. के. धनराजू:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कृषि विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण हुए स्नातकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कृषि विश्वविद्यालयों को कब तक स्थापित किया जायेगा और इनके द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयूएस) सीधे संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इन एसएयूएस पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, इन विश्वविद्यालयों में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्रति बैच प्रवेश क्षमता संलग्न विवरण-I में दी गई है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल जो सीधे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर), कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है के संबंध में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान उत्तीर्ण होने वालों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सीमित वित्तीय सहायता देता है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण I

वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों की प्रवेश क्षमता

राज्य	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	प्रति बैच* पूर्व-स्नातक कार्यक्रम में सीटों की संख्या	प्रति बैच* स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1.	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	800	290
	2.	श्री वैंकटेश्वर पशु, पशुचिकित्सा एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, तिरूपति	150	150
असम	3.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	300	300
बिहार	4.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	200	150
छत्तीसगढ़	5.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	200	200
दिल्ली	6.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	शून्य	80
गुजरात	7.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द	180	100

1	2	3	4	5
	8.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	140	80
	9.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	140	120
	10.	एस.डी. कृषि विश्वविद्यालय, एस के नगर	150	120
हरियाणा	11.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	250	280
	12.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	35	78
हिमाचल प्रदेश	13.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	100	70
	14.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	180	110
जम्मू-कश्मीर	15.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	130	50
	16.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	110	80
झारखण्ड	17.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	100	150
कर्नाटक	18.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	500	290
	19.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	400	560
	20.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, बीदर	200	120
केरल	21.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	360	200
मध्य प्रदेश	22.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	550	400
महाराष्ट्र	23.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	300	120
	24.	महाराष्ट्र पशु विज्ञान, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	300	150
	25.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	600	180
	26.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	620	210
	27.	डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	700	230
	28.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई	शून्य	45
मणिपुर	29.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	250	50
नागालैण्ड	30.	नागालैंड (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय	50	50
उड़ीसा	31.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	190	330
पंजाब	32.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	200	250
	33.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	100	120
राजस्थान	34.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	250	160
	35.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	250	110

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	36.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	370	250
	37.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई	150	150
उत्तरांचल	38.	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	300	400
	39.	बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी, उत्तरांचल	100	30
उत्तर प्रदेश	40.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	50	120
	41.	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	270	240
	42.	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	100	30
	43.	इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद	500	450
	44.	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	120	300
	45.	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गो-रक्षा अनुसंधान संस्थान, मथुरा	300	120
	46.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	शून्य	30
	47.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	शून्य	87
पश्चिम बंगाल	48.	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	150	200
	49.	विश्वभारती पल्ली शिक्षा भवन, श्रीनिकेतन (पश्चिम बंगाल)	50	40
	50.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)	60	60
	51.	पश्चिम बंगाल, पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, बेलगाछिया	160	160
		कुल	11,665	8,650

*इन आंकड़ों से विश्वविद्यालयों के सभी संघटक महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता सम्मिलित है लेकिन इसमें निजी महाविद्यायों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल से उत्तीर्ण होने वालों का ब्यौरा

क्र.सं.	डिग्री का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	निम्न कालेजों से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या							
			अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	सिक्किम	त्रिपुरा	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्य	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बी. एससी. (कृषि)	2004	2	10	7	4	3	17	–	43
		2005	7	9	8	3	3	10	–	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2006	1	11	7	1	1	11	1	33
	कुल (1)		10	30	22	8	7	38	1	116
2.	एम. एमसी. (कृषि)	2004	–	10	–	2	–	1	–	13
		2005	1	8	–	1	–	–	1	11
		2006	–	6	–	1	–	–	–	7
	कुल (2)		1	24	–	4	–	1	1	31
3.	बी.वी.एससी. एंड एएच.	2004	2	3	2	2	–	1	–	10
		2005	2	1	–	2	–	3	1	9
		2006	3	4	–	4	–	2	–	13
	कुल (3)		7	8	2	8	–	6	1	32
4.	बी.एफ.एससी.	2004	–	5	–	–	2	5	2	14
		2005	–	4	–	–	–	6	1	11
		2006	–	2	–	–	–	5	2	9
	कुल (4)		–	11	–	–	2	16	5	34
5.	बी.एससी. (बागवानी)	2004	4	4	3	1	–	4	–	16
		2005	3	4	3	–	–	–	–	10
		2006	1	4	2	3	–	3	2	15
	कुल (5)		8	12	8	4	–	7	2	41
	कुल जोड़ (1+2+3+4+5)		26	85	32	24	9	68	10	254

[हिन्दी]

महिला मजदूरों के साथ भेदभाव

***445. श्री बापू हरी चौरे:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपनी आजीविका के लिए कृषि मजदूरों के रूप में तथा अन्य कार्यों में पुरुषों के साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ आज भी मजदूरी के भुगतान के मामले में भेदभाव किया जा रहा है, जैसाकि दिनांक 5 अप्रैल, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने तथा सभी राज्यों को अनुपालन हेतु सख्त दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) 'दैनिक जागरण' में दिनांक 5 अप्रैल, 2007 को प्रकाशित समाचार नवम्बर, 2006 के लिए 20 चुनिंदा राज्यों से संबंधित 600 नमूना गांव से एकत्र किए गए 18 चुनिंदा कृषि संबंधी तथा गैर-कृषि संबंधी व्यवसायों से संबंधित

औसत दैनिक मजदूरी दरों के आंकड़ों पर आधारित है जैसा कि श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित इंडियन लेबर जर्नल के फरवरी, 2007 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

ग्रामीण श्रम जांच योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सूचना के अनुसार, अधिकांश विनिर्दिष्ट कृषि संबंधी तथा गैर-कृषि संबंधी व्यवसायों में महिला मजदूरों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दरें पुरुष मजदूरों की तुलना में कम बैठती हैं। ऐसी असमानता, अन्य बातों के साथ-साथ, खासकर कृषि संबंधी क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक मानकों तथा महिलाओं के समग्र कार्य योगदान की अपर्याप्त गणना के कारण भेदभावपूर्ण प्रथाओं के चलते हो सकती है।

(ग) और (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में मजदूरी तथा अन्य सुख-सुविधाओं के संबंध में पुरुष तथा महिला कामगारों के बीच भेदभाव किए बिना समान पारिश्रमिक की व्यवस्था है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुवीक्षण करती है। इस अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर पत्र लिखा जाता है।

[अनुवाद]

बी.टी. कपास का निष्पादन

***446. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:**
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. कपास के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सभी कपास उत्पादक राज्यों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बी.टी. कपास के सही उपयोग हेतु किसानों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बी.टी. कपास के कार्य निष्पादन को मानिटर करने के लिए निर्मुक्ति-पश्चात (पोस्ट रिलीज) मानिटरिंग समितियों का गठन करें।

(ख) निर्मुक्ति पश्चात मानिटरिंग संबंधी किसी समिति से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सरकार किसानों, वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और संचार कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि बी.टी. कपास की खेती से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बीज कम्पनियों द्वारा बी.टी. कपास की खेती के संबंध में किसानों को स्थानीय भाषाओं में जानकारी देना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

यमुना में प्रदूषण

***447. श्री रामदास आठवले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना नदी में प्रदूषण में हो रही वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) बीएचईएल (हरिद्वार) में प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार यमुना कार्य योजना के अंतर्गत केवल पश्चिमी यमुना नहर के लिए जल गुणता मानीटरिंग और विश्लेषण कार्य कर रहा है। यह मानीटरिंग कोर पैरामीटरों के लिए माह में एक बार यमुनानगर उर्ध्वप्रवाह, यमुनानगर अधोप्रवाह, करनाल अधोप्रवाह, पानीपत अधोप्रवाह और सोनीपत उर्ध्वप्रवाह में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता महसूस होने पर परियोजना विशिष्ट पैरामीटरों के लिए भी मानीटरिंग की जाती है। पीसीआरआई द्वारा मानीटरिंग के परिणाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नियमित आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(ग) पीसीआरआई द्वारा प्रस्तुत जल गुणता मानीटरिंग रिपोर्ट से पता चला है कि इन स्थानों पर जल गुणता अपेक्षित जल गुणता मानकों को पूरा करती है।

यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने 715 करोड़ की अनुमानित लागत पर यमुना कार्य योजना

चरण-I का कार्यान्वयन किया है। यह चरण 1993 में जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन की निधि के साथ 15 शहरों को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में शुरू किया गया था। यह परियोजना फरवरी, 2003 में पूरी हो गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन की कुल 269 स्कीमें पूरी की गई थी जिसमें 753.25 मिलियन प्रति दिन शोधन क्षमता वाले 38 सीवेज शोधन संयंत्र शामिल हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश में 401.25 एमएलडी, हरियाणा में 322 एम एल डी और दिल्ली में 30 एमएलडी है।

इसके अलावा यमुना कार्य योजना चरण-I के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव को देखते हुए यमुना कार्य योजना चरण-II तैयार किया गया और 1 दिसम्बर, 2004 को शुरू किया गया। यह परियोजना, हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 624 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई और परियोजना के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल है।

दिल्ली	-	सीवेज शोधन संयंत्र (135 एमएलडी क्षमता नई और 324 एमएलडी क्षमता का सुधार
	-	ट्रंक सीवरों का सुधार/प्रतिस्थापन (30.82 कि.मी.)
उत्तर प्रदेश	-	सीवेज शोधन संयंत्र (54 एमएलडी क्षमता नई)
	-	सीवर लाइनों/राइजिंग मेन्स की मरम्मत (85.7 कि.मी.)
हरियाणा	-	सीवर लाइनों का अवरोधन और दिशा परिवर्तन (73 कि.मी.) और वर्तमान सीवेज शोधन संयंत्रों की कार्यक्षमता में सुधार करना।

यमुना कार्य योजना के पूरे हो चुके चरण-I के अंतर्गत सरकार द्वारा 682.14 करोड़ रुपए की कुल राशि खर्च की गई है और यमुना कार्य योजना, चरण-II में चल रहे कार्यों पर दिसम्बर, 2006 तक 6.11 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्य-निष्पादन

***448. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एनएचएम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वास्तविक और वित्तीय संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आगामी वर्षों में मिशन द्वारा अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिए जाने की आशा है; और

(च) एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2007-2008 के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू की गई। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य बागवानी मिशनों को 586.20 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई जिसमें से राज्य बागवानी मिशनों द्वारा 196.09 करोड़ रुपए का व्यय सूचित किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान 843.85 करोड़ रुपए का व्यय सूचित किया गया। वर्ष 2005-06 के दौरान कम व्यय इस तथ्य के कारण था इसके शुरू होने का प्रथम वर्ष होने के कारण राज्य सरकारों ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के रूप में राज्य बागवानी मिशनों के गठन तथा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कार्य योजना के निरूपण और अनुमोदन में कुछ समय लिया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2005-06 की अंतिम दो तिमाहियों के दौरान ही अधिकतर राज्य बागवानी मिशनों को निधियां निर्मुक्त की जा सकीं और निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि तब तक पौधरोपण मौसम समाप्त हो चुका था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की सामान्य परिषद ने स्कीम के शुरू होने से अब तक तीन बार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है। इसके अलावा वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में स्कीम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सचिव (कृषि एवं सहकारिता) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रत्येक राज्य में नियमित क्षेत्रीय दौरे संचालित करता है।

इसके अलावा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी आवधिक रूप से राज्यवार समीक्षा बैठकें करते हैं। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान मुख्य घटकों हेतु वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे का सार क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान निर्मुक्त निधियों और किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्कीम के क्रियान्वयन के लिए "सिद्धांतत:" अनुमोदन दे दिया गया है। आशा की जाती है कि आगामी पांच वर्षों में मिशन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

(च) वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 1150 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन मुख्य कार्यकलापों के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र कवरेज (हैक्टेयर)		पुनरुद्धार (हैक्टेयर)		नर्सरी (संख्या)		जैव कृषि (हैक्टेयर)		समेकित कृषि प्रबंधन/समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (हैक्टेयर)		कटाई पश्चात् प्रबंधन (संख्या)		मण्डियां (संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	24398	18576	9670	5515	5	5	200	113	9000	-	-	-	-	-
2.	बिहार	3320	-	13367	-	17	-	-	-	2500	-	3	-	-	-
3.	छत्तीसगढ़	7680	2086	2450	-	9	-	-	-	500	-	7	-	-	-
4.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	गोवा	155	251	1250	552	2	7	300	-	500	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	27032	11591	400	-	42	36	50	-	7000	1966	-	1	-	-
7.	हरियाणा	2907	837	200	60	6	-	60	60	600	440	13	-	-	-
8.	झारखण्ड	7000	-	-	-	75	-	-	-	-	-	12	-	12	-
9.	कर्नाटक	17010	17101	801	812	95	103	4800	2365	-	-	-	3	-	1
10.	केरल	10830	2836	7500	-	48	5	2019	160	3000	250	-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	5950	1370	1250	1144	20	32	1668	717	11000	6377	-	4	-	-
12.	महाराष्ट्र	28495	35750	9000	4386	26	1	4400	1305	19477	6116	-	-	-	1.00
13.	उड़ीसा	17200	14678	4500	1303	35	35	100	100	200	-	-	-	-	-
14.	पंजाब	2480	1142	3350	230	5	-	-	-	-	-	1	3	11	11
15.	राजस्थान	11662	13937	70	146	15	8	500	467	1800	4906	2	-	4	4
16.	तमिलनाडु	8369	13884	650	877	25	42	800	998	3300	4596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	उत्तर प्रदेश	14940	-	4850	1320	11	10	1050	3493	400	-	150	13	-	-
18.	प. बंगाल	8480	8490	3900	3900	4	-	2500	2021	10000	10000	57	57.00	70	-
	कुल	197908	142538	63208	20245	440	284	18447	11799	69277	34651	245	81.00	97	17.00

विवरण II

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन मुख्य कार्यकलापों के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र कवरेज (हैक्टेयर)		पुनरुद्धार (हैक्टेयर)		नर्सरी (संख्या)		जैव कृषि (हैक्टेयर)		समेकित कृमि प्रबंधन/समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (हैक्टेयर)		कटाई पश्चात् प्रबंधन (संख्या)		मण्डियां (संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	आंध्र प्रदेश	42636.36	57764.97	7770.00	10194.09	66.00	25.00	1950.00	0.00	33250.00	31681.00	48.00	4.00	37.00	6.00
	बिहार	12212.00	5939.00	0.00	2.00	28.00	99.00	1000.00	0.00	4000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	छत्तीसगढ़	12493.00	10614.00	1420.00	0.00	8.00	1.00	1100.00	0.00	14000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	दिल्ली	160.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	गोवा	750.64	7.62	300.00	0.00	2.00	3.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	गुजरात	16386.40	22143.00	178.00	8.00	27.00	8.00	100.00	197.00	3002.00	6966.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	हरियाणा	5379.85	7243.00	939.00	464.00	16.00	12.00	380.00	424.00	1781.00	1710.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	झारखण्ड	10400.00	7339.00	0.00	0.00	63.00	57.00	150.00	-	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर्नाटक	34450.40	10675.00	2130.58	0.00	189.00	1.00	5500.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	4.00	48.00	1.00
	केरल	26600.00	5275.00	15000.00	7000.00	120.00	9.00	2800.00	1075.00	4101.00	2250.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मध्य प्रदेश	7110.00	18396.98	2445.00	2584.05	27.00	40.00	1200.00	2685.00	10000.00	13942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र	73081.30	94032.19	10300.00	8100.24	75.00	33.00	5350.00	3248.94	14650.00	8406.11	90.00	104.00	0.00	4.00
	उड़ीसा	19500.00	22069.00	1433.00	0.00	42.00	68.00	1000.00	440.00	1200.00	0.00	11.00	0.00	24.00	0.00
	पंजाब	3057.00	5133.50	0.00	5603.00	2.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	राजस्थान	22534.00	15160.51	97.58	387.00	25.00	37.00	700.00	1162.00	3493.00	10084.50	4.00	0.00	0.00	0.00
	तमिलनाडु	41113.10	19544.00	500.00	2044.00	34.00	117.00	3960.00	4252.00	7000.00	20105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उत्तर प्रदेश	0.00	7469.60	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	10459.20	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प. बंगाल	18366.60	7380.00	300.00	112.00	214.00	5.00	4000.00	0.00	11000.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	अंडमान और निकोबार	334.00	19.70	50.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	346564.65	316206.07	42863.16	36577.08	952.00	517.00	30640.00	23943.14	152977.00	102944.61	188.00	130.00	109.00	11.00

विवरण III

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन निर्मुक्त निधियों और किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त धनराशि			किया गया खर्च		
		2005-06	2006-07	कुल	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	11920.96	1781.14	7137.47	8918.61
2.	बिहार	3100.00	3500.00	6600.00	3.02	2403.91	2406.93
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	7867.83	353.96	4560.66	4914.62
4.	गोवा	315.20	200.00	515.20	112.91	26.57	139.48
5.	गुजरात	3239.28	2577.03	5816.31	1011.24	2823.55	3834.79
6.	हरियाणा	1050.00	3480.00	4530.00	180.33	3539.38	3719.71
7.	झारखण्ड	3030.00	4000.00	7030.00	-	2383.52	2383.52
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	12903.42	322.72	6461.32	6784.04
9.	केरल	3533.98	7959.53	11493.51	400.14	2471.72	2871.86
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	7131.52	481.67	4400.26	4881.93
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	22752.93	3228.67	12999.79	16228.46
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	8061.91	2572.76	3286.59	5659.35
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	4018.82	697.21	1736.88	2434.09
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	6097.50	1833.31	3306.96	5140.27

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	तमिलनाडु	3891.67	6450.00	10341.67	2462.47	8498.23	10960.70
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	6840.25	537.97	2257.78	2795.75
17.	प. बंगाल	4035.31	4600.00	8635.31	3629.59	395.40	4024.99
18.	दिल्ली	–	300.00	300.00	–	0.00	0.00
19.	लक्षद्वीप	–	63.00	63.00	–	–	0.00
20.	अंडमान और निकोबार	–	85.00	85.00	–	1.22	1.22
	कुल	58620.00	84385.13	143005.13	19609.11	68691.21	88300.32

काजू की खेती

***449. श्री पी.सी. थामस:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितनी भूमि पर काजू की खेती की जाती है तथा उससे राज्यवार कितनी पैदावार और आय प्राप्त होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में काजू का आयात और निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने नए संकर काजू के पौधे विकसित करने के लिए अनुसंधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं तथा इन निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में काजू की खेती के अधीन राज्यवार क्षेत्र तथा साथ ही उसकी उपज तथा अनुमानित आय को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिकार्ड किए गए काजू के आयात और निर्यात की मात्रा संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने काजू पर अनुसंधान आयोजित किए हैं और संकर सहित 37 अधिक मात्रा में उपज देने वाली किस्में जारी की हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर बीजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इन अधिक उपज देने वाली किस्मों, जिनमें संकर भी शामिल हैं, का बहुलीकरण करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के तहत प्रति वर्ष लगभग 50 लाख काजू की कलमों के उत्पादन क्षमता वाली 90 नर्सरियों की स्थापना में सहायता की है।

विवरण I

काजू का राज्य-वार क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता और अनुमानित आय

राज्य	क्षेत्र ('000 है.)	उत्पादन ('000 एमटी)	उत्पादकता (कि.ग्रा./है.)	कच्चे काजू से 380 कि.ग्रा. की दर पर प्रति है. औसत आय
1	2	3	4	5
केरल	80	67	900	34200
कर्नाटक	100	45	700	26600

1	2	3	4	5
गोवा	55	27	690	26200
महाराष्ट्र	160	183	1300	49400
तमिलनाडु	121	56	640	24320
आंध्र प्रदेश	170	92	880	33440
उड़ीसा	120	78	860	32680
पश्चिम बंगाल	10	10	950	36100
गुजरात	4	4	900	34200
उत्तर-पूर्वी-राज्य	14	10	640	24320
अन्य	3	1	400	15200
कुल	837	573	815	30970

स्रोतः काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि

नोटः देश में काजू की औसत पैदावार लगभग 815 कि.ग्रा./है. है। वर्ष 2006 फसल कटाई मौसम के दौरान किसान द्वारा प्राप्त किया गया औसत थोक मूल्य लगभग 38.00/कि.ग्रा. था।

विवरण II

काजू के निर्यात व आयात की वर्ष-वार मात्रा का ब्यौरा

(मूल्य लाख रुपये में)
(मात्रा एमटी में)

वर्ष	गिरियों का निर्यात		सीएनएसएल का निर्यात		कच्ची गिरी का आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2003-04	100828	180443	6926	703	452398	140093
2004-05	126667	270924	7474	791	578884	218326
2005-06	114143	251486	6405	709	565400	216295

स्रोतः विदेश व्यापार महानिदेशालय

विवरण III

देश में जारी की गई काजू किस्मों का ब्यौरा

क्र.सं.	किस्म	संकर बीज/चयन	जारी करने का वर्ष	क्षेत्र जिसके लिए संस्तुत किया गया
1	2	3	4	5
1.	बीपीपी-1	संकर	1980	आंध्र प्रदेश
2.	बीपीपी-2	संकर	1980	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5
3.	बीपीपी-3	चयन	1980	आंध्र प्रदेश
4.	बीपीपी-4	चयन	1980	आंध्र प्रदेश
5.	बीपीपी-5	चयन	1980	आंध्र प्रदेश
6.	बीपीपी-6	चयन	1980	आंध्र प्रदेश
7.	बीपीपी-8 (एच 2/16)	संकर	1993	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
8.	भुवनेश्वर-1	चयन	1989	उड़ीसा
9.	चिंतामणी-1	चयन	1993	कर्नाटक-मैदानी भाग
10.	झारग्राम-1	चयन	1989	पश्चिम बंगाल
11.	अनाक्कायम-1 (बीएलए-139-1)	चयन	1985	केरल
12.	मदाक्कथारा-1 (बीएल-39-4)	चयन	1987	केरल
13.	मदाक्कथारा-2 (एनडीआर-2-1)	चयन	1987	केरल
14.	के.-22-1	चयन	1987	केरल
15.	धाना (एच-1608)	संकर	1993	केरल, उड़ीसा, कर्नाटक का मैदानी क्षेत्र
16.	कनका (एच-1598)	संकर	1993	केरल
17.	प्रियंका (एच-1591)	संकर	1995	केरल
18.	अमरूथा (एच-1597)	संकर	1999	केरल
19.	वेनगुरला-1	चयन	1974	महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
20.	वेनगुरला-2	चयन	1979	महाराष्ट्र और गोवा
21.	वेनगुरला-3	संकर	1981	महाराष्ट्र और गोवा
22.	वेनगुरला-4	संकर	1981	महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
23.	वेनगुरला-5	संकर	1984	महाराष्ट्र और गोवा

1	2	3	4	5
24.	वेनगुरला-6	संकर	1991	महाराष्ट्र और गोवा
25.	वेनगुरला-7	संकर	1997	महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक
26.	वीआरआई-1 (एम 10/4)	चयन	1981	तमिलनाडु
27.	वीआरआई-2 (एम 44/3)	चयन	1985	तमिलनाडु
28.	वीआरआई-3 (एम 26/2)	चयन	1991	तमिलनाडु और केरल
29.	एनआरसीसी सेल-1 (वीटीएच 107/3)	चयन	1989	कर्नाटक
30.	एनआरसीसी सेल-2 (वीटीएच 40/1)	चयन	1989	कर्नाटक
31.	भास्करा (गोवा 11/6)	चयन	2006	तटीय कर्नाटक
32.	उल्लाल-1	चयन	1984	कर्नाटक
33.	उल्लाल-2	चयन	1984	कर्नाटक
34.	उल्लाल-3	चयन	1993	कर्नाटक
35.	उल्लाल-4	चयन	1994	कर्नाटक
36.	यूएन-50	चयन	1995	कर्नाटक
37.	गोवा-1	चयन	1999	योग

आयातित गेहूं की ढुलाई में विलम्ब

*450. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान आयात किया गया गेहूं विभिन्न पत्तनों, विशेषत: निजी स्वामित्व वाले अग्निपत्तन, गुजरात पर पड़ा हुआ है और उसकी विभिन्न गोदामों तक ढुलाई नहीं की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे गेहूं के सड़ने के कारण कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी अब तक तय की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और पत्तनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) अनुबंधित 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 3 मई, 2007 की स्थिति के अनुसार भारत के विभिन्न पत्तनों पर 54.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंच चुका है। इसमें से 53.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं को बोरियों में भरकर गोदामों में भेजा जा चुका है। अग्नि पत्तन नाम के किसी पत्तन के माध्यम से गेहूं का आयात नहीं किया गया है। पत्तनों पर गेहूं और उर्वरक के साथ-साथ पहुंचने और कार्गो को डिस्चार्ज करने के मामले में उर्वरक वाले जहाजों को प्राथमिकता देने के कारण पत्तनों से गेहूं के संचलन और रेल द्वारा गंतव्यों तक संचलन में कुछ देरी हुई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु परियोजना

***451. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु भारत अमरीकी परियोजना (इंडस) किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) इससे अभी तक राज्य-वार कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में उक्त परियोजना बंद की जा रही है/बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त योजना में कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक इन्डो-यू एस साझा कार्यक्रम (इंडस) पांच राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 21 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) अभी तक इन स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित बाल श्रमिकों की संख्या
1.	तमिलनाडु	15987
2.	मध्य प्रदेश	22196
3.	महाराष्ट्र	16271
4.	उत्तर प्रदेश	36323
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1795
	योग	92572

(ग) जी, नहीं। यह परियोजना किसी भी राज्य में बन्द नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ई-कचरा

***452. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ई-कचरे (ई-वेस्ट) के निपटान के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) देश में, विशेषकर दिल्ली में, ई-कचरा पैदा करने वाली औद्योगिक और मेडिकल इकाईयों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में सभी महानगरों में पैदा होने वाले ई-कचरे की अनुमानित यात्रा कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 को अधिसूचित किया गया जिसे वर्ष 2000 और 2003 में संशोधित किया गया था। इलैक्ट्रानिक अपशिष्ट इस नियमावली के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं।

(ख) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 में प्रकाशित इलैक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए मार्ग निर्देशिका के अनुसार भारत में 11 सरकारी उपक्रमों में 31 उत्पादन इकाइयां, राज्य उपक्रमों में 46 इकाइयां, आयोजित निजी क्षेत्रों में लगभग 500 और लघु क्षेत्र की लगभग 2900 से अधिक इकाइयों सहित 3500 से भी अधिक इलैक्ट्रोनिक उत्पादन इकाइयां उत्पादन कार्य में जुटी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अपने अपंजीकृत लघु यूनिटें हैं जो उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक उत्पादों को असैम्बल करती हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स आई आर जी साऊथ एशिया (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली से कराए गए अध्ययन में किए गए आकलन के अनुसार देश में इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक अपशिष्टों का कुल जनन लगभग 1,46,000 टन प्रतिवर्ष है। अध्ययन

से यह भी पता चला है कि देश के चार महानगरों में लगभग 29,000 टन इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट जनित होता है।

(घ) वर्ष 2003 में यथासंशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 के अनुसार इलैक्ट्रोनिक उद्योग में प्रचालनों से जनित अवशेषों और अपशिष्टों को खतरनाक अपशिष्ट माना जाता है और ये इन नियमों की अनुसूची 1 में क्रम सं. 31 पर सूचीबद्ध हैं। ऐसी इकाइयों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्वीकृति लेना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक्स एसैम्बलीज को अनुसूची 3 की श्रेणी ए 1180 और बी-1110 में शामिल किया गया है जो खतरनाक अपशिष्टों के आयात और निर्यात पर लागू होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत इन अपशिष्टों के आयात की अनुमति केवल सीधे पुनः उपयोग करने के लिए है न कि पुनर्चक्रण या अंतिम निपटान की प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ शासित राज्यों की प्रदूषण नियंत्रण समिति और इलैक्ट्रोनिक अपशिष्टों का हथालन करने वाले उद्योगों के प्रयोग के लिए ''इलैक्ट्रोनिक अपशिष्टों के पर्यावरण अनुकूलन पुनर्चक्रण हेतु मार्गनिर्देश दस्तावेज'' तैयार करने के लिए एक अध्ययन किया है।

[अनुवाद]

शुष्क भूमि कृषि

*453. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना में ''एनहांसिंग सस्टेनेबिलिटी आफ ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम'' योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय सात राज्यों अर्थात्- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में अभिज्ञात शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क जिलों में शुष्क भूमि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 'शुष्क भूमि खेती प्रणाली की संधारणीयता में वृद्धि' नामक एक नई स्कीम पर विचार कर रहा है। वर्षा, नमी सूचकांक और सिंचाई कवरेज के आधार पर अभिज्ञात जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस स्कीम में वर्षा जल के भंडारण और इसके सफल उपयोग स्व-स्थाने नमी संरक्षण, जैविक खादों के उपयोग, वैकल्पिक भू-उपयोग और उन्नत शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल दिया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 में 200.00 करोड़ रु. (बजट प्राक्कलन) का आबंटन किया गया है। स्कीम के अनुमोदन के पश्चात राज्यवार धनराशियां जारी की जाएंगी।

विवरण

शुष्क भूमि कृषि प्रणाली की संधारणीयता में वृद्धि संबंधी प्रस्तावित नई स्कीम के लिए अभिज्ञात जिलों की सूची

राज्य	क्र.सं.	जिला (मि.मी.)	वार्षिक वर्षा (हैक्टेयर)	निवल बुवाई क्षेत्र (%)	सिंचाई	नमी सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान (20)	1.	बारमेर	261.40	1304041	7.95	-85.92
	2.	बीकानेर	247.60	1063628	16.51	-86.02
	3.	चुरू	371.70	1211415	4.99	-77.21
	4.	हनुमानगढ़	309.90	643967	52.74	-
	5.	जैसलमेर	163.70	353534	20.06	-92.07
	6.	जलोर	438.00	529016	42.88	-76.25

1	2	3	4	5	6	7
	7.	जोधपुर	324.40	1060902	13.43	-82.39
	8.	नागौर	407.70	12001.72	21.59	-75.48
	9.	पाली	487.60	545582	28.65	-70.29
	10.	अजमेर	495.50	364635	23.17	-68.36
	11.	भिलवाड़ा	678.00	339593	33.40	-56.51
	12.	डुंगरपुर	727.40	119148	18.17	-51.60
	13.	जयपुर	586.80	666305	53.91	-66.37
	14.	झुझनू	487.60	426731	49.96	-69.41
	15.	करौली	689.10	198609	46.90	
	16.	राजासमुंद	529.30	90757	22.77	
	17.	सिकर	467.90	514629	42.59	-68.87
	18.	सिरोही	658.00	126749	38.30	-62.49
	19.	टोंक	619.80	475531	39.78	-61.19
	20.	उदयपुर	650.20	233887	20.50	-52.88
गुजरात (11)	1.	अहमदाबाद	694.90	574900	31.43	-58.59
	2.	बनासकांठा	665.80	840800	45.47	-66.46
	3.	महेषाणा	715.90	690900	52.32	-63.99
	4.	पाटन	577.60	404609	24.32	-63.99
	5.	अमरेली	566.20	498100	14.60	-69.83
	6.	जामनगर	500.20	575000	10.94	-70.85
	7.	भावनगर	608.00	628800	21.56	-66.48
	8.	कच्छ	404.90	491300	26.73	-79.42
	9.	बोरबंदर	671.70	132257	14.62	-50.39
	10.	राजकोट	613.60	728200	19.69	-7138
	11. .	सुरेन्द्रनगर	531.20	685300	18.93	-73.04
महाराष्ट्र (7)	1.	अहमदनगर	595.00	1154600	26.44	-62.93
	2.	धौली	677.20	704600	13.76	-60.47

1	2	3	4	5	6	7
	3.	नासिक	656.50	852800	22.91	-60.43
	4.	सांगली	739.40	582900	22.78	-54.36
	5.	शोलापुर	660.60	1055800	21.97	-63.32
	6.	बीड	733.70	774000	27.20	-54.32
	7.	जालना	749.80	568400	12.79	-51.91
मध्य प्रदेश (1)	1.	बारवानी	742.10	233478	28.90	
आंध्र प्रदेश (3)	1.	मेडक	749.60	451856	31.32	-57.26
	2.	चित्तोर	539.30	477177	38.02	-65.34
	3.	कुरनूल	718.40	899977	19.97	-60.70
तमिनलाडु (1)	1.	विल्लौर	657.10	215916	52.63	
कर्नाटक (12)	1.	बिदार	731.30	372345	10.22	-58.33
	2.	धारवाड़	631.80	331471	13.14	-62.05
	3.	गुलबर्गा	626.20	1152143	13.67	-67.30
	4.	कोप्पल	741.90	349942	30.55	
	5.	रायचूर	584.70	503664	28.72	-70.03
	6.	बंगलौर (आर)	725.60	298621	17.59	
	7.	बेल्लारी	739.90	487573	32.86	-57.43
	8.	चामराजनगर	634.50	154472	30.29	
	9.	देवानगेर	534.00	384748	34.40	
	10.	हसन	660.40	364399	19.47	-53.03
	11.	मांड्या	740.50	246662	43.79	-51.88
	12.	मैसूर	702.10	389921	29.24	-54.26
(कुल 55 जिले)						

[हिन्दी]

वन्य जीवों के प्रति अपराध

***454. श्री रशीद मसूद:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य जीवों के प्रति किया जाने वाला अपराध एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की गतिविधियों में भी बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार वन्य जीवों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) वन्य जीव अपराध और वन्य जीवों के अवैध व्यापार की कुछ घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाया गया है। गुप्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वन्य जीव उत्पादों की लाभप्रद कीमतों और मांग को ध्यान में रखते हुए, देश में वन्य जीव अपराधों के संगठित रूप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

वन्य जीव अपराधों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाये गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) केन्द्रीय सरकार ने वन्य जीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों पर कड़ी शास्तियां लगाई गई हैं।

(3) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम का 2006 में किया गया संशोधन, बहु-प्रयोजन, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठित वन्य जीव अपराध की गतिविधियों से संबंधित आसूचना का एकत्रण और उनको सन्निहित करना तथा त्वरित कार्रवाई हेतु राज्य और अन्य प्रवर्तन अभिकरणों को उसका प्रसार करना है, ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और केन्द्रीय वन्य जीव अपराध डाटा बैंक स्थापित किया जा सके।

(4) भारत ने वन्य प्राणियों और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (साइटस) पर हस्ताक्षर किए हैं जो वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है।

(5) वन्य जीव उत्पादों की तस्करी की रोकथाम के लिए देश में मुख्य निर्यात केन्द्रों पर क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं लाई गई है जो यह दर्शाए कि हाल में, भारत में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, वन्य जीव अपराध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित पहले की गई हैं:

(क) भारत, जैव विविधता और इसके वास-स्थलों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जिसमें जैवीय विविधता पर कन्वेंशन और वन्य प्राणिजात और वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, शामिल हैं।

(ख) भारत ने वन्य जीव अपराधों की रोकथाम के लिए चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

(ग) भारत, कोलिशन अगेन्सट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का संस्थापक सदस्य भी है।

(ङ) से (छ) मौजूदा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किया गया है और वन्य जीव से संबंधित अपराधों के प्रति इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। 2006 में किया गया संशोधन, वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से प्रवर्तन हेतु बहु-प्रयोजन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है। अतः, वन्य जीवों के प्रति अपराध को रोकने के लिए कोई नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जैविक कृषि/खेती को बढ़ावा

***455. श्री महावीर भगोरा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने क्षेत्र/कृषि भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त सफलता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्तमान में देश में जैविक खेती के तहत औपचारिक प्रमाणित क्षेत्र लगभग 1.74 लाख हैक्टेयर है। प्रमाणिक जैविक खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) जैविक खेती को राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत 2004-05 से तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2005-06 से बढ़ावा दिया जा रहा है। एनपीओएफ के लिये मंजूर किये गये/निर्मुक्त किये गये तथा उपयोग में लाये गये फंड का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर तथा एन एच एम के लिये विवरण-III पर दिया गया है।

(ग) राज्यवार लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा एन पी ओ एफ के तहत विवरण-IV पर और एन एच एम के तहत विवरण-V पर दिया गया है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एन पी ओ एफ के तहत प्रस्तावित लागत 150.00 करोड़ रुपये है। दोनों स्कीमों के तहत राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि कोष की निर्मुक्ति राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है।

विवरण I

देश में राज्यवार प्रमाणित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	कुल क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1661.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	557.76
3.	असम	18717.5
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	293.16
6.	दिल्ली	1658.71
7.	गोवा	5555.07
8.	गुजरात	1627.06
9.	हरियाणा	3437.52
10.	हिमाचल प्रदेश	3647.41
11.	जम्मू-कश्मीर	22315.92
12.	झारखण्ड	5
13.	कर्नाटक	4117.17
14.	केरल	15474.47
15.	मणिपुर	347.65
16.	महाराष्ट्र	18786.69
17.	मध्य प्रदेश	16581.37
18.	मिजोरम	300.4
19.	मेघालय	378.89
20.	नागालैंड	718.76
21.	उड़ीसा	26387.86
22.	पंजाब	3779.31
23.	राजस्थान	22104.91
24.	सिक्किम	177.64
25.	त्रिपुरा	20.87
26.	तमिलनाडु	5423.63
27.	उत्तर प्रदेश	3033.98
28.	उत्तरांचल	5915.85
29.	पश्चिम बंगाल	6743.43
30.	अन्य	824.13
	कुल	173682.5

विवरण II

2004-05 से 2006-07 तक राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत कोष की राज्यवार निर्मुक्तियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		मंजूरी	निर्मुक्ति	उपयोग	मंजूरी	निर्मुक्ति	उपयोग*	मंजूरी	निर्मुक्ति	उपयोग*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर पूर्वी राज्य										
1.	असम	1.07	1.07	1.07	70.12	66.72		3.68	3.68	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.49	4.49	4.49	30.16	30.16		41.28	41.28	
3.	मणिपुर	6.69	6.69	0	7.87	5.75		101.58	101.58	
4.	मेघालय	2.34	2.34	2.34	46.89	38.07		0.78	0.78	
5.	मिजोरम	45.31	45.31	45.31	22.50	22.50		166.59	166.59	
6.	नागालैंड	0	0	0	86.69	86.69		88.31	88.31	
7.	सिक्किम	10.34	10.34	10.34	49.11	49.11		32.58	32.58	
8.	त्रिपुरा	8.97	8.97	8.97	25.84	25.84		30.00	30.00	
अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र										
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	36.27	34.65		41.55	41.55	
2.	बिहार	0	0	0	1.50	1.12		69.36	69.36	
3.	छत्तीसगढ़	14.98	14.98	14.98	0	0		119.23	119.23	
4.	दिल्ली	0	0	0	8.013	6.52		1.822	1.822	
5.	गोवा	0	0	0	8.52	4.39		4.13	4.13	
6.	गुजरात	2.0	2.0	2.0	62.26	59.74		0	0	
7.	हरियाणा	0	0	0	6.50	4.40		48.23	48.23	
8.	हिमाचल प्रदेश	2.0	2.0	2.0	19.12	12.80		50.56	50.56	
9.	झारखण्ड	0	0	0	10.61	6.95		93.00	93.00	
10.	कर्नाटक	2.04	1.53	2.04	37.41	20.43		57.09	57.09	
11.	केरल	2.28	1.71	2.28	75.01	69.56		50.20	50.20	
12.	लक्षद्वीप	0	0	0	8.50	2.30		0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	मध्य प्रदेश	13.18	6.89	0	41.31	33.21		149.44	149.4	
14.	महाराष्ट्र	6.76	5.32	0	175.67	102.22		169.93	169.93	
15.	उड़ीसा	0	0	0	7.20	7.20		197.11	197.11	
16.	पंजाब	0.32	0.24	0.32	0	0		16.15	16.15	
17.	राजस्थान	0	0	0	20.65	13.73		17.56	17.56	
18.	तमिलनाडु	1.00	1.00	1.00	111.38	87.02		72.96	72.96	
19.	उत्तर प्रदेश	12.47	9.35	0	67.20	44.24		51.88	51.88	
20.	उत्तरांचल	76.40	48.20	48.20	1.14	0.88		332.72	332.72	
21.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	26.05	24.39		98.53	98.53	
22.	नाबार्ड	150.00	150.00	150.00	732.5	732.5		0	0	
23.	एनसीडीसी, नई दिल्ली	0	0	0	100.0	100.0		0	0	
	योग	362.64	322.43	295.34	1895.985	1693.09		2106.26	2106.26	

*उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित।

विवरण III

राष्ट्रीय बागवानी मिशन-जैविक खेती के तहत निर्मुक्त और उपयोग में लाई गई धनराशि

(रु. लाख में)

राज्य	2005-06		2006-07	
	निर्मुक्त	उपयोग	निर्मुक्त	उपयोग
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	50.00	35.06	524.90	157.10
बिहार	-	-	700.00	825.00
छत्तीसगढ़	10.50	-	1740.00	1605.00
गोवा	30.00	-	65.00	-
गुजरात	5.00	14.43	45.40	52.85
हरियाणा	41.00	19.02	206.60	181.88
झारखण्ड	-	-	90.00	-
कर्नाटक	541.50	291.50	1055.00	-

1	2	3	4	5
केरल	503.11	188.75	870.00	488.30
मध्य प्रदेश	224.90	56.74	147.00	321.41
महाराष्ट्र	840.00	-	1242.30	1754.40
उड़ीसा	29.00	19.00	510.00	284.00
पंजाब	75.00	-	480.00	75.00
राजस्थान	53.00	47.21	116.00	94.64
तमिलनाडु	87.50	82.94	450.00	469.87
उत्तर प्रदेश	105.00	32.00	1500.00	1187.29
पश्चिम बंगाल	490.00	490.00	670.00	-
योग	3085.51	1276.65	10412.20	7496.74

विवरण IV

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटकवार भौतिक उपलब्धियां														
		सर्विस प्रोवाइडर			उत्पादक इकाई			माडल फार्म			प्रशिक्षण कार्यक्रम			प्रदर्शन		
		04-05	05-06	06-07	04-05	05-06	06-07	04-05	05-06	06-07	04-05	05-06	06-07	04-05	05-06	06-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	10	10	02	0	05	11	0	24	0	110	20
2.	असम	0	01	0	0	0	0	0	07	0	11	0	08	0	157	05
3.	मणिपुर	02	07	07	0	0	19	01	0	02	0	05	105	0	32	160
4.	मेघालय	0	03	0	0	0	0	0	01	0	24	02	0	0	264	0
5.	मिजोरम	0	0	13	0	15	18	19	0	0	75	0	175	0	0	169
6.	नागालैंड	0	12	0	0	10	04	0	05	16	0	29	51	0	49	100
7.	सिक्किम	0	10	0	0	0	08	04	01	0	24	11	0	0	110	100
8.	त्रिपुरा	0	0	0	0	08	20	0	0	0	11	01	0	0	50	0
9.	आंध्र प्रदेश	0	03	03	0	0	0	0	02	09	0	11	41	0	93	53
10.	बिहार	0	0	0	0	0	37	0	0	02	0	0	21	0	15	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	39	07	0	0	10	0	25	0	0	125
12.	दिल्ली	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	05	07	0	08	10
13.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	02	0	0	04	0	0	0	0
14.	गुजरात	0	15	0	0	0	0	01	01	0	0	02	0	0	90	0
15.	हरियाणा	0	0	0	0	0	15	0	01	01	0	0	03	0	23	50
16.	हिमाचल प्रदेश	0	0	04	0	0	05	01	05	05	0	20	24	0	11	19
17.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	24	0	01	05	0	17	0	0	05	0
18.	कर्नाटक	0	15	0	0	0	15	0	03	05	06	13	15	12	110	05
19.	केरल	0	04	0	0	0	0	0	16	05	0	206	22	18	0	10
20.	लक्षद्वीप	0	03	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
21.	मध्य प्रदेश	04	49	01	0	0	0	0	02	0	04	03	10	06	244	10
22.	महाराष्ट्र	0	40	37	0	0	01	0	13	03	02	143	163	55	130	193
23.	उड़ीसा	0	04	0	0	0	57	0	02	17	0	0	25	0	0	250
24.	पंजाब	0	01	0	0	0	0	0	0	01	0	0	42	02	0	58
25.	राजस्थान	0	0	0	0	0	01	0	01	04	0	49	04	0	26	0
26.	तमिलनाडु	0	03	02	0	20	01	0	19	02	0	47	28	0	55	30
27.	उत्तर प्रदेश	0	06	0	0	0	76	0	08	01	07	27	48	105	22	30
28.	उत्तरांचल	14	01	20	02	0	0	01	0	05	08	04	39	100	0	515
29.	पश्चिम बंगाल	0	01	20	0	0	0	0	10	01	0	05	03	0	0	101
	कुल	20	180	107	2	63	350	36	101	89	193	604	883	298	1704	2025

टिप्पणी: अधिकांश राज्यों के मामले में 2004-05 के दौरान प्राप्त लक्ष्य। तथापि 2005-06 तथा 2006-07 के मामले में जानकारी प्रतीक्षित है।

विवरण V

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

2005-06 के लिये जैविक खेती के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

राज्य	आर्गेनिक खेती (है.)		वर्मी कम्पोस्ट इकाई (संख्या हजार में)		प्रमाणन (50 हैक्टे. का समूह)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	200	113	100	113		
बिहार	–		–			

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	–		35			
गोवा	300		2	1		
गुजरात	50		–	38		
हरियाणा	110	60	100	58		
झारखण्ड	–		–			
कर्नाटक	4800	2365	205	205		
केरल	2019	160	1004	436		
मध्य प्रदेश	1868	717	127	93		
महाराष्ट्र	4400	1305	700	515	38	2
उड़ीसा	100	100	30	30	2	
पंजाब	–		250			
राजस्थान	500	467	10	73		
तमिलनाडु	800	998	25	3		
उत्तर प्रदेश	1050	278.5	–			
पश्चिम बंगाल	2500	2500	800	800		
योग	18697	9063.5	3388	2365	40	2

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

2006-07 के लिये जैविक खेती के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

राज्य	आर्गेनिक खेती (है.)		वर्मी कम्पोस्ट इकाई (संख्या हजार में)		प्रमाणन (50 हैक्टे. का समूह)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1950		1093	923	20	
बिहार	1000		2000	5500		
छत्तीसगढ़	1100		5350		5	
दिल्ली						
गोवा	450		3		200	
गुजरात	100	197	118	138		

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	380	424	512	454	3	
झारखण्ड	150		200		3	
कर्नाटक	5500		1350		20	
केरल	2800	1075	1300	864	40	
लक्षद्वीप						
मध्य प्रदेश	1200	2685	90	323		
महाराष्ट्र	5350	3248.94	1975	2842.83	77	224
उड़ीसा	1000	440	200	800	3500	
पंजाब	1000		100	250	3500	
राजस्थान	700	1162	70			
तमिलनाडु	3960	4252	180	151		
उत्तर प्रदेश		10459.2		452	300	
पश्चिम बंगाल	4000		900			
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह						
योग	30640	23943.1	15441	12697.99	7668	224

[अनुवाद]

समेकित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत सहायता

***456. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समेकित वन संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्य के निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा ऐसी सहायता के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। समेकित वन संरक्षण योजना (आई एफ पी एस) के तहत मौजूदा वनों के प्रबंधन के लिए राज्य वन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस स्कीम का मूल्यांकन स्वतंत्र अभिकरणों से कराया गया था। दो अध्ययन कराए गए थे। एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और दूसरा शेष भारत के लिए। इन स्वतंत्र मूल्यांकनों ने सिफारिश की है कि इस स्कीम को 11वीं योजना के दौरान भी चालू रखा जाए। इस स्कीम के दिशा-निर्देश में राज्य वन विभाग द्वारा मानीटरी और मूल्यांकन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी भी राज्यों के दौरे के दौरान आईएफपीएस सहित विभिन्न स्कीमों के निष्पादन और प्रगति की समीक्षा करते हैं।

विवरण

समेकित वन संरक्षण योजना के तहत 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य	2006-07 के दौरान जारी धनराशि		
		डब्ल्यू पी 2005-06 की दूसरी किस्त	डब्ल्यू पी 2006-07 की पहली किस्त	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			शून्य
2.	बिहार	12.53	120.00	132.53
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	371.40	371.40
4.	गोवा	शून्य	शून्य* (29.01)	शून्य* (29.01)
5.	गुजरात	200.00	200.00	400.00
6.	हरियाणा	51.48	116.02	167.50
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
9.	झारखण्ड	112.263	शून्य	112.263
10.	कर्नाटक	122.88	शून्य	122.88
11.	केरल	167.597	शून्य	167.597
12.	मध्य प्रदेश	200.00	125.00	325.00
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य* (103.46)	शून्य* (103.46)
14.	उड़ीसा	76.38	शून्य	76.38
15.	पंजाब	शून्य	शून्य* (100.00)	शून्य* (100.00)
16.	राजस्थान	शून्य	100.07	100.07
17.	तमिलनाडु	158.40	शून्य	158.40
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	135.04	135.04
19.	उत्तराखंड	188.22	320.36	508.58
20.	पश्चिम बंगाल	57.57	160.53	218.10
	कुल	1347.32	1648.42	2995.74

1	2	3	4	5
	पूर्वोत्तर और सिक्किम			
1.	असम	150.26	40.00	190.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.68	10.00	191.68
3.	मणिपुर	194.29	200.89	395.18
4.	मेघालय	150.00	शून्य	150.00
5.	मिजोरम	79.71	150.00	229.71
6.	नागालैंड	237.72	100.00	337.72
7.	सिक्किम	141.70	*(36.88)	141.70
8.	त्रिपुरा	162.915	शून्य	162.915
	कुल	1298.275	500.89	1799.165
	संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादर एवं नगर हवेली	3.8552	शून्य	3.8552
4.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3.8552	शून्य	3.8552
	कुल योग	2649.4502	2149.31	4798.7602

*दर्शाता है कि निधियां स्वीकृत की गई थी लेकिन वास्तव में जारी निधियां शून्य थी क्योंकि चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष खर्च न की गई निधियों को समायोजित किया गया था। ये राशियां कोष्ठक में दी गई है।

बाल मजदूर

***457. श्री निखिल कुमार:**
श्रीमती पी. सतीदेवी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के बावजूद देश के विभिन्न भागों में बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में काम पर रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में इस संबंध में विभिन्न राज्यों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सरकार ने 10.10.2006 से घरेलू

नौकरों/सेवकों के रूप में तथा ढाबों, रेस्तराओं, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, स्पाओं और अन्य मनोरंजन संबंधी केन्द्रों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। तब से, राज्य सरकारों, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार हैं, द्वारा कराए गए निरीक्षणों के दौरा इन दो व्यवसायों में 2229 उल्लंघनों का पता चला है।

(ग) बाल श्रम गम्भीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से पनपता है, प्रतिबंध के कारगर क्रियान्वयन के लिए इस मुद्दे पर व्यापक जन जागरूकता तथा बाल श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक संयुक्त कार्यनीति अपेक्षित है। सरकार ने इस संबंध में पहले ही सघन मीडिया अभियान चलाया है और राज्य संघ/शासित सरकारों को भी आवश्यक उपाय करने के लिए लिखा है। इसके द्वारा प्रभावित बच्चों के लिए विभिन्न विभागों की विकासपरक स्कीमों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए पुनर्वास के साथ-साथ प्रतिबंध के कारगर क्रियान्वयन हेतु राज्य कार्रवाई योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श भी किए गए हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता जागरूकता

***458. श्री रघुराज सिंह शाक्य:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 'खाद्य सुरक्षा' के बारे में जागरूक बनाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए उपभोक्ता परामर्श व शिकायत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2006 के लिए सरकार ने 'उपभोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा' विषय को अपनाया था। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पणधारियों से अन्य बातों के अलावा अपमिश्रित खाद्य उत्पादों के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बरते जाने वाले एहतियातों पर प्रकाश डालने के लिए मास मीडिया और आउटडोर के माध्यम से समर्थन उपाय करने का अनुरोध किया गया। तदनुसार काफी संख्या में राज्य सरकारों और पणधारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित ऐसे समर्थन कार्यक्रम और आयोजन किए जाने की रिपोर्ट दी है।

(ख) देश में 103 जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 25 उत्तर प्रदेश में हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक रिलीज किए गए राज्यवार अनुदानों के ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

विवरण I

जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की सं.	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	(1) गुन्टूर (2) कुड्डप्पा (3) विशाखापत्तनम
2.	चण्डीगढ़	1	(1) चण्डीगढ़
3.	दमन और दीव	1	(1) मोती दमन

1	2	3	4
4.	दिल्ली	1	(1) मयूर विहार
5.	गुजरात	9	(1) राजकोट (2) साबरकंठा (3) बड़ोदरा (4) सूरत (5) भावनगर (6) भुज (कच्छ) (7) गोधरा (8) दहोद (9) पाटन
6.	हरियाणा	1	झझर
7.	मणिपुर	9	(1) चंदेल (2) इम्फाल वेस्ट (3) थाउबल (4) सेनपट्टी (5) इम्फाल वेस्ट (6) बिश्नुपुर (7) चंदेल (8) इम्फाल ईस्ट (9) चुराचांदपुर
8.	मध्य प्रदेश	6	(1) भोपाल (2) भोपाल (3) ग्वालियर (4) कटनी (5) सागर (6) ग्वालियर
9.	महाराष्ट्र	4	(1) अहमदनगर (2) परबनी (3) नान्देड़ (4) गोंडिआ
10.	मिजोरम	1	(1) एजवल
11.	उड़ीसा	10	(1) मयुरभंज (2) कण्डामल (3) भद्रक (4) कालाहांडी (5) बोलांगीर (6) बालासोर (7) अंगुल (8) कटक (9) पुरी (10) ढेनकनाल
12.	पांडिचेरी	2	(1) कराईकल (2) अय्यमकुट्टीपल्लयम
13.	राजस्थान	3	(1) चित्तौड़गढ़ (2) दौसा (3) अजमेर
14.	उत्तरांचल	4	(1) देहरादून (2) चमोली (3) अल्मोड़ा (4) नैनीताल
15.	पश्चिम बंगाल	9	(1) पश्चिम मिदनापुर (2) बांकुरा (3) कोलकाता (4) किदरपुर (5) नाडिया (6) हुगली (7) 24 परगना (साउथ) (8) जलपाइगुडी (9) बीरभूम
16.	सिक्किम	3	(1) गंगटोक (ईस्ट) (2) नार्थ डिस्ट्रिक्ट (3) साउथ डिस्ट्रिक्ट
17.	केरल	1	(1) तिरूवंतपुरम
18.	तमिलनाडु	3	(1) शिवगंगाई (2) रामनाथपुरम (3) सलेम
19.	उत्तर प्रदेश	25	(1) नोएडा (2) लखनऊ (3) बस्ती (4) बुलन्दशहर (5) संत कबीर नगर (6) देवरिया (7) हाथरस (8) प्रतापगढ़ (9) कन्नौज (10) अलीगढ़ (11) मथुरा (12) गाजीपुर (13) जौनपुर (14) हरदोई (15) सिद्धार्थनगर (16) मिर्जापुर (17) औरैया (18) मेरठ (19) बलिया (20) मैनपुरी (21) कानपुर (22) संत रवि दास नगर (23) हमीरपुर (24) बाराबंकी (25) राय बरेली
20.	बिहार	1	(1) वैशाली
21.	झारखण्ड	1	(1) धनबाद
22.	कर्नाटक	3	(1) गुलबर्गा (2) उड्डुपी (3) हुबली
23.	असम	1	(1) नौगांव
24.	नागालैण्ड	1	(1) दीमापुर
	कुल	103	

विवरण II

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	115.53	32.50	28.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	30.20	18.75
3.	असम	3.21	2.50	28.75
4.	बिहार	2.16	-	46.25
5.	छत्तीसगढ़	26.44	-	45.00
6.	दिल्ली	78.62	263.51	297.25
7.	गोवा	-	4.50	2.50
8.	गुजरात	59.05	0.75	175.25
9.	हरियाणा	-	43.50	23.75
10.	हिमाचल प्रदेश	-	2.10	15.00
11.	जम्मू-कश्मीर	14.79	40.80	17.50
12.	झारखण्ड	-	-	30.00
13.	कर्नाटक	74.55	52.50	36.25
14.	केरल	-	2.50	17.50
15.	मध्य प्रदेश	25.20	0.75	70.00
16.	महाराष्ट्र	109.43	46.50	43.75
17.	मणिपुर	21.63	11.50	12.75
18.	मेघालय	-	-	8.75
19.	मिजोरम	1.26	29.50	20.00
20.	नागालैंड	7.31	-	12.50
21.	उड़ीसा	120.33	2.50	48.25
22.	पंजाब	10.00	25.00	21.25
23.	राजस्थान	79.63	5.60	90.00
24.	सिक्किम	-	13.25	11.50
25.	तमिलनाडु	68.61	10.22	216.25

1	2	3	4	5
26.	त्रिपुरा	7.70	4.00	5.00
27.	उत्तरांचल	13.63	15.25	16.25
28.	उत्तर प्रदेश	36.67	149.45	102.50
29.	पश्चिम बंगाल	84.53	8.50	131.00
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	3.75
31.	चंडीगढ़	0.88	2.50	6.25
32.	दादरा व नगर हवेली	-	-	1.25
33.	दमन व दीव	-	-	2.50
34.	लक्षद्वीप	-	2.10	1.25
35.	पाण्डिचेरी	1.35	2.50	5.00
	कुल	963.6	804.2	1612.00

*वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

आर्द्र भूमि का संरक्षण

***459. श्री अब्दुल रशीद शाहीनः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्द्र भूमि कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आर्द्रभूमि की पहचान और इसके संरक्षण और प्रबंधन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। देश में कई नमभूमियां मानवजनित दबावों, अनियंत्रित गाद जमने, खरपतवार पर्याक्रमण, सीवेज और औद्योगिक बहिस्रावों के निस्तारण, सतही रन आफ, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के कारण आकार में कम होती जा रही है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेश को शामिल करते हुए, राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के लिए 94 नमभूमियों को अभिनिर्धारित किया है। जिन कार्यों के लिए शत प्रतिशत सहायता दी जाती है इनमें सर्वेक्षण और सीमांकन, कैचमेंट क्षेत्र सुधार, गाद निकालना और तलकर्षण, पौध बाढ़ लगाना, मत्स्य विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, प्रदूषण निवारण, शिक्षा और जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल है। प्रबंध कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए अनुसंधान संगठनों को सहायता भी दी जाती है। अभिनिर्धारित नमभूमियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) अभिनिर्धारित नमभूमियों के संरक्षण के लिए देश में विभिन्न संरक्षण कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर अब तक 53.00 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। वर्ष 2007-08 के लिए 10 करोड़ रु. की राशि अभिनिर्धारित की गई है। राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नमभूमियों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्र.सं.	नमभूमियों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	कोलारू
2.	असम	2.	डीपर बील
		3.	अरपड बील
3.	बिहार	4.	काबर
		5.	बारीला
		6.	कुशेश्वर स्थान
4.	गुजरात	7.	नलसरोवरा
		8.	कच्छ की बड़ी खाड़ी
		9.	थोल पक्षी अभयारण्य
		10.	खिजादिया पक्षी अभयारण्य
		11.	कच्छ की छोटी खाड़ी
		12.	पारीज
		13.	वाधवना
		14.	नैनीकराड़
5.	हरियाणा	15.	सुल्तानपुर
		16.	भिंडवास
6.	हिमाचल प्रदेश	17.	रेनुका
		18.	पोंगबाध
		19.	चन्द्रताल
		20.	रेवालसर
		21.	खजियार
7.	जम्मू-कश्मीर	22.	वूलर
		23.	तसो मुरारी
		24.	तिसगुल तसोल तथा चिसुल मार्शिस
		25.	हेकेरसार
		26.	मानसर-सुरिनसर
		27.	रणजीत सागर
		28.	पेरगोंगा टसर
8.	झारखंड	29.	उधवा
		30.	तिलैया बांध
9.	कर्नाटक	31.	मागधी
		32.	गुदावी पक्षी अभयारण्य
		33.	बोनल
		34.	हिडकल और घाटप्रभा
		35.	हेगारी
		36.	रंगनाथिट्टु
		37.	के जी कोपा नमभूमि
10.	केरल	38.	अष्टामुडी
		39.	ससथामकोटा
		40.	कोटुल
		41.	वेम्मनाड कोल
11.	मध्य प्रदेश	42.	बरना
		43.	यशवंत सागर
		44.	केन नदी की नमभूमि
		45.	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य
		46.	घाटीगांव
		47.	रातापानी
		48.	धनेवा तवा नमभूमि
		49.	कान्हा बाघ रिजर्व
		50.	पेंच बाघ रिजर्व
		51.	साख्यसागर

1	2	3	4
		52.	घियाला
		53.	गोविन्द सागर
12.	महाराष्ट्र	54.	उजनी
		55.	जयाकवाड़ी
		56.	नालगंगा नमभूमि
13.	मणिपुर	57.	लोकतक
14.	मिजोरम	58.	तामदिल
		59.	पालक
15.	उड़ीसा	60.	चिल्का
		61.	कोनरिया नमभूमि
		62.	कनजिया नमभूमि
		63.	दाहा नमभूमि
16.	पंजाब	64.	हरिके
		65.	रोपड़
		66.	कणजी
17.	राजस्थान	67.	साम्भर
18.	सिक्किम	68.	केचुपेरी होली लेक
		69.	तमजे वनभूमि
		70.	तमबाओ नमभूमि परिसर
		71.	फेनडांग नमभूमि परिसर
		72.	गुरुदोकमर नमभूमि
		73.	तसोमगो नमभूमि
19.	तमिलनाडु	74.	प्वाइंट कालीमेर
		75.	केलीवेली
		76.	पलईकरनी
20.	त्रिपुरा	77.	रुद्रसागर
21.	उत्तर प्रदेश	78.	नवाबगंज
		79.	संडी
		80.	लेख बाहोशी
		81.	समासपुर
		82.	अलवारा नवभूमि
		83.	सिमराई जील नागरिया झील परिसर
		84.	कीथाम झील
		85.	शिखा नमभूमि
		86.	समान पक्षी अभयारण्य और सरसोई नगर परिसर
22.	उत्तरांचल	87.	बाण गंगा झिलमिल ताल
23.	पश्चिम बंगाल	88.	पूर्व कोलकाता नमभूमि
		89.	सुन्दरवन
		90.	अहीरन बील
		91.	रसिक बील
		92.	संतरागची
24.	यू टी (चण्डीगढ़)	93.	सुखना

विवरण II

नमभूमियों के विकास के लिए सरकार द्वारा खर्च किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि लाख रु.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	76.05
2.	असम	311.66
3.	बिहार	31.34
4.	गुजरात	222.25
5.	हरियाणा	–
6.	हिमाचल प्रदेश	480.04

1	2	3
7.	जम्मू-कश्मीर	477.655
8.	झारखंड	-
9.	कर्नाटक	111.04
10.	केरल	187.532
11.	मध्य प्रदेश	30.00
12.	महाराष्ट्र	-
13.	मणिपुर	707.82
14.	मिजोरम	25.42
15.	उड़ीसा	796.69
16.	पंजाब	460.935
17.	राजस्थान	247.45
18.	सिक्किम	-
19.	तमिलनाडु	177.06
20.	त्रिपुरा	75.00
21.	उत्तर प्रदेश	99.67
22.	उत्तरांचल	42.4
23.	पश्चिम बंगाल	420.29
24.	चण्डीगढ़ (यूटी)	-
	अनुसंधान और विकास कार्य सामान्य	320.02
	कुल	5300.322

गेहूं का आयात

***460. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से संवितरित किए जाने के लिए आस्ट्रेलिया और कनाडा से आयातित लाल गेहूं को कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे गेहूं की आयात लागत कितनी है और इससे कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में जिम्मेदारी तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, नहीं। यद्यपि सफेद गेहूं को पंसद किया जाता है लेकिन उचित दर दुकानों द्वारा वितरण किए जाने के लिए लाल गेहूं को स्वीकार किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निविदा विनिर्दिष्टियों के अनुसार 205.31 यूएस डालर प्रति टन के भारित औसत मूल्य पर 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया है। इस संबंध में कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दवाओं की शुद्धता के मानक

4269. श्री उदय सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दवा निर्माताओं को विषैली और गैर-विषैली अशुद्धताओं की जानकारी उपलब्ध करायी है जिन्हें दवाओं की शुद्धता तथा मानकीकरण बनाए रखना होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लघु भेषज इकाइयों को सस्ती कीमत पर राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से अशुद्धता प्रोफाइल का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं, नाइपर, मोहाली को यह काम नहीं सौंपा गया है। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर, फार्मा उद्योग संघों ने उचित कीमतों पर विनिर्माताओं को संदर्भ मानकों की आपूर्ति के लिए इंडियन फाउंडेशन फार फार्मास्यूटिकल रेफरेंस स्टैंड्डर्स (आईएफपीआरएस) नामक एक अलाभकारी ट्रस्ट का गठन किया है।

गुजरात को कम ब्याज पर ऋण

4270. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने सहकारी बैंकों के पुनर्गठन के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों के पुनः सक्रियकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये का उदार ऋण देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है।

(ग) वर्तमान में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसी सहायता दी जा सके।

[हिन्दी]

पेटेन्ट की गयी दवाओं की कीमत

4271. श्रीमती लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्रीमती नीता पटैरिया:
श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेटेन्ट करायी गयी दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषधीय नीति, 2006 के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि 1 जनवरी, 2005 के बाद भारत में उतारी गई पेटेन्टशुदा दवाओं (उत्पाद पेटेंट के अधीन फार्मूलेशन) को, उन्हें विपणन अनुमोदन देने से पूर्व मूल्य संबंधी वार्ताओं से गुजरना होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 संबंधी मंत्रिमंडलीय नोट मंत्रिमंडल के समक्ष इसके विचार/अनुमोदन के लिए रखा गया था। यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर सर्वप्रथम एक मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। अब जीओएम का गठन किया जा चुका है। इस जीओएम की पहली बैठक 10.4.2007 को हुई। जीओएम को अभी अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को करनी हैं।

रेल मार्ग हेतु वनभूमि का संयुक्त सर्वेक्षण

4272. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैजौन और आनन्दपुर साहिब के बीच रेलमार्ग हेतु इस्तेमाल की जाने वाली वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जाजौन और आनंदपुर साहिब के बीच रेलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण करने का ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पशुपालन और मत्स्यपालन के विकास हेतु धनराशि

4273. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल

भूरिया): चालू वित्त वर्ष में पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 333.19 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान विस्तार समितियां

4274. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का तकनीक विकसित करके किसानों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. का विचार राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान विस्तार समितियां स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्य क्या है; और

(ङ) इन समितियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 551 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीकें) का एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी/उत्पाद का परिष्करण एवं प्रदर्शन तथा किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए इनका प्रसार करना है। ये कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के तहत स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) और (ङ) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रावधान है। परिषद का राज्य स्तरीय कृषि अनुसंधान विस्तार समितियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्न बचाओं अभियान

4275. श्री एल. राजगोपाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अन्न बचाओ अभियान (एसजीसी) के कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में एस जी सी का कोई कार्यालय नहीं खोला गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खाद्यान्नों के नुकसान को न्यूनतम करने के लिए भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तथा किसानों को हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों तथा तकनीकी जानकारियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) देश में अन्न सुरक्षा अभियान के राज्यवार कार्यालयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालय का स्थान	कवर किए राज्यों के नाम
1	2	3
1.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप
2.	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
3.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
4.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार, त्रिपुरा और सिक्किम
5.	चंडीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और चंडीगढ़
6.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम

1	2	3
7.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी
9.	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव
10.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय और पूर्वी जिले
11.	पटना	बिहार व झारखंड
12.	पुणे	महाराष्ट्र व गोवा

(ख) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में अन्न सुरक्षा अभियान का कार्यालय स्थापित किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ने फार्म स्तर पर खाद्यान्नों की हानियों को न्यूनतम करने के लिए खाद्यान्न भंडारण हेतु इन-डोर और आऊट-डोर धात्विक और गैर धात्विक बिनों के विभिन्न डिजाइन विकसित किए थे। इसके अतिरिक्त इसने किसानों के लिए खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण हेतु पद्धति संहिताएं भी विकसित की थीं। भारतीय अनाज संचयन एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों और तकनीकी जानकारी का अन्न सुरक्षा अभियान कार्यालयों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है।

यमुना की सफाई

4276. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यमुना नदी की सफाई के संबंध में कार्रवाई कब तक पूरी होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) मंत्रालय को दिल्ली सरकार से यमुना की सफाई स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय को नजफगढ़, सप्लीमेन्टरी और शाहदरा नालों पर इन्टरसैप्टर सीवर बिछाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना की प्रति योजना आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 725/1994 में अपने दिनांक 3.4.2007 के आदेश के तहत इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से बहुविषयी विशेषज्ञों को शामिल करके एक समिति गठित की है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने वर्तमान सीवेज शोधन क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तथा साथ ही नई क्षमताओं के सृजन की समय सीमा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की है। दिल्ली जल बोर्ड का लक्ष्य सीवेज शोधन क्षमता के प्रयोग को पूरा करने के साथ ही दिसम्बर, 2007 तक 2081 एम एल डी, दिसम्बर, 2008 तक 2326, वर्ष 2009 तक 2870 और वर्ष 2015 तक 3791 एम एल डी स्तर की क्षमता का अपेक्षित बजटीय और गैर बजटीय संसाधनों को उपलब्ध करवाए जाने की शर्त पर निहित विस्तार करना शामिल है।

उड़ीसा में पोस्को

4277. श्री तथागत सत्पथी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण कोरिया की प्रमुख इस्पात कंपनी पोहांग स्टील कंपनी (पोस्को) ने उड़ीसा के पारादीप में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संयंत्र की स्थापना के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा राज्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया (प्रा.) लि. द्वारा अब तक की गई प्रगति निम्नानुसार है:-

* 51.3 मिलियन अमरीकी डालर की प्रदत्त पूंजी सहित पोस्को इंडिया प्रा. लिमिटेड की स्थापना सितंबर, 2005 में की गई है।
* उड़ीसा सरकार ने, कंपनी को सितंबर, 2006 में उड़ीसा के जगतसिंह जिले के इरास्मा ब्लाक में 1135 करोड़ भूमि मंजूर की है तथा 2431 एकड़ को पट्टे पर देने की कार्रवाई चल रही है।
* कंपनी ने 300 से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाया है।
* जून, 2006 में एक पुनर्वास तथा परिसरीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) गठित की गई है।
* आज तक कंपनी द्वारा 120 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है।

बीमारियों के कारण प्रभावित आम उत्पादन

4278. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आम्र मंजरी प्रस्फुटन के दौरान बीमारी फैलने से प्रत्येक वर्ष आम का लगभग 25 प्रतिशत उत्पादन प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-से निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पुंष्पण मौसम के दौरान आम की फसलों को प्रभावित करने वाले मुख्य रोग हैं- पाउडरी मिलड्यू और ब्लासम ब्लाइट। इन रोगों से अतिव्यापक क्षति नहीं होती क्योंकि नियंत्रण उपाय सरलता से उपलब्ध होते हैं और अपनाए जाते हैं। संस्तुत उपाय और किसानों द्वारा अपनाए जा रहे निवारक उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) पाउडरी मिल्डयू: पुष्प-गुच्छों के निकलने से 15 दिनों के अन्तराल पर भिगोने योग्य सल्फर (2 ग्रा./लि)/ ट्राइडमोर्फ/डिनोकैप/हैक्साकोनाजोल के दो छिड़काव।

(2) ब्लोसम ब्लाइट: करबेनडेजिम+आइप्रोडियोन/मानकोजेब+ डिनोकेप के समिश्रण का प्रयोग करना।

(3) पुष्पों के खिलते ही टिड्डों के लिए इमिडेक्लोप्रिड (0.3 मिली/10 लि) का पहला छिड़काव और फल आने के पश्चात कारबेरिल (2 ग्रा/लि) का आवश्यकता आधारित छिड़काव।

भारत सरकार ने पौध संरक्षण के मूल सिद्धांत के रूप में समेकित कीट प्रबन्धन (आईपीएम) को अपनाया है। सरकार ने सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) केन्द्र स्थापित किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित करके आईपीएम में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा, राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने "भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को अधिदेश है-कीट/रोग प्रबोधन, जैव-नियंत्रण कारकों/ जैव कीटनाशियों का उत्पादन और उन्हें जारी करना। जैव नियंत्रण कारकों का संरक्षण और कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित करके निचले स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देते हुए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) में मानव संसाधन विकास। 77 प्रमुख फसलों में कीट/रोग प्रबंधन के लिए उन्हें (www.dacnet.nic.in/ppin) पर डाला गया है ताकि विस्तार कर्मियों तथा किसानों द्वारा इनका उपयोग किया जा सके। पौध रोगों के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार कीट निगरानी/प्रबोधन के लिए सर्वेक्षण दलों का गठन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श देती रहती है ताकि किसानों द्वारा समय पर नियंत्रण उपाय किए जा सकें। सम्पूर्ण देश में अवस्थित सीआईपीएमसी भी कीट प्रबोधन के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित कर रहे हैं और राज्य कृषि विभाग को अपने सर्वेक्षण परिणाम/रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं ताकि वे समय पर नियंत्रण उपाय कर सकें।

[हिन्दी]

इंटिग्रेटेड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम

4279. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी' द्वारा 5 'डिसिजन सर्पोट सिस्टम' विकसित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक 'इंटिग्रेटेड डिसिजन सर्पोट सिस्टम' बनाने के लिए उक्त 'डिसिजन सपोर्ट सिस्टम' का विलय कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त डिसिजन सर्पोट सिस्टम का प्रयोग जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) (क) सतही जल आयोजना; (ख) जलाशयों का एकीकृत प्रचालन; (ग) सतही जल और भूजल की संयुक्त आयोजना; (घ) सूखा निगरानी आकलन और प्रबन्धन; तथा (ङ) जल गुणवत्ता संबंधी क्षेत्रों में 5 निर्णय सहायता प्रणालियां (डीएसएस) हैं जिन्हें एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबन्धन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिए जाने के दृष्टिकोण से जल विज्ञान परियोजना-II के कार्यान्वियन के दौरान एक विस्तृत प्रणाली के रूप में एकीकृत किया जाना है।

[अनुवाद]

पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा

4280. श्री परसुराम माझी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य में पाम आयल के उत्पादन को बढ़ावा देने की भारी संभावना को देखते हुए उसे बढ़ावा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार उड़ीसा राज्य सहित दस राज्यों में 'तिलहनों, दालों, खजूर तेल और मक्के की एकीकृत योजना' के तहत खजूर तेल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के तहत रोपाई की सामग्री की लागत, कृषि आदानों, ड्रीप सिंचाई प्रणाली लगाने, डीजल पम्प सैटों, प्रशिक्षण, बंजूर भूमि विकास, विस्तार और प्रचार, स्थापना और कर्मचारी, फ्रंट लाइन प्रदर्शनों, पत्ती-पोषकों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के तहत जीनोटाइप के परीक्षण आदि हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच धन की 75:25 में हिस्सेदारी के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से तिलहनों, दालों, खजूर तेल और मक्के की एकीकृत योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उड़ीसा राज्य से वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक कार्य योजना प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

चीलों की संख्या

4281. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चीलों की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में ऐसी चीलों की संख्या में गिरावट आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। देश में चीलों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई ऐसा विधिपूर्वक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई सूचना का संकेत नहीं मिला है कि दिल्ली में चीलों की संख्या में कमी आ रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि वैज्ञानिकों का पलायन

4282. श्री राकेश सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि वैज्ञानिक बेहतर वेतन और सुविधाओं के अभाव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005, 2006 और 2007 के दौरान और आज की तारीख तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या इससे देश के कृषि शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। अपेक्षाकृत बहुत कम कृषि वैज्ञानिक निजी कारणों से स्वैच्छिंक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं।

(ख)	2005	–	05
	2006	–	09
	2007	–	05

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में विद्युत संयंत्र को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

4283. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से राज्य में विद्युत परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने टूटीकोरिन, तमिलनाडु में एक सरकारी सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स नेवली लिगनाईट कार्पोरेशन लिमिटेड की टूटीकोरिन तापीय विद्युत परियोजना (2×500 मेगावाट) को शीघ्र पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ग) उक्त प्रस्ताव पर तापीय ऊर्जा और कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा 9-10 जनवरी, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। प्रस्ताव को मैसर्स नेवली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरणों के मद्देनजर 7-9 मई, 2007 को होने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में विचार करने के लिए कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

4284. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने केन्द्र सरकार को असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की सहायक नदियों और त्रिपुरा में कुछ नदियों से संबंधित मास्टर प्लान (भाग-तीन) प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मास्टर प्लान के पहले दो भागों की स्थिति क्या है;

(ग) तीसरे भाग पर कितनी लागत आएगी तथा पहले दो भागों पर अभी तक कितना खर्च हुआ है और यदि उसकी लागत में कोई वृद्धि हुई हो तो उसका भी ब्यौरा दें; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली तीसरे भाग की योजनाओं का कुल परिव्यय, दसवीं योजना के दौरान उसका उपयोग तथा ग्यारहवीं योजनावधि हेतु किए गए वार्षिक आवंटन सहित ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र (मास्टर योजना भाग-I) की मुख्य धारा, बराक और इसकी सहायक नदियों (मास्टर योजना-II) की मास्टर योजना तैयार की है और मास्टर योजना (भाग-III) के अंतर्गत 52 सहायक नदियों की पहचान की है। अभी तक भारत सरकार ने मास्टर योजना भाग-I, भाग-II और भाग-III के अंतर्गत 34 उप-बेसिन मास्टर योजना अनुमोदित की है। इसके अतिरिक्त, 3 उप बेसिन मास्टर योजना को भी पूरा कर लिया गया है।

(ग) 2004 मूल्य स्तर के आधार पर मास्टर योजना के तीसरे भाग में संस्तुत स्कीमों के कार्यान्वयन में लगी कुल लागत लगभग 11674.00 करोड़ रुपए आकलित की गई है। पहले की मास्टर योजनाओं I एवं II में संस्तुत कार्यों पर 52.78 करोड़ रुपए व्यय हुआ।

(घ) मास्टर योजना के भाग-III में संस्तुत और दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वित दो स्कीमें (1) माजुली द्वीप की सुरक्षा और (2) धनसिरी (एस) नदी में दीमापुर के समीप कुसियाबिल क्षेत्र में कटावरोधी कार्य जिसके लिए दसवीं योजना के दौरान 41.28 करोड़ रुपए और 2.64 करोड़ रुपए के परिव्यय मुहैया कराए गए थे। इसके लिए वास्तविक व्यय क्रमश: 20.55 करोड़ रुपए और 1.74 करोड़ रुपए था। इन कार्यों से संबंधित शेष व्यय 11वीं पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आर.बी.डी. पामोलीन का वितरण

4285. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत अंत्योदय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) कार्डधारकों को वितरित करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा आर.बी.डी. पामोलीन का आयात करने/खरीद करने में छूट/रियायत देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) खाद्य तेलों का आयात (नारियल के तेल को छोड़कर) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है और केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई आयात आबंटन नहीं है। राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य तेल आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

बीज बैंक

4286. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय स्थान-वार कितने बीज बैंक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कुछ नए बीज बैंक खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इससे कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इन राज्यों के राज्य बीज निगमों (एसएससी) और राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम के माध्यम से बीज बैंक कार्यरत हैं। बीज बैंक में बीजों को निगमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर राज्यों में अवस्थित उनके गोदामों में रखा जाता है।

(ख) और (ग) ग्यारहवीं योजना अवधि में नए बीज बैंक खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दसवीं योजना अवधि के दौरान बिहार तथा तमिलनाडु राज्यों को कृषि एवं सहकारिता विभाग की "गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण" नामक पुन: संचरित स्कीम के बीज बैंक की स्थापना और रखरखाव संबंधी घटक को कार्यान्वित करने के लिए शामिल किया गया है।

(घ) इस घटक के अंतर्गत 11वीं योजना के पहले वर्ष के लिए 6.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। चूंकि बीज बैंक स्कीम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान बीज की आवश्यकताओं को पूरा करना है इसलिए यह संभव नहीं है कि लाभान्वित होने वाले संभावित किसानों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके।

राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

4287. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर) छोटी भेषज (एस एस पी) इकाइयों को परामर्शी सहायता देने को बढ़ावा नहीं देता है और जानबूझकर सेवाओं, परामर्श और परियोजनाओं हेतु अधिक लागत रखता है;

(ख) यदि हां, तो (एन आई पी ई आर) द्वारा एसएसपी इकाइयों हेतु संकाय की बातचीत को सहायक और उदार बनाने हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एन आई पी ई आर के संकाय द्वारा कुल कितने पेपर और पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं तथा एसएसपी इकाइयों द्वारा किए गए ऐसे सहकारी वित्तपोषित अनुसंधान के वाणिज्यिक दोहन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एन आई पी ई आर के माध्यम से छोटी और मध्यम दर्जे की भेषज इकाइयों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या चयन समिति तथा अन्य संबंधित समितियों में एस एस पी उद्योग का कोई प्रतिनिधि नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) नाइपर के भी कंसलटेन्सी संबंधी वही नियम हैं जो राष्ट्रीय महत्व के इस प्रकार के समान संस्थानों जैसे आईआईटी, दिल्ली में हैं। ये नियम एक समान हैं और पूरे औषध उद्योग पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे वह किसी आकार का हो।

(ख) दिशा-निर्देशों के मसले पर कोई पृथक प्रावधान नहीं है (जैसा कि राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों में है)।

(ग) नाइपर ने 755 शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं और 69 पेटेंट आवेदन दायर किए हैं (9 अनुदानित और 2 वाणिज्यीकृत) नाइपर द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का किसी भी औषध उद्योग द्वारा, संस्थान द्वारा निर्धारित समान क्रियाविधियों का अनुसरण करने के पश्चात, वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है।

(घ) लघु उद्योग औषध यूनिटों को प्रोत्साहित करने के एक उपाय के रूप में बीओजी, नाइपर ने अपनी 46वीं बैठक में मध्यम और लघु उद्योगों को कन्सलटेन्सी देने के संबंध में विशेष प्रावधान तैयार करने के लिए डा. सी.एल. कौल, पूर्व निदेशक, नाइपर, श्री ललित कुमार जैन, सदस्य, शासी मंडल, नाइपर और निदेशक, नाइपर को लेकर एक उप समिति का गठन किया है।

(ङ) चयन समिति या ऐसी अन्य संबंधित समितियों में लघु फार्मा उद्योग का ऐसा कोई सदस्य नहीं है।

(च) नाइपर एक्ट, 1998 में सन्निहित प्रावधानों के अनुरूप जारी अध्यादेश में दिए गए नियमों के अनुसार शिक्षा व अन्य संबद्ध क्षेत्रों के उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को लेकर ऐसी विशेषज्ञ समितियां गठित की जाती हैं।

एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्ट्स

4288. श्री अधीर चौधरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विनिर्माण लागत से कम मूल्य पर चीन से आयात किए जा रहे एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएन्ट्स (ए.पी.आई.) का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है जिसके परिणामस्वरूप बल्क औषधि यूनिट बंद हुए हैं तथा लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं; और

(ख) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया) ने सूचित किया है कि विशेषकर चीन से कम मूल्य वाली औषधियों के आयातों के कारण एम्पिसिलीन, एमाक्सिसीलीन, विटामिन सी, पारासिटामोल, एनालजीन, सिप्रोफ्लोक्सासीन, नारफ्लाक्सासीन और डाइक्लोफेनेक सोडियम इत्यादि जैसी दवाओं के भारतीय निर्माता गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। चीनी बल्क औषध भारतीय उत्पादों के मुकाबले पैमाने की मितव्ययिता, विद्युत के कम प्रशुल्क और कर ढांचा इत्यादि के कारण सस्ते हैं।

(ख) भारत सरकार, ऐसे आयातों पर डम्पिंग-रोधी/संबंधित शुल्कों के आरोपण द्वारा उद्योग को कुछ संरक्षण दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डंपिंग रोधी महानिदेशालय को जब कभी ऐसी डंपिंग की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो वह कार्रवाई करता है और इसके साबित होने पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाता है। इसके अतिरिक्त, सभी बल्क औषधों के आयातों के लिए, विदेश व्यापार नीति के तहत औषध महानिदेशक (भारत) के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है।

ग्लोबल वार्मिंग संबंधी समिति

4289. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्लोबल वार्मिंग संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति के कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के विशेष संदर्भ में विशेषज्ञ समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने और भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की कार्रवाई कर रही है।

[हिन्दी]

क्लोरिन का रिसाव

4290. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोटा, राजस्थान में क्लोरिन गैस के रिसाव की घटना को नोटिस किया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस घटना में मारे गए एवं घायल हुए लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) फैक्ट्रीज एण्ड वायलर इन्सपेक्टरेट, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 21 अक्तूबर, 2006 को मैसर्स विशाल केम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, एफ-31 चम्बल इन्डस्ट्रियल एरिया, कोटा राजस्थान के परिसर में टोनर के शेल में छेद से क्लोरीन का रिसाव हुआ है। परिसर का रसायनों और क्लोरीन गैस के आगे व्यापार के लिए भण्डारन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी उत्पाद को तैयार करने के लिए नहीं किया जाता और यह फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 के अंतर्गत नहीं आता है। जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और समिति ने दुर्घटना के संबंध में अपनी रिपोर्ट जिला कलैक्टर को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) मैसर्स विशाल केम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी घायल नहीं हुए थे। तथापि परिसर के आस-पास रहने वाले और वहां से गुजरने वाले 70 से 80 लोग प्रभावित हुए थे। जबकि एक व्यक्ति की शरीर पर लगी चोटों के कारण मौत हो गई थी कुछ को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया तथा कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई।

(घ) से (च) संयुक्त श्रम आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी प्रभावित व्यक्ति यूनिट का कर्मचारी नहीं था, इसलिए उन्हें कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। तथापि, मृतक के परिवार को परिसर के अधिभोगी द्वारा 1,00,000 रु. का भुगतान किया गया था। कलैक्टर के रिकार्ड के अनुसार 55 प्रभावित व्यक्तियों में से प्रत्येक को 2000 रु. तथा मृतक की पत्नी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10,000 रु. दिए गए थे।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण

4291. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के परिणाम के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण व्यापक रूप से नहीं फैला हुआ है। पार्टिकुलेट पदार्थ के अलावा अन्य प्रदूषण सामान्य तौर पर गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत हैं। कण पदार्थ के उच्चतर

मूल्यों में सामान्य तौर पर योगदान सड़क की धूल के पुनः उड़ने की वजह से है।

(ख) और (ग) रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों में समय-समय पर जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता शिविर लगाते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाता है।

मत्स्य प्रजातियों का संरक्षण

4292. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़े पैमाने पर फिशिंग ने समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली को काफी प्रभावित किया है जैसाकि दिनांक 8 मार्च, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोई कारगर उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 'हिन्दू' में छपी रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर व्यापक स्तर पर हो रहे मत्स्यन से समुद्री पारिस्थितिकी पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यह सही है कि विश्व के कई हिस्सों में कैच में ह्रास हुआ है तथा कैच कोटा तय किया गया है और बंद किया गया है। भारत के मामले में, 3.93 मिलियन टन की प्रक्षेपित मत्स्यीय क्षमता की तुलना में इस समय करीब 3 मिलियन टन समुद्री मछली का दोहन किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी समुद्री पारिस्थितिकी पर किसी भयानक प्रभाव की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार ने सततता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से तथा समुद्री पारिस्थितिकी संबंधी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम में मत्स्यन के विनियम के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। इसके अनुसार, (क) पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों तटों पर बंद मौसम रखा जाता है (ख) संकटाधीन प्रजाति को पकड़ना प्रतिबंधित है (ग) विध्वंसकारी मत्स्यन वाले तौर तरीके निषिद्ध है, (घ) क्षेत्रीय जल के बाहर, भारत सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ईजेड) में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र को आवश्यक बना दिया है (ङ) ई ई जेड क्षेत्र में केवल भारतीय ध्वज वाले जलयानों को अनुमति दी जाती है, (च) केवल संसाधन विशिष्ट मत्स्यन तौर तरीकों की ही अनुमति है, (छ) प्रत्येक संसाधन विशिष्ट वर्ग में स्वीकृति प्रदान की जाने वाली जलयानों की संख्या को तय कर लिया गया है तथा अधिसूचित कर दिया गया है तथा (ज) केन्द्र में गहरे समुद्र में मत्स्यन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक अंतर मंत्रालयी शक्तिप्राप्त समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों को सहायता

4293. श्री कृष्णा मुरारी मोघेः क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दुर्घटना की स्थिति में कृषि मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए देश में चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुदान प्रदान किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) इस समय देश में दुर्घटना होने पर कृषि श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार कृषि श्रमिकों सहित गरीबी रेखा से नीचे या कुछ ऊपर रहने वाले लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना लागू कर रही है। इस योजना में स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना के कारण अपंगता के मामले में बीमा कवर का प्रावधान है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुर्घटनाओं या दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में कृषि श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा कृषि दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना-1982 चलायी जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों को सहायता

4294. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुनामी में मछली पकड़ने के अपने उपस्करों को खोने वाले मछुआरों को ऋण तथा अनुदान सहायता के रूप में सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता वाणिज्यिक बैंकों अथवा किसी अन्य वित्तीय एजेंसी द्वारा प्रदान की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र सहित सुनामी प्रभावित राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में क्षतिपूर्ति के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज (आर जी आर पी) तथा सुनामी पुनर्वास पैकेज (टी आर पी) की घोषणा की है। मछुआरों को जिन्होंने सुनामी में अपने मत्स्यन औजारों को खो दिया था की सहायता सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इन पैकेजों के तहत अनुदान सहायता के रूप में 79720 लाख रुपए तथा ऋण के रूप में 63924 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। कुछ सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने यह जानकारी दी है कि वाणिज्यिक बैंकों ने भी मछुआरों को सहायता की है। वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय एजेंसियों द्वारा तमिलनाडु को 8171.32 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश को 311.17 लाख रुपए तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को 322.46 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

पेट्रो रसायन काम्पलेक्स

4295. **श्री अनन्त नायक:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान कुछ पेट्रोरसायन काम्पलेक्सों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कोई परियोजना गैस आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा स्थापित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) सरकार ने मार्च, 2007 में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नीति का अनुमोदन किया है। सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को मुख्य प्रमोटर के रूप में साथ लेकर और गेल: 70%, आयल इंडिया लि. (ओआईएल), नुमालीगढ़ रिफायनरी लि. (एनआरएल) और असम इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन (असम सरकार); प्रत्येक 10% की इक्विटी व्यवस्था के साथ लपेटकाटा, डिब्रुगढ़ जिला, असम में असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया है। कुल परियोजना लागत 5460.61 करोड़ रुपये (नियत लागत) है। 5 वर्षों की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना के लिए 2138 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी और प्रचालन अवधि के 15 वर्षों में परियोजना के लिए 908.91 करोड़ रुपये की फीडस्टाक सब्सिडी मंजूर की गई है। यह परियोजना, पालीप्रोपिलीन (पीपी) 60,000 ट.प्र.व. और हाई डेन्सिटी पालीइथाइलीन (एचडीपीई)/लिनियर लो डेन्सिटी पालीइथाइलीन (एलएलडीपीई) 2,20,000 ट.प्र.व. का उत्पादन करेगी। इस प्रयोजनार्थ एक संयुक्त उपक्रम कंपनी, अर्थात् मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पालीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) का गठन किया गया है। क्रियान्वयन में 60 महीने लगेंगे।

औषधि मूल्य

4296. **चौ. मुनव्वर हसन:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी (एन.पी.पी.ए.) ने मूल्य अनुमोदन आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अनेक दवाओं का मूल्य स्वत: आधार पर निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वत: आधार पर मूल्य निर्धारित दवाओं, दवा उत्पादकों के नाम तथा निर्धारित मूल्य एवं अधिक वसूल किए जाने वाले मूल्य के साथ-साथ वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) क्या किसी भी उत्पादक ने अनिवार्य फार्म-III प्रस्तुत नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मूल्य अनुमोदन के बगैर विपणन करने तथा अनिवार्य फार्म-III प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एन.पी.पी.ए. को कतिपय दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दवाओं के नाम क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (छ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषधों एवं उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। मूल्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है और मूल्य डीपीसीओ, 1995 के पैरा 7 में दिए गए सूत्र और लागत लेखा की सुस्थापित परंपराओं तथा एनपीपीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

आवेदनों और स्वत: आधार पर मूल्य निर्धारण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। जब कभी विनिर्माता डीपीसीओ में अनुशंसित अवधि के भीतर फार्म III में आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, यदि मूल्यों में कमी आ रही हो, तो एनपीपीए स्वत: आधार पर मूल्यों को संशोधित करता है। एनपीपीए तब भी फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण स्व-आधार पर करता है जब यह पाया जाता है कि अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों का विपणन बगैर मूल्य अनुमोदन के किया जा रहा है। यह पाए जाने पर कि कोई कंपनी किसी अनुसूचीबद्ध का विनिर्माण और विपणन डीपीसीओ 1995 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित मूल्य अनुमोदन के बगैर कर रही है तो एनपीपीए दोषी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करता है।

विवरण

डीपीसीओ 1995 के तहत निर्धारित/संशोधित फार्मूलेशनों के मूल्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	स्व-आधार मामले (संख्या)	आवेदन मामले (संख्या)	कुल मामले (संख्या)
1.	2002-03	72	68	140
2.	2003-04	404	102	506
3.	2004-05	221	111	332
4.	2005-06	803	215	1018
5.	2006-07	776	244	1020

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन

4297. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कोई व्यापक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने में उक्त नीति के किस हद तक सहायक होने की संभावना है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों में रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त योजनाओं से अभी तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मशरूम का उत्पादन

4298. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मशरूम का कुल कितना उत्पादन दर्ज किया गया; और

(ख) देश में मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खुम्बी का उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ है:-

वर्ष	उत्पादन मी. टन में
2003-04	60,000
2004-05	70,000
2005-06	85,000

(ख) कृषि मंत्रालय बागवानी विकास से संबंधित सभी विषयों का पता लगाने के लिए "पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें इन ग्यारह राज्यों में खुम्बी का संवर्द्धन शामिल है। मिशन के अंतर्गत समेकित खुम्बी इकाईयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को प्रति इकाई 50.00 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें संबंधित राज्यों से खुम्बी उत्पादन का संवर्धन शामिल है जैसे खुम्बी स्पान का उत्पादन और आपूर्ति, खुम्बी कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना इत्यादि। अब तक राज्यों में 21 खुम्बी इकाईयां स्थापित की गई है।

इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों की राज्य सरकारों को अभिनव पहलू के रूप में परियोजना आधार पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत खुम्बी के संवर्धन के लिए सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

भेषज क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4299. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में भेषज क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उक्त उपक्रमों में से उन उपक्रमों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जो अपनी संस्थापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, बंद हो गए हैं और घाटा उठा रहे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि करने तथा बंद उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रसासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रीय फार्मा उपक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पीएसयू का नाम	अवस्थापन
1	2	3
1.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	कारपोरेट कार्यालय गुड़गांव में है और तीन उत्पादन यूनिटें ऋषिकेष, गुड़गांव और हैदराबाद में हैं। इसकी 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक यूनिटें आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि., चैन्नई में अवस्थित और बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि. (बीडीओसीएल), मुजफ्फरपुर में अवस्थित भी हैं।
2.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)।	पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। इसकी चार उत्पादन यूनिटें कोलकाता में मानिकतला, उत्तरी चौबीस परगना में पानीहाटी (पश्चिम बंगाल), मुंबई (महाराष्ट्र) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में प्रत्येक में एक-एक है।
3.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)	पिम्परी, पुणे
4.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (केएपीएल)	बंगलोर [एचएएल और कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कारपोरेशन (केएसआईआईडीसी) का एक संयुक्त उपक्रम]

1	2	3
5.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आरडीपीएल)	जयपुर [आईडीपीएल और राजस्थान इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन (आरआरआईसीओ) का एक संयुक्त उपक्रम]
6.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल)	भुवनेश्वर [आईडीपीएल और इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा (आईपीआईसीओएल) का एक संयुक्त उपक्रम]

(ख) से (घ) आईडीपीएल, बीसीपीएल, एचएएल और ओडीसीएल अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं और 2003-04 के दौरान बीसीपीएल को छोड़कर, घाटा उठाते रहे हैं।

सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., पुणे और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता की पुनरुद्धार योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., गुड़गांव को भी पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं। आईडीपीएल की ओडीसीएल के पुनरुद्धार की योजना है।

बीआईएफआर द्वारा पारित परिसमापन आदेश के फलस्वरूप बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल), कोलकाता को 30.9.2003 को बंद कर दिया गया। सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक विलगन योजना (वीएसएस) के तहत 30.9.2003 से कार्यमुक्त कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकारी परिसमापक (ओएल) की नियुक्ति की। तथापि, पहले बीआईएल कर्मचारी संघ की पहल और तत्पश्चात् इस विभाग के हस्तक्षेप के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ओएल की नियुक्ति पर रोक लगा दी। बीआईएल के पुनरुद्धार की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (एमएपीएल), नामक एक पीएसयू को जो एचएएल और स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र (एसआईआईसीओएम) का एक संयुक्त उपक्रम था, 30.6.2004 को बंद कर दिया गया।

ई.एस.आई. के अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद

4300. श्री बाबूलाल मरांडी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) के अस्पतालों में राज्य-वार कितने डाक्टर कार्यरत हैं;

(ख) इन अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनकी तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान कितने पदों को भरा गया है तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस समय उपर्युक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों एवं औषधालयों में चिकित्सकों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की राज्य-वार स्थिति विवरण-II, III और IV में दी गई है।

(घ) राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्ती का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जनवरी, 2007 में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कर्मचारियों के सभी श्रेणियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का अनुरोध किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के भरने संबंधी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

जहां तक पैरा मेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का संबंध है, संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों को इस संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं तथा उन्हें रिक्त पदों को तत्काल आधार पर भरने के निदेश दिए गए हैं।

विवरण I

ई.एस.आई. अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सक		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1.	आंध्र प्रदेश	296	133	163
2.	असम	49	36	13
3.	बिहार	55	21	34
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	49	36	13
5.	छत्तीसगढ़	33	33	-
6.	दिल्ली	641	356	285
7.	गोवा	41	41	-
8.	गुजरात	717	537	180
9.	हरियाणा	110	99	11
10.	हिमाचल प्रदेश	2	2	-
11.	कर्नाटक	269	234	35
12.	केरल	313	214	99
13.	मध्य प्रदेश	277	233	44
14.	महाराष्ट्र	738	600	138
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	135	93	42
17.	पांडिचेरी	24	18	06
18.	पंजाब	188	157	31
19.	राजस्थान	204	195	09
20.	तमिलनाडु	366	322	44
21.	उत्तर प्रदेश	332	233	99
22.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	-
23.	पश्चिम बंगाल	890	730	160
24.	जम्मू-कश्मीर	19	10	09
25.	झारखंड	62	24	38
	योग	5810	4357	1453

विवरण II

वर्ष 2003-04 के दौरान ई.एस.आई. चिकित्सा योजना में चिकित्सकों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के संबंध में ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			पैरा मेडिकल			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1.	आंध्र प्रदेश	720	414	306	1723	1235	488	1880	1477	403
2.	असम	102	85	17	191	165	26	241	235	6
3.	बिहार	228	86	142	178	70	108	293	158	135
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	55	32	23	115	66	49	72	49	23
5.	छत्तीसगढ़	37	32	6	70	59	11	101	88	13
6.	दिल्ली	1057	667	390	2456	1785	671	1791	1339	452
7.	गोवा	37	34	3	86	83	3	89	82	7
8.	गुजरात	827	625	202	1540	1010	530	2149	1825	324
9.	हरियाणा	284	248	36	663	562	101	911	723	188
10.	हिमाचल प्रदेश	24	22	2	42	34	8	59	54	5
11.	कर्नाटक	749	518	231	1250	674	576	1527	1143	384
12.	केरल	644	480	164	1240	998	242	1640	1364	276
13.	मध्य प्रदेश	389	329	60	671	540	131	1107	1020	87
14.	महाराष्ट्र	889	751	138	1860	1380	480	3792	2902	890
15.	मेघालय	2	2	-	8	4	4	15	10	5
16.	उड़ीसा	200	160	40	403	339	64	602	484	118
17.	पांडिचेरी	47	34	13	220	194	26	64	64	-
18.	पंजाब	333	327	6	624	579	45	1044	811	233
19.	राजस्थान	340	262	78	676	528	148	938	774	164
20.	तमिलनाडु	754	609	145	2279	1674	605	2433	1827	606
21.	उत्तर प्रदेश	658	482	176	1482	1048	434	1169	1459	-
22.	उत्तरांचल	9	5	4	52	48	4	7	7	-
23.	पश्चिम बंगाल	795	574	221	2395	1545	850	3173	2252	921
24.	जम्मू और कश्मीर	12	9	3	33	30	3	38	28	10
25.	झारखंड	137	62	75	236	80	156	388	98	290
	योग	9329	6849	2480	20493	14730	5763	26023	20273	5750

विवरण III

वर्ष 2004-05 के दौरान ई.एस.आई. चिकित्सा योजना में चिकित्सकों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के संबंध में ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			पैरा मेडिकल			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1.	आंध्र प्रदेश	719	434	285	1727	1313	414	1914	1484	430
2.	असम	102	85	17	191	164	27	241	237	4
3.	बिहार	120	61	59	284	113	171	330	162	178
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	55	48	7	117	91	26	72	56	16
5.	छत्तीसगढ़	41	31	10	74	60	14	105	89	16
6.	दिल्ली	1038	625	413	2458	1735	723	1666	1289	377
7.	गोवा	37	34	03	86	83	3	89	84	5
8.	गुजरात	827	611	216	1540	933	607	2149	1748	401
9.	हरियाणा	284	252	32	663	534	129	916	709	207
10.	हिमाचल प्रदेश	25	25	-	45	37	8	59	42	17
11.	कर्नाटक	662	518	144	1141	859	282	1174	914	260
12.	केरल	637	447	190	1331	1028	303	1392	1244	148
13.	मध्य प्रदेश	388	339	49	705	545	160	1095	1004	91
14.	महाराष्ट्र	472	345	127	1625	1161	464	3728	2819	909
15.	मेघालय	2	2	-	8	3	5	15	11	4
16.	उड़ीसा	200	147	53	402	356	46	564	484	80
17.	पांडिचेरी	47	37	10	220	204	16	64	63	1
18.	पंजाब	238	250	+12	565	582	17	1048	767	281
19.	राजस्थान	316	258	58	659	525	134	772	707	65
20.	तमिलनाडु	748	632	116	2247	1622	625	2506	1727	779
21.	उत्तर प्रदेश	541	434	107	1405	1126	279	1676	1418	158
22.	उत्तरांचल	10	4	6	18	12	6	43	41	2
23.	पश्चिम बंगाल	797	582	215	2405	1472	933	3189	2099	1090
24.	जम्मू और कश्मीर	12	9	3	32	26	6	38	28	10
25.	झारखंड	190	90	100	281	90	191	452	105	347
	योग	8498	6290	2208	20229	14674	5555	25297	19331	5966

विवरण IV

वर्ष 2005-06 के दौरान ई.एस.आई. चिकित्सा योजना में चिकित्सकों एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के संबंध में ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			पैरा मेडिकल			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1.	आंध्र प्रदेश	721	486	235	1727	1161	566	1914	1608	306
2.	असम	119	31	88	212	183	29	229	216	13
3.	बिहार	122	68	54	302	116	186	327	152	175
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	55	45	10	117	90	27	72	57	15
5.	छत्तीसगढ़	38	28	10	70	60	10	84	70	14
6.	दिल्ली	1040	577	463	2453	1740	713	1807	1264	543
7.	गोवा	37	31	06	86	93	03	89	84	05
8.	गुजरात	772	526	246	1453	922	531	1733	1515	218
9.	हरियाणा	284	248	36	663	552	111	916	720	196
10.	हिमाचल प्रदेश	22	27	+5	52	49	03	56	48	08
11.	कर्नाटक	625	463	192	1141	859	282	1128	971	157
12.	केरल	633	463	170	1094	866	228	1649	1443	206
13.	मध्य प्रदेश	388	120	268	674	533	141	1101	991	110
14.	महाराष्ट्र	610	414	196	1854	1245	619	4111	3095	1016
15.	मेघालय	2	2	-	8	3	05	15	12	03
16.	उड़ीसा	239	157	82	432	347	85	596	492	104
17.	पांडिचेरी	47	38	09	216	200	16	65	63	02
18.	पंजाब	304	255	49	799	630	169	1294	789	505
19.	राजस्थान	317	268	49	654	514	140	801	711	90
20.	तमिलनाडु	746	607	139	2058	1412	641	2412	1747	665
21.	उत्तर प्रदेश	640	461	179	1571	1121	450	1623	1415	208
22.	उत्तरांचल	11	7	04	24	13	11	58	38	20
23.	पश्चिम बंगाल	797	558	239	2405	1506	899	3189	2044	1145
24.	जम्मू और कश्मीर	24	12	12	36	35	11	44	30	14
25.	झारखंड	180	178	02	308	90	218	419	102	317
	योग	8773	6040	2733	20414	14320	6094	25732	19677	6055

गन्ने से ईथेनोल का उत्पादन

4301. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय राज्यों में संबंधित कानूनों में संशोधन पुर:स्थापित करके सीधे गन्ने से ईथेनोल का उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है;

(ख) यदि हां, किन-किन राज्यों ने इस संबंध में कानूनों में संशोधन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीधे गन्ने से ईथेनोल के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भेषज अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र

4302. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राज्य द्वारा चलाए जाने वाले भेषज अनुसंधान और शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इन केन्द्रों को खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) भारत में नाइपर जैसे और संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता को महसूस करते हुए नाइपर के विशेषज्ञों को लेकर रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने जनवरी, 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसने देश के अन्य भागों में नाइपर जैसे संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने तदनुसार और नाइपरों या इसके केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तथापि, उनकी संख्या और संस्थानों के बारे में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्रत्येक नाइपर की स्थापना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रु. है जिसमें प्रथम पांच वर्षों के लिए आवर्ती प्रचालन व्यय के 50 करोड़ रु. भी शामिल हैं। इसकी विभाग द्वारा योजना आयोग, व्यय विभाग और विभिन्न अन्य एजेंसियों की सलाह से आगे और जांच की जा रही है।

(घ) विशेषज्ञ समिति ने फार्मा उद्योग, फार्मा शिक्षण की आवश्यकता और अन्य संसाधनों व स्थिति और क्षेत्र विशेष में आम लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर नए नाइपरों के खोले जाने की अनुशंसा की है।

मसालों हेतु मूल्य सूचकांक

4303. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मसालों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित कोई अभिलेख रखती है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान किया गया औसत मूल्य सूचकांक क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां। श्रम ब्यूरो, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार मदों जिनमें मसाले शामिल हैं के विभिन्न ग्रुपों तथा उपग्रुपों के लिए औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001-100) का समेकन तथा रखरखाव किया जाता है।

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर गत एक वर्ष अर्थात् जनवरी से दिसम्बर, 2006 के दौरान रिकार्ड किए गए मसालों के बारे में औसत सूचकांक नीचे दिए गए हैं:-

माह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	औसत
सूचकांक	112	106	104	105	107	110	114	118	122	127	130	132	116

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना

4304. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा राज्य में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। केरल में एक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार से जून, 2005 में प्राप्त हुआ था। कृषि शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का विषय संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग पहले से विस्थापित कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि शिक्षा के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तदनुसार उपयुक्त उत्तर राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

कृषि उपज का मुक्त विपणन (फ्री मार्केटिंग)

4305. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि उपज के मुक्त विपणन की वकालत करती रही है और अधिकांश राज्य पहले से ही ऐसा कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से निजी क्षेत्र की भागीदारी लाने में कितनी सहायता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003 में एक माडल कृषि उत्पाद विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम परिचालित करके राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने संबंधित कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों में संशोधन करें ताकि प्रत्यक्ष विपणन और संविदा खेती की अनुमति दी जा सके और निजी तथा सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी मंडियों की स्थापना को सुविधाजनक बनाया जा सके। निजी और सहकारी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विपणन और वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी मंडी के विकास से किसानों को ऐसी मंडियों में अपने उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे उनको बेहतर मूल्य/सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने माडल कानून में सुझाए गए सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों में संशोधन किया है और हरियाणा, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात ने आंशिक सुधार किए हैं। बिहार सरकार ने एपीएमसी अधिनियम को रद्द कर दिया है। केरल, मणिपुर, राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्रों में कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है। तमिलनाडु में एपीएमसी अधिनियम में पहले से ही अपेक्षित प्रावधान हैं। चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें अपने अनुकूल एपीएमसी अधिनियम में संशोधन कर सकती है।

(ग) संविदा खेती कई राज्यों में चलाई जा रही है जिसने कृषक समुदाय को सुनिश्चित आय और उद्योग को गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करके लाभ पहुंचाया है। संविदा खेती व्यवस्थाओं के तहत निजी प्रयोजक कम्पनियां/एजेंसियां किसानों से इच्छित उत्पाद प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान और गुणवत्ता आदान प्रदान कर रही हैं। प्रत्यक्ष विपणन के प्रावधानों के तहत कई निजी कम्पनियां किसानों से सीधे कृषि उत्पाद की खरीद कर रही हैं। इससे कमीशन एजेंटों के नेटवर्क से बिना गुजरे अपने दरवाजे पर किसानों को बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है। कृषि एवं सहकारिता विभाग ऐसे राज्यों में, जिन्होंने अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किए हैं, कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग तथा

मानकीकरण के विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम भी दिनांक 14.06.05 से कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में विपणन अवसंरचना के तीव्र विकास को प्रोत्साहन देना है। इस स्कीम के तहत कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण और प्रमाणन संबंधी सुविधाओं सहित निजी मंडियों/कृषक मंडियों/सहकारी मंडियों, अन्य मंडी, प्रयोगकर्त्ता सुविधाओं, कृषि वस्तुओं के विपणन हेतु प्रत्यक्ष विपणन और ई-ट्रेडिंग तथा मोबाइल अवसंरचना संबंधी कार्यगत अवसंरचना सहित सामान्य या वस्तु-विशिष्ट अवसंरचना की पूंजी लागत पर ऋण से जुड़ी बैक-एन्डेड राजसहायता प्रदान की जाती है। 31 मार्च, 2007 तक 276.42 करोड़ रु. के कुल वित्तीय परिव्यय से 1540 मंडी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और इस स्कीम के तहत 27.96 करोड़ रुपए की राजसहायता निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

किसानों की जनशक्ति का उपयोग न किया जाना

4306. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसानों को वर्ष के अधिकतर समय में कोई काम नहीं मिल पाता है जिसके कारण देश की जनशक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) किसानों के लिए कार्य के अवसर कृषि कार्यकलापों पर निर्भर हैं। कृषि विशेषतः व्यस्त एवं लीन मौसमों पर आधारित है। व्यस्त मौसम के दौरान किसानों के पास रोजगार होता है। व्यस्त मौसम लम्बा होने के कारण रोजगार अधिक होता है। लीन मौसम के दौरान रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।

(ख) और (ग) रोजगार पैटर्न राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार ग्रामीण भारत में कृषि कार्यकलापों में लगे हुए ''सभी'' पुरुष कामगारों का अनुपात 1977-78 में 81% से कम होकर 2004-05 में 67% रह गया। सभी पुरुष कामगारों में कमी आई अर्थात् 1977-78 में 88% से घटकर 2004-05 में 83% हो गए।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित हुआ तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम फरवरी, 2006 को आरंभ हुई। केन्द्रीय बजट 2007-08 में देश में 300 जिलों के लिए एन.आर.इ.जी.एस. के विस्तार की घोषणा की थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिन जिलों में लागू की गयी है उसे एन.आर.ई.जी.एस. में समाश्रित नहीं किया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन और मांग

4307. डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन और मांग के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और उक्त अवधि के दौरान वास्तव में इसकी कितनी खरीद की गई है; और

(घ) ऐसे खाद्यान्न जिनकी आपूर्ति कम है, के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी सहायता प्रदान की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। दसवीं योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के लिए खाद्यान्नों के मांग प्रक्षेपण योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्यकारी दल द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित सारणी मानदण्डीय अप्रोच पर आधारित मांग तथा 2003-04 से 2006-07 की अवधि के दौरान में विभिन्न खाद्यान्नों का उत्पादन दर्शाती है-

(मिलियन टन)

वर्ष	मांग			उत्पादन		
	अनाज	दालें	खाद्यान्न	अनाज	दालें	खाद्यान्न
2003-04	192.53	16.74	209.27	198.28	14.91	213.19
2004-05	196.18	17.06	213.24	185.23	13.13	198.36
2005-06	199.91	17.38	217.29	195.20	13.39	208.60
2006-07	203.71	17.71	221.42	197.67*	14.10*	211.78*

*4.4.2007 के तीसरे अग्रिम अनुमान

(ग) नीचे दी गयी सारणी कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की कुल निकासी तथा 2003-04 से 2006-07 (वित्तीय वर्षवार) तक किया गया प्रापण दर्शाती है-

(मिलियन टन)

वर्ष	कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की कुल निकासी	प्रापण
2003-04	13.50	37.23
2004-05	10.61	41.59
2005-06	9.75	42.63
2006-07	4.13 (जनवरी, 2007 तक)	33.53 (फरवरी, 2007 तक)

टिप्पणी- निकासी आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें "चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी. चावल), आई.सी.डी.पी.-गेहूं तथा आई.सी.डी.पी.-मोटे अनाजों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम" अक्तूबर, 2000 से चलन में है। इस स्कीम के तहत उन्नत/हाइब्रीड उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार, एकीकृत कीट प्रबन्धन, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, कृषि उपकरणों, छिड़काव सिंचाई पद्धति का स्थापन, किस्मी बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने कृषि के वृहत प्रबंधन के अंतर्गत राज्यों को 2004-05 में 1189.20 करोड़ रुपए, 2005-06 में 819.15 करोड़ रुपए तथा 2006-07 में 911.27 करोड़ रुपए जारी किए थे।

दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, पाम आयल एवं मक्का की एकीकृत स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.)" 1.4.2004 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के आधार पर बोए जाने वाले/फाउंडेशन/प्रमाणित बीजों का उत्पादन गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए क्रेश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों तथा मिनीकीटों का वितरण, ढांचा विकास तथा एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइसोपाम के अंतर्गत सरकार ने 2004-05 में 176.28 करोड़ रुपए, 2005-06 में 212.14 करोड़ रुपए तथा 2006-07 में 211.50 करोड़ रुपए जारी किए थे।

मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादकों को एक न्यूनतम मूल्य गारंटी भी प्रदान की जाती है। फसल वर्ष 2006-07 के लिए, गेहूं के प्रापण पर 750 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने 100 रुपए प्रति क्विंटल का एक अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस घोषित किया है। इसी प्रकार 2006-07 में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का एक अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस घोषित किया था। सरकार द्वारा दाल फसलों के लिए भी आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं।

[अनुवाद]

चूककर्त्ता उद्योग

4308. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कुल चूककर्त्ताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कामगारों और कर्मचारियों से भविष्य निधि की धनराशि संग्रहीत की थी लेकिन भविष्य निधि की धनराशि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराई है;

(ख) क्या सरकार ने धनराशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बकाया भविष्य निधि धनराशि का ब्यौरा क्या है जो कामगारों से तो संग्रहीत की गई थी लेकिन उसे भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने दोषी कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) दिनांक 31 मार्च, 2004, 2005 और 2006 के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों (गैर-छूटप्राप्त क्षेत्र) की संख्या क्रमशः 51990, 40608 और 76476 थी। इसमें वे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जिन्होंने कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान के प्रेषण में चूक की है।

(ख) बकाया राशियों की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसमें अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज कराना, संपत्तियों/बैंक खातों की कुर्की तथा चूककर्ताओं को गिरफ्तार किया जाना शामिल है।

(ग) चूककर्ता प्रतिष्ठानों की बकाया राशि (कर्मचारी के हिस्से सहित) दिनांक 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 1724.19 करोड़ रुपये (गैर-छूटप्राप्त क्षेत्र) थी।

(घ) और (ङ) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें उन चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ दर्ज कराई जाती हैं जो कर्मचारियों का हिस्सा तो काटते हैं लेकिन उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेषित करने में असफल रहते हैं।

[हिन्दी]

जैव कृषि उत्पाद

4309. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्थानवार कितनी कंपनियां जैव कृषि का कारोबार करती हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा जैव कृषि का कारोबार करने के लिए कोई मानदंड और निबंधन तथा शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ कंपनियां निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) देश में जैव कृषि उत्पादों की जांच करने में राज्यवार कितनी प्रयोगशालाएं लगी हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 711 प्रमाणिक जैव परियोजनाएं है जिनमें 17 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर और छत्तीसगढ़ में फार्म, प्रसंस्करण इकाईयां और व्यापारी शामिल हैं।

(ख) और (ग) घरेलू मंडी के लिए जैव उत्पादों हेतु कोई निर्धारित मानक नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रत्यायित निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी द्वारा निर्यात के लिए जैव उत्पादों को प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है।

(घ) से (च) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(छ) एनपीओपी के अनुसार, यदि अपेक्षित होता है तो ईआईएसओ 17025 प्रत्यायित प्रयोगशाला जैव उत्पादों का परीक्षण कर सकती है। तथापि राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने जैव कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए किसी परीक्षण प्रयोगशाला का प्रत्यायन नहीं किया है। तथापि, इसने खाद्य और कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए देश की 56 प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन किया है। ऐसी प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सं.
आंध्र प्रदेश	05
दिल्ली	09
गुजरात	01
हरियाणा	04
जम्मू-कश्मीर	01
कर्नाटक	06
केरल	05
मध्य प्रदेश	04
महाराष्ट्र	10
पंजाब	02
तमिलनाडु	03
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिम बंगाल	03

[अनुवाद]

बांधों की सुरक्षा

4310. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार ऐसे बांधों की संख्या और उनके क्या नाम हैं जो सौ वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन बांधों की सुरक्षा के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) 'बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर' में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार भारत में 98 बड़े बांध ऐसे हैं जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ऐसे बांधों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां। भारत में बांध सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा निर्धारित ''बांध सुरक्षा प्रक्रिया'' के अनुसार सभी बड़े बांधों (उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए) को मानसून अवधि के पहले और बाद में वर्ष में दो बार निरीक्षित किया जाना चाहिए। ये निरीक्षण संबंधित राज्यों के ''बांध सुरक्षा संगठनों''/बांधों के मालिकों द्वारा किए जाने जाने चाहिए; और समेकित सूचना को वार्षिक रिपोर्टों के रूप में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के ''बांध सुरक्षा निगरानी निदेशालय'' को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार वर्ष 2005 और पहले की अवधियों की समेकित रिपोर्टें 13 राज्यों और नेशनल हाइड्रोपावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) तथा दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से प्राप्त हुई हैं।

(ग) राज्य सरकारों/बांध के मालिकों द्वारा सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराई गई समेकित रिपोर्टों से बड़े बांधों के संबंध में नीचे दिए गए अनुसार बड़ी विसंगतियां देखी गई हैं:

(क) बांधों के शीर्ष पर अनुदैर्ध्य करारें,

(ख) बांध से जल का रिसाव,

(ग) अनुप्रवाह ढाल का प्रस्वेदन,

(घ) जल निकास छिद्रों का अवरुद्ध होना,

(ङ) बकेट्स/स्टिलिंग बेसिनों/इन्डसील दीवार इत्यादि में कंक्रीट का कटाव और हानि,

(च) बकेट और इन्डसील की अनुप्रवाह मंजाई,

(छ) एप्रन फ्लोर का कटाव/क्षति,

(ज) एबटमेंट्स, ट्रांजिशन दीवालों, इन्डसील दीवालों इत्यादि के जोड़ों का खुलना।

(घ) केन्द्र सरकार के स्तर पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अगस्त, 1982 में बांध सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया। बड़े बांधों की सुरक्षा स्थिति के आवधिक निरीक्षण और निगरानी के लिए स्थायी समिति ने जुलाई, 1986 में बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया। इस समिति को अक्तूबर, 1987 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस समिति का मुख्य कार्य केन्द्र और राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं संबंधी कार्रवाई बिन्दुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। यह समिति विभिन्न राज्यों/संगठनों के बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की निगरानी भी करती है और इन्हें भारतीय स्थितियों के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीक के अनुसार करने के लिए सुधारों का सुझाव देती है। संकटग्रस्त बांधों के लिए सुधारात्मक उपायों के वास्ते अपनाई गई तकनीकों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच का कार्य करती है।

चूंकि भारत में बांध मालिक मुख्यत: राज्य सरकारें हैं जिनके पास बांधों के पुनर्वास के लिए सीमित वित्तीय संसाधन हैं इसलिए बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना (डीएसएआरपी) फेज-1 विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। केन्द्रीय जल आयोग के समग्र दिशानिर्देशन के तहत 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यान्वित की गई यह परियोजना 422.95 करोड़ रुपए की लागत से सितम्बर 1999 में पूरी की गई; और 33 बांधों का पुनर्वास किया गया।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	बांध का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	कंभुम
2.		शानीग्राम
3.		पाखल
4.		उदयासमुद्रम
1.	बिहार	खड़गपुर झील
1.	गुजरात	भादखा
2.		पानेलिया
3.		रेवानिया
4.		अजवा
5.		लालपरी
6.		वेरी
7.		खम्भाला
8.		विजारखी
9.		अधिया टैंक
10.		अलनसागर
11.		हंशथाल
12.		मोलदी
13.		राजवदला
14.		मोटा अनकदिया
15.		चिमनाबाई झील
16.		पनेली
1.	कर्नाटक	थोन्नुर टैंक
2.		मदागा टैंक (पुराना)
3.		वोरानाकनाइव
4.		हेसाराघट्टा जलाशय
5.		गंतेनाहल्ली टैंक
6.		कोट्टुर टैंक
7.		विज्जावाड़ा टैंक
8.		हनुमंथपुरा टैंक
9.		कदाबा टैंक
10.		कुनिगल डोडाकेरे टैंक
11.		मैदल अमानिकेरे टैंक
12.		निदासाले होसाकेरे टैंक
13.		नित्तूर टैंक
1.	महाराष्ट्र	धामपुर
2.		कलपविहिर
3.		मुदाना
4.		रूशी
5.		विहार
6.		पाषाण (निजी)
7.		एकरूख
8.		मयानी
9.		मुक्ति
10.		रनकाला
11.		शिरसुफल
12.		तुलशी
13.		भादलवाड़ी
14.		खड़कवासला

1	2	3
15.		अश्ति
16.		पारसुल
17.		शनिमंडल
18.		म्यासवाड़
19.		न्हेर
20.		पवई
21.		तंसा
22.		भातोदी
23.		शतफल
24.		वाडशिवाने
25.		खैरबंधा
26.		खिरडीसाथ
27.		पठारी
1.	मध्य प्रदेश	टेकनपुर
2.		जवाहरगढ़
1.	उड़ीसा	भंजनगर
2.		सोरोदा
1.	राजस्थान	बारदपुरा
2.		बरेठा
3.		बिशन समंद
4.		छापेरवारा
5.		ढील
6.		हिंगोनिया
7.		खरदा
8.		मदार
9.		मंदावारी
10.		नाहर सागर
11.		शिवनाथ सागर

1	2	3
12.		सोनियाना
13.		उदय सागर
14.		उमेद सागर
15.		राजसमंद
16.		जैसमंद-1
17.		चंदराना
18.		खारद
19.		मोरासागर
20.		तोरदी सागर
21.		बुचारा
22.		सिंथालसागर
23.		रामगढ़
24.		रामसागर
25.		सरदार समंद
26.		उर्मिला सागर
27.		बांकली
1.	तमिलनाडु	पेरियार*
2.		पेचीपराई
1.	उत्तर प्रदेश	बरवा सागर
2.		मगरपुर
3.		पचवारा झील
4.		पारिया

*बांध केरल राज्य में स्थित है और इसका स्वामित्व तथा प्रचालन तमिलनाडु राज्य के पास है।

लम्बित परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

4311. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार ऐसी विभिन्न परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं की जांच और मंजूरी हेतु अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कतिपय परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 31.3.2007 को पड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सूची के अनुसार राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) मंत्रालय को प्रस्तुत सभी परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, आकलन, शर्तें लगाने, पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने की सिफारिश के लिए संबंधित सैक्टर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) और (घ) छह खनन परियोजनाओं (राजस्थान में चार और उड़ीसा में दो) और 8 निर्माण परियोजनाओं (कर्नाटक में 3, पंजाब में 4 और तमिलनाडु में 1) को वर्ष 2006-07 के दौरान अस्वीकृत किया गया था। इन परियोजनाओं को प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना की अधूरी, अपर्याप्त और अयथार्थ सूचना प्रस्तुत करने और साथ ही संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने और संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में भाग न लेने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 31.3.2007 को पड़ी विभिन्न परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उद्योग	अवसंरचनात्मक और विविध	खनन	ताप	नदी घाटी	आणविक	निर्माण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार	1	1					
2.	आंध्र प्रदेश	63	6	23	4			33
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	-					
4.	असम	7	-		1			
5.	बिहार	3	-					
6.	छत्तीसगढ़	14	-	13	3			3
7.	दिल्ली	-	1		1			55
8.	गोवा	1	1	33				8
9.	गुजरात	106	6	48	6			22
10.	हरियाणा	11	-	3	1			67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1		1		
12.	जम्मू-कश्मीर	4	–					
13.	झारखंड	12	–	12	3			
14.	कर्नाटक	30	–	81	1			116
15.	केरल	1	1			2		2
16.	लक्षद्वीप	–	–					
17.	मध्य प्रदेश	7	–	16	2	2		10
18.	महाराष्ट्र	44	11	33	2	3		60
19.	मणिपुर	–	–			1		1
20.	मेघालय	1	–	3				
21.	मिजोरम	–	–					
22.	नागालैंड	–	–					
23.	उड़ीसा	21	2	40	1			3
24.	पांडिचेरी	1	5					2
25.	पंजाब	5	–					39
26.	राजस्थान	21	–	51	4			83
27.	सिक्किम	–	–			2		
28.	तमिलनाडु	35	3	11	3	1		
29.	त्रिपुरा	–	–					
30.	उत्तर प्रदेश	19	1		2			60
31.	उत्तरांचल	–	1	2		3		114
32.	पश्चिम बंगाल	19	2		3			
33.	अन्य	18	23					
	कुल	437	64	410	37	15		452

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

4312. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री संतोष गंगवार:
श्री गणेश सिंह:
श्री हरिन पाठक:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी नदियों को लाया गया है/लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) कितनी नदियों को राज्यवार सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया है;

(ग) इनकी सफाई पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) संरक्षण योजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में 20 राज्यों में 34 नदियों को शामिल किया गया है इन नदियों में प्रदूषण उपशमन कार्यों को करने की अनुमोदित लागत 4783 करोड़ रुपए है। योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नदियों/नदी क्षेत्रों को शामिल करना 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय पर निर्भर करेगा जिसके लिए इस मंत्रालय द्वारा निरन्तर चल रही और नए कार्यों को करने के लिए 8303 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस समय राज्यवार शामिल नदियों के नाम विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदियों के नाम और अभिनिर्धारित राज्यवार क्षेत्र विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रदूषण भार के उपलब्ध अनुमान और अन्य संबंधित तथ्यों के आधार पर 11वीं योजना के दौरान 8303 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इस समय संरक्षण योजना के पूरा होने की निर्धारित समयावधि बताना संभव नहीं होगा क्योंकि यह मलजल की मात्रा और औद्योगिक प्रदूषण भार पर निर्भर करता है जो बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण निरंतर बढ़ रहा है तथा यह बढ़ते हुए कार्यों के साथ निधियों की अनुरूपता पर भी निर्भर करता है।

विवरण I

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नदियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	नदी की क्रम संख्या	नदी का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	गोदवारी एवं मूसी
		2	
2.	बिहार	3	गंगा
3.	दिल्ली	4	यमुना
4.	गोवा	5	मनडोवी
5.	गुजरात	6	साबरमती
6.	हरियाणा		यमुना
7.	झारखंड	7	सुवर्णरेखा,
		8.	दामोदर एवं गंगा
8.	कर्नाटक	9	भद्रा,
		10	तुंगभद्रा,
		11	कावेरी,
		12	तुंगा एवं
		13	पेन्नार
9.	केरल	14	पाम्बा
10.	मध्य प्रदेश	15	बेतवा,
		16	ताप्ती,
		17	वाणगंगा,
		18	खान,
		19	नर्मदा,
		20	चंबल एवं
		21	शिप्रा

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	22	गोदावरी एवं कृष्णा
12.	नागालैंड	23	दिफु-धनश्री
13.	उड़ीसा	24	ब्राह्मणी एवं महानदी
		25	
14.	पंजाब	26	सतलुज
15.	राजस्थान		चंबल
16.	सिक्किम	27	रानी चु
17.	तमिलनाडु	28	कावेरी,
		29	अडयार,
		30	कोयम,
		31	वेन्नार,
		32	वैगाई एवं
		33	ताम्रवरणी
18.	उत्तर प्रदेश		गंगा,
			यमुना एवं
			गोमती
19.	उत्तरांचल		गंगा
20.	पश्चिम बंगाल		गंगा,
			दामोदर एवं
			महानंदा

विवरण II

	नदी	प्रदूषित क्षेत्र	राज्य
	1	2	3
1.	गोदावरी	* पोलावरम से राजामुन्दरी अधोप्रवाह	आंध्र प्रदेश
2.	नागावल्ली	* नागावल्ली थोटापल्ली रेगुलेटर के किनारे	आंध्र प्रदेश
3.	मूसी	* हैदराबाद अधोप्रवाह	आंध्र प्रदेश
4.	कालोंग	* इलैंगबील सिस्टम	असम
5.	भारालु	* गुवाहाटी अधोप्रवाह	असम
6.	यमुना	* वजीराबाद से ओखला	दिल्ली
7.	सुबणरिखा	* रांची से जमशेदपुर अधोप्रवाह	झारखंड
8.	साबरमती	* अहमदाबाद से वाउथा अधोप्रवाह	गुजरात
9.	अमलकाढ़ी	* अंगलेश्वर के किनारे	गुजरात
10.	शेदी	* खेड़ा के किनारे	गुजरात
11.	दमनगंगा	* वापी अधोप्रवाह से समुद्र में संगम तक	गुजरात
12.	अम्बिका	* बिल्लीमोरा अधोप्रवाह	गुजरात
13.	भद्र	* जैतपुर से रेतिया (जूनागढ़)	गुजरात

	1		2	3
14.	खाड़ी	*	लाली गांव (रातिया)	गुजरात
15.	कोलाक	*	वापी से पटियाला	गुजरात
16.	पार	*	वापी से पटियाला	गुजरात
17.	घघ्घर	*	पंजाब की अंतरराज्यीय सीमा से सिरसा में ओटू वेअर तक	हरियाणा
18.	यमुना	*	ओखला से कोसी कलान	हरियाणा
19.	मारकंडा	*	काला अम्ब अधोप्रवाह से हरियाणा राज्य	हिमाचल प्रदेश
20.	भद्रा	*	मालेश्वर से भद्रावती अधोप्रवाह	कर्नाटक
21.	तुंग	*	शिमोंगा अधोप्रवाह	कर्नाटक
22.	काली	*	दांदेली शहर के किनारे	कर्नाटक
23.	तुंगभद्रा	*	हरिहर अधोप्रवाह से हारा हियाली ब्रीज	कर्नाटक
24.	खान नदी	*	इंदौर शहर से शिप्रा के संगम तक	मध्य प्रदेश
25.	शिप्रा	*	उज्जैन से चंबल के संगम तक	मध्य प्रदेश
26.	चंबल	*	नागदा अधोप्रवाह	मध्य प्रदेश
27.	तापी	*	नेफानगर अधोप्रवाह से बुरहानपुर शहर तक	मध्य प्रदेश
28.	गोदावरी	*	नासिक से (रहेर) नांदेड	महाराष्ट्र
29.	कालु	*	अटाले गांव से उल्लास संगम तक	महाराष्ट्र
30.	उल्हास	*	मोहने से बदापुर	महाराष्ट्र
31.	वाणगंगा	*	अष्टी अधोप्रवाह	महाराष्ट्र
32.	पेंचगंगा	*	इचाकरणजी के किनारे	महाराष्ट्र
33.	वर्धा	*	राजुरा गांव के किनारे	महाराष्ट्र
34.	भीमा	*	पारगांव से दौंड नदी के संगम तक	महाराष्ट्र
35.	मुला एण्ड मुथा	*	पुणे शहर अधोप्रवाह	महाराष्ट्र
36.	भट्सा	*	शाहपुर इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अधोप्रवाह	महाराष्ट्र
37.	पाटागंगा	*	खोपाली से ईस्ट्रेन रिजन	महाराष्ट्र
38.	कुंडालिका	*	रोहा शहर के किनारे	महाराष्ट्र
39.	कृष्णा	*	धमदाम से सांगली	महाराष्ट्र
40.	तापी	*	मध्य प्रदेश सीमा से भुसावल	महाराष्ट्र.

	1		2	3
41.	गिरना	*	मालेगांव से तापी संगम तक	महाराष्ट्र
42.	नीरा	*	पलगांव के किनारे	महाराष्ट्र
43.	खारखाला	*	सुतंगा के नजदीक खलेरी, जयंतिया हिल्स	मेघालय
44.	ब्राह्मणी	*	पंपोश अधोप्रवाह से धर्मशाला	उड़ीसा
45.	एलबी	*	सुन्दरगढ़ से महानदी के संगम तक	उड़ीसा
46.	महानंदी	*	कटक अधोप्रवाह	उड़ीसा
47.	कुआखाई	*	भुवनेश्वर के किनारे	उड़ीसा
48.	खतजोड़ी	*	कटक के किनारे	उड़ीसा
49.	सतलुज	*	लुधियाना अधोप्रवाह	पंजाब
50.	ब्यास	*	मुकोरियन अधोप्रवाह	पंजाब
51.	घघ्घर	*	मुबारकपुर से सार्दुलगढ़	पंजाब
52.	घघ्घर	*	ओटु वेअर से हनुमानगढ़	राजस्थान
53.	चंबल	*	कोटा शहर अधोप्रवाह	राजस्थान
54.	बंसा/ब्राच नदी	*	उदयपुर से चित्तौड़गढ़	राजस्थान
55.	वैगाई	*	मदुरई के किनारे	तमिलनाडु
56.	पालार	*	वानियामबाड़ी	तमिलनाडु
57.	अडयार	*	चेन्नई के किनारे	तमिलनाडु
58.	कूवम	*	चेन्नई के किनारे	तमिलनाडु
59.	तमबीरापणी	*	पापाविनासाम से अरुगांनेरी	तमिलनाडु
60.	नोयल	*	कोयम्बटूर, त्रिपुरा, पयांगकोट्टी के किनारे	तमिलनाडु
61.	कावेरी	*	मित्र धाम से इरोड शहर अधोप्रवाह तक	तमिलनाडु
62.	रानीचू	*	रानीपुर के किनारे	सिक्किम
63.	यमुना	*	कोसी कलां से चंबल संगम तक	उत्तर प्रदेश
64.	हिण्डन	*	सरहानपुर से यमुना के संगम तक	उत्तर प्रदेश
65.	वैस्टर्न काली	*	मुजफ्फरनगर से हिंडन के संगम तक	उत्तर प्रदेश
66.	बूढ़ी यमुना	*	पिलखानी से यमुना के संगम तक	उत्तर प्रदेश
67.	काली नाड़ी ईस्टर्न	*	मेरठ से कन्नोज	उत्तर प्रदेश

1		2	3
68.	गोमती	* लखनऊ से गंगा संगम तक	उत्तर प्रदेश
69.	गंगा	* कन्नौज से कानपुर अधोप्रवाह	उत्तर प्रदेश
70.	गंगा	* वाराणसी अधोप्रवाह	उत्तर प्रदेश
71.	दामोदर	* दुर्गापुर से हल्दिया	पश्चिम बंगाल

हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी

4313. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय रेल लाइन परियोजनाएं विशेषरूप से हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फार्म विद्यालय स्थापित किया जाना

4314. श्री जुएल ओराम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कितने फार्म विद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान कुछ और फार्म विद्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) फार्म स्कूलों की स्थापना के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में कोई पृथक स्कीम नहीं है। तथापि ''भारत में कीट प्रबन्धन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' नामक स्कीम के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस) का समर्थन किया जा रहा है। खरीफ तथा रबी 2006-07 के दौरान प्रचालित की गई एफएफएस की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (एटीएमए) माडल के आधार पर ''विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन ''नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत और कृषक अनुकूल विस्तार प्रणाली का संवर्धन करना है। प्रदर्शन, प्रशिक्षण, एक्पोजर दौरे और अनुसंधान विस्तार-कृषक पारस्परिक क्रियाओं के विशिष्ट रूप कुछ ऐसे विस्तार क्रियाकलाप हैं जो स्कीम के तहत पात्र हैं। अप्रैल, 2007 में राज्यों को सुझाव दिए गए हैं कि वे स्कीम के तहत पात्र विस्तार क्रियाकलापों के संयोजन से फार्म स्कूलों का प्रचालन कर सकते हैं।

विवरण

खरीफ एवं रबी 2006-07 के दौरान आयोजित कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	आयोजित एफएफएस की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32
2.	असम	36
3.	अंडमान एवं निकोबार	8
4.	बिहार	30
5.	छत्तीसगढ़	26
6.	गोवा	8
7.	गुजरात	24

1	2	3
8.	हरियाणा	40
9.	हिमाचल प्रदेश	30
10.	जम्मू-कश्मीर	30
11.	झारखंड	18
12.	कर्नाटक	20
13.	केरल	12
14.	मध्य प्रदेश	28
15.	महाराष्ट्र	32
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	12
18.	मिजोरम	12
19.	नागालैंड	4
20.	उड़ीसा	28
21.	पंजाब	22
22.	राजस्थान	32
23.	सिक्किम	12
24.	तमिलनाडु	18
25.	उत्तरांचल	24
26.	उत्तर प्रदेश	76
27.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	638

[हिन्दी]

बिहार के अभयारण्यों में बाघों की घटती संख्या

4315. श्री रविन्दर कुमार राणा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के अभयारण्यों में बाघों की संख्या रहस्यमयी तरीके से घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) अभयारण्यों से रहस्यमय ढंग से कम हो रहे बाघों के संबंध में राज्य से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघ संरक्षण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास नीचे दिए अनुसार हैं:-

1. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है। अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं की सुदृढ़ता के साथ-साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/होम गार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

2. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों का कार्यान्वयन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटनापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन शामिल है।

3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 04.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।

4. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भूगौलिक सूचना प्रणाली क्षेत्र में तालुका विस्तार पर देश में बाघ पर्यावासों की स्थिति का आकलन।

5. चारों ओर के/बफर क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शामिल करके रिजर्व विशेष पुनरुद्धार कार्यनीतियां तैयार करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर बाघ रिजर्वों (10 कि.मी. तक की परिधि दूरी) के चारों ओर वन आच्छादन स्थिति का तुलनात्मक आकलन।

6. सुरक्षित क्षेत्रों पर वर्ल्ड कमीशन के फ्रेमवर्क से अपनाए गए 45 पैरामीटरों के आधार पर स्वायत्त विशेषज्ञों के पैलन द्वारा बाघ रिजर्वों का आकलन जिसकी गठन समीक्षा इन्टरनेशनल यूनियन फार कन्सरवेंजन आफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा की गई है और संसद में प्रस्तुत की गई है।

7. भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रक्रिया (वास-स्थल मानीटरिंग के अलावा अन्य मुख्य शिकारी एवं सहभक्षी) में संशोधन।

8. पड़ोसी बाघ रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय प्रयास।

9. स्थानीय लोगों के लाभों के लिए पारि-पर्यटन मार्गनिर्देश तैयार करने और प्रबंधन के लिए बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्रों के चारों ओर पारि-विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

10. व्यवहार्य एजेंसी के माध्यम से ग्राम पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

उक्त के अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय इस प्रकार से हैं:-

11. वन्यजीवों (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

12. वन्यजीवों की अनेक दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इन्हें अत्याधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

13. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपस्कर गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

14. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

15. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

16. राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जैसे कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

17. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी, 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अपनाई गई है। योजना में देश में वन्यजीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यनीति तैयार की गई है।

18. भारत ने जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पति जाति और प्राणि जाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

19. वन्यजीवों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

20. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए बाघ वाले देशों का एक विश्व बाघ फोरम तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

कीटनाशक प्रबंधन का आधुनिकीकरण

4316. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कीटनाशक प्रबंधन को मजबूत करने, इसे विकसित करने तथा इसका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना/कार्यक्रम/परियोजना शुरू की है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) देश में उपलब्ध पादप संगरोध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारत सरकार "भारत में कीट प्रबन्धन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" नामक स्कीम का कार्यान्वयन करती है।

(ख) भारत सरकार ने पौध संरक्षण के मूल सिद्धान्त के रूप में समेकित कीट प्रबन्धन (आईपीएम) को अपनाया है। सरकार ने सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय समेकित कीट प्रबन्धन (आईपीएम) केन्द्र स्थापित किए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित करके आईपीएम में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा, राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने "भारत में कीट प्रबन्धन दृष्टिकोण के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबन्धन केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को अधिदेश है—कीट/रोग प्रबोधन, जैव-नियंत्रण कारकों/जैव कीटनाशियों का उत्पादन और उन्हें जारी करना। जैव नियंत्रण कारकों का संरक्षण और कृषक फील्ड स्कूल (एफएफएस) आयोजित करके निचले स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देते हुए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) में मानव संसाधन विकास। 77 प्रमुख फसलों में कीट/रोग प्रबंधन के लिए आईपीएम पैकेज पद्धतियां विकसित की गई हैं और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित की गई है और इन्हें www.dacnet.nic.in/ppin पर डाला गया है ताकि विस्तार कर्मियों तथा किसानों द्वारा इनका उपयोग किया जा सके। पौध रोगों के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार कीट निगरानी/प्रबोधन के लिए सर्वेक्षण दलों का गठन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को परामर्श देती रहती है ताकि किसानों द्वारा समय पर नियंत्रण उपाय किए जा सकें। सम्पूर्ण देश में अवस्थित सीआईपीएमसी भी कीट प्रबोधन के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित कर रहे हैं और राज्य कृषि विभाग को अपने सर्वेक्षण परिणाम/रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं ताकि वे समय पर नियंत्रण उपाय कर सकें।

वर्ष 2007-08 के दौरान इस हेतु 16.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) देश में 35 पौध संगरोध केन्द्र हैं। इनमें राष्ट्रीय संगरोध केन्द्र, नई दिल्ली और चार क्षेत्रीय केन्द्र अमृतसर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई हैं। इन केन्द्रों का कृषि आयातों और निर्यातों का पता लगाने और त्वरित निकासी के लिए पौध संगरोध परीक्षण सुविधाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ सुदृढ़ीकरण किया गया है।

धनिया और जीरे को प्रोत्साहन

4317. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने क्षेत्र में धनिया तथा जीरे की खेती होती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार की देश में उक्त खेती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि-हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में धनिया और जीरे की खेती के अधीन कवर क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्ष 2000-01 के दौरान अक्तूबर, 2000 से बृहत कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी प्रायोजित स्कीम में बागवानी की नौ स्कीमें मिला ली गई। इस स्कीम ने राज्य सरकारों को अपनी कार्य योजनाओं के अनुसार आवश्यकताओं और महसूस की गई जरूरतों के अनुरूप कार्यक्रम शुरू करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया। पहले सूक्ष्म प्रबंधन स्कीमों में मिलाये गये वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आरंभ होने पर सभी बागवानी कार्यक्रमों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अंतरित कर दिया गया। बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी पणधारियों की सक्रिय सहभागिता से अनुसंधान, उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन को कवर करते हुए अग्र और पश्च सम्पर्कों वाला सर्वांगीण दृष्टिकोण विधिवत सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित की जा रही हैं। मिशन धनिया और जीरा सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए क्षेत्र आधारित प्रदेश विशिष्ट समूह दृष्टिकोण पर बल दे रहा है। धनिया और जीरे को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में धनिया और जीरे की खेती के अधीन कवर क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र '000 हैक्टेयर)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
धनिया			
आंध्र प्रदेश	45.00	49.0	49.0
बिहार	2.2	2.2	2.1
छत्तीसगढ़	3.8	4.0	4.0
हरियाणा	1.4	1.7	1.7
कर्नाटक	7.7	7.8	9.6
मध्य प्रदेश	62.1	125.1	115.9
मेघालय	0.1	0.1	0.1
उड़ीसा	18.9	19.0	19.1
राजस्थान	112.3	241.4	148.4
तमिलनाडु	26.3	27.7	18.5
उत्तर प्रदेश	6.1	5.5	5.5
कुल	285.854	483.52	373.90
जीरा			
गुजरात	200.049	200.049	200.049
राजस्थान	321.201	321.201	321.201
उत्तर प्रदेश	0.002	0.002	0.002
कुल	521.252	521.252	521.252

विवरण II

धनिया और जीरा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

राज्य	विश्वविद्यालय	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय	-	0.4	2.4
पश्चिम बंगाल	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	4.0	0.2	8.0
	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय	-	-	0.8

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	सीएसए एग्री. टै. कानपुर	1.5	1.2	2.4
	एनडी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	2.0	1.2	1.6
	सीएसएस अमर सिंह कालेज	-	0.4	4.0
	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	0.7	1.0	2.4
गुजरात	सरदार कुसीनगर, डांडीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय	4.0	2.0	8.0
	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय	-	1.8	4.0
	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय	-	1.2	2.4
	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	-	2.0	4.0
उत्तराखंड	जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	2.0	-	-
हरियाणा	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	1.0	1.4	4.0
हिमाचल प्रदेश	डा. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, शिमला	0.2	-	-
मध्य प्रदेश	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	4.0	2.0	4.0
महाराष्ट्र	डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, डपोली	-	-	0.8
	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	0.1	0.2	1.6
	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय	2.0	1.0	1.6
	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	-	1.0	0.8
राजस्थान	महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, उदयपुर	1.2	1.0	1.6
	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	4.0	2.0	8.0
उड़ीसा	उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नालाजी	0.5	0.2	1.6
पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	0.5	-	-
तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	0.2	1.0	4.0
कर्नाटक	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड़	0.1	0.2	0.8
	कृषि विश्वविद्यालय, बंगलौर	-	-	0.8
छत्तीसगढ़	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	1.0	-	-
झारखण्ड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	-	0.8	1.6
बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	1.0	1.2	2.4
	कुल	30.0	23.0	73.6

कार्य संबंधित बीमारियों से महिलाओं को संरक्षण

4318. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकार से अपनी पेशेगत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में ऐहतियाती उपाय शामिल करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या महिलाएं, कार्य संबंधित संक्रामक रोगों तथा मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारकों से प्रभावित होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार महिलाओं को कार्य संबंधित बीमारियों से बचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में निवारक उपायों को शामिल करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भारत सरकार को कोई विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा समय-समय पर अंगीकृत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानदंडों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य देशों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में निवारक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 155 में इस प्रकार की आवश्यकता को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने इस अभिसमय का विभिन्न कारणों से अनुसमर्थन नहीं किया है जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि वर्तमान राष्ट्रीय कानून उक्त अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय के उपबंधों के पूरी तरह अनुरूप नहीं हैं।

(ग) और (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 में व्यवस्था है कि अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रोग से किसी कारखाना श्रमिक के ग्रसित होने पर सम्बद्ध प्रबंधक या डाक्टर उसका ब्यौरा सम्बद्ध राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करेगा कि ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संरक्षणार्थ सुविधाएं उपलब्ध हों। कारखाना अधिनियम के ये उपबंध बिना लिंग भेद के सभी श्रमिकों पर लागू हैं। अनुसूची-3 में 29 रोग शामिल हैं, जिनमें विषजनित कतिपय मामले भी शामिल हैं।

राशन कार्डों का जारी किया जाना

4319. श्री रघुनाथ झा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि के एक माह के भीतर जारी करना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षा ने निर्धारित अवधि के बाद राशन कार्ड जारी करने के मामले में चूक पाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चूककर्ता राज्यों के क्या नाम हैं; और

(घ) इन राज्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2006 की अपनी रिपोर्ट संख्या 16 में पैरा 7.2.5 द्वारा यह कहा है कि दिल्ली, केरल, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में राशन कार्ड जारी करने में एक महीने से अधिक की देरी हुई थी। गुजरात, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विलम्ब की अवधि को प्रतिबिम्बित करने हेतु संगत तारीखें दर्शाने वाले पर्याप्त ब्यौरे भी नहीं रखे गए थे।

(घ) लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह निदेश दिया गया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक उपचारात्मक उपाय करें।

टाइगर रिजर्व्स से गांवों का स्थानांतरण

4320. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ संरक्षण के लिए तथा देश में 28 टाइगर रिजर्वस से लगभग 2000 गांवों को स्थानांतरण वाली किसी 600 करोड़ रुपये वाली योजना का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन गांवों के स्थानांतरण हेतु राज्य सरकारों को दी गई प्राथमिकता की सूची सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्राधिकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो योजना के लिए मंजूर की जा रही राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित बाघ परियोजना के तहत 65.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें बाघ रिजर्वों के गांवों के स्थानांतरण/पुनर्वास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

(ख) और (ग) भारतीय वन्य प्राणि संस्थान से कहा गया है कि वह एक समय सीमा के अन्दर देश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त इन बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों का आकलन करें जहां गांवों का स्थानांतरण किया जाना है। इसके साथ-साथ, व्यावसायिक एजेंसी के माध्यम से आदर्श स्वैच्छिक ग्राम पुनःस्थापन/पुनर्वास पैकेज तैयार करने की भी कार्रवाई की गई है।

(घ) हालांकि, देशव्यापी वन्यप्राणि के लिए अलंघनीय क्षेत्रों और स्थानांतरण/पुनर्वास पैकेज को वर्धित करने के कार्य का आकलन करने के संबंध में कार्रवाई की गई है, फिर भी कार्यरत केन्द्रीय प्रायोजित बाघ परियोजना के तहत विद्यमान मानकों के अनुरूप राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गांवों के स्थानांतरण/पुनर्वास के लिए वन्यप्राणियों के अलंघनीय क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण पर बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रभाव

4321. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण पर बढ़ती अर्थव्यवस्था के दबाव का आंकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में पर्यावरण पर प्रभाव के आंकलन की मानीटरिंग संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) विश्व बैंक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तत्वाधान में पूर्व की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 को बदलने के लिए 14.9.2006 को जारी नई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को आगे तैयार करने के लिए वर्ष 2001 के आगे पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को पुनः तैयार करने का कार्य शुरू किया गया था। इस अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, सक्षम और विकेन्द्रीकृत करना था। इसके अलावा पर्यावरण पर प्रभावों को कम करने के लिए उक्त अधिसूचना में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का प्रावधान है ताकि विकासात्मक परियोजनाओं के प्रभावों की पहचान हो सके और परियोजना की योजना अवस्था में उपशमन उपायों को तैयार किया जा सके।

(ग) और (घ) "भारत के लिए सतत विकसित देश पर्यावरणीय विश्लेषण के लिए संस्था के सुदृढ़ीकरण" पर विश्व बैंक अध्ययन अप्रैल, 2007 में जारी किया गया जिसमें साथ ही साथ निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने का उल्लेख किया गया है। यह अध्ययन कार्य ऊपर उल्लिखित कार्य की पुनः तैयारी प्रक्रिया के दौरान किया गया था और वास्तव में नई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 में पूर्व प्रारम्भिक पर्यावरणीय मंजूरी निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति

4322. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु गुजरात राज्य को समय पर खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य को समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या पद्धति अपनाई जा रही है; और

(घ) उक्त पद्धति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश

प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम गुजरात राज्य सरकार को मासिक आबंटनों के आधार पर नियमित रूप से खाद्यान्न रिलीज कर रहा है। गुजरात राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है ताकि वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए स्टाक रिलीज करने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को पेशकश किए गए स्टाक का राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। स्टाक की गुणवत्ता की संतुष्टि के संकेत के रूप में संयुक्त रूप से 3 (तीन) नमूने लिए जाते हैं जिनमें से 2(दो) नमूनों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा भविष्य के संदर्भ हेतु रख लिया जाता है और तीसरे नमूने को उचित दर दुकान में प्रदर्शित किए जाने हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे स्टाक को जारी करने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उसका निरीक्षण करने के लिए कम से कम निरीक्षक के रैंक का अधिकारी नियुक्त करें। राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित दर दुकानों की औचक जांच भी करते हैं।

[अनुवाद]

भारत पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

4323. श्री सी.एच. विजयशंकर:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने भारत पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव संबंधी सर्वेक्षण/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जल, कृषि वानिकी, पारि-प्रणालियों, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुमानित जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावों और संवेदनशीलता का प्राथमिक आकलन किया गया है। अनुमानित जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में 21वीं सदी में वर्षा और तापमान दोनों में वृद्धि और परिवर्तनीय प्रवृत्ति दर्शाई गई है। ऐसा अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सतही रन आफ की मात्रा विभिन्न नदियों के बेसिन में कम और परिवर्तनीय होगी। आरम्भिक विश्लेषण से यह पता चला है कि देश में विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक सूखे और बाढ़ की तीव्रता के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। कार्बन डायक्साईड की सान्द्रता में वृद्धि, तापमान में वृद्धि और भिन्न-भिन्न मात्रा में वर्षा से क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की कुल प्राप्ति का मिला-जुला अनुमान लगाया गया है। अभी तक कोई निश्चित प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकी। भारत में कई प्रकार के वन अनुमानित जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। तटीय क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से विभिन्न मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं।

(ग) जलवायु परिवर्तन से होने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में भारत सरकार को जानकारी है। चिन्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क उन कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य नदी संरक्षण, शहरी वायु गुणत्ता में सुधार, वन संवर्द्धन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रसार और ऊर्जा क्षमता आदि है, सहित जलवायु परिवर्तन मामलों के निपटान में योगदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत ने पिछले 55 वर्षों के अधिक विकास के दौरान जलवायु परिवर्तनों से संबंधित मुख्य कार्यक्रमों का कार्य किया है। जिसमें चक्रवात चेतावनी और संरक्षण, तटीय संरक्षण, बाढ़ और सूखा नियंत्रण और सहायता, मुख्य और लघु सिंचाई परियोजनाएं, मलेरिया का नियंत्रण खाद्य सुरक्षा उपाय और सूखा प्रतिरोधक फसलों पर अनुसंधान तथा कई अन्य शामिल हैं।

दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साईड के स्तर में वृद्धि

4324. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में नाईट्रोजन के स्तर में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने के लिए सम्पूर्ण अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय अन्य शहर भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानिटरी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत राष्ट्रव्यापी निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है, जो 25 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में 115 शहरों/कस्बों में 313 स्टेशनों को कवर करता है। दिल्ली की परिवेशी वायु गणता को सात स्थानों पर मापा जाता है जिनमें से चार आवासीय और दो औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

दिल्ली के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2001-2006 की अवधि हेतु नाइट्रोजन आक्साइड डाटा परिवेशी वायु गुणता मानकों की सीमा (एनएएक्यूएस) के भीतर हैं।

(ग) और (घ) पिछले 2 वर्षों (2005-06) के दौरान 35 प्रमुख शहरों में देखे गए एन $ओ_2$ के परिणाम से पता चलता है कि सभी शहरों में परिवेशी वायु में एन $ओ_2$ का स्तर निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणता मानकों (एन ए ए क्यू एस) से नीचे है। इस समय सी पी सी बी द्वारा कोई अतिरिक्त अध्ययन नहीं किया जाना परिकल्पित है।

(ङ) आटो एग्जास्ट उत्सर्जन और एन $ओ_2$ स्तर जिसमें बड़े पैमाने पर प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण उपशमन उपायों का अंगीकरण शामिल है, की रोकथाम के लिए उत्सर्जन मानक और नीतियां तैयार की गई हैं।

कृषि अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता

4325. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी दस वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की किन्हीं प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लाभों को किसानों तक किस प्रकार पहुंचाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान कार्य केन्द्रित करने हेतु निम्नलिखित प्रचलित क्षेत्रों का पता लगाया है ताकि किसान उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सृजित प्रौद्योगिकी का किसानों द्वारा उपयोग किया जा सके।

* उत्पादकता, लाभप्रदता तथा उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाना
* जैविक तथा अजैविक दबावों का लागत-प्रभावी प्रबन्ध
* संकर प्रौद्योगिकी
* जैव प्रौद्योगिकी
* जैव विविधता
* बढ़िया तथा पौध सामग्री की सप्लाई बढ़ाना
* टीके तथा नैदानिकी
* सस्योत्तर प्रबन्ध
* जल, पोषण और ऊर्जा प्रबंध
* संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां
* कृषि विविधीकरण
* जलवायु परिवर्तन
* जैविक कृषि
* उत्तम/उत्कृष्ट मानव संसाधन
* कृषि नीति अनुसंधान
* सांख्यिकी प्रणालियों तथा कम्प्यूटर का कृषि में प्रयोग
* प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण प्रणाली विज्ञान।

(ग) भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण जिले (589) में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले ही देश में 551 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कर चुकी है। कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों में ये शामिल हैं—विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता का पता लगाने के उद्देश्य से खेत पर परीक्षण के जरिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा परिष्करण, किसानों के खेत पर उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए अग्रपंक्ति के प्रदर्शन, जानकारी तथा दक्षता को अद्यतन करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना तथा प्रौद्योगिकी विकास के अग्रणी क्षेत्रों से अवगत कराने हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केन्द्रों को सूचना और प्रौद्योगिकी के अद्यतनीकरण के कार्य को बढ़ाने हेतु सुविधाएं जुटाने के लिए ई-संयोजकता के लिए भी लक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता

4326. **श्री रामदास आठवले:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश के युवाओं को विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के संबंध में कोई नीति तैयार की है/तैयार किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी नहीं। फिर भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का प्रावधान है; इस प्रावधान के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवा शामिल हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नदी की सफाई

4327. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री महेश कनोडीया:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने गुजरात की साबरमती नदी की सफाई के चरण-2 को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) गुजरात राज्य सरकार से अहमदाबाद में साबरमती नदी की सफाई के दूसरे चरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव पर बजटीय कठिनाई के कारण अब तक विचार नहीं किया जा सका है। तदनुसार, राज्य सरकार को उक्त कार्यों के लिए बाह्य सहायता सहित वैकल्पिक निधियन संसाधनों का पता लगाने का सुझाव दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में फिश फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना

4328. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्यन क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए फिश फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत अब तक अपने अंशदान को जारी कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) से (च) मणिपुर, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान राज्यों को वर्ष 2006-07 में प्रत्येक राज्य में एक मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 12.0 लाख रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी को शामिल करते हुए उनके द्वारा मांगी गई 36.0 लाख रुपए की सहायता की तुलना में प्रथम किश्त के रूप में 22.95 लाख रुपए की कुल सहायता दी गई है। तमिलनाडु तथा उड़ीसा द्वारा प्रत्येक राज्य में तीन मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 36.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगे जाने वाले प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि या तो ये देरी से प्राप्त हुए थे अथवा राज्य के पास योजना के अंतर्गत पहले प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता की राशि शेष है। ये राज्य अन्य राज्यों

के साथ वर्ष 2007-08 में मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना के तहत केन्द्रीय सहायता पाने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

बीजों की मांग और उपलब्धता

4329. श्री महावीर भगोरा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी प्रकार की फसलों के लिए राज्य-वार बीजों की मांग और उपलब्धता कितनी है;

(ख) बीज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) खरीफ 2007 में सभी कृषि फसलों के बीजों की 78,64,186 क्विंटल की मांग के मुकाबले उपलब्धता 85,49,679 क्विंटल है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान स्कीमें हैं—समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसल), वार्षिक तिलहन फसल और बीज संबंधी प्रजनक बीज उत्पादन परियोजना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना-कृषि फसलों में बीज उत्पादन। आबंटित, निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II से विवरण-VIII में दिया गया है।

विवरण I

खरीफ 2007 के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की राज्यवार मांग और उपलब्धता

(मात्रा क्विंटल में)

राज्य का नाम	मांग	उपलब्धता
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2206880	2400600
अरुणाचल प्रदेश	7100	7100
असम	79404	78604
बिहार	264580	253597
छत्तीसगढ़	156515	102934
गोवा	3060	3060
गुजरात	238956	281596
हरियाणा	84820	122268
हिमाचल प्रदेश	22570	22570
झारखण्ड	104561	114775
जम्मू-कश्मीर	20981	20587
कर्नाटक	621665	681800
केरल	22625	11062
मध्य प्रदेश	680000	724682
मेघालय	7367	8188
महाराष्ट्र	1268388	1301297
मणिपुर	2740	2740
मिजोरम	4675	4675
नागालैंड	12000	12000
उड़ीसा	237068	279661
पांडिचेरी	2270	3050
पंजाब	79425	164585
राजस्थान	421535	368623
सिक्किम	3510	3510
तमिलनाडु	100134	287267
त्रिपुरा	18383	18383
उत्तराखण्ड	24794	30128
उत्तर प्रदेश	656580	639287
पश्चिम बंगाल	511600	511050
कुल योग	7864186	8459679

विवरण II

बीज उत्पादन, वितरण आदि के लिए राज्य कार्य योजना की बृहत प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आवंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य सरकार	2004-05		2005-06		2006-07	
		आवंटित/निर्मुक्त	प्रयुक्त	आवंटित/निर्मुक्त	प्रयुक्त	आवंटित/निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	390.81	390.81	168.62	168.62	345.36	345.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	93.10	93.10	27.20	27.20	218.70	218.70
3.	असम	42.82	42.82	63.00	63.00	429.60	429.60
4.	बिहार	167.93	167.93	292.837	292.837	288.742	288.742
5.	छत्तीसगढ़	108.40	108.40	163.50	163.50	250.20	250.20
6.	गोवा	*	*	0.50	0.50	10.45	10.45
7.	गुजरात	130.65	130.65	226.60	226.60	160.00	160.00
8.	हरियाणा	445.30	445.30	403.28	403.28	519.50	519.50
9.	हिमाचल प्रदेश	186.75	186.75	269.00	269.00	239.50	239.50
10.	जम्मू-कश्मीर	*	*	107.78	107.78	233.77	233.77
11.	झारखण्ड	*	*	248.80	248.80	60.00	60.00
12.	कर्नाटक	186.18	186.18	385.36	385.36	555.00	555.00
13.	केरल	302.50	302.50	152.50	152.50	160.50	160.50
14.	मध्य प्रदेश	294.10	294.10	1502.25	1502.25	859.02	859.02
15.	महाराष्ट्र	260.00	260.00	759.80	759.80	505.00	505.00
16.	मणिपुर	51.60	51.60	257.82	257.82	336.35	336.35
17.	मेघालय	40.50	40.50	72.80	72.80	153.96	153.96
18.	मिजोरम	13.02	13.02	112.80	112.80	288.00	288.00
19.	नागालैंड	180.00	180.00	234.50	234.50	280.00	280.00
20.	उड़ीसा	*	*	492.84	492.85	211.40	211.40
21.	पंजाब	155.50	155.50	112.00	112.00	274.00	274.00
22.	राजस्थान	432.20	432.20	710.11	710.11	629.75	629.75

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	160.20	160.20	157.90	157.90	142.00	142.00
24.	तमिलनाडु	*	*	428.00	428.00	189.00	189.00
25.	त्रिपुरा	160.40	160.40	777.40	777.40	768.38	768.38
26.	उत्तर प्रदेश	1500.56	1500.56	2227.45	2227.45	2336.15	2336.15
27.	उत्तरांचल	48.80	48.80	192.61	192.61	155.51	155.52
28.	पश्चिम बंगाल	*	*	335.58	335.58	402.00	402.00

* उपलब्ध नहीं।

विवरण III

समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आयलपोम) के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आवंटित/निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/क्रियान्वयक एजेंसी का नाम	2004-05			2005-06			2006-07		
		आवंटित	निर्मुक्त धनराशि	किया गया व्यय	आवंटित	निर्मुक्त धनराशि	किया गया व्यय	आवंटित	निर्मुक्त धनराशि	किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3543.00	3559.97	3864.95	4900.00	4816.50	2649.41	4542.00	4542.00	4693.2
2.	असम	8.00	4.00	139.94	15.00	3.00		30.00	0.00	0.00
3.	बिहार	290.00	145.00	421.65	245.00	245.00	149.97	385.00	385.00	266.95
4.	छत्तीसगढ़	625.00	625.00	523.58	400.00	400.00	505.75	675.00	675.00	286.71
5.	गुजरात	1883.00	1883.00	1316.71	1850.00	1850.00	1714.06	975.00	975.00	1131.22
6.	गोवा	20.00	10.00	7.75	16.50	16.50	3.69	3.00	0.00	2.12
7.	हरियाणा	559.00	497.00	495.07	434.00	434.00	339.53	411.00	411.00	522.50
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	40.00	55.08	75.50	75.50	64.46	75.00	75.00	70.04
9.	जम्मू-कश्मीर	170.00	85.00	29.30	142.50	142.50	87.18	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	2155.00	2155.00	1560.97	1800.00	1800.00	1764.72	2700.00	2700.00	2810.65
11.	केरल	10.00	5.00	34.83	7.50	7.50	33.40	15.00	15.00	40.16
12.	मध्य प्रदेश	2925.00	2925.00	2627.40	2400.00	2400.00	2455.92	3750.00	3750.00	3378.34
13.	महाराष्ट्र	1040.00	1040.00	991.41	2739.30	2739.00	1786.25	925.00	925.00	1536.92

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मिजोरम	107.00	107.00	221.00	90.00	90.00	10.00	180.00	102.87	117.05
15.	उड़ीसा	455.00	455.00	569.86	500.00	500.00	531.78	525.00	525.00	522.55
16.	पंजाब	105.00	52.50	1.76	87.50	87.50	65.84	0.00	0.00	1.15
17.	राजस्थान	2000.00	2000.00	1613.21	2840.00	2840.00	2906.73	2934.50	2934.50	2912.29
18.	तमिलनाडु	990.00	990.00	644.14	1245.00	1245.00	1168.65	1345.00	1345.00	988.52
19.	त्रिपुरा	10.00	5.00	0.0	20.00	7.00	65.07	40.00	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	785.00	785.00	761.43	1065.00	1065.00	1134.3	1115.00	1115.00	1295.65
21.	पश्चिम बंगाल	260.00	260.00	229.97	450.00	450.00	706.51	674.50	674.50	366.93
	कुल	17980.00	17628.47	16110.01	16462.50	21214.00	18143.22	21300.00	21149.87	20943.06

विवरण IV

वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-2 के अंतर्गत आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05			2005-06			2006-07		
		आवंटित	निर्मुक्त	किया गया व्यय	आवंटित	निर्मुक्त	किया गया व्यय	आवंटित	निर्मुक्त	किया गया व्यय (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	623.62	571.16	554.14	440.00	570.52	547.99	1320.00	1227.91	994.23
2.	गुजरात	750.00	773.04	800.18	750.00	812.42	658.11	1200.00	1095.11	1095.47
3.	हरियाणा	225.00	112.50	186.96	280.00	270.43	203.72	300.00	223.17	207.7
4.	कर्नाटक	486.03	478.58	420.79	500.00	500.00	416.21	560.00	438.62	448
5.	मध्य प्रदेश	607.59	483.28	406.42	400.00	302.35	427.70	450.00	377.30	228.05
6.	महाराष्ट्र	784.79	771.44	775.81	786.00	763.00	765.62	1000.00	989.93	625.62
7.	उड़ीसा	80.00	40.00	100.94	78.00	78.95	75.16	125.00	120.41	89.35
8.	पंजाब	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	264.00	10.00	0.00	0
9.	राजस्थान	719.21	231.25	189.55	500.00	392.87	457.98	580.00	548.11	242
10.	तमिलनाडु	339.41	342.94	234.08	350.00	338.45	400.26	245.00	291.54	237.6
11.	त्रिपुरा	25.00	22.00	15.07	50.00	15.00	20.00	200.00	32.00	7.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	उत्तर प्रदेश	80.00	40.00	58.15	65.00	35.00	39.38	80.00	40.00	36.85
13.	पश्चिम बंगाल	50.00	38.59	49.60	75.00	92.77	66.00	80.00	40.00	17.16
	कुल	4771.650	3904.780	3791.690	4275.000	4171.760	4342.13	6150.00	5424.10	4220.53

अ-अनंतिम, राज्यों से अंतिम व्यय अभी भी प्राप्त होना है।

विवरण V

बीज ग्राम कार्यक्रम—निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	209.07	108.08	277.67	155.95
2.	राजस्थान	3.41	1.96	52.44	-
3.	कर्नाटक	15.64	11.63	18.25	12.44
4.	आंध्र प्रदेश	350.00	350.00	500.00	500.00
5.	पश्चिम बंगाल	1.17	-	36.60	1.50
6.	हिमाचल प्रदेश	4.27	4.27	4.37	-
7.	पंजाब	29.75	-	11.55	-
8.	मध्य प्रदेश	462.91	183.34	-	-
9.	महाराष्ट्र	79.20	-	-	-
10.	जम्मू-कश्मीर	7.00	-	0.25	0.25
11.	असम	4.67	-	2.97	-
12.	त्रिपुरा	30.00	-	-	-
13.	उड़ीसा	44.74	-	28.21	-
14.	बिहार	32.92	-	-	-
15.	तमिलनाडु	203.00	200.00	81.92	-
16.	छत्तीसगढ़	-	-	21.00	-
17.	मणिपुर	-	-	9.97	-

1	2	3	4	5	6
18.	हरियाणा	-	-	15.72	-
19.	सिक्किम	-	-	10.35	-
20.	मिजोरम	-	-	3.58	-
	कुल	1477.75	859.28	1074.85	670.14

विवरण VI

बीज अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता-निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियां

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07	
		धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	धनराशि	प्रयुक्त धनराशि
1.	राष्ट्रीय बीज निगम	138.00	138.00	शून्य	शून्य
2.	राज्य फार्म निगम	136.00	133.22	शून्य	शून्य
3.	उत्तर प्रदेश	311.54	303.56	93.01	88.94
4.	पश्चिम बंगाल	12.00	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गुजरात	12.00	2.69	शून्य	शून्य
6.	झारखण्ड	85.32	शून्य	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	575.34	510.14	शून्य	शून्य
8.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	250.00	शून्य
9.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	250.00	शून्य
10.	मिजोरम	शून्य	शून्य	8.95	शून्य
11.	सिक्किम	शून्य	शून्य	23.33	शून्य
	कुल	1270.20	1087.61	625.29	88.94

विवरण VII

वर्ष 2004-05 और 2006-07 के दौरान संकर चावल बीज उत्पादन और वितरण के लिए निर्मुक्त और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	19.20	-	600.70	-
2.	बिहार	28.00	-	24.00	-

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	–	–	3.60	–
4.	कर्नाटक	39.00	–	28.10	–
5.	हरियाणा	–	–	4.50	–
6.	महाराष्ट्र	–	–	19.80	–
7.	मणिपुर	–	–	6.50	–
8.	पंजाब	–	–	5.70	–
9.	सिक्किम	–	–	7.95	–
10.	त्रिपुरा	17.75	–	–	–
11.	तमिलनाडु	–	–	39.29	–
12.	उत्तर प्रदेश	25.00	–	7.45	–
13.	उत्तरांचल	–	–	32.15	–
14.	पश्चिम बंगाल	25.00	–	–	–
15.	एनएससी	30.00	–	–	–
16.	एसएफसीआई	40.00	–	–	–
	कुल	223.95	–	779.74	–

विवरण VIII

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मुक्त और राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसल), वार्षिक तिलहन फसलों के प्रजनक बीज उत्पादन तथा कृषि फसलों के बीज उत्पादन संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय/संस्थान/निदेशालय का नाम	स्कीम का नाम	वर्ष		
				2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	एनएसपी	23.8884	23.1105	25.0497
			बीज परियोजना	–	176.74	276.44
2.	आंध्र प्रदेश	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	एनएसपी	41.9136	42.6708	46.4862
			तिलहन संबंधी बीएसपी	51.00	57.72	48.50
			बीज परियोजना	–	271.26	424.71

1	2	3	4	5	6	7
		डीओआर, हैदराबाद	तिलहन संबंधी बीएसपी	12.00	5.754	-
			बीज परियोजना		-	47.60
		डीआरआर, हैदराबाद	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
			बीज परियोजना		-	121.00
		एनआरसीएस, हैदराबाद	एनएसपी	0.55	0.55	
			बीज परियोजना	-	-	51.20
		एनआरसीओपी, पेडावेगी	बीज परियोजना		-	33.00
3.	अंडमान और निकोबार	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर	बीज परियोजना		-	78.20
4.	बिहार	आरएयू, पूसा	एनएसपी	31.9851	33.3927	36.3657
			बीज परियोजना		112.71	176.29
		एनआरसीएल, मुजफ्फरपुर	बीज परियोजना		-	62.90
		आईसीएआर-आरसीईआर, पटना	बीज परियोजना		-	57.60
5.	छत्तीसगढ़	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	एनएसपी	10.5525	11.4921	12.5385
			बीज परियोजना		168.91	264.19
6.	नई दिल्ली	आईएआरआई, नई दिल्ली	बीज परियोजना		-	469.00
		डीएमआर, नई दिल्ली	बीज परियोजना		-	17.00
7.	गुजरात	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर	एनएसपी	40.74	41.655	45.40575
			तिलहन संबंधी बीएसपी	22.00	9.70	12.72
		गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आणंद	बीज परियोजना		132.90	299.46
		एनआरसीजी, जूनागढ़	बीज परियोजना		-	78.70
		एनएयू, नवसारी	बीज परियोजना		123.65	193.41
		डीएयू एसके नगर	एनएसपी	15.597	17.0682	18.693
			बीज परियोजना		187.94	293.96
		एनआरसीएमएपी, आणंद	बीज परियोजना		-	37.70
8.	गोवा	आईसीएआर-आरसी, गोवा	बीज परियोजना		-	67.71
9.	हरियाणा	सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	एनएसपी	31.9125	29.6193	32.2305
			बीज परियोजना		226.72	357.80
		डीडब्ल्यूआर, करनाल	बीज परियोजना		-	33.80

1	2	3	4	5	6	7
10.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	एनएसपी	19.6671	18.8627	21.612
			बीज परियोजना		98.63	154.27
		वाईएसबीपीयूएच एण्ड एफ, सोलन	बीज परियोजना		100.11	156.59
		सीपीआरआई, शिमला	बीज परियोजना		-	262.70
11.	जम्मू-कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर कृषि और प्रौद्योगिकी	एनएसपी	10.3287	9.1278	9.9012
		विश्वविद्यालय, श्रीनगर	बीज परियोजना		129.50	202.55
		जम्मू	बीज परियोजना		152.16	237.99
12.	झारखण्ड	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार	एनएसपी	5.439	5.9166	6.447
			बीज परियोजना		176.34	85.86
13.	केरल	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	एनएसपी	6.2535	6.8091	7.4235
			बीज परियोजना		174.72	276.27
		आईआईएसआर, कालीकट	बीज परियोजना		-	58.00
		सीपीसीआरआई, कासरगाड	बीज परियोजना		-	92.00
		सीएमआरआई, कोचि	बीज परियोजना		-	134.00
		सीटीसीआरआई, तिरूवनन्तपुरम	बीज परियोजना		-	128.95
14.	कर्नाटक	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	एनएसपी	29.1105	29.0133	31.5645
			तिलहन संबंधी बीएसपी	25.00	9.786	11.80
			बीज परियोजना		223.03	349.27
		कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	एनएसपी	12.897	10.0646	15.351
			तिलहन संबंधी बीएसपी	38.00	4.274	15.30
			बीज परियोजना		214.71	335.79
		एनआरसी काजू, पुट्टूर	बीज परियोजना		-	33.75
		आईआईएचआर, बंगलौर	बीज परियोजना		194.90	
15.	महाराष्ट्र	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	एनएसपी	28.8825	29.0118	31.491
			तिलहन संबंधी बीएसपी	13.00	11.94	11.78
			बीज परियोजना		220.23	344.47
		महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	एनएसपी	34.2195	34.47145	37.39725
			तिलहन संबंधी बीएसपी	10.00	3.569	2.90
			बीज परियोजना		234.54	366.84

1	2	3	4	5	6	7
		डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	एनएसपी	31.209	31.1604	34.014
			तिलहन संबंधी बीएसपी	30.00	37.33	17.94
			बीज परियोजना		169.14	264.46
		केकेवी, डापोली	बीज परियोजना		175.58	274.62
		केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
			बीज परियोजना		-	141.60
		एनआरसीसी, नागपुर	बीज परियोजना		-	82.75
		एनआरसीओजी, पुणे	बीज परियोजना		-	71.70
		एनआरसीजी, पुणे	बीज परियोजना		-	26.40
		सीआईएफई, मुम्बई	बीज परियोजना		-	45.22
		बीएसआई, पुणे	बीज परियोजना		12.21	19.09
16.	मध्य प्रदेश	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,	एनएसपी	29.2815	29.7474	32.481
		जबलपुर	तिलहन संबंधी बीएसपी	15.00	-	7.00
			बीज परियोजना		244.34	382.19
		एनआरसीएस, इन्दौर	तिलहन संबंधी बीएसपी	-	5.22	4.50
			बीज परियोजना		-	86.95
17.	मणिपुर	सीएयू, इम्फाल	बीज परियोजना		138.23	216.19
18.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,	एनएसपी	33.0516	34.923	37.2027
		भुवनेश्वर	तिलहन संबंधी बीएसपी	17.00	2.731	6.57
			बीज परियोजना		174.63	258.71
		केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
			बीज परियोजना		-	282.90
		एनआरसीडब्ल्यूए, भुवनेश्वर	बीज परियोजना		-	14.42
		सीआईएफए, भुवनेश्वर	बीज परियोजना		-	138.58
19.	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	एनएसपी	33.9	33.3368	36.78555
			बीज परियोजना		221.65	346.69
20.	राजस्थान	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	एनएसपी	26.7825	26.8065	29.118
			तिलहन संबंधी बीएसपी	9.00	1.829	6.57
			बीज परियोजना		165.66	259.11

1	2	3	4	5	6	7
		महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी	एनएसपी	5.535	6.024	6.567
		विश्वविद्यालय, उदयपुर	तिलहन संबंधी बीएसपी	24.00	1.59	2.34
			बीज परियोजना		189.57	296.51
		केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	एनएसपी	1.28	1.28	1.28
			बीज परियोजना		-	129.40
		एनआरसीएसएस, अजमेर	बीज परियोजना		-	45.75
		सीआईएएच, बीकानेर	बीज परियोजना		-	62.85
		एनआरसीआरएम, भरतपुर	बीज परियोजना		-	46.50
21.	सिक्किम	एनआरसीओपी-पकयांग	बीज परियोजना		-	25.80
22.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	एनएसपी	27.476	26.0631	28.3317
			तिलहन संबंधी बीएसपी	20.00	6.70	20.30
			बीज परियोजना		235.96	369.04
		टीएनएयूबीएएस, टूटिकोरिन	बीज परियोजना		34.94	54.67
			एसबीआई, कोयम्बटूर		-	53.42
			सीआईबीए, चेन्नई		-	112.20
23.	उत्तर प्रदेश	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी	एनएसपी	26.4375	26.6493	28.9605
		विश्वविद्यालय, कानपुर	तिलहन संबंधी बीएसपी	14.00	6.253	4.86
			बीज परियोजना		203.03	341.57
		नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी	एनएसपी	29.373	28.9383	31.4895
		विश्वविद्यालय, फैजाबाद	बीज परियोजना		174.00	272.15
		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	एनएसपी	6.686	7.2668	7.91
			बीज परियोजना		46.28	174.94
		भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
		संस्थान, झांसी	बीज परियोजना		46.00	83.75
		भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
			बीज परियोजना		-	104.92
		एसबीपीयूए एण्ट टी, मेरठ	बीज परियोजना		116.28	181.87

1	2	3	4	5	6	7
		आईआईएसआर, लखनऊ	बीज परियोजना		-	83.75
		डीएसआर, मऊ	बीज परियोजना		25.00	152.89
		सीआईएसएच, लखनऊ	बीज परियोजना		-	77.25
		आईआईवीआर, वारानाई	बीज परियोजना		-	163.00
		एनबीएफजीआर, लखनऊ	बीज परियोजना		-	68.00
24.	उत्तरांचल	जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी	एनएसपी	31.1298	31.7277	34.5357
		विश्वविद्यालय, पंतनगर	तिलहन संबंधी बीएसपी	-	-	1.92
			बीज परियोजना		227.42	355.70
		विवेकानन्द पर्वतीय अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
			बीज परियोजना		-	89.5
		एनआरसीडब्ल्यूएफ, भीमताल	बीज परियोजना		-	23.00
25.	पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय पटसन और समवर्गी रेशा	एनएसपी	0.55	0.55	0.55
		अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	बीज परियोजना		-	91.15
		बीसीकेवीवी, मोहनपुर	बीज परियोजना		86.63	122.67
		यूबीकेवी, पुण्डीबाड़ी	बीज परियोजना		102.67	167.58
		डब्ल्यूबीयूएएफएस, मोहनपुर	बीज परियोजना		8.97	14.03
		सीआईएफआरआई, बैरकपुर	बीज परियोजना		-	14.42

नोट:-

एनएसपी : राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसल)

बीज परियोजना : कृषि फसल और मात्स्यिकी संबंधी बीज परियोजना

तिलहन संबंधी बीएसपी : वार्षिक तिलहन फसल संबंधी प्रजनक बीज उत्पादन

राजस्थान में निर्माण परियोजना को मंजूरी

4330. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कतिपय निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व-पश्चिम गलियारे के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 पर कोटा (राजस्थान) में चम्बल नदी पर बाई-पास पुल को मंजूरी देने संबंधी प्रगति रिपोर्ट क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) मैसर्स जी ई सी आई एस को जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा सुविधा के लिए बहुमंजिला काल सेन्टर के निर्माण के लिए दिसम्बर, 2004 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी और मैसर्स कजारिया इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी भिवाड़ी, अलवर में आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए मार्च, 2007 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्व-पश्चिम मार्ग पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से कोटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-76 की मरम्मत और सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए फरवरी, 2006 में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत सड़क पुलों/बायपास पुलों आदि के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

बाघ परियोजना

4331. श्री राकेश सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के अनुसार बाघ परियोजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) क्या राज्यों से अभ्यारण्यों को अधिसूचित करने संबंधी कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) केन्द्रीय प्रायोजित बाघ परियोजना देश में 17 राज्यों में फैले हुए 28 बाघ रिजर्वों में कार्यरत हैं, फिर भी बाघ रेंज वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वन्यप्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में हाल में किए गए संशोधनों के प्रावधानों को कार्यान्वित करें।

(ख) और (ग) अभी तक किसी भी बाघ रेंज वाले राज्य से कथित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बाघ रिजर्व घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बांस मिशन

4332. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यान्वयन स्थिति क्या है; और

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे पूरा किए जाने हेतु क्या प्रस्तावित योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) 2006-2007 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, देश में राष्ट्रीय बांस मिशन आरम्भ किया गया है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08-2011-12) के दौरान, इस मिशन को जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति का 'सिद्धान्त रूप में' अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

भेषज निर्यात संवर्धन परिषद से अभ्यावेदन

4333. श्री अधीर चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत औषधियों और औषधियों की सहायक सामग्रियों के आयात की स्वीकृति पर प्रतिबंध के कारण औषधियों का निर्यात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को भेषज निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं। औषध निर्यात संवर्द्धन परिषद (फार्मेक्सिल) ने सूचित किया है कि उनके पास अग्रिम लाइसेंसों के अंतर्गत औषधियों और औषध मध्यवर्तियों के आयात की स्वीकृति पर प्रतिबंध के बारे में कोई सूचना नहीं है। वित्त मंत्रालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) पत्र सं. 450/08/2007-कस्टम-IV दिनांक 22 जनवरी, 2007 के अनुसार यह देखा गया है कि औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 43क के अनुसार भारत में औषधों का आयात निम्नांकित स्थानों में से किसी एक के जरिए किया जा सकता है:-

(1) फिरोजपुर छावनी और अमृतसर रेलवे स्टेशन (पाकिस्तान के साथ सीमा पार से रेल द्वारा आयात किए जाने वाले औषधों के लिए)।

(2) राणाघाट, बोंगांव और मोहियासन रेलवे स्टेशन (बांग्लादेश के साथ सीमा पर से रेल द्वारा आयात किए जाने वाले औषधों के लिए)।

(3) रक्सौल (नेपाल में बीरगंज और भारत में रक्सौल से जुड़ी रेल लाइन और सड़क मार्ग द्वारा आयात किए जाने वाले औषधों के लिए)।

(4) चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा और कांडला (समुद्र मार्ग से भारत में आयातित औषधों के लिए)।

(5) चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद (हवाई अड्डों के द्वारा भारत में आयातित औषधों के लिए)।

तदनुसार, औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त के अलावा किसी और बंदरगाह पर औषधों के आयात की अनुमति नहीं है।

(ख) फार्मेक्सिल ने सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने भी सूचित किया है कि अग्रिम आथोराइजेशन स्कीम के अंतर्गत औषधियों और औषध मध्यवर्तियों के आयात पर प्रतिबंध के कारण औषधियों का निर्यात प्रभावित होने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अनाज की फसलों की उत्पादकता

4334. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न फसलों विशेषकर अनाज की फसलों की कुल घटक उत्पादकता में लगातार और चिंताजनक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस रुझान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में अनाज और अन्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) देश में कृषि की कुल घटक उत्पादकता (टीएफपी) की वृद्धि में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, हाल ही की समयावधि के दौरान कुछ फसलों के कुछ क्षेत्रों में कुल घटक उत्पादकता में कमी आई है। कुल घटक उत्पादकता (टीएफपी) की वृद्धि में तीव्रता लाने के लिए सिंचाई दक्षता में सुधार, संस्थागत ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, स्रोत बीज की आपूर्ति में वृद्धि आदि पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। अनुसंधान, कुल घटक उत्पादकता (टीएफपी) की वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं। इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं: मूल और नीतिगत अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण, वैल्यु-चेन को बढ़ावा देना, अग्रपंक्ति विस्तार प्रणाली का प्रसार, प्रौद्योगिकी के तीव्रता से हस्तांतरण के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता विकसित करना।

ई.आई.ए. मानदंडों की समीक्षा

4335. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री आनंद राव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) नियमों में व्यापक संशोधन किए जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सितम्बर अधिसूचना के अनुसार ई.आई.ए. की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) 14.9.2006 को जारी नई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की व्यापक पुनरीक्षा के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी नई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में सुधार, पुनरीक्षा और संशोधन के लिए कुछ निजी व्यक्तियों, उद्योग ग्रुपों और संबंधित मंत्रालयों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के पैरा 3 और 4 में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में वर्ग 'ख' के अंतर्गत अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों का मूल्यांकन करने और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन और राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति गठित करने की परिकल्पना की है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित करना

4336. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्यजीव बोर्डों ने राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या को सीमित किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन्यजीव बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए अधिक संख्या में पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की संख्या को सीमित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों की वहन क्षमता के अनुरूप राष्ट्रीय उद्यानों विशेषकर केवल बाघ रिजर्वों में पर्यटकों को प्रवेश देने की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में राष्ट्रीय उद्यानों की वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों के आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उद्यानों की वहन क्षमता से अधिक पर्यटकों को अनुमित न करें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूसरे देशों में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4337. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूसरे देशों में सरकारी और निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन देशों में इन कंपनियों की या तो स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त उद्यम के साथ अपने संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कोई सहायता दी गई है अथवा दिए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र द्वारा दूसरे देशों में स्थापित उर्वरक संयंत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार, सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देती रही है। सरकार ने सुर (ओमान) में ओमान इंडिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट (ओमिफ्को) स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फास्फेटिक क्षेत्र की संयुक्त उद्यम परियोजना आईसीएस, सेनेगल में साम्या के रूप में निवेश किया है।

इसके अतिरिक्त, विदेशों में संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-3 में विदेशों में भारत के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों से यूरिया के उठान के लिए सरकार द्वारा दीर्घकालिक वापस खरीद प्रबंध करने का प्रावधान किया गया है।

विवरण

कंपनी	स्थान	भागीदार	अनुमानित परियोजना लागत (अमेरिकी डालर मिलियन)	प्रारंभण की तारीख	उत्पाद	क्षमता (प्रति वर्ष 000 टन)	भारत द्वारा वापस खरीद प्रबंध
1. विदेशों में स्थापित उर्वरक संयंत्र							
ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को)	सुर, मस्कट ओमान	कृभको, इफ्को, ओमान आयल कं. ओमान	892	जुलाई, 2005	अमोनिया यूरिया	1155 1652	100% यूरिया उत्पादन भारत सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है।
1. आईसीएस, सेनेगल	दारी, सेनेगल	इफ्को, भारत सरकार आईसीएस-सेनेगल	मूल: 275.21 कठिनाई निवारण 45.66	अप्रैल, 1984 कठिनाई निवारण 1991	फास्फोरिक एसिड	660 (पी2ओ5)	इफ्को द्वारा 550 हजार टन तक पी2ओ5 100%
2. आईसीएस, सेनेगल (विस्तार)		इफ्को-आईसीएस सेनेगल	250	फरवरी, 2002	फास्फोरिक एसिड		
3. इंडो-जोर्डन केमिकल्स कं.	इसीदिया जोर्डन	स्पिक, जेपीएमसी जोर्डन, द अरब इनवेस्टमेंट कंपनी	170	मई, 1997	फास्फोरिक एसिड	229 (पी2ओ5)	-
4. इंड मोरोक फास्फोरस एस-ए	जॉर्फ लैस्फर मोरक्को	चंबल फर्ट एंड केमि., टीसीएल, ओसीपी, मोरक्को	230	नवम्बर 1999- पुनरुद्धार सितम्बर, 2006	फास्फोरिक एसिड	430 (पी2ओ5)	100%
2. कार्यान्वयनाधीन							
1. इंडो-इजीप्टियन फर्टिलाइजर कंपनी (आईईएफसी)	एडफू आस्वान गवर्नेट इजिप्ट	इफ्को एण्ड ईआई नसर माइनिंग कंपनी, मिस्र	325	वर्ष 2009 का मध्य*	फास्फोरिक एसिड	450 (पी2ओ5)	इफ्को द्वारा 100%
ट्यूनीशियन इंडियन फर्टिलाइजर्स (टीआईएफआईआरटीएसए)	ट्यूनीशिया	जीएसएफसी सीएफएल जीसीटी-ट्यूनीशिया	165	जून 2008*	फास्फोरिक एसिड	330 (पी2ओ5)	जीएसएफसी और सीएफएल द्वारा 100%

*अनुमानित तारीख

मिर्च का उत्पादन

4338. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में कितनी मात्रा में और किस-किस किस्म की मिर्च का राज्य-वार उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में मिर्च की घरेलू मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को बाजार में मिर्च की बिक्री में हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने और देश में मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिर्च का राज्य-वार उत्पादन और विभिन्न राज्यों में उत्पादित मिर्च की विभिन्न व्यापार किस्मों का ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में संलग्न है।

(ख) मिर्च के उत्पादन, आयात और निर्यात के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि देश में वार्षिक रूप से लगभग 9.00 लाख मी. टन मिर्च की खपत होती है।

(ग) जी, नहीं। मुख्य विपणन केन्द्र, गुन्टूर में मिर्च का औसत मूल्य जो कि वर्ष 2005-06 में 25 रुपए प्रति किलोग्राम था, वर्ष 2006-07 में बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है जो कि 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गुन्टूर मण्डी में 13.04.2007 को समाप्त सप्ताह में शीतागारित मिर्च के मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 34 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने की सूचना मिली है।

(घ) खेती के मुख्य केन्द्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य क्षेत्र की स्कीमों के अधीन मिर्च संबंधी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। इस संबंध में 2005-06 से भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के माध्यम से प्रयासों को तेज किया गया है। मिशन कार्यक्रमों का लक्ष्य घरेलू और साथ ही निर्यात मण्डी में बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादित मिर्च के उत्पादन, उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाना था। उनमें से मुख्य हैं—क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में उनकी वृहत कवरेज हेतु राज्य विभागों की नर्सरियों और अन्य दूसरी चयनित प्राईवेट नर्सरियों के माध्यम से अलग-अलग कृषि जलवायुवीय स्थितियों के लिए विशिष्ट निर्यातोन्मुख किस्मों की अधिक उपज देने वाले मिर्च के बीजों का उत्पादन है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में मिर्च का राज्य-वार उत्पादन

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	797.0	748.5	538.0
कर्नाटक	94.5	94.5	60.0
उड़ीसा	63.2	63.2	63.2
मध्य प्रदेश	38.4	39.6	39.6
महाराष्ट्र	44.0	44.0	30.0
पश्चिम बंगाल	66.3	61.4	61.4
राजस्थान	31.1	31.4	31.4
तमिलनाडु	40.1	44.6	44.6
उत्तर प्रदेश	12.8	12.8	12.8
अन्य	48.0	45.3	45.8
अखिल भारत	1235.4	1185.3	926.8

विवरण II

देश में विभिन्न राज्यों में उत्पादित मिर्च की व्यापार किस्मों का ब्यौरा

* बर्ड्स आई मिर्च (धानी): मिजोरम में और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में उगाई गई। ब्लड रेड रंग, अधिक तीक्ष्ण।
* ब्यादागी (कड्डी): धारवाड़, कर्नाटक में उगाई गई। कम तीक्ष्णता अथवा बिना तीक्ष्णता के साथ लाल रंग।
* एलाइचीपुर सन्नाम: एस-4 प्रकार महाराष्ट्र के अमरावती जिले में उगाई गई। लाल रंग की और बहुत गर्म।
* गुन्टूर सन्नाम: एस-4 प्रकार आंध्र प्रदेश के गुण्टूर, वारंगल, खम्माम जिलों में उगाई गई। स्किन थिक, गर्म व लाल।
* हिंदपुर: एस-7 आंध्र प्रदेश के हिंदपुर में उगाई गई। लाल रंग, गर्म और अधिक तीक्ष्ण।
* ज्वाला: गुजरात में खेड़ा और मेहसाना तथा दक्षिणी गुजरात में उगाई गई। अधिक तीक्ष्ण, हल्का लाल रंग, छोटी और बीज ठोस है।
* खन्दारी: सफेद केरल में और तमिलनाडु के कुछ भागों में उगाई गई। छोटी और हाथी दांत जैसी सफेद रंग और अधिक तीक्ष्णता।
* कश्मीरी मिर्च: समशीतोष्ण क्षेत्र जैसे-हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और शीत मौसम के दौरान पूर्वी भारत के उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई गई। लम्बी, गूदे वाली, गहरा लाल रंग।
* मध्य प्रदेश जीटी सन्नाम: मध्य प्रदेश के इंदौर माल्कापुर चिकिल और एलाचपुर क्षेत्रों में उगाई गई। लाल रंग और तीक्ष्ण।

* मद्रासपरी: आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उगाई गई, शुद्ध लाल रंग और गर्म।

* नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उगाई गई, लाल रंग और तीक्ष्ण।

* नालचेट्टी: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उगाई गई लाल रंग और बहुत तीक्ष्ण।

* रामनाडु मुण्डू: तमिलनाडु के रामनाड जिले में उगाई गई, पीला-लाल रंग और गर्म।

* सन्नाम: एस-4 प्रकार महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में उगाई गई, हल्का लाल रंग और गर्म।

* सत्तुर: एस-4, तमिलनाडु में डिंडिगुल, सत्तुर, राजापलायम, संकरनकोल और थेनी में उगाई गई। लाल रंग, थिक स्किन के साथ तीक्ष्ण।

* स्काच बोन्नेट: जमैका से आई। भारत में खेती प्रारम्भिक चरण में है। अध्ययन दर्शाते हैं कि यह केरल और कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती। संभवतः इसकी खेती देश के अन्य भागों में भी हो।

* एस 9 मुण्डू: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में उगाई गई है। टमाटरी रंग और अच्छी तीक्ष्ण।

* टड्डपल्ली: काफी लम्बी, आंध्र प्रदेश में टाडापल्ली में उगाई गई, रंग लाल, कम तीक्ष्ण थिक स्किन।

* टोमेटो मिर्च (वारंगल चप्पाट्टा): आंध्र प्रदेश के वारंगल, खम्मान, पूर्व व पश्चिमी गोदावरी जिलों में उगाई गई। गहरा लाल रंग और कम तीक्ष्ण।

[हिन्दी]

भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

4339. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अधिकारिक सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कृषि भूमि की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने और इस तरह के विधान के माध्यम से इसे अर्थक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) जी, हां। राज्यों द्वारा अपने नियमित सर्वेक्षणों पर आधारित प्रस्तुत सूचना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि और कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों जैसे शहरीकरण, सड़क, उद्योग आदि के लिए प्रयोग के कारण कृष्य भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 1980-81 में 0.27 हैक्टेयर से गिरकर वर्ष 2004-05 में 0.17 हैक्टेयर रह गई है। इसी अवधि के दौरान गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि 19.66 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 24.45 मिलियन हैक्टेयर हो गई।

(च) और (छ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

आलू का आयात

4340. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आलू का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। कृषि एवं सहकारिता विभाग के पास इस समय आलू के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में कुक्कुट पालन के लिए महिलाओं को सहायता

4341. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुक्कुट पालन के लिए महिलाओं को सहायता दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

4342. श्री अनन्त नायक: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश के जनजातीय अनुसूचित तथा पहाड़ी क्षेत्रों में और मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में इस समय 122 चल मृदा जांच प्रयोगशालाएं (एसटीएल) कार्य कर रही हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान कार्य कर रहीं चल एसटीएल की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) सरकार वृहत कृषि प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत समाहित ''उर्वरकों का संतुलित उपयोग'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 11वीं योजना अवधि के दौरान देश के जनजातीय, अनुसूचित और पर्वतीय क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराके चल एसटीएल सहित नई एसटीएल की स्थापना को बढ़ावा दे रही है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान चल मृदा जांच प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या

	राज्य का नाम	चल मृदा जांच प्रयोगशालाओं की कुल संख्या
	1	2
I.	**दक्षिणी क्षेत्र**	
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	कर्नाटक	3
3.	केरल	9
4.	तमिलनाडु	17
5.	पाण्डिचेरी	0
6.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1
7.	लक्षद्वीप	0
	कुल	34
II.	**पश्चिम क्षेत्र**	
8.	गुजरात	3
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	महाराष्ट्र	5
11.	राजस्थान	12
12.	छत्तीसगढ़	0
13.	गोवा	1
14.	दमन एवं दीव	0
15.	दादर एवं नगर हवेली	0
	कुल	24
III.	**उत्तरी क्षेत्र**	
16.	हरियाणा	1
17.	पंजाब	14
18.	हिमाचल प्रदेश	2
19.	उत्तर प्रदेश	21
20.	जम्मू-कश्मीर	4
21.	उत्तरांचल	3
22.	दिल्ली	0
23.	चण्डीगढ़	0
	कुल	45
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	
24.	बिहार	0

1		2
25.	उड़ीसा	0
26.	पश्चिम बंगाल	7
27.	झारखण्ड	3
	कुल	10
V.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
28.	असम	4
29.	त्रिपुरा	4
30.	मणिपुर	0
31.	नागालैंड	0
32.	अरुणाचल प्रदेश	0
33.	मेघालय	1
34.	सिक्किम	0
35.	मिजोरम	0
	कुल	9
	कुल योग	122

[हिन्दी]

नियोक्ताओं के विरुद्ध मामले

4343. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री काशीराम राणा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में नियोक्ताओं के विरुद्ध राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए तथा उनकी प्रकृति किस प्रकार की है;

(ख) क्या ये मामले पांच वर्षों से अधिक समय से न्यायालयों में लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उठाए गए कदमों के माध्यम से सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा संस्वीकृत मामलों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) लम्बित मामलों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। लंबित मामलों की स्थिति मामला-दर-मामला भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) और (ङ) लम्बित मामलों की प्रगति का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय द्वारा नियमित अनुवीक्षण किया जाता है। मामलों को तेजी से निपटाने के लिए स्थापित वकीलों पर जोर दिया जाता है और तदनुसार न्यायालयों से प्रार्थना की जाती है। न्यायालय अपने यहां दायर मामलों का समुचित प्रक्रिया के अनुसार निपटान करते हैं।

विवरण I

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चलाए गए मामले

क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	429	10	1547	18	2105	6
बिहार	0	0	546	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	0	2	0	4	0	0
दिल्ली	10	9	0	10	0	9
गोवा	237	13	133	1	22	0
गुजरात	0	28	90	12	211	33
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	1	9	55	8	714	7
झारखंड	475	1	0	0	0	4
कर्नाटक	570	98	753	244	2070	122
केरल	337	95	362	88	868	68
महाराष्ट्र	1	7	0	5	641	14
मध्य प्रदेश	4	4	0	3	3	2
पूर्व उत्तर क्षेत्र	0	10	0	0	12	1
उड़ीसा	80	3	2	0	0	0
पंजाब	111	4	137	6	34	10
राजस्थान	184	28	0	8	1	0
तमिलनाडु	294	432	661	179	187	117
उत्तरांचल	24	3	0	1	3	0
उत्तर प्रदेश	4	7	0	2	247	0
पश्चिम बंगाल	78	29	2075	91	887	64
योग	2839	792	6361	684	8005	457

विवरण II

31 मार्च की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चलाए गए मामले

क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/409 के अंतर्गत
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2214	254	2363	216	4366	222
बिहार	3957	19	4503	23	4503	23

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	907	3	907	7	907	7
दिल्ली	967	57	967	67	927	76
गोवा	378	83	511	84	525	83
गुजरात	3574	381	3648	393	3859	417
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	1797	120	1832	123	2546	128
झारखंड	2229	1	2142	1	2141	2
कर्नाटक	3734	567	4458	793	5454	914
केरल	2926	1085	2983	1173	3644	1188
महाराष्ट्र	5321	388	5315	393	5610	397
मध्य प्रदेश	4372	109	4372	112	4320	85
पूर्व उत्तर क्षेत्र	421	57	421	57	433	57
उड़ीसा	1784	99	1786	99	1786	99
पंजाब	1521	186	1618	191	1615	197
राजस्थान	502	176	502	38	503	34
तमिलनाडु	2996	1480	3613	1497	3738	1313
उत्तरांचल	36	5	36	6	26	5
उत्तर प्रदेश	2696	278	2696	280	2943	280
पश्चिम बंगाल	2792	851	3205	940	4092	1004
योग	45124	6199	47878	6493	53938	6531

बांधों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

4344. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल और आंध्र प्रदेश सरकारों से उन राज्यों में नए बांधों के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और केरल राज्य से केवल चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें नए बांधों का निर्माण शामिल था। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	30.4.2007 को स्थिति
आंध्र प्रदेश		
1.	इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग	25.10.2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
2.	गलीरू नगरी सुजाला श्रवंती परियोजना सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग	21.6.2006 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई
केरल		
3.	अथीरपल्ली हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना केरल राज्य विद्युत बोर्ड	नदी घाटी और हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।
4.	पथराकाडवु हाइड्रोलिक परियोजना, केरल राज्य विद्युत बोर्ड	नदी घाटी और हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

औषध कंपनियों को जारी किए गए नोटिस

4345. चौधरी मुनव्वर हसन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री औषध कंपनियों को जारी किए गए नोटिस के बारे में 26 फरवरी, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक मूल्य वसूलने के लिए नोटिस दिए गए तथा किन-किन दवाओं का निर्धारित मूल्यों की तुलना में कितना मूल्य अधिक वसूला गया;

(ख) प्रत्येक कंपनी की कितनी देनदारी है; और

(ग) न्यायालय जाने वाली औषध कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न न्यायालयों में उनके द्वारा क्या-क्या मुद्दे उठाए गए हैं तथा प्रत्येक न्यायालय में लंबित मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) उन फार्मा कंपनियों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई करता है जो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अंतर्गत एनपीपीए द्वारा निर्धारित/अधिसूचित मूल्यों को लागू नहीं करती हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। अगस्त 1997 में अपने गठन से एनपीपीए ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के तहत 415 मामलों में अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए 1409.81 करोड़ रुपये की कुल मांग उठायी है। एनपीपीए ने दोषी कंपनियों से 100.10 करोड़ रुपये (30.4.2007 तक) वसूले हैं। एनपीपीए, अतिप्रभारित राशि की वसूली के लिए अभी भी नियमित रूप से समुचित कार्रवाई कर रहा है।

एनपीपीए अपने गठन से (अगस्त 1997) अब तक देश के विभिन्न भागों में फार्मा कंपनियों द्वारा एनपीपीए/भारत सरकार के विरुद्ध दायर अतिप्रभारित राशि की वसूली से संबंधित 70 न्यायालय मामलों का सामना कर रहा है। उक्त फार्मा यूनिटों द्वारा लगभग 1318.64 करोड़ रुपये की अतिप्रभारित राशि को चुनौती दी जा रही है जिसमें से एनपीपीए ने 81.14 करोड़ रुपये (30.4.2007 तक) वसूले हैं। कुछ मामलों में वसूली, माननीय उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण प्रभावित हुई है और ये मामले वर्तमान में न्यायालयों में न्यायाधीन हैं।

इस्पात उद्योग हेतु क्रोम अयस्क की मांग

4346. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेनलेस स्टील तथा अन्य इस्पात से संबंधित उद्योगों हेतु क्रोम अयस्क की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कच्ची सामग्री की उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान क्रोम अयस्क (क्रोमाईट) का उत्पादन तथा प्रेषण निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष/अवधि	उत्पादन	आंतरिक खपत के लिए प्रेषण
2002-2003	3.06	1.08
2003-2004	2.90	1.82
2004-2005	3.62	1.90
2005-2006 (अनंतिम)	3.42	1.93
2006-2007 (अनुमानित)	4.10	3.97

(स्रोत: इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स, नागपुर)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि क्रोम अयस्क की मांग 2005-06 में 1.93 मिलियन टन (अनंतिम) से अचानक बढ़कर 2006-07 में 3.97 मिलियन टन (अनुमानित) हो गई है।

क्रोम अयस्क का उत्पादन तथा इसका बेदाग इस्पात अथवा अन्य इस्पात से संबंधित उद्योगों को वितरण नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में है, अत: यह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तथापि, क्रोम अयस्क के निर्यात के संबंध में 4 लाख टन वार्षिक की अधिकतम सीमा निर्धारित है। वर्ष 2007-08 के बजट में क्रोम अयस्क तथा सांद्रण पर 2000 रुपए प्रति टन निर्यात शुल्क का प्रस्ताव किया गया है।

अभयारण्यों को सहायता

4347. श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार:
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावासों के विकास हेतु राज्यवार अभयारण्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या उन्हें प्रदान की गई सहायता के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास उद्यानों/अभयारण्यों के विकास की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु कतिपय प्रस्ताव लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावासों के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदान की गई सहायता विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास' का पांच संगठनों नामश: एस एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन, चैन्नई, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान सोसायटी, कोलकाता और जी ई ई आर फाउन्डेशन गुजरात ने मूल्यांकन किया। इन्होंने नोट किया कि यह स्कीम सुरक्षित क्षेत्रों के लिए निधियों का एकमात्र स्रोत है और इसलिए अगली योजना अवधि में वित्तीय परिव्यय बढ़ाकर इसे जारी रखने की सिफारिश की।

(घ) से (च) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'' के तहत राज्यों से समय-समय पर वित्तीय सहायता के लिए वार्षिक प्रचालन योजना (ए पी ओ) के रूप में प्रस्ताव किए जाते हैं। इन प्रस्तावों की छान-बीन की जाती हैं और धन की उपलब्धता और आवश्यक मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' स्कीम के तहत राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69.40	63.55	57.75
2.	आंध्र प्रदेश	71.70	104.245	143.238

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	111.086	144.845	78.602
4.	असम	213.45	193.205	161.79
5.	बिहार	–	–	10.50
6.	चंडीगढ़	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	227.29	359.817	377.863
8.	दादरा और नागर हवेली	20.00	20.00	14.50
9.	गोवा	37.50	14.40	5.00
10.	गुजरात	223.93	275.93	328.675
11.	हरियाणा	45.10	24.20	60.45
12.	हिमाचल प्रदेश	343.52	283.83806	261.56
13.	जम्मू-कश्मीर	63.20	113.50	173.68
14.	झारखंड	77.59	124.90	98.54
15.	कर्नाटक	546.24	474.9931	490.582
16.	केरल	238.78879	284.5412	362.115
17.	मध्य प्रदेश	268.4755	613.553	759.46
18.	महाराष्ट्र	108.05	241.68	223.855
19.	मणिपुर	110.588	101.03	96.986
20.	मेघालय	84.82	59.30	38.20
21.	मिजोरम	315.0412	221.28	136.066
22.	नागालैंड	32.32	1.50	16.28
23.	उड़ीसा	370.27	325.649	340.855
24.	पंजाब	–	–	3.00
25.	राजस्थान	246.62	192.62	207.665
26.	सिक्किम	74.40	118.84	140.376
27.	तमिलनाडु	158.75	197.20	205.24
28.	त्रिपुरा	49.125	–	31.60
29.	उत्तर प्रदेश	287.53	345.63	290.38
30.	उत्तरांचल	68.20	85.65	100.12
31.	पश्चिम बंगाल	317.24	313.9437	357.225
32.	दिल्ली	–	19.50	–
	योग	4780.22449	5319.34	5572.252

[हिन्दी]

आदर्श अस्पताल

4348. श्री कृष्ण मुरारी मोघे: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आदर्श अस्पताल विकसित करने की एक योजना की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस अस्पताल का क्या नाम है जिसे मध्य प्रदेश में आदर्श अस्पताल घोषित किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 16.2.2001 को आयोजित अपनी बैठक में राज्य के एक मौजूदा अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में बदलने का निर्णय लिया है और आदर्श अस्पताल के चलाने में अधिकतम सीमा से अधिक होने वाले पूरे व्यय का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।

(ख) और (ग) आरम्भ में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 5.6.1999 को अधिकृत किए गए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और व्यावसायिक रोग केन्द्र, नागदा को मध्य प्रदेश राज्य के लिए आदर्श अस्पताल के रूप में नामोदिष्ट किया था। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, नागदा के बदले में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, इन्दौर को आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए स्थानांतरित करने की सहमति प्रदान की थी। तदनुसार, 31.3.2007 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नन्दानगर, इन्दौर को राज्य में आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए अपने अधिकार में ले लिया और 1.4.2007 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, नागदा, मध्य प्रदेश, सरकार को वापस सौंप दिया गया।

[अनुवाद]

कल्याणकारी संस्थाओं हेतु खाद्यान्न

4349. श्री एल. राजगोपाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में छात्रावासों तथा कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति की योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत आवंटन तथा उसके उठाने का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य में आवंटन की तुलना में बहुत कम खाद्यान्न उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। छात्रावासों और कल्याण संस्थाओं को खाद्यान्नों की आपूर्ति नामक एक योजना है और आंध्र प्रदेश राज्य में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश को खाद्यान्नों का आबंटन और इनका उठान निम्नानुसार है:-

(टन में)

वर्ष	आबंटन	उठान
2004-05	63600	13984
2005-06	60764	16278
2006-07	65802	32416

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य में इस योजना के तहत खाद्यान्नों का उठान इनके आवंटन की तुलना में बहुत कम रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 से खाद्यान्नों की रिलीज संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों की वास्तविक आवश्यकता के विस्तृत सत्यापन के बाद की गई है।

[हिन्दी]

कम लागत वाली फैरस सल्फेट दवाओं का उत्पादन

4350. श्री विजय कृष्ण: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लौह मिश्रित विभिन्न दवाओं के मूल्य में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भेषज कंपनियों से कम लागत वाली फैरस सल्फेट दवाओं का उत्पादन करने को कहा गया है क्योंकि इस दवा को एनेमिया के उपचार की प्रभावी दवा माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं। एनपीपीए ने लौह मिश्रित विभिन्न दवाओं के मूल्यों में भारी अंतर के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त उत्तर (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सरसों के उत्पादन में कमी

4351. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष की तुलना में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने क्षेत्र में सरसों की खेती की गई तथा उसका कितना उत्पादन दर्ज किया गया है; और

(ख) देश में सरसों तिलहन की कमी से सरकार का किस तरीके से निपटने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) नीचे दी गयी सारणी 2003-04 से 2006-07 तक देश में रेपसीड तथा सरसों की बुवाई के अंतर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन दर्शाती है:

वर्ष	क्षेत्र (000 हेक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)
2003-04	5428.1	6291.4
2004-05	7316.4	7593.1
2005-06	7276.5	8131.2
2006-07*	6332.0	6694.0

*4.4.2007 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान

(ख) खाद्य तेलों की कुल मांग आपूर्ति के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। तथापि, तिलहनों के उत्पादन जिसमें सरसों शामिल है को बढ़ाने के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहनों, दालों, पाम आयल एवं मक्का की एकीकृत स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.)" 1.4.2004 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत बोए जाने वाले बीजों की खरीद, फाउंडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकीटों का वितरण, ढांचा विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक निरूपण, एकीकृत कीट प्रबन्धन, वीडी साइड का छिड़काव सैटों का वितरण तथा किसानों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट 2007-08 में आइसोपाम के विस्तार के लिए प्रस्ताव घोषित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सिधुम्बर सिंचाई योजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

4352. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के वलसाड जिले में धरमपुर तालुका में सिधुम्बर सिंचाई योजना 2004 से केन्द्र सरकार के पास पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य सरकार की कुछ अन्य योजनाएं/परियोजनाएं भी केन्द्र सरकार के पास काफी समय से लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक योजना के विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गुजरात के वलसाड जिला के धर्मपुर तालुका का सिधुम्बर सिंचाई स्कीम के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना संभव नहीं पाया गया था और तद्नुसार परियोजना प्रस्तावकों को 15.9.2004 को सूचित कर दिया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास ऐसी कोई अन्य स्कीम/परियोजना लम्बित नहीं है।

(ग) से (ङ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई एफ पी एस के अंतर्गत सहायता

4353. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित वन संरक्षण योजना (आई एफ पी एस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, हां। समेकित वन संरक्षण योजना (आई एफ पी एस) के तहत मौजूदा वनों के प्रबंधन के लिए राज्य वन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (छ) इस स्कीम का मूल्यांकन स्वतंत्र अभिकरणों से कराया गया था। दो अध्ययन कराए गए थे। एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और दूसरे शेष भारत के लिए। इन स्वतंत्र मूल्यांकनों ने सिफारिश की है कि इस स्कीम को 11वीं योजना के दौरान चालू रखा जाए। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों में राज्य वन विभाग द्वारा मानीटरी और मूल्यांकन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अधिकारी राज्यों के दौरे के दौरान आई एफ पी एस सहित विभिन्न स्कीमों के निष्पादन और प्रगति की भी समीक्षा करते हैं।

विवरण

समेकित वन संरक्षण योजना के तहत 2006-07 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी धनराशि

क्र.सं.	राज्य	2006-07 के दौरान जारी धनराशि		
		डब्ल्यू पी 2005-06 की दूसरी किस्त	डब्ल्यू पी 2006-07 की पहली किस्त	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			शून्य
2.	बिहार	12.53	120.00	132.53
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	371.40	371.40
4.	गोवा	शून्य	शून्य* (29.01)	शून्य* (29.01)
5.	गुजरात	200.00	200.00	400.00
6.	हरियाणा	51.48	116.02	167.50
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
8.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
9.	झारखण्ड	112.263	शून्य	112.263
10.	कर्नाटक	122.88	शून्य	122.88

1	2	3	4	5
11.	केरल	167.597	शून्य	167.597
12.	मध्य प्रदेश	200.00	125.00	325.00
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य* (103.46)	शून्य* (103.46)
14.	उड़ीसा	76.38	शून्य	76.38
15.	पंजाब	शून्य	शून्य* (100.00)	शून्य* (100.00)
16.	राजस्थान	शून्य	100.07	100.07
17.	तमिलनाडु	158.40	शून्य	158.40
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	135.04	135.04
19.	उत्तराखंड	188.22	320.36	508.58
20.	पश्चिम बंगाल	57.57	160.53	218.10
	कुल	1347.32	1648.42	2995.74
	पूर्वोत्तर और सिक्किम			
1.	असम	150.26	40.00	190.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.68	10.00	191.68
3.	मणिपुर	194.29	200.89	395.18
4.	मेघालय	150.00	शून्य	150.00
5.	मिजोरम	79.71	150.00	229.71
6.	नागालैंड	237.72	100.00	337.72
7.	सिक्किम	141.70	*(36.88)	141.70
8.	त्रिपुरा	162.915	शून्य	162.915
	कुल	1298.275	500.89	1799.165
	संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
3.	दादर एवं नगर हवेली	3.8552	शून्य	3.8522
4.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नई दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य
7.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3.8552	शून्य	3.8552
	कुल योग	2649.4502	2149.31	4798.7602

*दर्शाता है कि धनराशि स्वीकृत की गई थी लेकिन वास्तव में जारी धनराशि शून्य थी क्योंकि चालू वर्ष के लिए पिछले खर्च न किए गए धन को समायोजित किया गया था। ये राशियां कोष्ठक में दी गई हैं।

[हिन्दी]

कार्बनीकृत इस्पात की मांग/उपलब्धता

4354. श्री महावीर भगोरा: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दर्ज की गई कार्बनीकृत इस्पात की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र के लिए जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कार्बनीकृत इस्पात के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कार्बनीकृत इस्पात की उत्पादन क्षमता का वास्तविक उत्पादन का सरकारी क्षेत्र के संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) देश में पिछले 3 वर्ष के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात की मांग और उपलब्धता निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	प्रत्यक्ष मांग	घरेलू उपलब्धता
2004-05	33.5	34.5
2005-06	38.5	39.4
2006-07 (अनंतिम)	44.0	43.7

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ख) कार्बन इस्पात का उत्पादन करने वाले एकीकृत इस्पात संयंत्रों अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को पिछले 3 वर्षों के दौरान योजनागत निधि निर्मुक्त नहीं की गई थी। तथापि, वर्ष 2004-05 में सेल को ब्याज इमदाद के संबंध में 9.30 करोड़ रुपए की तथा 2006-07 में दंडात्मक गारंटी शुल्क माफ करने के संबंध में 70.22 करोड़ रुपए की गैर-योजना निधि उपलब्ध करवाई गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान आरआईएनएल को कोई गैर-योजना निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ग) देश में पिछले 3 वर्ष के दौरान परिसज्जित (कार्बन) इस्पात का आयात और निर्यात निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	आयात	निर्यात
2004-05	2.109	4.381
2005-06	3.850	4.478
2006-07 (अनंतिम)	4.100	4.750

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों अर्थात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की अपरिष्कृत (कार्बन) इस्पात की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	2004-05		2005-06		2006-07 (अनंतिम)	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
सेल (इस्को सहित)	12.859	12.460	12.859	13.470	12.839	13.506
आरआईएनएल	2.910	3.452	2.910	3.494	2.910	3.497
योग	15.769	15.912	15.769	16.964	15.749	17.003

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन

4355. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या जल संसाधन मंत्री 6 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 801 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड को प्रभावी रूप से कार्यात्मक निकाय के रूप में प्रोन्नत करने के लिए अतिरिक्त शक्तियों अथवा स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ अंतिम रूप दिए गए जनशक्ति और संस्था संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कार्यान्वयन का लक्ष्य क्या है; और

(ङ) बाढ़ नियंत्रण तथा नदी के प्रवाह को मोड़ने (रिवर टर्निंग) के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान की परिव्यय, आबंटन तथा अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों सहित मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 801 के उत्तर में उल्लिखित पूर्व का प्रस्ताव ब्रह्मपुत्र बोर्ड के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में मंत्रालय में कार्रवाई की गई थी और मुख्य अभियंताओं के पदों की प्रोन्नति संबंधी भर्ती नियमों और कनिष्ठ अभियंताओं के एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) मामलों को अंतिम रूप दिया गया। जहां तक संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव का संबंध है, मौजूदा ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 में संशोधन के द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है। उक्त अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों/विभागों और प्राधिकरणों/अभिकरणों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। अत: अधिनियम में संशोधन किए जाने संबंधी एक विधेयक संसद में लाया जाएगा। उक्त विधेयक को पारित करने के पश्चात संशोधित अधिनियम को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और तदनुसार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। चूंकि यह समय लगने वाली प्रक्रिया है इसलिए संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन का लक्ष्य संसद द्वारा विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर लिए जाने पर निर्भर करेगा।

(ङ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड तैयार की गई मास्टर योजना में बेसिन की नदी प्रणाली, जल-मौसम विज्ञान, जल वैज्ञानिक आंकड़ों, भूविज्ञान, जलवायु, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जनसंख्या (मानव और पशु), शहरी विकास, वन, उद्योग और परिवहन, खाद्य और इसके प्रभाव और समग्र जल संसाधन विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है तथा अन्य लाभकारी प्रयोजनों पर उचित ध्यान देते हुए बाढ़ और तट कटाव के नियंत्रण और जल निकास में सुधार के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की जाती है। इन सिफारिशों में संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपाय शामिल हैं। संरचनात्मक उपायों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं।

मास्टर योजना में अनुशंसित बाढ़ में कमी लाने तथा नदी प्रशिक्षण कार्यों संबंधी स्कीमों का निष्पादन बोर्ड ने शुरू कर दिया है। इनमें हरांग जल निकास विकास योजना, माजुली द्वीप की सुरक्षा, धौला हातीघुली पर ब्रह्मपुत्र का एवल्शन, बरभाग जल निकास विकास योजना तथा पगलादिया बांध परियोजना शामिल हैं। दसवीं योजना के दौरान 646.12 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था जिसमें से इन परियोजनाओं पर 74.80 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों में कटावरोधी योजनाओं का निष्पादन, तटबंध, जल निकास विकास योजनाएं, उत्तर पूर्वी जलीय एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (एनईएचएआरआई) की स्थापना, ब्रह्मपुत्र नदी का भू-आकारिकी एवं संबद्ध अध्ययन करना इत्यादि शामिल हैं।

यूरिया का बफर स्टाक

4356. डा. एम. जगन्नाथ: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी खरीफ मौसम के दौरान यूरिया की कमी से बचने के लिए प्रमुख राज्यों में यूरिया का बफर स्टाक रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन राज्यों की पहचान की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से विभाग प्रमुख खपत वाले राज्यों में मौसमी जरूरत के 5% की सीमा तक यूरिया का बफर स्टाक रखेगा। खरीफ, 2007 के दौरान बफर स्टाक रखने के लिए जिन राज्यों की पहचान की गई है वे निम्नानुसार हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक
3. तमिलनाडु
4. गुजरात
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. राजस्थान
8. हरियाणा
9. पंजाब
10. उत्तर प्रदेश
11. बिहार
12. उड़ीसा
13. पश्चिम बंगाल

चारा विकास योजना के अंतर्गत सहायता

4357. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चारा फसलों के उत्पादन पर उचित ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों ने संवेदनशील क्षेत्रों में चारा बैंकों का विकास करने की आवश्यकता तथा देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चारे की आपूर्ति/ढुलाई में सुधार लाने के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित चारा विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) चारा उत्पादन के संवर्धन के लिए इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है:-

(1) निम्नलिखित घटकों वाली केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना:

1. चारा ब्लाक बनाने वाली यूटिनों की स्थापना।

2. घास रिजर्व सहित चारागाह विकास।

3. चारा बीज उत्पादन तथा वितरण।

4. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना।

(2) सरकार ने केन्द्रीय चारा विकास संगठन जिसमें चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सात केन्द्र हैं, एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म तथा चारा बीज उत्पादन एवं प्रदर्शन, किसान मेला तथा चारा फसलों के उच्च पैदावार वाली किस्मों के उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म तथा केंद्रीय मिनीकिट जांच कार्यक्रम स्थापित किया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में किसी भी राज्य से कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

डी जी एफ ए एस एल आई के लक्ष्य एवं उद्देश्य

4358. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थानों (डी जी एफ ए एस एल आई) के लक्ष्य तथा उद्देश्य/उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार डी जी एफ ए एस एल आई के उत्तरदायित्वों का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डी जी फासली) का गठन केन्द्र और राज्य सरकारों को कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रशासन पर सलाह देने और राज्यों में कारखाना निरीक्षण सेवाओं से सम्बद्ध सभी कार्यकलापों के एकीकरण के उद्देश्य से किया गया था। डी जी फासली कारखाना अधिनियम, 1948 और गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के प्रशासन हेतु सलाह देता है और अध्ययन और सर्वेक्षण जैसे सहायक कार्यकलाप आयोजित करता है। यह विनिर्माण और पत्तन क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वास्थ्य लागू करने के एकसमान मानकों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के साथ तकनीकी और कानूनी क्षेत्र में समन्वयन भी करती है। डी जी फासली के अंतर्गत श्रम संस्थान व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययनों और सर्वेक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

डी जी फासली अपने गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से देश के प्रमुख पत्तनों में गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और

कल्याण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम, 1990 का भी प्रशासन करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तालचेर उर्वरक संयंत्र में आग

4359. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयंत्र हाल ही में आग लगने के कारण नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) एफसीआईएल के बंद पड़े तालचेर उर्वरक संयंत्र के परिसर की जंगली झाड़ियों में दिनांक 6.4.2007 को आग लग गई। जो अपराह्न 1.30 बजे तक चारों ओर फैल गई। यह आग चारदीवारी के नजदीक शुरू हुई थी जहां घनी जंगली झाड़ियों के कारण पहुंचना संभव नहीं था। तेज हवा और जमीन की सूखी घास के कारण यह आग तेजी से बड़े इलाके में फैल गुई। उड़ीसा राज्य सरकार की आग बुझाने की गाड़ियों, भारी पानी संयंत्र, एनटीपीसी; नालको और एमसीएल की मदद से 4-5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। संयंत्र और उपस्करों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। केवल एक नुकसान यह हुआ कि लकड़ी से बना कूलिंग टावर का ढांचा गिर गया। प्रबंधन ने मौके पर जाकर आग लगने की घटना के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इस समिति ने रिपोर्ट दी है कि आग लगने से कंपनी को लगभग 0.5 लाख से 1 लाख रु. के बीच का नुकसान हुआ है।

नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4360. **श्री अनन्त नायक:**
श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरकों के संकट को दूर करने के लिए सात नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु पूंजी लागत संबंधी ब्यौरा तैयार किया है जैसा कि दिनांक 22 अप्रैल, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इसमें अनुमानतः कितना खर्च आएगा;

(घ) प्रत्येक संयंत्र में अनुमानतः उर्वरक की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाएगा; और

(ङ) इन संयंत्रों को कब तक अधिष्ठापित किए जाने की संभावना है तथा ये कब तक उत्पादन शुरू कर देंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति में बढ़ते अंतर को देखते हुए सरकार, कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कि वे देश में तथा देश के बाहर उन स्थानों पर नए यूरिया संयंत्र स्थापित करें जहां उचित मूल्य पर गैस उपलब्ध हो। कुछ भारतीय कंपनियों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान देश में नई यूरिया इकाइयां स्थापित करने संबंधी अपनी-अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। आरसीएफ ने थाल, मुम्बई (महाराष्ट्र) में, कृभको ने हजीरा (गुजरात) में, इण्डो-गल्फ ने जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में और इफको ने नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में यूरिया इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कंपनियों और गैस की आपूर्ति करने वालों के बीच शुरूआती बातचीत चल रही है और तदनुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसके बाद ही परियोजना की संभावित लागत निश्चित की जा सकेगी। इस स्तर पर निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि

4361. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने तथा बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का है जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधि को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी राष्ट्रीय किसान नीति के संशोधित मसौदे में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से मण्डी मूल्य स्थिरीकरण कोष और मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की अवधियों के दौरान किसानों की सुरक्षा के लिए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि मण्डी हस्तक्षेप स्कीम को विशेषकर वर्षासिंचित क्षेत्रों में संवेदनशील फसलों के मामले में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीव्रता से कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से की गई है तथा सचिवों की समिति के विचारार्थ नोट परिचालित कर दिया गया है। सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

तथापि, सरकार उत्पादकों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के लिए नैफेड के माध्यम से तिलहन और दलहन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) और इस मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कवर न होने वाली शीघ्र खराब होने वाली कृषि और बागवानी जिन्सों की खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित कर रही है।

बाढ़ प्रबंधन संबंधी कृतिक बल

4362. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री अनवर हुसैन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम और अन्य पड़ोसी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ पर ध्यान देने के लिए बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण हेतु एक कृतिक बल का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृतिक बल की सिफारिशों को टिप्पणियों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/योजना आयोग और राज्य सरकारों को परिचालित किया है;

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/मंत्रालयों और योजना आयोग से इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार का उक्त कृतिक बल की सिफारिशों पर कब तक निर्णय लेने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (छ) जी, हां। भारत सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में असम और कुछ पड़ोसी राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ की जांच करने के लिए अगस्त, 2004 में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण हेतु एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल ने दिनांक 31.12.2004 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

कार्यबल ने कुल 4982.10 करोड़ रुपए धनराशि की बहुत सी बाढ़ प्रबंधन स्कीमों/कार्यों की सिफारिश की। इसमें क्रमशः अगले छः महीनों, 2 वर्षों और 7 वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले तत्काल श्रेणी के अंतर्गत 316.14 करोड़ रुपए के कार्य, लघु अवधि-1 श्रेणी के अंतर्गत 2030.15 करोड़ रुपए के कार्य और लघु अवधि-2 श्रेणी के अंतर्गत 2635.81 करोड़ रुपए के कार्य शामिल थे। तथापि, राज्य सरकारों को योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन के लिए उन पर कार्रवाई करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए मूल्यांकन अभिकरणों से उनको तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत कराने के लिए कहा गया था।

कार्यबल की रिपोर्ट को विभिन्न मंत्रालयों/योजना आयोग और राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था।

कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय योजना के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान दो चालू स्कीमों अर्थात् "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" और "ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में गंभीर बाढ़ नियंत्रण और कटावरोधी स्कीमें" को संशोधित करके बढ़ाते हुए क्रमशः 1150.68 करोड़ रुपए तथा 830.14 करोड़ रुपए किया गया। तथापि, दसवीं योजना अवधि में शेष बहुत कम समय को देखते हुए इन स्कीमों के लिए क्रमशः 305.03 करोड़ रुपए और 225 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और सुझाव दिया गया कि शेष कार्यों हेतु स्कीम का प्रस्ताव 11वीं योजना अवधि में किया जाए। तदनुसार कार्यबल द्वारा संस्तुत शेष कार्यों को 11वीं योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है।

[हिन्दी]

आई एस ओ पी ओ एम की समीक्षा

4363. श्री महावीर भगोरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटीग्रेटेड स्कीम आफ आयलसीड्स, पल्सेस, आयल पाम एंड मेज (आई एस ओ पी ओ एम) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना को और प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?•

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग और योजना आयोग द्वारा समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आइसोपोम) के कार्यकरण की आवधिक तौर पर समीक्षा की जाती है। समीक्षा के आधार पर इस स्कीम का क्रियान्वयन संतोषजनक पाया गया है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दसवीं योजना के दौरान इस स्कीम के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव और विभिन्न क्रियान्वयक राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर स्कीम में आशोधन परिकल्पित है ताकि ग्यारहवीं योजना के दौरान अधिक प्रभावकारी और परिणामोन्मुख ढंग से इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा सके।

[अनुवाद]

उड़ीसा में इस्पात/स्पंज आयरन संयंत्र

4364. श्री अनन्त नायक:
श्री नरहरि महतो:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित इस्पात संयंत्रों/स्पंज आयरन संयंत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परिधीय विकास पर प्रत्येक संयंत्र द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा क्या विशिष्ट कार्य किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नए इस्पात/स्पंज आयरन संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए इस्पात संयंत्रों/स्पंज लोहा संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के 2 उपक्रम अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)/विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) हैं और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्पंज लोहा संयंत्र अर्थात् स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड (सेल) है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल, आरआईएनएल और सिल के प्रत्येक संयंत्र/इकाई द्वारा परिसरीय विकास पर खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए)

संयंत्र/इकाई	2004-05	2005-06	2006-07 (तीसरी तिमाही तक)*
1	2	3	4
1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल)			
भिलाई इस्पात संयंत्र	18.34	146.25	422.70
बोकारो इस्पात संयंत्र	27.87	104.41	144.00
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	19.30	65.94	118.53

1	2	3	4
राउरकेला इस्पात संयंत्र	27.59	133.65	91.12
इस्को इस्पात संयंत्र	–	12.56	42.45
मिश्र इस्पात संयंत्र	5.86	17.33	17.50
सेलम इस्पात संयंत्र	2.97	13.09	29.41
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	7.75	27.20	1.67
केन्द्रीय विपणन संगठन	12.30	13.84	9.13
कच्चा माल प्रभाग	10.73	30.97	31.75
आरडीसीआईएस	4.98	31.27	23.60
2. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	9.50	13.50	23.41**
3. स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड (सिल)	5.00	5.00	5.00*

*2006-07 के लिए आंकड़े केवल तीसरी तिमाही तक के लिए उपलब्ध हैं तथा पूरे वर्ष के लिए विधिवत रूप से लेखा परीक्षित आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**आंकड़े 2006-07 के लिए हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल, आरआईएनएल और सिल के संयंत्रों/इकाइयों द्वारा किए गए विशेष परिसरीय विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) केंद्रीय सरकार की इस्पात उत्पादक कंपनियों सेल और आरआईएनएल का देश के विभिन्न स्थानों में इस्पात निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। योजनाओं को निश्चित किए जाने पर स्थान-स्थिति के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विवरण I

देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों/स्पंज लोहा संयंत्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र		निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात संयंत्र	स्पंज लोहा इकाइयों की संख्या	गौण उत्पादक	
		एकीकृत इस्पात संयंत्र	विशेष एवं मिश्र इस्पात संयंत्र			विद्युत चाप भट्टी	प्रेरण भट्टी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	0	14	0	16
2.	छत्तीसगढ़	1	0	1	49	2	47
3.	गोवा			0	4	1	18
4.	गुजरात			1	1	3	49
5.	झारखंड	1	0	1	32	2	19

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	0	1	1	16	0	12
7.	महाराष्ट्र			1	6	1	59
8.	उड़ीसा	1		0	60	0	42
9.	तमिलनाडु.	0	1	0	4	0	56
10.	पश्चिम बंगाल	2	1	0	31	3	34
11.	चंडीगढ़			0	0	1	1
12.	दिल्ली			0	0	1	9
13.	हरियाणा			0	0	3	29
14.	केरल			0	0	1	26
15.	मध्य प्रदेश			0	0	1	16
16.	पंजाब			0	0	2	101
17.	राजस्थान			0	0	2	23
18.	उत्तर प्रदेश			0	0	2	119
19.	हिमाचल प्रदेश			0	0	0	12
20.	उत्तरांचल			0	0	0	22
21.	जम्मू-कश्मीर			0	0	0	5
22.	बिहार			0	0	0	7
23.	मेघालय			0	0	0	9
24.	असम			0	0	0	7
25.	दादरा और नगर हवेली			0	0	0	17
26.	दमन			0	0	0	9
27.	पांडिचेरी			0	0	0	23
28.	गैर-अधिसूचित (अनुमानित)			0	5	5	0
	योग	6	3	5	222	38	787

विवरण II

वर्ष 2004-07 के दौरान सेल, आरआईएनएल और सिल के संयंत्रों/इकाइयों द्वारा किए गए परिसरीय विकास कार्य

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़):

* शिक्षा: स्कूल तथा अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण।
* जल सुविधा: पेयजल उपलब्ध कराना तथा पेयजल सुविधाओं की मरम्मत करना।
* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों की मरम्मत।
* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।
* स्वच्छता: आसपास के गांवों के स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
* संस्कृति: सामुदायिक हाल/सैंटर का निर्माण।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखंड):

* शिक्षा: गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए स्कूल की व्यवस्था करना। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देना तथा छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और कोचिंग देना।
* जल सुविधा: हैंड पम्प लगाना तथा तालाबों का निर्माण करना।
* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत।
* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिम बंगाल):

* शिक्षा: स्कूल भवन, क्लासरूम, आडिटोरियम, कम्प्यूटर लैबोरेटरी का निर्माण तथा स्कूलों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराना।
* जल सुविधा: हैंड पम्प लगाना तथा तालाबों का निर्माण करना।
* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत।
* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आसपास के गांवों में मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना, निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्रैच-कम-होम की मरम्मत करना, अस्पतालों और अनाथ बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।
* स्वच्छता: कम लागत की स्वच्छता इकाइयां उपलब्ध कराना।

(घ) राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा):

* शिक्षा: क्लासरूम, कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण करना। स्कूलों को कम्प्यूटर, पुस्तकें और फर्नीचर उपलब्ध कराना। मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार देना। एससी/एसटी छात्रों को संव्यवसायिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देना।
* जल सुविधा: तालाबों और ड्रेनेज सुविधा की मरम्मत। ट्यूबेल लगवाना और नए कुएं खोदना।
* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करवाना।
* स्वच्छता: आसपास के गांवों के स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आसपास के गांवों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता केन्द्र की व्यवस्था करना तथा आम गरीबों का इलाज करना तथा निःशुल्क दवाइयां देना। पैथोलोजिकल डाएगैनोस्टिक सैंटर की व्यवस्था करना। निःशक्त बच्चों के लिए ट्रीटमेंट और काउन्सलिंग सैंटर। आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना।
* संस्कृति: सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।
* विविध: दुकानों का निर्माण, उद्यमशीलता विकास के संबंध में प्रशिक्षण देना, बेरोजगार लोगों में आयसर्जन को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी प्रशिक्षण, औषधीय और ऐरोमैटिक पौधों की खेती का प्रशिक्षण देना।

(ङ) इस्को स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल):

* जल सुविधा: तालाबों और कुओं की मरम्मत करना, ड्रीलिंग तथा उन्हें गहरा करना। पेयजल सुविधाओं से संबंधित काम करना।
* सड़क एवं कनैक्टिविटी: पीसीसी पेवमेंट सड़क निर्माण करना।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना तथा अस्पतालों आदि के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराना।

* संस्कृति: खेल-कूद के मैदान/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करना।

(च) मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल):

* शिक्षा: स्कूल भवनों, हॉस्टल और क्लास रूम्स का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव।

* जल सुविधा: पेय-जल सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी मरम्मत।

* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, कल्वर्ट, गेट्स आदि का निर्माण।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

* सैनिटेशन: शौचालयों का निर्माण।

(छ) सेलम इस्पात संयंत्र (तमिलनाडु):

* शिक्षा: स्कूल भवनों, हॉस्टल और क्लास रूम्स का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।

* जल सुविधा: ओवर हैड वाटर टैंकों, बोरवैल्स और ट्यूबवैलों का निर्माण।

* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों का निर्माण/मरम्मत। लैंपपोस्ट तथा स्ट्रीट लाइटिंग उपलब्ध करवाना।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

* सैनिटेशन: शौचालयों का निर्माण।

(ज) विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती (कर्नाटक):

* शिक्षा: स्कूलों को स्टील बैंचों और डैस्कों की फैब्रिकेशन और आपूर्ति।

* सड़क एवं कनैक्टिविटी: कवर ड्रेन्स आदि का निर्माण।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

(झ) केन्द्रीय विपणन संगठन:

* शिक्षा: कम्यूनिटी हाल, कम्प्यूटर रूम, साइंस लैबोरेटरी का विकास।

* जल सुविधा: पोर्टेबल पेयजल की आपूर्ति।

* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों की मरम्मत।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

(ञ) कच्चा माल प्रभाग:

* शिक्षा: स्कूल भवनों, हॉस्टल और क्लास रूम का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव।

* जल सुविधा: पेय जल सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी मरम्मत।

* सड़क एवं कनैक्टिविटी: सड़कों की मरम्मत।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

(ट) आरडीसीआईएस, रांची:

* शिक्षा: स्कूल भवनों, हॉस्टल और क्लास रूम्स का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव।

* जल सुविधा: पेय जल सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल: आस-पास के गांवों में चिकित्सा शिविर आयोजित करना।

* सैनिटेशन: शौचालयों का निर्माण।

2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पेयजल, कल्याणकारी उपायों तथा अन्य विविध कार्यों से संबंधित परिसरीय विकास का कार्य किया जिन पर क्रमशः 9.50 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए और 23.41 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई।

3. स्पंज आयरन (इंडिया) लिमिटेड (सिल)

सिल ने इस अवधि के दौरान गांवों में पेयजल तथा चिकित्सा शिविरों के क्षेत्र में परिसरीय विकास का कार्य किया।

डब्ल्यू टी ओ मुद्दों संबंधी पैनल

4365. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा 'अडसूल':

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कृषि तथा तत्संबंधी मुद्दे" संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद उप समिति ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मुद्दों और कृषि क्षेत्र पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा फसलों, सिंचाई, विपणन, पशुपालन और ऊसर भूमि कृषि संबंधी कार्य दलों की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि व संबद्ध विषयों से संबंधित उप समिति ने डा. टी. हक, अध्यक्ष, सीएसीपी, कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में "भूमि एवं किसानों से संबंधित मुद्दे और भारतीय कृषि पर वैश्विक मुद्दों का प्रभाव" संबंधी उप-समूह का गठन किया है।

इस उप-समूह के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

(1) प्रचालनात्मक जोतों के घटते हुए आकार, भूमि पट्टे पर लेने, आवधिक सुरक्षा, के निगमित खेती, अनुबंध खेती, भूमि शेयर कंपनियों आदि जैसे भूमि से जुड़े हुए मुद्दों की जांच और भूमि संसाधनों के अनुकूलतम आबंटन को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना।

(2) कृषि विषयक डब्ल्यूटीओ करार विशेष रूप से भारत और अन्यत्र घरेलू सहायक नीतियों सहित वैश्विक मुद्दों, कृषि के क्षेत्र में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार, द्विपक्षीय व्यापार करार, क्षेत्रीय व्यापार समूह आदि पर विचार करना और भारतीय कृषि पर इनके संभावित दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय सुझाना।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति की दिनांक 18.4.2007 को आयोजित बैठक में क्षेत्र/फसल विशिष्ट उत्पादकता विश्लेषण, सिंचाई, विपणन, पशुपालन और शुष्क भूमि खेती से संबंधित कार्यकारी समूह की सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। तथापि, उप समिति ने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता वाले उद्योग

4366. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध उन उद्योगों की श्रेणियां क्या हैं जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली बनाई है कि ऐसे उद्योगों द्वारा स्वीकृति के समय जारी न्यूनीकरण उपायों (मिटीगेटिव मेजर्स) का दृढ़ता से पालन किया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसे उल्लंघन के दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई/की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में विकासात्मक परियोजनाओं की 41 श्रेणियां सूचीबद्ध हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पूर्व-पर्यावरणीय मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणी मंजूरी की अनुबद्ध पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मानीटर किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अनुसार परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों की छमाही अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। छमाही अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय स्थल दौरे करके अनुपालन स्थिति की जांच करते हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि विज्ञान केन्द्र

4367. **श्री अनन्त नायक:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री जुएल ओराम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के लिए कितनी राशि आबंटित, मंजूर, जारी और उपयोग की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश के प्रत्येक ग्रामीण एवं अनुसूचित जिले में एक के.वी.के. स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) के.वी.के. के प्रभावी कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) के लिए धनराशि बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता पर आधारित और गतिविधियों को चलाने के लिए जारी की जाती है। दसवीं योजना के दौरान 821.84 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान देश के 589 ग्रामीण जिलों में से प्रत्येक में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए सरकार ने स्वीकृति दी। जिलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के सुचारू प्रचालन के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं:

* केन्द्रीय स्तर पर बृहद मार्गदर्शी सिद्धांतों का गठन
* आठ जोनल समन्वय इकाइयों के जरिए मानीटरन
* राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) का विस्तार
* निदेशालयों के जरिए प्रौद्योगिकी ज्ञान और गतिविधियों की जानकारी देना व निगरानी
* प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन

विवरण I

दसवीं योजना में कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	205.72
2.	आंध्र प्रदेश	3820.12
3.	अरुणाचल प्रदेश	390.83
4.	असम	2165.21
5.	बिहार	4151.08
6.	छत्तीसगढ़	1351.78
7.	दिल्ली	87.60
8.	गोवा	254.19
9.	गुजरात	2559.70
10.	हरियाणा	3093.75
11.	हिमाचल प्रदेश	2821.28
12.	जम्मू-कश्मीर	1958.59
13.	झारखंड	3102.53
14.	कर्नाटक	3666.03
15.	केरल	2209.05
16.	लक्षद्वीप	115.85
17.	मध्य प्रदेश	5602.40
18.	महाराष्ट्र	5766.48
19.	मणिपुर	1045.10
20.	मेघालय	484.35
21.	मिजोरम	1456.88
22.	नागालैंड	681.85
23.	उड़ीसा	3920.46

1	2	3
24.	पांडिचेरी	375.85
25.	पंजाब	2731.74
26.	राजस्थान	6180.13
27.	सिक्किम	236.55
28.	तमिलनाडु	4670.14
29.	त्रिपुरा	343.80
30.	उत्तर प्रदेश	11388.23
31.	उत्तरांचल	2596.18
32.	पश्चिम बंगाल	2751.11
	कुल	82184.56

विवरण II

दसवीं योजना में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण जिलों की राज्यवार सं.

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	15
4.	असम	23
5.	बिहार	38
6.	छत्तीसगढ़	16
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दमन एवं दीव	2
9.	दिल्ली	1
10.	गोवा	2
11.	गुजरात	25
12.	हरियाणा	19
13.	हिमाचल प्रदेश	12
14.	जम्मू-कश्मीर	14
15.	झारखंड	22
16.	कर्नाटक	26
17.	केरल	14
18.	लक्षद्वीप	1
19.	मध्य प्रदेश	48
20.	महाराष्ट्र	33
21.	मणिपुर	9
22.	मेघालय	7
23.	मिजोरम	8
24.	नागालैंड	8
25.	उड़ीसा	30
26.	पांडिचेरी	4
27.	पंजाब	17
28.	राजस्थान	32
29.	सिक्किम	4
30.	तमिलनाडु	30
31.	त्रिपुरा	4
32.	उत्तर प्रदेश	69
33.	उत्तरांचल	13
34.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	589

जर्मनी के साथ कृषि संबंधी संयुक्त कार्य दल

4368. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए जर्मनी के साथ एक संयुक्त कार्य दल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जर्मनी के खाद्य कृषि एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के संसदीय राज्य सचिव की अध्यक्षता में जर्मन शिष्टमंडल और सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल के बीच हाल ही में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था और साथ ही सहयोग के उपयुक्त ढांचे के संबंध में दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग हेतु नई नीति

4369. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री विजय कृष्ण:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक नई और उदार चीनी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त नीति से लेबी चीनी संवितरित करने की चालू प्रणाली, राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य और केन एरिया रिजर्वेशन को समाप्त करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गन्ना उगाने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या ऐहितयाती कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा चीनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा लेवी चीनी के वितरण, राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य और गन्ना क्षेत्र आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

4370. श्री विजय कृष्ण:
श्री अशोक अर्गल:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबी की फसल के आने और मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी मूल्यवृद्धि का मुख्य कारण बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार जमाखोरी को रोकने के लिए आसूचना अभिकरणों को भी सम्मिलित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न पक्षों से कुछ सिफारिशें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मांग और आपूर्ति पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारकों द्वारा होती है। इनमें घरेलू उत्पादन, आयात की मात्रा, जमाखोरी, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, खपत अपेक्षाएं मूल्यों के व्यवहार के बारे में अनुमान आदि शामिल हैं।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के मुद्दे प्रति सरकार पूरी तरह जागरूक है। इसीलिए इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 29.8.2006 के अपने केंद्रीय आदेश द्वारा छः महीने की अवधि के लिए गेहूं और दालों की स्टाक सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को प्राधिकृत किया।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मामले विभाग के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने मूल्य स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय हैं- प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक उपायों के जरिए आपूर्ति को बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को संतुलित करना जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

आर्थिक उपाय

* अब तक 23 दिसम्बर, 2006, 6 फरवरी, 2007, 17 फरवरी, 2007 और 3 मार्च, 2007 को 4 अवसरों पर हर बार 25 बेसिक प्वाइंट से नकद आरक्षित रेसियो में वृद्धि की गई जो 6.0 प्रतिशत पहुंच गया। 30 मार्च, 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सी आर आर में 50 बेसिक प्वाइंट की और वृद्धि करने की घोषणा की (सी आर आर 6.50 प्रतिशत पहुंच जाएगा जो 28 अप्रैल, 2007 से लागू होगा)।

* 2006-07 में रेपो दरों में वृद्धि करते हुए संशोधन किया गया जिनमें प्रत्येक बार 25 बेसिक प्वाइंट की वृद्धि की गई और 30 मार्च, 2007 को यह दर 7.75 प्रतिशत पहुंच गई।

* 2 मार्च, 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रणाली में नकदी को व्यवस्थित करने के लिए तीन और उपायों की घोषणा की। पहला 5 मार्च, 2007 से शुरू होकर नकदी समायोजन सुविधा के तहत दैनिक, आरक्षित, रेपो आब्जर्बेशन को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित करना, दूसरा 6 मार्च, 2007 को बाजार स्थिरीकरण स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए के लिए दिनांकित सुरक्षा जारी करना और तीसरा 7 मार्च, 2007 को 2,500 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए ट्रेजरी बिलों की नीलामी करना।

वित्तीय उपाय

* 50 प्रतिशत के सामान्य लागू शुल्क के विरुद्ध 28 जून, 2006 से निजी व्यापार को 5 प्रतिशत के शुल्क पर और 9 सितम्बर, 2006 से शून्य शुल्क पर गेहूं आयात करने की अनुमति देना।

* 8 जून, 2006 को दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य करना।

* अगस्त, 2006 में पाम समूह के तेलों पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत प्वाइंट्स घटाना और फिर जनवरी, 2007 में 10-12.5 प्रतिशत प्वाइंट्स घटाना। जुलाई, 2006 के पर अपरिवर्तित आयात शुल्क के आंकलन के लिए टैरिफ वैल्यू को बनाए रखना।

* जनवरी में पोर्टलैण्ड सीमेंट, विभिन्न धातुओं, मशीनरी मदों तथा परियोजना आयातों पर सीमा शुल्क घटाया गया।

28 फरवरी, 2007 को 2007-08 के बजट में अनेक अन्य उपाय शुरू किए गए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* गैर-कृषि जन्य उत्पादों के लिए बेसिक सीमा-शुल्क की उच्चतम दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।

* चुनिंदा कच्ची सामग्रियों, मध्यस्थ और पूंजीगत सामानों पर बेसिक सीमा-शुल्क को 5-7.5 प्रतिशत घटाना। खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत के अतिरिक्त काउंटर वेलिंग शुल्क को हटाना।

* सूरजमुखी के तेल पर बेसिक सीमा-शुल्क को 15 प्रतिशत प्वाइंट्स तक घटाना।

* पेट्रोल और डीजल, छातों और फुटवेयर पर तथा सीमेंट पर 190 रुपए प्रति बैग तक उत्पाद शुल्क को कम करना। 50 कि.ग्रा. तक बिस्कुट और खाद्य मिश्रणों को उत्पाद शुल्क से छूट देना।

* पाम समूह के तेलों पर बेसिक सीमा-शुल्क को अप्रैल, 2007 में पुन: 10 प्रतिशत प्वाइंट्स कम किया गया।

घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उपाय

* राज्य व्यापार निगम ने घरेलू उपलब्धता की पूर्ति के लिए 50 लाख टन गेहूं के आयात का ठेका दिया जिसमें से 50 लाख टन से अधिक गेहूं पहुंच गया है।

* फरवरी और मार्च, 2007 में खुली बाजार बिक्री स्कीम के तहत 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया गया।

* 22 जून, 2006 से दालों के आयात पर तथा 9 फरवरी, 2007 से गेहूं और स्किम्ड मिल्क पाउडर के आयात पर रोक लगा दी गई।

* नेफेड 39,300 टन दालों का आयात कर रहा है। दिसम्बर, 2006 में नेफेड द्वारा 30 हजार टन दालों के आयात के लिए एक नई संविदा की गई। 12 हजार टन से अधिक दालों का लदान हो चुका था। नेफेड, एस टी सी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां अतिरिक्त दालों की संविदाएं कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा 2007-08 में एक मिलियन टन से अधिक दालों की खरीद किए जाने की अपेक्षा है।

* कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सतत सुधार के लिए 2007-08 के बजट में सिंचाई, उन्नत बीजों की उपलब्धता, संस्थागत ऋण तथा खादों में वृद्धि करने के उपाय तथा संपुष्ट प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली के जरिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की गति को तेज करने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

प्रशासनिक उपाय

* पहले नवम्बर, 2006 और फिर फरवरी 2007 में पेट्रोल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल के खुदरा मूल्यों में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई।

* 24 जनवरी, 2007 से तूर और उड़द में तथा 28 फरवरी, 2007 से गेहूं और चावल में भावी सौदा व्यापार पर रोक लगा दी गई।

* आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गेहूं और दालों के संबंध में स्टाक सीमा आदि निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों के लिए सामर्थ्यकारी आदेश को 28 अगस्त, 2007 तक बढ़ाया गया।

* भावी सौदा व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मानीटरिंग तंत्र को मजबूत किया गया।

[अनुवाद]

राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी

4371. श्री रामकृपाल यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार में कर्मचारियों की कोई कमी है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया रिक्त पदों (बैकलाग) को तत्काल भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। कर्मचारियों की कमी के बारे में सरकार को अवगत करा दिया गया है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के शिक्षण संवर्ग में 238 पदों का बैकलाग भी है।

(ख) नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ने विज्ञापन सं. 1/2006 दिनांक 22.2.2006 के द्वारा 282 पदों का विज्ञापन जारी किया है और विज्ञापन सं. 2/2006 दिनांक 27.3.2006 के द्वारा विशेष अभियान के तौर पर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शेष बैकलाग) 102 पदों का विज्ञापन पुनः प्रकाशित किया है। इसी के क्रम में विज्ञापन सं. 3/2006 दिनांक 28.3.2006 के द्वारा संकाय अध्यक्ष (डीन) तथा निदेशकों के 20 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया।

विश्वविद्यालय ने पूर्व के दो विज्ञापनों के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है किन्तु सफलतम उम्मीदवारों को नियुक्ति-पत्र जारी किया जाना बाकी है क्योंकि बिहार सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना शेष है।

दालों का आयात

4372. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दालों की मूल्य वृद्धि को रोकने और उनकी उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के लिए पन्द्रह लाख टन अतिरिक्त दाल आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयात हेतु निर्धारित मात्रा, मूल्य, आयात एजेंसियों और समय-सीमा दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दालों को बाजार में किस दर पर बेचे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) स्वदेशी और आयातित दलों के मूल्य में कितना अंतर है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल को भी आयात करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ, एम एम टी सी लिमिटेड, पी ई सी लिमिटेड और राज्य व्यापार निगम के जरिए उड़द, तूर, मूंग, मसूर, चना और पीली मटर जैसी दालों के 1.5 मिलियन टन का आयात करने का निर्णय लिया। आयातित दालों को इन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक निविदाओं के जरिए बेचा जाएगा। आयातित दालों की आपूर्ति से घरेलू उपलब्धता में वृद्धि होगी और इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी।

15.4.2007 की स्थिति के अनुसार 4 एजेंसियों द्वारा दालों के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(मीट्रिक टन में)

संगठन	मदें	संविदा मात्रा	पहुंची मात्रा (बंदरगाह पर)
1	2	3	4
पी ई सी लिमिटेड	उड़द	1900	5000
	मूंग	9000	2000
	तूर	10000	4000
	कुल (पी ई सी)	38000	11000
एम एम टी सी लिमिटेड	उड़द	3000	0
	मूंग	1000	980
	तूर	20000	4680
	डनपीज	2000	0
	पीली मटर	53000	0
	कुल (एम एम टी सी)	79000	5580
नेफेड	उड़द	65000	19874
	मूंग	5000	4440
	कुल (नेफेड)	70000	24314
एस टी सी	उड़द	30000	11145
	पीली मटर	70000	0
	कुल (एस टी सी)	100000	11145
कुल योग		2,87,000	52,039

आयातित दालों के मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं और उनको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) खाद्य तेल सरकार की विदेश व्यापार नीति के खुला सामान्य लाइसेंस के तहत आते हैं। चूंकि, घरेलू आपूर्ति की तुलना में मांग निरंतर अधिक रही है इसलिए घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए खाद्य तेलों के आयात का सहारा लिया जा रहा है। तथापि, सरकार का फिलहाल खाद्य तेल आयात करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पेड़ से प्राप्त तिलहनों का समेकित विकास

4373. श्री एल. राजगोपाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेड़ से प्राप्त तिलहनों के समेकित विकास और राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा पता लगाए पेड़ से प्राप्त तिलहनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेड़ से प्राप्त तिलहनों को विकसित करने का कोई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में पेड़ से तिलहन प्राप्ति हेतु तेल निकालने वाले यंत्र लगाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैव-डीजल उत्पादन के लिये जटरोफा सहित वृक्ष मूल के तिलहनों की क्षमता तलाशने के लिए राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत 23 राज्यों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर, आईसीएफआरई संस्थाओं तथा आईसीएआर की 43 संस्थाओं की नेटवर्किंग के जरिये अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है ताकि उच्च उपज देने वाली किस्मों, प्रणालियों के स्थान विशिष्ट पैकेज, प्रसंस्करण पूर्व तथा संसाधक सुविधाओं, समूह बहुलीकरण रासायनिक विश्लेषण तथा क्रायो-प्रेजरवेशन आदि का विकास किया जा सके। आगामी वर्षों में देश में जटरोफा और करंजा के बड़े पैमाने पर रोपण के लिये गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये 21 राज्यों में सरकार/विश्वविद्यालयों की भूमि पर 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में श्रेष्ठ रोपण सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श रोपण भी किया गया है। इसके अलावा, उत्पादकों/किसानों में जागरूकता का सृजन करने और क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी अंतरण और बैंक-एन्डेड ऋण से संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम भी संचालित किये गये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वृक्ष मूल के तिलहनों के रोपण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सहित देश में 250 से अधिक कृषक प्रशिक्षण और 190 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिससे 22400 से अधिक बीज संग्राहकों/क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को लाभ मिला है।

(घ) और (ङ) 2003-04 के दौरान स्कीम के तहत वित्तीय सहायता से आंध्र प्रदेश राज्य में तीन आयल एक्सपेलर स्थापित किये गये हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वृक्ष मूल तिलहनों के अनुसार रोपण

क्र.सं.	टीबीओ/राज्य का नाम	वर्षवार रोपण (हैक्टेयर)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	**जटरोफा**			
	आंध्र प्रदेश	300	-	15
	अरुणाचल प्रदेश	185	-	-
	असम	-	-	0
	बिहार	0	-	-
	छत्तीसगढ़	440	-	-
	गुजरात	800	292	80
	गोवा	0	-	-
	हरियाणा	308	-	140
	जम्मू-कश्मीर	-	-	0

1	2	3	4	5
	झारखंड	200	300	200
	कर्नाटक	310	–	60
	केरल	50	–	–
	मध्य प्रदेश	537	–	–
	मणिपुर	200	–	50
	महाराष्ट्र	1130	300	–
	मिजोरम	280	–	200
	मेघालय	113	–	–
	नागालैंड	240	–	200
	सिक्किम	–	–	–
	उत्तर प्रदेश	437	155	80
	उत्तरांचल	578	–	0
	राजस्थान	150	–	–
	तमिलनाडु	434	–	–
	पश्चिम बंगाल	100	–	–
	कुल	6792	1047	1025
2. करंजा				
	आंध्र प्रदेश	–	–	50
	बिहार	0	–	–
	छत्तीसगढ़	81	–	–
	गुजरात	100	–	–
	गोवा	10	–	–
	हरियाणा	5	–	–
	झारखण्ड	100	–	–
	कर्नाटक	267	–	–
	मध्य प्रदेश	10	–	–
	सिक्किम	–	–	50

1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश	80	–	–
	कुल	653		100
3. नीम				
	बिहार	0	–	–
	गुजरात	100	–	–
	गोवा	0	–	–
	हरियाणा	4	–	–
	झारखंड	100	–	–
	कर्नाटक	50	–	–
	मध्य प्रदेश	2	–	–
	मणिपुर	–	–	150
	सिक्किम	–	–	–
	पश्चिम बंगाल	50	–	–
	कुल	306		105
4. सिमरूबा				
	कर्नाटक	264	–	–
5. जंगली खुबानी				
	हिमाचल प्रदेश	425	–	10
6. तुंग				
	नागालैंड	100	–	–
7. महुआ				
	बिहार	0	–	–
	मध्य प्रदेश	2	–	–
8. कोकूम				
	गोवा	10	–	–
	कर्नाटक	–	–	–

[हिन्दी]

धान के उत्पादन में वृद्धि

4374. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ जिलों में धान का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पहचाने गए जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इन चिन्हित जिलों में प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा है;

(घ) क्या इन चिन्हित जिलों को बीजों की उन्नत किस्म का आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, गेहूं आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम पहले ही धान सहित अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चावल/गेहूं मोटे अनाज के तहत व्यापक कवरेज वाले अभिज्ञात प्रखण्डों/मण्डलों में वृहत प्रबंधन कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उक्त स्कीमों के तहत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार, संकर चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, क्षेत्र प्रदर्शनों के जरिये समेकित कीट प्रबंध, इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रकाशित साहित्य के जरिये प्रौद्योगिकी का अंतरण, फार्म उपकरणों, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की अधिष्ठापना, किस्म प्रतिस्थापन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन आदि के लिये सहायता दी जाती है। इसके अलावा, किसानों में अग्रणी प्रदर्शनियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेत पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें कुछ काम करना चाहिए।

[हिन्दी]

क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा काम तो करिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी रोक रही है, हम नहीं रोक रहे हैं। रूलिंग पार्टी तीन दिनों से रोक रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छे हैं।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2007 जो 21 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6281/07]

(2) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2006 जो 11 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6282/07]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 3—श्री विजय हान्डिक—उपस्थित नहीं। मद सं. 4—डा. अखिलेश प्रसाद सिंह।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6285/07]

(2) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 19 की उपधारा (10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 241 (अ) जो 26 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने, जो 100 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10 लाख शेयरों में विभक्त होंगे, का आदेश दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 261(अ) जो 29 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें केरल स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करने, जो 100 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के 15 लाख शेयरों में विभक्त होंगे, का आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6286/07]

[हिन्दी]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6287/07]

2. मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6288/07]

3. भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6289/07]

4. एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6290/07]

5. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6291/07]

6. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6292/07]

7. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6293/07]

8. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6294/07]

9. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6295/07]

10. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6296/07]

11. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-08 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6297/07]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 2007, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 अप्रैल, 2007 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 7-श्री प्रभुनाथ सिंह-उपस्थित नहीं।

मद सं. 8-श्री बालासाहिब विखे पाटील।

अपराह्न 12.02¼ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं 'भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बीईएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' विषय पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2006-07) का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के लिए क्रमश: प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर 12वीं और 13वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय-एक पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): मैं महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

1. 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं का आर्थिक उत्थान" पर समिति का सातवां प्रतिवेदन।

2. 'हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की कार्य की दशाएं' पर समिति का नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-06) और (2006-07) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 11वें और 20वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुपालन में, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) के 11वें और 20वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत करता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन 20 अप्रैल, 2005 को लोक सभा में पेश किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के लिए कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही का विवरण 18.7.2005 को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

समिति ने ग्यारहवें प्रतिवेदन में 18 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिश योजनागत आवंटन, केन्द्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों में अवसंरचनात्मक विकास, भोजन एवं चारा विकास, सहकारी समितियों को सहायता, दिल्ली दुग्ध योजना, मत्स्यन क्षेत्र का विकास, सुनामी से प्रभावित किसानों/मछुआरों का पुनर्वास, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की स्थापना आदि जैसे मुद्दों से संबंधित है।

कृषि संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन 19 मई, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। यह प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 के लिए कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियां पर की-गई-कार्यवाही के विवरण 23.8.2006 को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेज दिये गये थे।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए एल.टी. संख्या 6298/07।

बीसवें प्रतिवेदन में समिति ने 13 सिफारिशें की हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें योजनागत आबंटन एवं व्यय, मवेशी एवं महिषी प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना, फुट एंड माउथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन बीमा, विलुप्त प्राय पशुधन प्रजातियों का संरक्षण, बर्ड फ्लू, दुग्ध उत्पादकता, दिल्ली दुग्ध योजना, मछुआरों का कल्याण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना आदि जैसे मुद्दों से संबधित है।

समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण पत्र के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो सभा पटल पर रखा हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): दिनांक 1 सितम्बर, 2004 लोक सभा बुलेटिन-भाग 2 में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुपालन में, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (2006-07), के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी यह विवरण-पत्र पेश करता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग की अनुदानों की मांगों की जांच की ओर 19.5.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 19 सिफारिशें हैं। सरकार के की गई-कार्यवाही उत्तरों को 5 अगस्त, 2006 को समिति को भेज दिया गया।

पीएससीए की सिफारिशों की वर्तमान स्थिति को संलग्न विवरण-पत्र में दर्शाया गया है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए एल.टी. संख्या 6299/07।

अपराह्न 12.04½ बजे

(तीन) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित श्रम संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश के अनुसार, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का यह विवरण प्रस्तुत करता हूं।

समिति का 13वां प्रतिवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है जो कि 17 मई, 2006 को सभा पटल पर रखा गया था। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट 7 जुलाई, 2006 को समिति को सौंप दी थी जिस पर समिति ने अपने 18वें प्रतिवेदन में गौर किया। उनके 18वें प्रतिवेदन पर हमारी की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट 29 मार्च, 2007 को भेज दी गई।

13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को अपने विवरण पत्र के अनुलग्नक में दर्शाया है जो माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया है। मैं इस अनुलग्नक में दी गई समस्त सामग्री से पढ़कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हान्डिक जी, जब मैंने आपका नाम पुकारा आप उपस्थित नहीं थे। इसके लिए आपको क्षमा मांगनी होगी।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं उपस्थित न होने के लिए क्षमा मांगता हूं।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6283/07]

(2) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 529(अ) जो 9 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं को अपने उर्वरक खरीफ मौसम 2007 के दौरान उसमें उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत उर्वरक डीलर को बेचने का निदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6284/07]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आपको क्षमा मांगनी होगी।

[हिन्दी]

आप रिग्रेट बोल दीजिए। आप समय पर उपस्थित नहीं थे, इसका आपको खेद है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मुझसे गलती हो गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहली बार आपने खेद व्यक्त किया है, श्री प्रभुनाथ सिंह जी।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए एल.टी. संख्या 6300/07।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

याचिका समिति

24वें से 26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय के अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की एक इकाई भोजूडीह कोल वाशरी, के संविदा कामगारों के नियमितीकरण के बारे में श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत याचिका पर चौबीसवां प्रतिवेदन।

(2) कृषि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों पर पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदन पर छब्बीसवां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, मद सं. 13-ध्यानाकर्षण।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वह प्रक्रिया जानते हैं। ध्यानाकर्षण के पश्चात, मैं उस विषय पर आऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कल बालू साहब ने हाउस को यह कहकर मिसलीड किया कि यह मैटर सबजुडिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मुद्दा न्यायाधीन नहीं था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यस्टरडे तो नहीं था।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप ध्यानाकर्षण की सूचना दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, महोदय। आपने परसों मेरा नाम पुकारा था। किन्तु सत्ता पक्ष ने मुझे कुछ भी नहीं कहने दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा जी, आप ध्यानाकर्षण की सूचना देकर यह मुद्दा उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इनका प्रिविलेज का मामला बनता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने ध्यानाकर्षण का मामला पुकारा है जो कि आज के आदेश पत्र में सूचीबद्ध हैं और जो कि उठाया जाना है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यस्टरडे छुट्टी थी।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: राम सेतु का मामला ...*(व्यवधान)* राम सेतु को बनाना ...*(व्यवधान)* राम सेतु को तोड़ना ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ध्यानाकर्षण हेतु सूचना देकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। एक सुझाव है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कल के लिए ही ध्यानाकर्षण की सूचना दे सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं आप क्या चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय श्री सोमाभाई जी. पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं, वह बताइए। हम आपको ऐलाऊ करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको कल ध्यानाकर्षण में यह विषय उठाने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कल ध्यानाकर्षण के लिए सहमत नहीं है?

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल आपसे अपील कर सकता हूं। मैं आप सभी से अपनी अपील दोहराता हूं। कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। मैं इस मामले पर भी ध्यानाकर्षण को अनुमति देने को तैयार हूं जो प्रो. मल्होत्रा उठाना चाहते हैं। किंतु वह तैयार नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका मुद्दा क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस पर अब चर्चा कैसे की जा सकती है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। यहां खड़े मत होइए। आप यह नहीं कर सकते हैं। श्री गोयल, कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.12 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम गुजरात के मामले के बारे में पिछले पांच दिनों से नोटिस दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, पिछले तीन दिनों से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)* हमारे लोग बहुत परेशान हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप शान्त हो जाइए। हम आपको शाम को इसके लिए समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय कृपया मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: दो मिनट समय आपको शाम को दे दूंगा। दो मिनट की जगह आपको शाम को चार मिनट समय दे देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मैंने भी नोटिस दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट समय लूंगा, दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको शाम को जीरो आवर में समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जीरो आवर में समय दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, हम बराबर इसके लिए नोटिस दे रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको इसके लिए समय दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 13 पर विचार करेगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं लगातार पांच दिन से नोटिस दे रहा हूं। गुजरात में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको समय जरूर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप सत्ता पक्ष से हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो बैठ जाइए, आप रूलिंग पार्टी से हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, पिछले तीन दिन से इसके लिए लगातार नोटिस दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है, इसे सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः शैलेन्द्र जी, मैं आपको शाम को समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार तथा अन्य कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग अपनी सीट पर जाइए। शाम को समय दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और अन्य कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः देखिए, मेरी प्राब्लम यह है कि अगर मैं एक माननीय सदस्य को समय देता हूं तो दूसरी पार्टियों के माननीय सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा, इसलिए हम सभी को एकमोडेट करेंगे। सभी को जीरो आवर में शाम को समय देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडुः महोदय, हमें हमारे मामले उठाने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः अगर मैं किसी एक को समय दूंगा तो सभी को समय देना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मिस्त्री जी, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः श्री मिस्त्री, आप सत्ता पक्ष से हैं तथा आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः उपाध्यक्ष महोदय, हम दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को जीरो ऑवर में शाम को मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको शून्य काल में समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

अगर बोलना है तो पहले अपनी सीट पर जाएं।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, मैंने आपसे मशविरा नहीं लिया है। सदन की यह परंपरा नहीं है कि लंच ऑवर के बाद स्पेशल मैंशन लिये जाएं।

[अनुवाद]

लेकिन सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मैं दो तीन वक्ताओं को प्रत्येक को दो मिनट का समय दूंगा। अब, श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): फिर सभी को मौका मिलना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। राज्य की जो अवधारणा है, राज्य बनाने का जो मकसद है वह यह है कि राज्य लोगों की जानमाल की सुरक्षा करे। लगता है गुजरात में जो कुछ हुआ है, वह राज्य के इशारे पर हुआ है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सुमन जी की स्पीच के अलावा रिकार्ड में और कुछ नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, आप हाउस को व्यवस्थित कीजिए। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, गुजरात में जो कुछ हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): यह मामला कोर्ट में है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: यह मामला यहां क्यों उठाया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब अपराह्न 3 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, आपने वादा किया था कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर में आपको बोलने के लिए जरूर समय दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे हुए माने जाएंगे तथा वे सभा की कार्यवाही का अंश माने जाएंगे।

अपराह्न 3.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे:

(एक) 2.2.2004 को विपणन अवसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करना। परियोजना की लागत 3 करोड़ रु. तथा मांगी गई सहायता 3 करोड़ रु. है।

(दो) चल्लाकेरे ताल्लुक में 23.5.2005 को कृषि तथा आनुषंगिक गतिविधियों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के बीच रोजगार सृजन हेतु। परियोजना की लागत 22.32 करोड़ रु. है तथा सहायता 14.53 करोड़ रु. की मांगी गई।

(तीन) 9.2.2005 को बंगलोर ग्रामीण में डेरी गतिविधियों के लिए परियोजना की लागत 16.52 करोड़ रु. है तथा सहायता 14.96 करोड़ रु. मांगी गई।

(चार) 11.4.2005 को मांड्या दुग्ध यूनियन में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे डेरी किसानों के लिए अवसंरचना विकास परियोजना की लागत 10.78 करोड़ रु. है तथा मांगी गई सहायता 9.76 करोड़ रु. है।

(पांच) 2.4.2005 को बंगलोर शहरी जिला में डेरी गतिविधयां। परियोजना की लागत 5.68 करोड़ रु. है तथा मांगी गई सहायता 5.28 करोड़ रु. है।

(छह) 19.1.2005 को कर्नाटक में 7 आरयूडीएसईटी संस्थान के लिए अवसंरचना विकास। परियोजना की लागत 1.99 करोड़ रु. है तथा सहायता 1.49 करोड़ रु. की मांगी गई।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री इकबाल अहमद सरडगी]

(सात) 16.8.2005 को हलियाल में देशपांडे ग्रामीण विकास तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अपने अवसंरचना के विकास के लिए। परियोजना की लागत 2.95 करोड़ रु. है तथा मांगी गई सहायता 1.55 करोड़ रु. है।

(आठ) 16.10.2006 को बेल्लारी मिल्क यूनियन जुरिसडिक्शन में डेरी गतिविधियां। संशोधित परियोजना की लागत 6.72 करोड़ रु. है तथा मांगी गई सहायता 2.52 करोड़ रु. है।

(नौ) दिनांक 31.1.2006 को पशुपालन तथा पशुचिकित्सा सेवा विभाग द्वारा डेयरी विकास, प्रापण, प्रसंस्करण तथा विपणन को प्रोत्साहन देना। परियोजना की लागत 5.05 करोड़ रुपये है तथा 2.53 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है।

चूंकि ये प्रस्ताव लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन प्रस्तावों पर तत्काल तेजी लाई जाए।

(दो) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से मूल्यवर्धित कर (वैट) हटाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): तम्बाकू देश में एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। इसके निर्यात से सरकार को बहुत अधिक आय होती है। इस वाणिज्यिक फसल के जरिए तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को भी अच्छी आय होती है। लाखों कामगार तम्बाकू के उत्पादन, पत्तियों के प्रसंस्करण तथा अन्य सहायक तम्बाकू उत्पादों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पूरे देश में इस क्षेत्र में हजारों बड़े तथा छोटे उद्योग चल रहे हैं।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने कराधान कानून (संशोधन अधिनियम, 2007) बना कर तम्बाकू को "घोषित वस्तुओं" से हटा दिया गया है तथा ऐसा होने से राज्य सरकारों को तम्बाकू पर 125% की दर से मूल्यवर्धित कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रस्ताव से अविनिर्मित तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा पहले से दी जा रही विभिन्न छूटों पर प्रभाव पड़ेगा। दिनांक 1.3.1979 की अधिसूचना से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 तथा उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले पूरे उत्पाद शुल्क से विनिर्मित तम्बाकू को पूर्णतया छूट थी। गरीब कृषक परिवारों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही और लम्बे समय से चली आ रही उक्त छूटें, अविनिर्मित तम्बाकू जो कि एक कृषि उत्पाद है, मूल्यवर्धित कर लगाने से वापस ले ली गई हैं।

इस क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयों को बाजार में बने रहने के लिए सभी प्रकार के करों से छूट दी गई थी लेकिन अब इन पर राज्य सरकार द्वारा 12.5% की दर से वैट लगाया जा सकेगा।

सभी प्रकार के तम्बाकू और सहायक उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर लगाए जाने से इस क्षेत्र में लगे गरीब किसानों, श्रमिक, डीलरों तथा अन्य को प्रभावित करेगा।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सभी राज्य सरकारों को उपर्युक्त निर्देश जारी करें वे तम्बाकू तथा इससे बने उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर न लगाएं।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गोलपाड़ा जिले के लिए पर्याप्त निधि जारी किए जाने हेतु कदम उठाए जाने तथा धुबरी जिला को इस स्कीम में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) असम के गोलपाड़ा जिले में फरवरी 2006 से लागू किया गया है। गत 1.5 वर्ष से अधिक समय में यह आशा की गई थी कि काम चाहने वाले सभी परिवारों को 150 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा। लेकिन व्यवहार में सरकार 1.5 वर्ष के दौरान 50 दिन भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकी। ऐसे कई कार्ड धारक हैं जिन्हें एक भी दिन रोजगार नहीं मिला। बहुत से परिवारों को जॉब-कार्ड्स नहीं मिला।

पूछे जाने पर बताया गया कि केन्द्र सरकार ने आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करायी है। यदि धनराशि समय पर उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो जॉब-कार्ड धारकों को रोजगार कैसे मिलेगा। इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि काम चाहने वाले को जाब कार्ड क्यों नहीं दिए गए। सरकार को गोलपाड़ा जिले में एनआरईजीपीए के कार्यकरण की गंभीरता से जांच करनी चाहिए तथा शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

दूसरी बात यह कि धुबरी जिले की 69 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है तथा शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है तथा एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि धुबरी जिले को यथाशीघ्र एनआरईजीए के अंतर्गत शामिल किया जाए।

(चार) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को पर्याप्त बजटीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) हमारे देश में आयुर्विज्ञान अनुसंधान

के लिए योजना, संगठन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय है। आईसीएमआर को गत दस वर्षों के दौरान आविष्कारी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य अनुसंधान का एक नया विभाग सृजित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। तथापि, यह आश्चर्य की बात है कि आईसीएमआर को योजनागत आबंटन में इस वर्ष बहुत अधिक कटौती हुई है। बहुत अधिक धनराशि के बिना अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। अतः वित्त तथा स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वे यह देखें कि आईसीएमआर को उचित बजटीय सहायता मिले तथा इस वर्ष के आवंटन की समीक्षा की जाए तथा उसे बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र में मूंगफली का उत्पादन काफी मात्रा में होता था और यहां की मूंगफली उत्तम किस्म की होती थी, परन्तु धीरे-धीरे यहां पर मूंगफली का उत्पादन तेजी के साथ घट रहा है और राजकोट में जो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र है, वह भी मूंगफली के अनुसंधान क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं कर पाया है। मूंगफली का उत्पादन कम होने से देश में खाद्य तेल की कमी हो रही है और खाद्य तेल का आयात बड़ी मात्रा में किया जा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह कोई कदम उठाये और मूंगफली का उत्पादन कम क्यों हो रहा है, इसकी जांच करवाई जाए।

(छह) "हैरिटेज रूट" के रूप में घोषित अहमदाबाद-दांडी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228) पर कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): भारत सरकार ने अहमदाबाद-दाण्डी मार्ग को 1 जून 2006 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया था। इस मार्ग की कुल लम्बाई 386 कि.मी. है जिसमें से 345 किलोमीटर में विद्यमान सड़क हैं तथा 41 किलोमीटर सड़क से जुड़ी हुई नहीं है। सड़क से नहीं जुड़े हुए मार्ग पर सड़क बनाना तथा विद्यमान सड़क को चौड़ा करना अतिआवश्यक है। चूंकि इस मार्ग को "धरोहर मार्ग" के रूप में विकसित किया जाना है तो यह सड़क कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर की होनी चाहिए तथा सड़क से नहीं जुड़े गए मार्ग को चौड़ा करने/सुदृढ़ करने/पुनरुद्धार करने, माही, नर्मदा तथा तापी नदी पर मुख्य पुल सहित पुल/पुलिया/सीडी का निर्माण किए जाने भी आवश्यकता है। राज्य सरकार ने दांडी मार्ग पर राज्य सड़क को भारत सरकार को स्थानान्तरित करने की अनुमति दे दी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह योजना को समयबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से तुरन्त शुरू करे ताकि इसे समय पर पूरा किया जा सके तथा योजना के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करे।

(सात) सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) में कार्मिकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल प्रदेश): भारत में हिमाचल क्षेत्र सबसे कठिन क्षेत्र है तथा उस क्षेत्र में सड़क बनाना सबसे अधिक चुनौती भरा काम है। सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाने एवं उनका रखरखाव करने का कार्य सौंपा गया है। सीमा सड़क संगठन ने पूर्ण समर्पण के साथ सफलतापूर्वक काम किया है। राष्ट्र की सेवा में कार्य करते हुए उनके हजारों लोगों ने अपना अमूल्य जीवन खो दिया।

लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बहुत अधिक ऊंचाई पर श्रम शक्ति की कमी होने के बावजूद बीआरओ ने कार्मिकों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवा बेमिसाल है।

मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सीमा सड़क संगठन की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि सहित उसे सुदृढ़ करे तथा सीमा सड़क संगठन के बहादुर सदस्यों को बेहतर पहचान दिलाए जिन्हें कि स्वतंत्रता के बाढ़ कम ख्याति मिली हैं क्योंकि राष्ट्र की इस महान आत्माओं को भुला दिया गया है।

(आठ) उड़ीसा में क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के घाटगांव में नारियल तेल निकालने/खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र तथा नारियल [illegible] (कयर) उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): घाटगांव मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उड़ीसा में तरिणी के पूजा स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। मां तरिणी को न केवल क्योंझर अपितु पूरे उड़ीसा में अधिष्ठित देवी के रूप में पूजा जाता है। पूरे राज्य के लोग इस देवी को पूजा सामग्री के रूप में प्रतिदिन हजारों नारियल अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया में देवी को हजारों नारियल अर्पित किये जाते हैं। अर्पित किये जाने के बाद इन नारियलों को मंदिर परिसर में एकत्रित किया जाता है। नारियल के बड़ी मात्रा में भंडारण के मद्देनजर घाटगांव

[श्री अनन्त नायक]

में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र और नारियल तेल संयंत्र स्थापित किये जाने की व्यापक संभावना है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर नारियल जूट उद्योग को बढ़ावा देने की भी संभावना है। यदि यहां पर इन संयंत्रों की स्थापना की जाती है तो इससे यहां के हजारों स्थानीय बेरोजगार लोगों जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, को रोजगार मिलेगा। इन संयंत्रों से स्थानीय लोगों की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि घाटगांव में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अविलम्ब नारियल संयंत्र और नारियल आधारित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र तथा नारियल (जूट) उद्योग की स्थापना की जाए।

(नौ) राजस्थान के अजमेर में हवाई अड्डा बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, देश में अब थल एवं जल यातायात की भांति हवाई यातायात को भी विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र जी जान से जुटे हुए हैं। देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा तीर्थाटन एवं देशाटन की प्रवृत्ति को हवाई यातायात की दृष्टि से भी सहज एवं सुलभ बनाये जाने हेतु देश के महत्वपूर्ण प्रेरणादायी तीर्थस्थलों को हवाई यातायात से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है।

इस दृष्टि से देश में आने-जाने वाले पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ अजमेर एवं पुष्कर हवाई यातायात की सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक तथा तीर्थाटन एवं देशाटनप्रेमी श्रद्धालुजन अजमेर एवं पुष्कर की क्रमशः जियारत एवं तीर्थयात्रा कर गौरव का अनुभव करते हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटक तथा देश के लाखों-करोड़ों धर्म प्रेमी लोग जीवन में एक बार अजमेर तथा पुष्कर आने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वर्तमान में अजमेर एवं पुष्कर रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग से तो जुड़े हुए हैं, परन्तु हवाई मार्ग से नहीं जुड़े होने के कारण विदेशी पर्यटकों एवं साधन संपन्न देशी पर्यटकों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, दुबई, अफ्रीका आदि देशों से अजमेर आने के लिए लोग अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, परन्तु जयपुर उतर कर फिर सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचना उनके लिए कष्टप्रद है। अजमेर में विमानपत्तन सर्वेक्षण टीमों ने कई स्थानों का सर्वेक्षण कर कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया है और कई सरकारी घोषणाएं होने के बाद भी हवाई अड्डे की घोषणा का मूर्त रूप नहीं हो पाया है। अजमेर शैक्षिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर एवं पुष्कर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने तथा पर्यटन को भी और अधिक बढ़ावा देने हेतु अजमेर में अविलम्ब उपयुक्त स्थान पर हवाई अड्डे की स्थापना कर उसे हवाई यातायात से जोड़ा जाए।

(दस) देश में आवश्यकता के आधार पर रसायन उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए कृषकों के हित में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 का बजट पेश करते हुए उल्लेखित किया था कि उर्वरक सब्सिडी को 17000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। किंतु भारतीय उर्वरक संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि अभी तक पिछली सब्सिडी 10500 करोड़ रुपये वर्ष 2006-07 बकाया है तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में 34000 करोड़ रुपये का प्रावधान मांगा है। विगत कई वर्षों से उर्वरक पर सब्सिडी एक ऐसा विषय बन गया है जो कि हमेशा उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में बाधक होकर आयात का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में यदि 34000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया जाता है तब भी प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी या संबंधित कच्चे माल को देखा जाए तो कम से कम भारतीय कृषि में उर्वरकों के प्रदाय को समुचित बनाये रखने के लिए 48000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी।

इसलिए आवश्यक है कि समय रहते आवश्यक कदम उठायें। 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान द्वारा 40 प्रतिशत रकवे में जो खेती हो रही है, वे कृषि साधन विहीन हैं। असिंचित क्षेत्र में तो यह बहुत दयनीय स्थिति में है। देश के अन्न सुरक्षा एवं स्वावलंबन को बनाये रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक उत्पादन एवं उपलब्धता पर महत्व देना आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न व अन्न उत्पादन में लोग समर्थ हों। साथ ही नागरिक आपूर्ति द्वारा उपभोक्ता को खाद्यान्न उचित दर पर मिल सकें। उर्वरकों की कमी के कारण खाद्यान्न, दाल व खाद्य तेल जिंसों के उत्पादन में गिरावट संभव है। पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश व राजस्थान में उर्वरक उपलब्धता में जो भारी कठिनाई हो रही है, वह बजट में सीमित प्रावधानिक अनुदान की राशि से हल होना संभव नहीं है।

अत: मेरा उर्वरक मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित हो। इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(ग्यारह) काजू हेतु एक पृथक निदेशालय, जिसका मुख्यालय केरल के कोल्लम में हो, स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): केरल राज्य में कोल्लम जिला राष्ट्र के काजू उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि राष्ट्र के अधिकतर काजू प्रसंस्करण उद्योग इसी जिले में स्थित है। यहां पर काजू को गिरि निकालने की प्रक्रिया में लगे हुए कर्मकार अपना कौशल और दक्षता के लिए प्रसिद्ध है। कोल्लम से प्रसंस्कृत और विपणन की जाने वाली काजू की गिरि का पूरे विश्व में विशेष बाजार है। कोल्लम से प्रतिवर्ष निर्यात की जाने वाली प्रसंस्कृत और मूल्यवर्द्धित खाद्य काजू गिरि 50,000 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुकी है और इससे प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। कोल्लम के काजू उद्योग में, सीधे निर्यात करने वाले निर्यातक, बड़े उत्पादकों, छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण करने वाले, जिसमें दो लाख से अधिक मजदूर नियोजित है, सम्मिलित है। यदि काजू प्रसंस्करण क्षेत्र को पर्याप्त सामान्य सुविधा केन्द्र, कच्चे माल का बैंक और बाजार सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो इसमें वृद्धि की अत्यधिक संभावनाएं हैं। भारत सरकार काजू उद्योग के उत्थान के लिए विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। कृषि मंत्रालय को तत्वावधान में काजू और कोका विकास निदेशालय सरकार की काजू विकास योजनाओं का प्रशासन करता है। यदि सरकार द्वारा कोल्लम में अलग से काजू निदेशालय की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं तो यह बहुत प्रशंसनीय होगा।

(बारह) फैब्रिकेटेड रेलवे बोगी के विनिर्माण हेतु भारतीय रेल और स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड केरल (सिल्क) के संयुक्त उद्यम की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड केरल सिल्क एक सरकारी उपक्रम हैं जोकि ढलाई उद्योग से संबंधित एक अग्रणी उपक्रम हैं। इस उपक्रम द्वारा आयरन कास्टिंग, फैब्रिकेटेड स्टील और अन्य संबद्ध घटकों का विनिर्माण किया जाता है। भारतीय रेलवे में रेल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 2007-08 के बजट में यह घोषणा की थी कि फैब्रिकेटेड रेल डिब्बों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे और इस्पात उद्योग लिमिटेड केरल (सिल्क) मिलकर एक संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे और इसके लिए 85 करोड़ रुपये की धनराशि भी निर्धारित की गई है। रेलवे द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर केरल सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं ताकि संयुक्त उद्यम की स्थापना संबधी बाधाओं को दूर किया जा सके।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के महोबा में पान की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता और अन्य कृषि सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र महोबा में औषधीय गुणों से युक्त पान की खेती सदियों से होती चली आ रही है। यहां की मिट्टी पान उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, किन्तु पिछले तीन-चार सालों से सूखे ने लगभग 500 एकड़ में महोबा व आसपास के क्षेत्र में होने वाली पान की फसल को नष्ट किया है। महोबा का पान अपने कड़क व करारेपन के कारण देश-विदेश में बहुत पसंद किया जाता है। इसी पान को विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किंतु पान बरेजों की सिंचाई के लिए बनाए गए कुएं, कुइयां सूख ज़ाने से औषधीय देशावरी पान की खेती मुरझा गई है, वहीं पान से जुड़े पांच हजार किसानों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। चार सालों में ओलावृष्टि, पाला, अतिवृष्टि के कारण फसल चौपट हो गई है। वर्ष 2003 में जबरदस्त ठंड एवं कोहरे की चपेट से 90 फीसदी व 12 फरवरी, 2007 में ओलावृष्टि के कारण 80 फीसदी फसल नष्ट हो गई। पान किसान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिल कर दिन-प्रतिदिन अपनी इस समस्या से अवगत करा रहे हैं, उनमें आक्रोश व्याप्त है। वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में पूरी तरह से अक्षम हैं।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि पान की खेती को जीवित रखने के लिए पान पैदा करने वाले किसानों (चौरसिया) को तुरंत आवश्यक आर्थिक सहायता एवं आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के स्थायी बरेजों का निर्माण एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(चौदह) रेलवे द्वारा यात्रियों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, यूपीए सरकार द्वारा भारतीय रेलवे के खूब मुनाफे कमाने का देश-विदेशों में प्रचार किया जा रहा है, परंतु रेल यात्रियों को जो भोजन रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता कितनी खराब है, उस पर हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि रेल यात्रियों को परोसे जाने वाला भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक है और प्राइवेट रेलवे कैटरर्स द्वारा संचालित किचन में भोजन तैयार करते वक्त सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यही नहीं, प्राइवेट किचन में तैनात कर्मचारियों को खाना तैयार करने की मूल जानकारी तक नहीं है। यात्रियों को जो खाना रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, वह 6-7 घंटे पुराना होता है जबकि दो घंटों में ही खाना बासी होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, खाने को सुरक्षित रखने के लिए कूलिंग की उचित व्यवस्था भी नहीं है।

मुनाफा कमाना तो ठीक है परंतु यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना किसी भी कीमत पर जायज नहीं कहा जा सकता है। रेल यात्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी लापरवाहियों के बाद सरकार को उन ठेकेदारों/अधिकारियों/कर्मचारियों को चिंहित कर उनके खिलाफ तुरंत कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जिससे भविष्य में रेल यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस न कर सके।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वे रेल यात्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ी कमियों को दूर करते हुए बरती गयी खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(पन्द्रह) राजस्थान के भरतपुर में ताज ट्रपीजियम जोन में स्थित ब्रज पर्वतों का खनन कार्य रोके जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, राजस्थान के भरतपुर जिलान्तर्गत डीग तथा कामा तहसील में पड़ने वाले ऐतहासिक, सांस्कृतिक महत्व के ब्रज पर्वत "ताज ट्रपीजियम जोन" में स्थित है। इन पर्वतों को डायनामाइट से उड़ाकर विनाशकारी खनन काम किया जा रहा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक खनन तथा स्टोन क्रशिंग आदि किसी भी प्रदूषणकारी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह भी जानकारी में आया है कि केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2005 में इन पर्वतों के अवैध प्रदूषणकारी खनन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार को एक रिपोर्ट दिया था। लेकिन बिना अनुमति लिये ताज ट्रपीजियम जोन में स्थित इन पर्वतों का खनन किया जा रहा है, जिससे जहां केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन भी किया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ब्रज पर्वतों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की सहमति दी है।

उल्लेखनीय है कि कृष्णकालीन ब्रज पर्वतों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इनके खनन किये जाने से देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। ब्रज पर्वतों पर स्थित श्रीकृष्ण लीलास्थलियों को मिटाने से बचाने के लिए कई संगठनों द्वारा सत्याग्रह तथा शांतिपूर्ण आंदोलन भी चलाया जा रहा है। राष्ट्र के इस ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा का दायित्व केन्द्र सरकार का है।

अतः मैं चाहूंगा कि राष्ट्र के इस ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए केन्द्र सरकार मामले में हस्तक्षेप कर ताज ट्रपीजियम जोन में स्थित दिव्य ब्रज पर्वतों का खनन रोकने की दिशा में पहल करें तथा ब्रज पर्वतों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाए।

(सोलह) भारतीय रेल द्वारा अमरावती-मुर्तजापुर-यवतमाल रेलमार्ग का अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): महोदय, अमरावती-मुर्तीजापुर और यवतमाल के मध्य नैरोगेज रेल लाईन है। देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए साठ साल बीत चुके हैं लेकिन यह रेल पटरी और इसके स्टेशनों का रखरखाव इग्रज कंपनी के पास है। भारतीय रेल केवल इस पर अपनी ट्रेन चलाती है। विदर्भ के किसानों की यह 'लाइफ लाइन' है। यह ट्रेन ऐसे मार्ग से गुजरती है जहां से गरीब किसान, आदिवासी इससे यात्रा करते हैं। इग्रज कंपनी के अधिकार होने का कारण इस रेल मार्ग की मरम्मत, देखभाल नहीं हो पाती। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अब इस रेल मार्ग को भारतीय रेल द्वारा अपने अधिकार में लेना जरूरी है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

(सत्रह) कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी के पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खनिज संसाधनों का मालिक होने के बावजूद भी राज्य को उससे प्राप्त होने वाली रायल्टी इतनी कम है कि उससे इस खनिज क्षेत्र में विकास के क्रियाकलाप शुरू करना भी नामुमकिन है। लौह-

अयस्क की रायल्टी दर लौह अयस्क के बाजार मूल्य और उद्योगों तथा खनन कंपनियों को होने वाले लाभ की तुलना में काफी कम है। अतः सभी अनुसूचित खनिजों के लिए रायल्टी की दर का निर्धारण उसके मंशा मूल्य आधार पर होना चाहिए और इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

16 अगस्त, 2002 को कोयले की रॉयल्टी दर का पुनर्निर्धारण दिया गया था और इसका अगला पुनर्निर्धारण 16 अगस्त, 2005 को होना था। केन्द्र सरकार द्वारा कोयले की रायल्टी दर के पुनर्निर्धारण के लिए कोई कदम न उठाए जाने के कारण उड़ीसा को राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ रही है। उड़ीसा सरकार ने बताया है कि कोयले की रॉयल्टी दर के पुनर्निर्धारण में विलम्ब के कारण उड़ीसा सरकार को 10-10-1997 से 15.8.2002 की अवधि के दौरान अनुमानतः 750 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

मैं सरकार से कोयले की रॉयल्टी दर का शीघ्र पुनर्निर्धारण करने और यथा मूल्य आधार पर रायल्टी निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं ताकि इससे राज्यों को गैर-नवीकरणीय स्रोतों के क्षय हेतु उचित मुआवजा मिलने के अतिरिक्त राज्य को अवसंरचना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए भी पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सके। योजना आयोग और बारहवें वित्त आयोग ने साफ तौर पर रॉयल्टी के लिए यथा मूल्य आधार की सिफारिश की है। अब समय आ गया है कि हमें कोयले सहित सभी खनिजों की रॉयल्टी दर का निर्धारण यथा मूल्य आधार पर करना चाहिए और इसे शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए तथा यदि किसी कारण ऐसा पुनर्निर्धारण नहीं किया जाता है तो अनुदान सहायता के माध्यम से उड़ीसा को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जैसाकि ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है।

[अनुवाद]

(अठारह) पुडुचेरी में पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां दिये जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय निकाय पिछले 38 वर्षों से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें निलम्बन की स्थिति में रखा गया। उन्होंने 14.7.2006 को पुनः कार्य करना शुरू किया, जब स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। आज, स्थानीय निकायों के लगभग 1138 सदस्यों ने इन निकायों में पद ग्रहण कर लिये हैं। लेकिन 73वें और 74वें संशोधनों की संवैधानिक आवश्यकता के अनुसार इन निकायों को अभी तक शक्तियां नहीं सौंपी गई है, इनके कार्य नियत नहीं किये गये हैं, इनका स्टाफ तय नहीं किया गया है और इन्हें धनराशि आवंटित नहीं की गई है। भारत सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और पुडुचेरी के मंत्री ने जनवरी 2007 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसके अंतर्गत बजट में पंचायत क्षेत्र के लिए मार्ग खोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पुडुचेरी सरकार ने घोषणा मात्र की है कि वह शक्तियां सौंपे जाने की सिफारिश के लिए एक समिति का गठन करेगी। राज्य वित्त आयोग, ग्राम पंचायतों और नगरपालकाओं को शक्तियां सौंपे जाने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही स्पष्ट रूप से निर्धारित कर चुका है। सरकार पहले ही शक्तियों को सौंपे जाने के कार्य में लगभग 10 महीने विलंब कर चुकी है, जिससे स्थानीय निकाय के सदस्यों के बीच हताशा और निराशा फैल गई है। वे बंद और भूख हड़तालों का आयोजन करके नाराजगी पहले ही प्रकट कर चुके हैं। वे दिल्ली आने और आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। चूंकि शक्तियां सौंपे जाने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसलिए भारत सरकार की ओर से पुडुचेरी की धनराशि और अन्य सुविधाएं दिये जाने की संभावना दिखाई नहीं देती, जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। पुडुचेरी में राजनैतिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रश्न दांव पर लगा है, जो कि संवैधानिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के विपरीत है। इसलिए, यह आग्रह है कि भारत सरकार स्थानीय निकायों को शक्तियां सौंपे जाने का आदेश शीघ्र जारी करे।

(उन्नीस) जम्मू-कश्मीर में काजीगुंड से बारामूला तक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। जम्मू-कश्मीर में काजीगुंड से बारामूला तक घाटी के सभी महत्वपूर्ण कस्बे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसलिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजमार्ग चौड़ा किये जाने के अंतर्गत इस सड़क के दोनों ओर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विस्थापन सम्मिलित है। हजारों फुटकर विक्रेताओं सहित ऐसे सभी विस्थापित निवासियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पुनर्वास एक भारी भरकम कार्य है, जिसमें एक ओर तो भारी धनराशि शामिल है और दूसरी ओर कश्मीर घाटी के अति महत्वपूर्ण कस्बों में बाजार चलाने वाले सभी व्यापारियों के बीच असंतोष और बेचैनी पैदा होगी। एक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण किया जाना, कुछ विशेषज्ञों के नजर में व्यावहारिक सुझाव है। हम मांग करते हैं कि नई बिछाई गई रेल लाइन के साथ-साथ एक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण किया जाए जिससे बिना किसी अड़चनों के विश्वस्तरीय कनैक्टिविटी सुलभ हो सके। इस सड़क पर स्थित सभी महत्वपूर्ण कस्बों के बड़े बाजारों के लिए मुआवजा दिये जाने और उन्हें पुनःस्थापित किये जाने की कोई समस्या नहीं होगी और कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमाओं को

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

जोड़े जाने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की परेशानी और विस्थापित व्यापारी वर्ग की मुकदमेबाजी के बिना प्राप्त कर लिया जाएगा।

अपराह्न 3.02 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

डाकघरों में लघु बचत की ब्याज दर बढ़ाए जाने तथा इसे बैंकों की ब्याज दर के समतुल्य लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें:

> ''निक्षेपों के बहिर्गमन को रोकने तथा लघु बचतों के निक्षेपकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से डाकघरों में लघु बचतों की ब्याज दर को बढ़ाए जाने तथा इसे बैंकों में ब्याज दर के समान लाए जाने की आवश्यकता।

...(व्यवधान)

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):** लघु बचत योजनाओं की मूल अवधारणा छोटे निवेशकों को उनकी बचतों के लिए सुरक्षित अवसर और जोखिम रहित, निश्चित प्रतिलाभ प्रदान कर उनमें मितव्ययिता की आदत को बढ़ावा देना है। डाक जमाराशियां, बैंक जमाराशियों के सदृश होती हैं राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र तथा लोक भविष्य निधि माध्यम से दीर्घावधि योजनाएं हैं। इसके ऐतिहासिक परिदृश्य पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि ऐसी योजनाएं उस समय आरंभ की गई थीं जबकि बैंकिंग और पूंजी बाजार अपेक्षाकृत कम विकसित थे और शाखाओं के मार्फत बैंकों तक पहुंच सीमित थी।

जहां एक ओर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण बाजार से संबंधित अधिकांश ब्याज दरों को विनियमित किया गया है, वहीं दूसरी ओर लघु बचतों से संबंधित ब्याज दरों को निरंतर सरकार द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

डा. वाई.वी. रेड्डी, तत्कालीन डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में वर्ष 2001 में निर्धारित ब्याज दरों और अन्य संबंधित मुद्दों के संबध में गठित समिति ने लघु बचत योजनाओं पर निर्धारित ब्याज दरों के न्यूनतम मानदंड तय करने के मुद्दे की जांच की ताकि उन्हें बाजार की निर्धारित दरों के और अधिक अनुरूप लाया जा सके तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश भी की कि निर्धारित ब्याज दरों को जिसमें लघु बचत योजनाएं शामिल हैं, द्वितीयक बाजार में तुलनीय परपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत वार्षिक प्राप्ति पर प्रपत्र की परिपक्वता तथा नकदी पर निर्भर रहते हुए अधिकतम 50 आधार बिन्दुओं के अधीन उपयुक्त विस्तार के साथ होगी। इन सिफारिशों के आधार पर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को मार्च, 2003 से संशोधित किया गया। डा. राकेश मोहन, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में परामर्शदात्री समिति ने उपयुक्त न्यूनतम मानदंड के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की औसत प्राप्तियों को जारी रखने की सिफारिश की।

वर्तमान में, अल्पावधिक परिपक्वताओं (1 वर्ष/2 वर्ष) वाली सरकारी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मानदंड प्राप्तियां 1 वर्ष/2 वर्ष की डाकघर मियादी जमाराशियों की दरों की तुलना में क्रमशः 69 आधार बिन्दु और 61 आधार बिन्दु अधिक है। तथापि, तीन वर्षीय मियादी जमा दरें जी-सेक प्राप्तियों के बराबर हैं; और 5 वर्ष और इससे अधिक की मध्यावधिक और दीर्घावधिक परिपक्वताओं के मामले में, लघु बचत दरों में अभी भी दो आधार बिन्दुओं से 152 आधार बिन्दुओं का विस्तार है। जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का संबंध है, 5-वर्षीय वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत उनकी जमाराशियों पर तुलनीय परिपक्वता संबंधी सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्ति तुलना में 152 आधार बिन्दुओं का विस्तार है।

लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत संग्रहणों की राज्यों के राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु बचत जमा दरों में किसी वृद्धि से राज्यों को आगे उधार देने की दर में सहवर्ती वृद्धि अपेक्षित होगी। राज्य सरकारें यहां तक कि 25 वर्षों के लिए 9.5% मौजूदा दर (जिसमें 5 वर्षों की अधिस्थगन अवधि शामिल है) के प्रति अपने को सहज महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए उसमें होने वाली किसी बढ़ोत्तरी का उनके द्वारा विरोध किये जाने की संभावना है क्योंकि उच्च ऋण शोधन लागत उनके राजकोषीय सुधार को प्राप्त करने के प्रयासों को क्षति पहुंचाएगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6301/07।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): वित्त मंत्री बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं बुद्धिमान हूं अथवा नहीं। मुद्दा यह नहीं है। मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा हूं और आप मुझे व्यवधान पहुंचाना चाहते हैं। मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहा हूं।

राज्य सरकारों ने संबद्ध राज्यों से निवल संग्रहणों के 100 प्रतिशत का लाभ उठाने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है।

एक बेहतर प्रतिस्पर्धी बाजार द्वारा बचत योजनाओं का एक विस्तृत विकल्प प्रदान किए जाने के बावजूद, लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवल संग्रहण (अर्थात सकल संग्रहणों में से आहरणों को घटाकर जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिपक्वता पर मोचन शामिल है) अभी भी सकारात्मक रहे हैं। लघु बचत योजनाओं से जमाराशियों के किसी निवल बहिर्प्रवाह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, लघु बचत जमाराशियों की प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि केवल निर्धारित ब्याज दरों से ही लघु बचत योजनाओं के लिए मांग में अनिवार्य रूप से वृद्धि नहीं होती है।

चूंकि राष्ट्रीय लघु बचत निधि केन्द्र सरकार के लोक खाते का भाग है, इसलिए इसमें जमाकर्ताओं के हित पूर्णतः सुरक्षित है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अपील कर सकता हूं कि वह राज्य सरकारों को बलि का बकरा न बनाएं। वित्त मंत्री जी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज दर न बढ़ाने का कारण यह है क्योंकि राज्य सरकारों का यह मत है कि वह अधिक ब्याज नहीं दे सकते यदि वे इस लघु जमा राशि से ऋण लेते हैं। हमें राज्य सरकारों को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए।

यह एक अच्छे ढंग से निष्कपटता से बनाया गया वक्तव्य है। परन्तु भाषा की निष्कपटता माननीय मंत्री जी के मुख्य इरादे को नहीं छुपा सकती जो कि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के सबसे प्रबल समर्थक मंत्री हैं।

लघु बचतों पर ब्याज दर न बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वक्तव्य के अनुसार इसका मुख्य ध्येय है:

"ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐसी लिखतों को उस समय शुरू किया गया जब बैंकिंग और पूंजी बाजार आज की तुलना में अल्प विकसित थे।"

चूंकि अब अनुषंगी बाजार का विकास हो गया है माननीय मंत्री जी का निष्कपट इरादा यह सुनिश्चित करना है कि लघु बचतों का पैसा स्टाक मार्केट या म्यूच्यूअल फंड में जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु बचतों को सट्टेबाजी का हिस्सा बना देना चाहिए जिससे माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा देना चाहेंगे कि स्टाक मार्केट में तेजी बनी रहे। माननीय मंत्री जी बहुत नाखुश हैं कि लघु बचत योजना नकारात्मक नहीं हैं। यह एक नकारात्मक वक्तव्य है। यह सकारात्मक वक्तव्य नहीं है। परन्तु हम किस रुझान की ओर देख रहे हैं? वर्ष 2003-04 में एमआईएस से 6,383 करोड़ रुपये निकाले गये थे।

अगले वर्ष आहरण 4000 करोड़ रुपये तक बढ़ गया और 10504 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2005-06 में आहरण 15,770 करोड़ रुपये था जिसका अर्थ यह हुआ कि आहरण तेजी से बढ़ रहा था। फिर माननीय मंत्री कुल बचत की बात करते हैं। आंकड़े क्या हैं? मैं कुल जमा की गई धनराशि की बात कर रहा हूं। कुल जमाराशि का अर्थ है जमाराशि में से आहरण अदायगी को घटाया जाना। वर्ष 2004-05 में कुल जमा की गई राशि 96,788 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2006-07 में यह कम होकर लगभग आधी होकर 45,191 करोड़ रुपये हो गयी। यदि आज यह योजना नकारात्मक नहीं है, यदि बनाई गई नीति के जारी रहने दिया जाता है तो यह कुछ ही समय में नकारात्मक हो जाएगी। लघु निवेशकों के पूरे समूह को अपना पैसा वापस निकालना पड़ेगा और वे सट्टेबाजों अर्थात स्टॉक मार्केट की दया पर निर्भर हो जाएंगे। आज यह नकारात्मक नहीं है। यह कल या परसों नकारात्मक हो जाएगी। क्या मैं आदरपूर्वक यह पूछ सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा लघु बचत योजना को धीरे-धीरे समाप्त क्यों किया जा रहा है।

महोदय, बात यह है कि डाकघर देश का सबसे बड़ा बैंक है यह स्टेट बैंक से भी बड़ा है और पूरे देश में इसका अच्छा नेटवर्क फैला हुआ है और इस नेटवर्क के कारण गरीब लोग, थोड़े कम गरीब लोग, निचले मध्यम वर्ग के लोग सुरक्षित तथा सतत प्रतिलाभ के लिए अपना पैसा लघु बचत योजना में लगाते हैं। यह योजना इसी प्रकार निकाली गई थी। वे भविष्य में सुगमता के लिए पैसा जमा करते थे। वे आकस्मिक देयताओं-बिटिया की शादी या बेटे की शिक्षा के लिए पैसा जमा करते थे। इसका मुख्य कारण व्यापक पहुंच था। ग्रामीण क्षेत्रों में शायद कोई बैंक न हो परन्तु डाकघर जरूर होता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में न कि शहरी क्षेत्रों में, जहां माननीय मंत्री जी के उदारीकरण की बदौलत पांच-सितारा संस्कृति आ गई है-कार्य करने वाले किसान, स्कूल अध्यापक, छोटे व्यापारी सुरक्षित तथा निरंतर आमदनी के लिए अपना पैसा डाकघरों में ही जमा कराते थे। काफी वर्षों तक लघु बचतों पर ब्याज दर तथा बैंक में जमा राशि, चाहे वह दीर्घावधि के लिए थे, समान

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

थी और स्थिरता बनी हुई थी। अब यह स्थिरता भंग कर दी गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निजी बैंकों में जमा पर ब्याज दर में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी की नीति कि मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया जा सकता, की बदौलत लघु बचतों से आय कम हो गई है। मुद्रास्फीति के कारण ही लघु बचतों से होने वाली आय और कम हो गई है।

इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम निरंतर जमा राशि को निकालना हुआ था। इस जमाराशि को निकाले जाने के कारण ही योजना की नींव कमजोर हो गई और लघु निवेशकों का हित खतरे में पड़ गया। डाक प्रणाली पर गहरा असर पड़ा है। लघु बचतें जुटाना उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। निजीकरण की नीति की बदौलत उनके अन्य कार्य भी कम हो गए हैं। आज कल इतनी अधिक चिट्ठियां भी नहीं होती है। आजकल रजिस्टर्ड पार्सल भी बहुत कम हो गए हैं। पोस्ट कार्ड व्यवसाय भी आजकल इतना अधिक नहीं है। अत: भारत में डाक प्रणाली जो मुख्य कार्य करती है वह है लघु बचतें जुटाना। इसीलिए यदि आप इस योजना को समाप्त कर देंगे-जैसा कि माननीय मंत्री जी का इरादा है तो डाकघर रुग्ण हो जाएंगे, देश की एक प्रणाली रुग्ण बन जाएगी। आप इसे बन्द कर सकते हैं। या इसका निजीकरण कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह आपका विकल्प होगा कि इनमें से क्या करें यदि आप सत्ता में बने रहते हैं। मैं उस पर सवाल नहीं करूंगा। परन्तु बैंकों की रुग्णता मुद्दा नहीं है। रोजगार छिनने का प्रश्न नहीं है। उसकी लड़ाई कर्मचारी लड़ेंगे। परन्तु मूल प्रश्न यह है कि लघु बचत योजना को समाप्त क्यों किया जा रहा है? उनके द्वारा जारी वक्तव्य के कारण यह बात खुल गई है। वे स्टॉक मार्केट में लघु बचत को बढ़ावा देना चाहते हैं। वह निजी म्यूच्यूल फंड में लघु बचत निवेश को बढ़ावा देना चाहेंगे। इससे राज्य सरकारों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि श्री चिदम्बरम का वक्तव्य सच है या नहीं। परन्तु राज्य सरकारें लघु बचतों से बड़े ऋण लिया करती थीं। यदि यह योजना बन्द हो जाती है तो राज्य सरकारों के ऋण लेने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन्द हो जाएगा।

यह बड़ी हैरानी की बात है। सरकार लघु बचतों पर ब्याज दर को बढ़ाना नहीं चाहती। इसे 8 या 8.5 प्रतिशत से बढ़ाया नहीं गया है। परन्तु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वित्त मंत्रालय के निदेश के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े कार्पोरेट घरानों से भारी जमाराशि प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना ब्याज दिया जा रहा है? सत्ता के गलियारे की महत्वपूर्ण हस्तियों के मित्र, देश के राजनीतिक संरक्षकों के मित्र रिलायन्स, टाटा, डाल्मिया को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 13 से 14 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। टाटा को वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 13 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। परन्तु छोटे किसानों, छोटे शिल्पकारों, प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को 8.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं दिया जाता। माननीय मंत्री जी की सुविधा के लिए मैं उन्हें यह जानकारी दे सकता हूं कि हमारे संघ के अनुमान के अनुसार राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा कार्पोरेट घरानों से 13 से 14 प्रतिशत ब्याज दर पर 1,20,000 करोड़ रुपये लिये गये हैं। यह क्या व्यवस्था है? यह समानता के साथ वृद्धि है। यह सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है। क्या सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति का यही लोग लाभार्थी हैं।

यह सम्मिलित विकास है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 100 करोड़ रुपये जमा करने पर कार्पोरेट क्षेत्र को 13 से 14 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। परन्तु गरीबों, कम गरीबों तथा निचले मध्यम वर्गों को 8 से 8.5 प्रतिशत से अधिक भी नहीं दिया जाएगा। क्या यह न्याय है? क्या यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम है? क्या गरीबों के लिए केवल आंसू ही है? क्या दबे कुचले लोगों के साथ यही सहानुभूति है? सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक नीति का हर हिस्सा अमीरों को शय देता है और अमीरों के पक्ष में है। यह इसका एक अन्य उदाहरण है।

महोदय मैं यह चाहता हूं कि लघु बचत योजना समाप्त नहीं की जानी चाहिए। वे बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उन्हें बाजार यथा अर्द्धबाजार ब्याज दर देने में क्या समस्या है? वह इसे कम से कम 10 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्या समस्या है?

दूसरी बात सरकार एक विभाग को रुग्ण बना रही है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको एक बात बता सकता हूं। वित्त मंत्रालय के सारे गलत काम देश में वर्तमान राजनैतिक शासन के राजनैतिक भविष्य पर असर डालने वाले हैं, भले ही आज कोई आंसू न हो, पर शायद कल रोना पड़े। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी आलोचनाओं चाहे वह शत्रु अथवा विपक्ष या दोस्तों द्वारा की गई हों, पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने से मुझे लगता है कि लोगों की प्रतिक्रिया जो भी हो, इस नीति का लोगों पर जो भी असर पड़े वे अपनी नीति जारी रखेंगे।

महोदय, इस सरकार ने पंजाब से कोई राजनैतिक पाठ नहीं पढ़ा, न ही उत्तरांचल इन्हें होश में ला पाया शायद उत्तर प्रदेश यह कर सके। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जहां तक लघु बचतों का सवाल है वह अपनी कठोर, अपरिवर्तनीय ब्याज नीति पर पुनर्विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों हालांकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं एक विशेष मामले के रूप में मैं चार अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा हूं। उनसे अनुरोध है कि एक मिनट की समयावधि के भीतर केवल स्पष्टीकरण मांगें और लम्बे भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने बड़े विस्तार से अपनी बातें कही हैं और यह भी सत्य है कि डाकघरों में जो भी एकाउंट्स हैं, उनमें ज्यादातर किसान और गरीब लोगों के ही एकाउंट्स खुले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ग्राहकों को प्रोत्साहन स्वरूप बैंकों की तरह डाकघरों में भी ब्याज की धनराशि सुनिश्चित की जाए या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज की व्यवस्था वहां पर की जाए तभी हमारे किसान और गरीब लोगों के एकाउंट्स जो डाकघरों में खुले हैं, वे और ज्यादा डाकघरों में एकाउंट्स खोलने के लिए आकर्षित होंगे और इस तरह से डाकघरों में ज्यादा निवेश हो सकेगा तथा उनकी स्थिति भी सुदृढ़ हो सकेगी।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय तीन या चार भागों में एक प्रश्न पूछूंगा।

हमारे देश में बचत दर शायद 32 से 33 प्रतिशत तक बढ़ी है। इसमें से अधिकांश घरेलू बचत है। इसमें से 70 प्रतिशत से भी अधिक लघु बचत है। जहां तक ब्याज दर का सवाल है बैंक दर और लघु बचत दर में काफी बड़ा अंतर है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

महोदय यह सच नहीं है कि डाक बचत से काफी सारा पैसा बैंकिंग प्रणाली में पहले ही हस्तांतरित हो गया है? यदि ऐसा है तो पिछले सात-आठ महीनों के दौरान ऐसा हस्तांतरण कितनी मात्रा में हुआ है?

दूसरी बात, क्या यह बचत को हतोत्साहित नहीं कर रहा है? यह सच मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डाक तथा लघु बचत जिसे इस देश के कोने-कोने से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जुटाया जा सकता है और बैंकिंग प्रणाली में शायद ही ऐसी कोई व्यवस्था है, तथापि माइक्रो फाइनैंस हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही हैं। यह बिल्कुल अलग बात है। अतएव मैं जानना चाहता हूं कि यह जनसामान्य निम्न, मध्य वर्ग और अन्य लोगों के बीच बचत को हतोत्साहित करना नहीं है।

अंततः सरकार की बचत प्रोत्साहन नीति क्या है यदि उन्होंने बचत नीति के विद्यमान प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया है? पहले यह बताया गया है कि सरकार लोगों को पूंजी बाजार में जाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जनसामान्य, छोटे निवेशकों को पूंजी बाजार के संचालकों तथा हेरा-फेरी करने वालों द्वारा लूटे जाने की दिशा में एक और कदम है।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि लघु बचत योजनाओं में से जमाराशियों के भारी मात्रा में निकाले जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या वे 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लिए बचत दर 32 प्रतिशत तक बढ़ाना नहीं चाहते हैं?

दूसरी बात क्या गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए स्टाक बाजार या म्युचुअल फंड ही केवल बचत का उपाय रहेगा:

अंततः क्या लघु बचत का राज्य सरकारों के अलावा किसी और के द्वारा उपयोग नहीं हो सकता है?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण में लघु बचत योजनाओं में से भारी धनराशि को निकालने का उल्लेख है लेकिन लघु बचत योजनाओं से किसी निवल भारी जमाराशि को निकालने का कोई साक्ष्य नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस प्रकार जानकारी प्राप्त की। यह माननीय मंत्री को उत्तर देना है।

एक चीज हुई है कि कोई अन्तःप्रवाह नहीं है क्योंकि कोई भी लघु बचत योजनाओं में अब जमा करने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री के अनुसार, यह गलत अवधारणा है। सामान्य अवधारणा यह है कि लोग लघु बचत योजनाओं में जमा करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि बैंक अधिक ब्याज देता है तथा जनसामान्य के बीच यह महसूस किया जाता है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक के बीच, कि लघु बचत योजनाओं में जमा करना उनके हित में नहीं होगा।

वस्तुतः एक बात तय है कि सुरक्षा है। यह सही है। लेकिन इसे दूसरी तरह से महसूस किया जाता है। अतएव, मैं माननीय मंत्री से इन सभी बेसिस प्वाइंट, 152 प्वाइंट तथा बेंच मार्क स्थिति पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। अतएव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वापस लेना संभव नहीं होगा। बहिर्प्रवाह अन्य प्रतिबंधों के कारण कम हो सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह बढ़ रहा है। बहिर्प्रवाह विस्फोटक दर से भी बढ़ रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं उस तथ्य का विरोध नहीं करता हूं। मैं केवल यह कहता हूं कि अन्त:प्रवाह नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय मंत्री का उत्तर दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कई अन्य कारणों से बहिर्प्रवाह पर प्रतिबंध है। यह बेंच मार्क, बेसिस तथा सुरक्षा व्यवस्था यह सभी घटक है। लेकिन अन्तर्प्रवाह कम है।

मैं माननी मंत्री से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा, प्रयोगात्मक उपाय के रूप में, कम से कम, लघु बचत योजनाओं के लिए 0.5 प्रतिशत ब्याज बढ़ाया जाए ताकि जनसामान्य, वरिष्ठ नागरिक लघु बचत योजनाओं के क्षेत्र में आएं।

श्री पी. चिदम्बरम: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अनुसार मेरा वक्तव्य विस्तृत तथा स्वत: स्पष्ट था। इसके आंकड़े को कोई भी देख सकता है। एनएसएसएफ में सकल संग्रहण प्रत्येक वर्ष निवेशकों द्वारा किया गया निवेश है। आहरण का मतलब यह नहीं है कि लोग लघु बचत योजनाओं को छोड़ रहे हैं। आहरण, जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा, परिपक्वता पर मोचन है।

अपराह्न 3.31 बजे

[**श्री बालासाहिब विखे पाटील** *पीठासीन* हुए]

मान लीजिए, पांच वर्ष पूर्व किसी पांच वर्ष की बचत में सकल संग्रहण की बहुत बड़ी राशि आई थी। पांच वर्ष के अंत में तदनुरूप मोचन किये जाएंगे तथा यह आहरण तालिका में प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार, तीन वर्ष पूर्व यदि तीन साल की बचत लिखतों में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा की गई तो तीन वर्ष बाद यह निकाल ली जाएगी तथा आहरण तालिका में प्रदर्शित होगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ये सहमत नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। कृपया सहयोग करें। हम मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने मुताबिक बोलने दें।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने भाषण दिया तथा प्रश्न पूछे। मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: हमें सच्चाई जानने दें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि बात झूठी हो तो आपके पास विशेषाधिकार है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: श्री राधाकृष्णन ने जैसा कहा उसके विपरीत आहरण का मतलब यह नहीं है कि लोग एनएसएसएफ छोड़ रहे हैं। आहरण योजना से आहरण तथा मोचन है जो आहरण तालिका में प्रदर्शित होता है। प्रश्न यह है कि क्या एनएसएसएफ से निवल आउटफ्लो है। जैसाकि मैंने कहा उत्तर है-नहीं। सकल जमा से आहरण घटाने पर काफी ज्यादा मात्रा में धनराशि बचती है। वास्तव में एनएसएसएफ एक बहुत बड़ा खाता है तथा मेरे पास आंकड़ों के अनुसार मैं निकट भविष्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं देखता हूं कि जैसाकि एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि एक एसएसएसएफ समाप्त हो रहा है या बन्द हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। यह परिस्थिति को भयावह बनाने वाला विवरण है। ऐसा देने का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है? *...(व्यवधान)*

प्रश्न पूछे गए हैं तथा मैं उत्तर दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरा करने दें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री पी. चिदम्बरम: यह केवल ध्यानाकर्षण है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुझे आंकड़े दें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे आंकड़े दे सकते हैं। आंकड़ों की समस्या नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल अपने ढंग से ही उत्तर दे सकता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री दासगुप्त, उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः यदि यह वार्तालाप चलती रही तो कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जा रहा है। वे अनुमति नहीं दे रहे हैं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरमः यदि मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। मेरे विद्वान दोस्त गुस्सा हो सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया सहयोग करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरमः 2006-07 में फरवरी 2007 तक, हमारे पास मार्च का अंतिम आंकड़ा नहीं है-सकल संग्रहण 1,56,755 करोड़ रु. था। भोजन सहित आहरण 1,11,564 करोड़ रु. था। अतएव, फरवरी, 2007 तक 2006-07 में निवल संग्रहण 45,191 करोड़ रु. था। मेरे विचार से एनएसएसएफ से किसी निवल बहिर्प्रवाह का कोई साक्ष्य नहीं है। यह एनएसएसएफ में निवल वृद्धि हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः तुलनात्मक रूप से यह घट रहा है।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, यदि मुझे बाधित किया जाएगा तो मैं उत्तर कैसे दूंगा?

सभापति महोदयः इन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरमः मेरे विचार से बाधा पहुंचाना और भड़काना उद्देश्य है, उत्तर सुनना नहीं।

सभापति महोदयः श्री दासगुप्त, कृपया सहयोग करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप एक विद्वान सदस्य हैं: आप एक सक्षम सदस्य हैं। वह आंकड़ों से इतर बात नहीं कर सकते हैं और जो भी सोचते हैं वह कह सकते हैं। मैं आपके अनुसार उन्हें उत्तर देने को बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री पी. चिदम्बरमः दूसरी बात यह है कि जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, ये इन्स्ट्रूमेंट्स तब लगाए गए थे जब बैंकिंग प्रणाली और साथ ही पूंजी बाजार विकसित नहीं थे। पूंजी बाजार की बात छोड़ दें, मैं ऐसे राजनीतिक दलों को जानता हूं जिन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड में निवेश किया। पूंजी बाजार को छोड़ दें, बैंकिंग प्रणाली की बात करें।

10 या 20 वर्ष पहले से अलग आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 48,098 शाखाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,488 शाखाएं हैं, सहकारी बैंकों की 13,811 शाखाएं हैं और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित अन्य बैंकों की 6,805 शाखाएं हैं।

हमारे पास विशाल बैंकिंग नेटवर्क है। जबसे संप्रग सरकार सत्ता में आयी है गत तीन वर्षों में हमने वित्तीय सर्वभागिता पर बल दिया है। वस्तुतः डा. रंगराजन की अध्यक्षता में हमारे पास एक समिति है जिसने वित्तीय सर्वभागिता पर एक अंतरिम रिपोर्ट दी है। बैंक बिना शर्त खाता खोल रहे हैं। आज कई बैंक आरंभिक जमा के रूप में 5 रु. से खाता खोले जाने की अनुमति दे रहे हैं और कुछ तो शून्य रू. आरंभिक जमा से भी खाता खोल रहे हैं।

कई बैंक हैं जिन्होंने एक या अधिक जिलों में शत प्रतिशत वित्तीय सर्वभागिता प्राप्त की है। उदाहरणार्थ, केरल के एक जिले पालघाट में शत प्रतिशत वित्तीय सर्वभागिता है। पुडुचेरी में एक बैंक ने शत प्रतिशत वित्तीय सर्वभागिता प्राप्त की है। अतः लोग बैंक जमा में भी निवेश कर रहे हैं, बैंक खाता खोल रहे हैं और अपना पैसा उसमें रख रहे हैं। अब, मैं किसी को यह नहीं कह सकताः "सुनिए, आपको अपना पैसा बैंक खाता में नहीं रखना चाहिए और आपको अपना पैसा केवल डाकघर खाते में रखना चाहिए।" आज उसके पास विकल्प हैं, कुछ वर्षों पहले जो विकल्प था उससे कहीं ज्यादा विकल्प। उसके पास डाकघर खाता का विकल्प है, बैंक खाता का विकल्प है, यूटीआई म्युचुअल फंड जो एक सरकारी क्षेत्र का फंड है, संचित म्युचुअल फंडों का विकल्प है, एलआईसी म्युचुअल फंड है जो एक सरकारी क्षेत्र का फंड है। क्या हम यह कह रहे हैं कि उसे अपना पैसा म्युचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए? बचत के कई विकल्प आज उपलब्ध हैं।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि श्री रूपचंद पाल ने एक बात का सही उल्लेख किया है। यदि जैसा आरोप लगाया गया है, हमारी नीतियां वैसी अनुत्पादक हैं तो संप्रग सरकार के शासनकाल में बचत दर चार प्रतिशत कैसे बढ़ी है, और निवेश दर तीन प्रतिशत कैसे बढ़ी है? यदि हम इतने मंदबुद्धि हैं कि हम गलत नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं तो बचत दर तीन प्रतिशत कैसे बढ़ी है? बचत का आधा हिस्सा वित्तीय बचत है। यह अच्छी बात है या बुरी बात है? बचत का आधा हिस्सा वित्तीय बचत है और आज वित्तीय बचत में डाक बचत, बैंक बचत और अन्य लिखतों में बचत शामिल है। केवल इसी प्रकार बचत बढ़ेगी और हमारी नीतियां बचत को बढ़ावा दे रही है, यदि कोई आर्थिक सर्वेक्षण अथवा मौद्रिक विकास संबंधी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ने का कष्ट उठाए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

तो यह स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुत: हमें अपनी नीतियों पर गर्व है कि वे डाकघर लिखत सहित कई प्रकार के लिखतों में बचत को बढ़ावा दे रही हैं।

महोदय, इस सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नौ प्रतिशत बचत योजना शुरू की है। पहले ऐसा नहीं था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आकर्षक बचत योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने नौ प्रतिशत बचत योजना शुरू की है।

महोदय, कुछ प्रश्न पूछे गए थे। मैं उन प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देता हूं। एक प्रश्न था कि मैं राज्य सरकारों पर आरोप टाल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। एनडीसी ने एक उपसमिति नियुक्त की। उप समिति को एनएसएसएफ पर रिपोर्ट देने को कहा गया। उप समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की। उपसमिति से राज्यों ने कहा: ''राज्यों द्वारा एनएसएसएफ से लिये जाने वाले उधार पर ब्याज दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया जाना चाहिए।'' वे एनएसएसएफ से जिस दर पर उधार लेते हैं उसमें कटौती चाहते थे।

उप समिति, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी थे, ने सर्वसम्मति से पांच सिफारिशें की। पहली सिफारिश थी कि राज्यों को उधार लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए-मैं दुहराता हूं कि राज्यों को उनके राज्य से हुए निबल संग्रहण का शत प्रतिशत उधार लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, उनके दायित्व और देनदारियां 80 प्रतिशत पर सीमित होनी चाहिए। वे कहते हैं: ''हम अपने राज्य के निबल संग्रहण का शत प्रतिशत उधार नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऋण का ब्याज दर उच्च है।'' तब वाद-विवाद के पश्चात् मैं सहमत हुआ कि पुराने ऋण समेकित होंगे और 1 अप्रैल 2007 से पुराने ऋणों पर ब्याज दर घटाकर 10.5 प्रतिशत की जाएगी, और नए ऋणों के लिए मैं ब्याज दर घटाकर 9.5 प्रतिशत करने पर सहमत हुआ। आज वे 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार लेते हैं और वे 7.5 प्रतिशत चाहते हैं। और तब राज्य सरकारों ने अनुरोध किया कि खुले बाजार से उधार को अनुमति दी जाए, और उन्होंने एनएसएसएफ ऋण के पूर्व भुगतान के लिए अनुरोध किया। वे एनएसएसएफ ऋण का पूर्व भुगतान करना चाहते हैं।

वे उदार लेना नहीं चाहते हैं; वे एनएसएसएफ ऋण लौटाना चाहते हैं। इस पर भी मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। यह एनडीसी उप समिति की रिपोर्ट है। ये पांच सिफारिशें हैं। एनडीसी उप समिति के सदस्यों राज्य वित्त मंत्रियों द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गयी हैं, इस रिपोर्ट को पूरे एनडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री गण सदस्य होते हैं। एनएसएसएफ के ब्याज दर को बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं है। इसके विपरीत, एनएसएसएफ जिस दर पर राज्य सरकारों को ऋण देता है उसे कम करने की मांग है और अतएव, हमने इसे घटाकर 9.5 प्रतिशत किया है। यदि आप एनएसएसएफ निक्षेप पर ब्याज दर बढ़ाते हैं तो आपको उसी अनुसार वे जिस दर पर उधार लेते हैं उस ब्याज दर को बढ़ाना होगा और वे उधार लेना नहीं चाहते हैं। वे शत प्रतिशत उधार लेना नहीं चाहते हैं, वे 9.5 प्रतिशत पर भी उधार लेना नहीं चाहते हैं, और वे एनएसएसएफ ऋण लौटाना चाहते हैं।

अतएव, महोदय, डा. वाई.वी. रेड्डी समिति द्वारा सिफारिश की गयी नीति जिसकी एक बार पुन: डा. राकेश मोहन समिति द्वारा पुष्टि की गयी, एक सही नीति है, वह नीति है ब्याज दर को सरकारी प्रतिभूति दर के मानदंड पर लाया जाए और हमने यही किया है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक या दो वर्षों के लिए सरकारी प्रतिभूति की दर एनएसएसएफ दर से थोड़ी अधिक है। किन्तु सरकारी प्रतिभूति दर चालू मुद्रा व्यवस्था का एक भाग है। यदि आरबीआई बैंक दर को नियंत्रित करता है तो सरकारी प्रतिभूति दर भी शीघ्र ही कम हो जाएगी। किन्तु तीन वर्ष या उससे अधिक के बाद एनएसएसएफ दर प्रतिस्पर्धी हैं, जिसकी तुलना सरकारी प्रतिभूति दर से की जा सकती है। वस्तुत: चरण बिन्दु पर यह तुलना योग्य सरकारी प्रतिभूति दर से 152 आधार बिन्दु ऊपर है।

महोदय, कुछ प्रश्न पूछे गए थे। श्री शैलेन्द्र मुझसे उत्तर चाहते थे: ''क्या मैं इसे बैंक दर के समतुल्य बनाऊंगा?'' मुझे खेद है; एनएसएसएफ दर को सरकारी प्रतिभूति दर के समतुल्य करने की सिफारिश की गयी है, और यही प्रयास किये जा रहे हैं। यह नीति जारी है।

श्री रूपचंद पाल ने मुझसे पूछा। उनके चारों प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर देना बहुत सरल है। क्या डाकघरों से पैसे निकलकर बैंकों में गए हैं? संभवत: हां। किन्तु यदि पैसा डाकघरों से निकलकर बैंकों के पास जाता है तो जरूरी नहीं कि यह खराब बात हो। वस्तुत: इसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बचत को हतोत्साहित किया जा रहा है? उत्तर है, 'नहीं'। क्या सरकार डाकघरों में बचत को हतोत्साहित कर रही है? उत्तर है नहीं। क्या सरकार लघु बचतों को बाजार में लगा रही हैं? उत्तर है, नहीं।

महोदय, श्री स्वाईं जानना चाहते थे: क्या बचत दर बढ़नी नहीं चाहिए? बढ़नी चाहिए। किन्तु यह बढ़ी भी है। राजग सरकार के अंतिम वर्ष में यह बढ़ी थी किन्तु संप्रग सरकार के तीन वर्षों में यह बहुत तेजी से बढ़ी है। क्या पूंजी बाजार ही एक मात्र रास्ता

होना चाहिए? जी नहीं, पूंजी बाजार ही एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए। इसीलिए, हमारे पास बचत लिखत के कई उपाय हैं जिनमें से एक है पूंजी बाजार लिखत। पूंजी बाजार लिखत हैं-इक्विटी लिखत, ऋण लिखत और म्युचुअल फंड। कई प्रकार के लिखत उपलब्ध होने चाहिए। इस देश में हमारे पास कई प्रकार के लिखत हैं तथा हम और प्रकार के लिखत आरंभ करेंगे।

डाकघर बचत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है तथा लोगों को डाकघर के जरिये भी बचत करनी चाहिए। क्या किसी अन्य को एनएसएसएफ का उपयोग नहीं करना चाहिए? सही है। मैंने अपने बजट भाषण में सुझाव दिया, मैंने प्रस्ताव किया था कि यदि राज्य सरकार 80 प्रतिशत भी नहीं लेती हैं तो वे बाध्यकारी हैं, तब एनएसएसएफ का क्या होगा? इसलिए मैंने कहा कि आईआईएफसीएल को एनएसएसएफ का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। विवरण तैयार किया जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि देयताओं के घटकर 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत होने से तथा ब्याज दर कम होकर 9.5 प्रतिशत होने से मुझे आशा है कि राज्य सरकार उस राज्य में एनएसएसएफ में संग्रहित निवल धनराशि का पूरी तरह से उपयोग करेंगे।

सभापति महोदय: अब, हम मद सं. 15 पर चर्चा करेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, वित्त मंत्री जी ने अनजाने में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं और कुछ नहीं कहता। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया था कि कार्पोरेट जमाकर्ताओं के लिए बड़ी धनराशि जमा कराने पर बैंक उन्हें 13 से 14 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं, आर्थिक रूप से यह न्यायपूर्ण कैसे हैं कि छोटे जमाकर्ताओं को केवल 8.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा?

सभापति महोदय: यह बैंकों का काम है। वह क्या कर सकते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने डाकघर जमाओं पर ब्याज दर निर्धारित करने संबंधी नीति बता दी है। बैंक फरवरी से मार्च के महीने में उच्च ब्याज दरों पर भारी मात्रा में धनराशि जमा कर लेते हैं तथा यदि किसी ने वह प्रेस रिपोर्ट पढ़ी है तो जिसमें मैंने गत बैठक में बैंकों से कहा था कि सरकार ने बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दरों पर भारी मात्रा में धनराशि जमा किये जाने को बहुत गंभीरता से लिया है।

यह धरोहर का विषय है। यदि आपने 12 महीने बाद पिछले वर्ष ऐसा किया है तो इस मार्च में भी ऐसा करने को बाध्य होंगे। यदि आप इस मार्च में ऐसा करते हैं तो आप अगले मार्च में भी ऐसा करने को बाध्य होंगे। यदि आप इस मार्च में ऐसा करते हैं तो आप अगले मार्च में भी ऐसा करने को बाध्य होंगे। वस्तुतः सरकारी क्षेत्र की कंपनियां फरवरी तथा मार्च के महीने में 15 दिनों से 20 दिनों की जमाराशि पर ब्याज दरों की बोली लगाने को कह रही हैं। यह धरोहर का विषय है। यह कई वर्षों से चल रहा है। मैंने इसे गम्भीरता से लिया है। मैंने बैंकों से कहा है कि उन्हें भारी मात्रा में जमा धनराशि पर उच्च ब्याज दर के लिए बोली लगाते समय एक दूसरे से अधिक ब्याज दर नहीं लगानी चाहिए। मेरे दृढ़ता से पक्ष लेने के बाद आईबीए ने एक समिति का गठन किया जिसके जरिये वे नीति बनाएंगे जिसके जरिए बैंक फरवरी तथा मार्च के महीने में 15 दिनों, 20 दिनों तथा 30 दिनों के लिए भारी मात्रा में धनराशि जमा नहीं कर पाएंगे जो कि उन्हें पिछले वर्ष ली गई धनराशि को चुकाने के लिए धनराशि जमा करनी पड़ेगी। यह धरोहर का प्रश्न है तथा मैं इस धरोहर को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं।

सभापति महोदय: मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, सभा मद सं. 15 पर चर्चा करेंगे।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा पेश किये गये विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 का स्वागत करता हूं।

महोदय, सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सभी गांवों तथा ढाणियों को विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश है। वर्ष 2003 के विधेयक लागू होने से उस खर्च को वहन करने का दायित्व सरकार पर है। यह हमारा अपना अनुभव है कि जब हम गांवों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां गरीब लोग रहते हैं, जाते हैं तो वहां के लोग विद्युत आपूर्ति की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास विद्युत की आपूर्ति नहीं है, उनके पास गलियों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। यदि हम राज्य सरकार के अधिकारियों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि लगभग 12 खम्भे लगाये जाने हैं तथा तार खींचे जाने हैं तथा इसके लिए उनके पास धनराशि नहीं है। यह कई वर्षों चलता रहता है। इसलिए इस विधेयक के अंतर्गत पूंजी परिव्यय पर 90 प्रतिशत तक की छूट निःसंदेह गांवों तथा कस्बों के लिए वरदान है। यह भी देखने में आया है कि जब

[श्री के.एस. राव]

भी कोई ऐसी व्यवस्था शहरी क्षेत्र के लिए भी जाती हैं चाहे वह विद्युत आपूर्ति या संचार या जलापूर्ति या कोई अन्य चीज जो लोगों की जरूरत हों, तो इसमें संबंधित संगठन उनके लिए विशेष रुचि दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरों में उन्हें पर्याप्त उपभोक्ता मिलने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति निवेश भी कम आता है।

सभापति महोदय: यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

श्री के.एस. राव: लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है, यदि 100 आवास है, 100 परिवार एक गांव में रहते हैं तथा क्षेत्र मुख्य आपूर्ति स्थान से दूर है तो ऐसी आपूर्ति करने में लागत काफी आती है। अत: कोई भी आगे नहीं आएगा। राज्य सरकार कहेगी कि उसके पास धनराशि नहीं है। ऐसी दयनीय स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है। इसलिए यदि हम अपने देश में विकास की प्रक्रिया को बनाए रखना चाहते हैं तो इसकी आपूर्ति करना हमारा कर्त्तव्य है। यदि इसका अर्थ है कि विकास केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। इसलिए सभी लोग, विशेषकर गरीब वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। जब तक आपूर्ति तथा सुविधाएं इन क्षेत्रों के लिए नहीं बढ़ाई जाती हैं तब तक लोग शहरों में पलायन करते रहेंगे। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तथा लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं। अधिकांश गांवों में जब हम लोगों के घर जाते हैं, चाहे वे गरीब हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, वे खाली पड़े हैं क्योंकि वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस अधिनियम में इन सब बातों का उपबंध है, इस देशाटन को समाप्त करेगा तथा यह विचार पैदा करता है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहरी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युत आपूर्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए तो कोई भी शहरी क्षेत्रों में जाने की नहीं सोचेगा। यहां कुछ उपबंध है जिनका उल्लेख माननीय मंत्रीजी ने किया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत भारत की संचित निधि से 16,225 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उसमें से 14,750 करोड़ रुपये केवल लाइन के लिए राजसहायता में रखे गए हैं जोकि अच्छी बात है। पहला चरण 2005-06 में शुरू हुआ था जिसमें भारत की संचित निधि से 5000 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें इस निधि का उपयोग सही तरीके से तथा मितव्ययितापूर्वक हो।

ऐसा इसलिए लागू करने वाले संगठन केवल राज्य सरकारों के ही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इसका उपयोग भलीभांति करें। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी उचित निगरानी किये जाने की आवश्यकता है तथा केवल उन्हें राजसहायता देने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए।

दूसरी बात विद्युत की चोरी से संबंधित है। विद्युत की बहुत अधिक चोरी होती है। कभी-कभी ऐसा देखने में आया है कि विद्युत की चोरी 30 से 40 प्रतिशत तक दर्ज की जाती है। इतना ही नहीं पारेषण हानि भी काफी है। अत: इन्हें नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। ऐसा विशेषकर चोरी को नियंत्रित करना तभी संभव होगा जब विद्युत की चोरी करने वालों को यह अहसास हो कि उन पर निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसा करने पर वे कठोर दंड के भागी होंगे। पहले मामले की जांच करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं थे। अब इसमें संशोधन कर दिया गया है तथा वह उपबंध भी किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ विशेष न्यायालय भी बनाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को तुरंत दण्ड मिले।

सामान्यत: गलती करने वाले व्यक्ति पर तभी रोक लगाई जा सकती है, जब उसे कड़े दंड का भय होगा। अन्यथा, संभाव्यता के विधान के अंतर्गत भी वे सोचेंगे कि यदि इस बारे में से एक बार पकड़े जाएं तो भी वे नियमित रूप से गलती करने को सही मानेंगे। मेरी राय है कि दंड और अधिक होना चाहिए, 10,000 रु. अथवा 20,000 रु. नहीं होना चाहिए। जब यह पाया जाए कि एक व्यक्ति जानबूझकर विद्युत का दुरुपयोग कर रहा है, उसे पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए।

परन्तु कतिपय मामले ऐसे होते हैं, जहां जानबूझकर नहीं बल्कि अज्ञानता के कारण मीटर की सीलिंग अथवा इस प्रकार की अन्य बात में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ऐसे मामलों में उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए और फिर वास्तविक दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यहां यही हो रहा है। इस संबंध में कुछ उपबंध किया जाना चाहिए।

विद्युत की उपलब्धता के बारे में दुर्भाग्यवश आंकड़े बताते हैं कि घरेलू खपत के लिए यह 79 किलोवाट घंटा है, जोकि वर्ष में 79 यूनिट है। इसका अर्थ हुआ एक परिवार में आज एक बल्ब पांच घंटे इस्तेमाल होता है। यह बहुत ही दयनीय है। 40 वाट के एक बल्ब का पांच घंटे इस्तेमाल औसत खपत है। हम समझ सकते हैं कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग बिजली की आपूर्ति के बिना ही किस प्रकार से रह रहे हैं।

पहले, यह कठिन था क्योंकि विद्युत उत्पादन पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में था। उस समय हम कहा करते थे कि सरकार के पास निवेश करने के लिए धन नहीं है और इसीलिए विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता। परन्तु आज, वैश्वीकरण के इस दौर में एक नया अधिनियम लाकर निजी बेंच को विद्युत उत्पादन करने का अधिकार दिया है, हमें उन्हें अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस देश में विद्युत उत्पादन करने वाले लोग पर्याप्त संख्या में हैं। होना केवल यह चाहिए कि सरकार को उन्हें प्रेरित करना चाहिए और कानून में संशोधन इस प्रकार करना चाहिए जिससे सभी लोग प्रोत्साहित हों।

कई बार जो कुछ होता है, वे सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से होता है, वे विद्युत संयंत्र की लागत बढ़ा रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि यह उत्पादन का पांच करोड़ प्रति मेगावाट है। आरंभ में, जब यह निजी क्षेत्र के लिए खुला था कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया था और कहा था कि पूंजी निवेश लगभग चार करोड़ रु. अथवा 4.5 करोड़ रु. अथवा पांच करोड़ रु. प्रति मेगावाट है और तब उसके आधार पर उन्होंने विद्युत की यूनिट का मूल्य निर्धारित किया था। इसका अर्थ हुआ कि यह लोगों पर भार है। विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति की लागत को कम करने के लिए ही निजीकरण किया जाना चाहिए, विद्युत की लागत बढ़ाने के लिए नहीं, जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसीलिए, माननीय मंत्री महोदय से मेरा सविनय निवेदन है कि वह निजी क्षेत्र को एक-दूसरे से स्पर्धा करने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रेरित करें, जोकि अब संभव है। विशेषकर जब डालर का मूल्य काफी कम हो रहा है, विद्युत उत्पादन की पूंजी लागत को दो करोड़ प्रति मेगावाट किया जा सकता है, जिसका अर्थ हुआ वर्तमान लागत का आधा। उन्हें केवल अधिक से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यहां लाल फीताशाही बहुत खराब भूमिका निभा रहे हैं। यदि लाल फीताशाही को कम किया जाए और यदि इसे एक ही स्थान से उपलब्ध कराना जाए तो काफी लोग आगे आएंगे और विद्युत का उत्पादन करेंगे तथा जब देशभर में विद्युत सरप्लस में उपलब्ध होगी और तब हम इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब लोगों को यह उपलब्ध करा पाएंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अब यह संशोधन लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने इस सभा में यह बिजली (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है। यहां इस पर काफी चर्चा हुई और बहुत से राज्यों ने अपनी राय दी *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय मुझे लगता है कि अब हमारे दल के सदस्य को बोलने के लिए बुलाया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जब चर्चा शुरू हुई थी, तब पिछले शुक्रवार को श्री कीरेन रिजीजू भाजपा की ओर से बोले थे। उनके बाद श्री के.एस. राव ने बोलना शुरू किया। हम बारी-बारी से चल रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम प्रक्रिया के अनुसार ही चल रहे हैं। हम प्रक्रियाओं की अनदेखी नहीं कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, हम इसका ध्यान रखेंगे।

श्री पी. करुणाकरन: कई राज्यों ने अपनी राय दी है। यह विधेयक स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था और स्थायी समिति ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद, जिसमें कि उनके सुझाव थे, मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक संशोधनों को विधेयक में शामिल किया गया है। अतः उस दृष्टि से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

इस विधेयक के बारे में जो प्रमुख आपत्ति हमने उठाई थी, वह है क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करना। केरल तथा लगभग सभी राज्यों में इस मामले पर बहुत चर्चा हो चुकी है और बहुत से राज्यों ने यह मुद्दा उठाया है, परन्तु इसका आर्थिक समाधान ही हुआ है। हम देख रहे हैं कि इस विधेयक में क्रॉस सब्सिडी की समाप्ति दिखाई नहीं देती। क्रॉस-सब्सिडी स्वीकृत है, परन्तु साथ ही साथ राजसहायता (सब्सिडी) में कटौती समाप्त नहीं की गई है और यह अब भी मौजूद है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि आम आदमी के लिए, बहुत से वर्गों को राजसहायता दी जानी चाहिए। इसलिए, इस पक्ष को भी संशोधनों में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि राजसहायता की समाप्ति और कटौती के लिए स्थायी समिति ने अपना सर्वसम्मत सुझाव दिया है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं इस विधेयक में दिए गए अन्य संशोधन पर आता हूं। ग्रामीण विद्युतीकरण, विशेषकर बिजली के वितरण की जिम्मेदारी लेना राज्य सरकारों का प्राधिकार था। इस विधेयक में यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास है। मुझे लगता है कि हम इस मामले को इस प्रकार बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से विचार-विमर्श करें और राज्य सरकारें यह कार्य कर सकती हैं क्योंकि बिजली का उत्पादन तथा बिजली का वितरण करना तथा काफी हद तक अवसंरचना का निर्माण करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को यह कार्य करना चाहिए।

[श्री पी. करुणाकरन]

अन्य संशोधन, जिस पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह चोरी से संबंधित है, जिसका कि माननीय सदस्य, श्री के.एस. राव ने उल्लेख किया था। हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत से स्थानों पर बिजली की सामग्री, लाइनों अथवा तारों की चोरी होती है और इसे रोका जाना है। इस विधेयक में अनधिकृत उपयोग और चोरी के संबंध में संदेह है, क्योंकि इन दोनों की परिभाषाएं मिलती-जुलती हैं। मेरा मानना है कि अनधिकृत उपयोग और चोरी समान नहीं हैं। निःसंदेह जहां अनधिकृत उपयोग हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, परन्तु चोरी के लिए गंभीर दंड दिया जाना चाहिए। परन्तु, मैं कहना चाहूंगा कि अनधिकृत उपयोग और चोरी बिल्कुल ही अलग हैं। इस विधेयक में इन दोनों की एक जैसी परिभाषा अथवा व्याख्या है। अतः इसे बदला जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं कैप्टिव जनरेशन (उत्पादन) के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब पिछले शुक्रवार को हमने इस विधेयक पर चर्चा की थी तो सरकार की ओर से ज्यादा संशोधन नहीं आए थे, परन्तु अब सरकार की ओर से कई संशोधन सामने आए हैं। उनमें से एक यह है कि कैप्टिव जनरेटर (उत्पादक) की बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस लेना चाहिए। यह खण्ड, कानून में काफी गंभीर कमी उत्पन्न कर सकता है। इसके अनुसार कोई भी समूह यह दावा कर सकता है कि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए देश में कहीं कैप्टिव इकाइयों की स्थापना की है और वे मांग करें कि उत्पादित विद्युत उन्हें खुली पहुंच के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। अधिनियम में यह स्वयं एक अनियमितता है जिसके कारण जनरेटर (उत्पादक) दावा कर सकते हैं कि वे केवल कैप्टिव यूनिट हैं और उद्योगों के समूह को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। महोदय, हम मानते हैं कि कैप्टिव जेनरेटरों की आवश्यकता है लेकिन साथ ही वे किसी कानून के दायरे में नहीं आते। वे सभी बाध्यताओं से मुक्त है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए, वे वास्तव में इसकी खामियों अथवा इस विधेयक के कुछ खंडों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री के दिमाग में वर्तमान में न्यायालय में चल रहे कुछ मुकदमों की जानकारी है लेकिन भूषण स्टील बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड प्रकरण चल रहा है। वास्तव में कैप्टिव उत्पादन विद्युत बोर्ड की शक्तियों पर प्रश्न चिह्न लगाता है लेकिन वे अपनी क्षमता को बढ़ाने का तर्क देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विहित संशोधन का उपयोग उनके पक्ष में किया जा सकता है।

जहां तक विद्युत के उपयोग का संबंध है तो आज विद्युत आवश्यक वस्तु बन गयी है। हमें सभी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्युत की आवश्यकता है। यह सच है। माननीय मंत्री ने क्षेत्रवार और राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन के बारे में बताया है कि एक सरकारी पूल अथवा अनावंटित पूल है और जहां भी विद्युत की कमी होगी वहां केन्द्र सरकार राज्यों की सहायता कर सकती है। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि केरल सरकार को 148 एमजीएम विद्युत मिल रही थी लेकिन अब इसे घटाकर 13.6 एमजीएम कर दिया गया है। हमने प्रश्न काल के दौरान ऐसा किये जाने का जवाब मांगा था लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं। यह करने का कोई औचित्य नहीं है। 148 एमजीएम विद्युत की हिस्से को घटाकर 13.6 एमजीएम कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्यों की हिस्से में वृद्धि की गई है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से विद्युत बोर्ड और केरल सरकार के विभिन्न भागों में विद्युत भेजने संबंधी योजना को धक्का लगा है। माननीय मंत्री जी को इस पर भी गौर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री भी इस सच्चाई से सहमत होंगे। इसलिए इन्हें इस मामले में भी कोई निर्णय लेना चाहिए।

हमारे यहां कायनकुलम में एक बड़ा ताप संयंत्र है। लेकिन अभी भी हमारे यहां विद्युत की कमी है क्योंकि हम इसका उपयोग करने में असमर्थ है क्योंकि कायनकुलम संयंत्र में उत्पादन लागत अधिक है। चूंकि इस संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए नाफ्था का उपयोग किया जाता है इसलिए यहां से मिलने वाली विद्युत की लागत छः रुपये प्रति यूनिट है। आरंभ में नाफ्था के मूल्य में छूट दी गई थी लेकिन मैं समझता हूं कि अब उत्पाद शुल्क इत्यादि सहित कुल कर लगभग 30 प्रतिशत हो गया है। इसलिए मंत्री जी को मंत्रालय में इस मुद्दे को हल करने की पहल करनी चाहिए और नाफ्था पर उत्पाद शुल्क में कमी करनी चाहिए। अन्यथा राज्य और आम आदमी द्वारा यहां से उत्पादित होने वाली विद्युत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

केरल ने एनटीपीसी की मेगा पावर परियोजना में से 200 एमजीएम विद्युत देने का अनुरोध किया है। विद्युत क्रय समझौते पर बातचीत हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इन मेगा-प्रोजेक्टों अथवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता दी जाती है।

सभापति महोदय: कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मैं दो-चार मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। यह सस्ती है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है लेकिन इस संबंध में एक प्रतिबंध अथवा एक

मानदंड यह बनाया गया है कि राज्य को शहरी क्षेत्रों में विद्युत संवितरण के कार्य का निजीकरण करना चाहिए। यह कैसे संभव है? केएसई की अथवा सरकार द्वारा संवितरण किया जाता है। आज यदि हम थोड़ी सी विद्युत मांगते हैं तो पूरी संवितरण व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रकार के मानदंडों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए।

जैसाकि अन्य सदस्यों द्वारा बताया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक बहुत ही आदर्श योजना है। लेकिन मैं सभा के समक्ष एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत में संघीय व्यवस्था है।

सभापति महोदयः कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। आप पहले ही दस मिनट से ज्यादा का समय ले चुके हैं।

श्री पी. करुणाकरनः महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष केवल एक विशेष बात रखना चाहता हूं। जहां तक केरल का संबंध है तो वहां शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और माननीय मंत्री ने अपने एक उत्तर में यह बात सभा में कही है लेकिन प्रत्येक गांव में अथवा पंचायत जैसी कालोनियों अथवा कतिपय घर इत्यादि स्थानों पर, ऐसे स्थान हैं जहां अभी विद्युतीकरण किया जाना है।

जब हमें राजीव गांधी योजना से निधि की जरूरत होती है तो फ्रैंचाइज प्रणाली को अपनाना पड़ता है अर्थात इसमें निजी अभिकरणों को शामिल करना पड़ता है। कुछ राज्यों के मामले में यह सही हो सकता है लेकिन जहां तक केरल अथवा अन्य राज्यों का संबंध है जहां पर उत्पादन, अथवा पारेषण का कार्य केवल केएसई की अथवा संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ही किया जाता है तो ये अभिकरण इन सभी कार्य को लम्बे समय तक कर सकता है। अतः, कुछ क्षेत्रों में निजी कंपनियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे अपनी व्यवस्था बनाए क्योंकि वहां की प्रशासनिक संरचना के एसईबी के अधीन है। वहां बिलिंग प्रणाली भी है। अतः यह संभव नहीं है। हम केरल के विद्युत मंत्री से भी मिले हैं। अब एनसीपीटी द्वारा इसका समाधान किया जा चुका है। इसके साथ ही मैं न केवल विद्युत बोर्ड की ओर से बल्कि अन्य अनेक पक्षों की ओर से यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनेक राज्यों में विद्यमान मुख्य विशेषताएं अलग-अलग हो सकती है। अतः हमें केन्द्रीय निधि के उपयोग के संबंध में लचीला रुख अख्तियार करना चाहिए। यह राज्य की आवश्यकता और उसकी मांग के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन हम सभी राज्यों के संबंध में केवल एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। राज्यों के लिए ये बहुत ही मुश्किल हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। आप पहले ही बारह मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। अभी अनेक सदस्यों को बोलना है।

श्री पी. करुणाकरनः मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं यह मेरी अंतिम बात है।

सभापति महोदयः इसका कोई अर्थ नहीं है आपकी हर बात आखिरी बात होती है।

श्री पी. करुणाकरनः जहां तक विद्युत की कमी का संबंध है तो सरकार ने इस संबंध में पावर ब्लाक की शुरुआत की है। यह अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि सरकार ने उड़ीसा और असम में इसके निर्माण की घोषणा की है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि केरल को भी इस सूची में शामिल किया जाए क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहां विद्युत के उत्पादन के लिए ज्यादा संसाधन नहीं है।

वहां पर एक "खामोश घाटी" थी। इंदिरा गांधी के समय, यह बात सही है कि पर्यावरणीय कारणों से हमने इसे नामंजूर कर दिया था। तत्पश्चात पतराकडाल और अदिरापल्ली परियोजनाएं के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दे उठाये गये थे। इन कारकों पर विचार करते हुए मैं यह अनुरोध करता हूं कि केरल को भी "पावर ब्लाक" की सूची में सम्मिलित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, विद्युत संशोधन विधेयक, 2005 पर जैसा विद्युत मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि इसका मकसद विद्युत क्षेत्र को वित्तीय रूप से लाभप्रद बनाना, विद्युत शुल्कों को युक्तियुक्त बनाना तथा विशेष रूप से विद्युत की चोरी जो विद्युत क्षेत्र का एक अभिशाप बन गयी है, उसे रोकने के मकसद से लाया गया है। इसके लिए एक न्यायालय की स्थापना और पुलिस को ज्यादा ताकत देने की बात कही गयी है।

सभापति महोदय, हमारे देश का जो उपभोक्ता है उसको और देशों की तुलना में ज्यादा पैसा बिजली का अदा करना पड़ता है। जहां तक दंड के प्रावधान का सवाल है, मैं एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विद्युत की चोरी होती है, इसमें अकेला उपभोक्ता शामिल नहीं होता है, अगर विद्युत विभाग के लोग उसको प्रोत्साहित न करें, उसमें शामिल न हों, तो मैं नहीं समझता कि कोई उपभोक्ता चोरी कर सकता है। इसलिए जब एक ओर आप उपभोक्ता के

[श्री रामजीलाल सुमन]

ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात करते हैं तो दूसरी ओर आवश्यक है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे विद्युत की चोरी का सिलसिला रुके। अगर आप केवल उपभोक्ता तक सीमित रहेंगे, तब तक यह बात बनेगी नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग इसमें शामिल हैं और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

बिजली चोरी का एक कारण यह भी है कि हिंदुस्तान में उपभोक्ता को जितनी बिजली चाहिए, उतनी बिजली उसको नहीं मिलती है। इसलिए मजबूरी में भी चोरी करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता को विद्युत की जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति उसको हो।

जहां तक कीमतों का सवाल है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली की दरें हिंदुस्तान में हैं। भारत में यह दर 26.13 सेंट व्यापारिक उपयोग में है जबकि घरेलू उपयोग में 14.77 सेंट है। अमरीका में 5.00 सेंट व्यापारिक उपयोग में और घरेलू उपयोग में 9.60 सेंट है।

चीन में व्यापारिक उद्योग में कीमत 5.00 सेंट और घरेलू उद्योग में 6.90 सेंट है। इंग्लैंड में व्यापारिक उद्योग में कीमत 10.00 सेंट और घरेलू उपयोग में 11.94 सेंट है। फ्रांस में व्यापारिक उद्योग में 4.80 सेंट और घरेलू उद्योग में 13.60 सेंट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि और देशों की तुलना में हिंदुस्तान में विद्युत की दरें बहुत ज्यादा हैं, इस संदर्भ में भी मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, देश में बिजली की कमी है और 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से ही बिजली की कमी बढ़ती जा रही है। इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2002-03 में पीक आवर्स में 12.2 परसेंट कमी थी और औसत कमी 8.8 परेंसट थी। वर्ष 2003-04 में पीक आवर्स में 11.2 परसेंट कमी थी और औसत कमी 7.1 परेंसट थी। वर्ष 2004-05 में पीक आवर्स में कमी 11.7 परसेंट और औसत कमी 7.3 परसेंट थी। वर्ष 2005-06 में पीक आवर्स में 12.3 परसेंट कमी थी और औसत कमी 8.4 परसेंट थी। वर्ष 2006-07 में पीक आवर्स में 13.8 परसेंट कमी थी और औसत कमी 9.6 परसेंट थी। वर्ष 2007 से यह कमी 14.00 परसेंट है। छोटे बिजली उपभोक्ता पूरी तरह से सरकारी बिजली पर आश्रित होते हैं। बड़े उपभोक्ता अपने उपयोग के लिए बिजली पैदा कर लेते हैं, इसलिए आवश्यकता है कि छोटे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी और मार्च, 2004 में बिजली की औसत कीमत 2.15 रुपये प्रति यूनिट थी, जो सितम्बर 2006 में बढ़ कर 5.75 रुपये प्रति यूनिट हो गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली की कीमत है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 57 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता आंकी गई थी, लेकिन सिर्फ 17 हजार मेगावाट बिजली पैदा की गई। जितनी बिजली पैदा करने का हम लक्ष्य रखते है, उसके सापेक्ष हम बिजली का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। आज देश में 1,88,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, परंतु हमारे यहां केवल 74 प्रतिशत ही पैदा होती है। बिजली क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा ही हुई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य का सिर्फ 54 प्रतिशत ही हम प्राप्त कर सके। नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य का हम 47 प्रतिशत प्राप्त कर सके। कमोवेश यही स्थिति दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी है। पहले लक्ष्य 41 हजार मेगावाट लक्ष्य था, लेकिन इस सरकार ने बीच में जो समीक्षा की, उसमें लक्ष्य 30641 मेगावाट रखा गया, लेकिन वह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका। महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 5727 मेगावाट की छोटी परियोजनाएं थीं, जिन्हें मार्च 2007 तक पूरा होना था, लेकिन वे परियोजनाएं आज तक पूरी नहीं हुई। व्यापारिक बिजली की हमारे देश में औसत हानि आज भी 33 फीसदी है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह औसत 18 फीसदी से लेकर 62 फीसदी तक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन खामियों को दूर करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में बिजली हानि का औसत 6 या 7 प्रतिशत है। हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की हानि होती है। इस हानि को दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है। नेफ्था से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसकी वर्तमान उत्पादन लागत 7.20 रुपए प्रति यूनिट है और हमने निश्चित किया है कि 5.75 रुपये प्रति यूनिट उपभोक्ता से लेंगे। इसलिए नेफ्था के अंतर्गत जिस बिजली का हम उत्पादन कर रहे हैं, वह किसी कीमत पर ठीक नहीं है।

अभी दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया है, जिसमें कहा गया है कि आम उपभोक्ता को बिजली उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य नहीं है।

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का रवैया बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना है। 5-6 बड़े शहरों को छोड़ कर बिजली की सप्लाई सरकारी क्षेत्र कर रहा है। सरकार की पूरे देश में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि बिजली का मामला बहुत गम्भीर है। अतः इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

अपराह्न 4.16 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* **हुए**]

हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके मुताबिक हमें वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो बिजली के दाम हैं, उनके मुताबिक हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा मार न पड़े। अगर मंत्री जी सही मायने में बिजली की चोरी को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको विभाग के आला अफसरों से शुरुआत करनी पड़ेगी तभी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा जिससे लोग बिजली की चोरी करने से कतराएंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, इस विधेयक के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जैसे श्री वाजपेयी की पूर्ववर्ती सरकार में मुझे विद्युत मंत्री के रूप में संसद में पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

इस विधेयक का प्रारूप काफी परामर्शों, विचार-विमर्शों और विचारों के पश्चात् कुछेक ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार किया गया था। जिसका यह देश विद्युत क्षेत्र में सामना कर रहा है। वस्तुत:, संसद में पारित किये गये किसी भी कानून की किसी भी समय समीक्षा की जा सकती है, उसमें बदलाव किया जा सकता है और उसे संशोधित किया जा सकता है। यदि हम, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो हम कानून में भी संशोधन कर सकते हैं। जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो उसने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख किया था कि विद्युत अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। मेरे अच्छे मित्र श्री के.एस. राव कह रहे थे कि हमें विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी की आवश्यकता है। मूलत: इस विधेयक को अन्य बातों के अलावा इस चिंता का समाधान करने के लिए तैयार किया गया था। जब सरकार ने कहा कि वह इसकी समीक्षा करने जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र में यह सोचकर काफी खलबली मच गई थी कि इस संशोधन का अर्थ है कि सरकार कानून में मौजूद कुछ बहुत ही प्रगतिशील उपबंधों को हटाने जा रही है।

सर्वप्रथम, हम माननीय मंत्री महोदय की ओर से इस बारे में आश्वस्त होना चाहेंगे कि अब हम यह कह सकते हैं कि यू.पी.ए. के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित समीक्षा पूरी हो चुकी है। निवेशकों के मन में सदैव रहने वाली अनिश्चितता अब दूर होनी चाहिए और हमें यह कहना चाहिए कि "हां" समीक्षा पूरी हो चुकी है और संसद द्वारा यथासंशोधित अधिनियम जब संसद इसे संशोधित करेगी-विद्युत अधिनियम, 2003 का अंतिम रूप है। मैं समझता हूं कि यही कुछ है, जिसे हमें अंतिम तौर पर देश को बताना चाहिए।

विद्युत कानून में कुछ उपबंध है। जिनके संबंध में चार या पांच प्रमुख प्रस्तावित संशोधन आए हैं। इनमें से एक ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। यह सही है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 में उपयुक्त सरकार के बारे में उल्लेख है, जो कि वास्तव में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जिम्मेदार होगी। यदि आप इसी भावना से चलेंगे, तो केन्द्र सरकार बजटीय प्रावधानों के माध्यम से और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसे माध्यम से सदैव ही ग्रामीण विद्युतीकरण उपलब्ध कराने के लिए सहायक कदम उठाती रही है। वास्तव में, मुझे मंत्री के रूप में यह स्मरण होता है कि राज्य मुख्यमंत्रियों को लगातार बैठक में आमंत्रित किया जाता था, जिसमें उन्हें केन्द्र सरकार से और अधिक संसाधनों का लाभ उठाने और विद्युतीकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता था। यह अच्छा है। यदि अब आप राज्यों को विद्युतीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने जा रहे हैं और कदाचित, यदि ऋण के रूप में न भी हो, अनुदान प्रदान करने जा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है। ऐसा करते हुए आपको कुछ बातों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

आज, व्यस्ततम चरण में कमी और ऊर्जा में कमी के आंकड़े आश्चर्यजनक हैं और हम सभी इस बारे में चिंतित है। इसलिए यदि आप अधिक बिजली उपलब्ध कराते हैं, अधिक उपभोक्ताओं को अधिक बिजली उपलब्ध कराते हैं, तो इसका यह मतलब होगा कि हमारे पास उपलब्ध सीमित बिजली, जो कि मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण इस प्रकार की कमी पैदा कर रही है, में से हम उपभोक्ताओं को अधिक बिजली प्रदान कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिक कमी उत्पन्न हो सकती है। यह अधिक महत्वपूर्ण है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने की प्रक्रिया में यदि अधिक संख्या में लोग उपलब्ध अल्प संसाधनों में से बिजली प्राप्त करेंगे, तो इससे बिजली की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होगी।

हमने भारत में देखा है कि, उपलब्धता के अतिरिक्त, बिजली की गुणवत्ता एक बहुत ही मूलभूत मुद्दा है क्योंकि साधारणत: यह 49.99 हर्टज होनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि यही गुणवत्ता है, जो उसे प्राप्त होगी और इसलिए वह उसी बारंबारता पर अपने बिजली के उपकरणों और बिजली के उपस्करों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यदि आज आप क्षमता में वृद्धि किये बिना उपभोक्ताओं को अधिक बिजली उपलब्ध कराते हैं-यदि आप साथ ही साथ ऐसा

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा है-लेकिन बिजली की गुणवत्ता वास्तव में प्रभावित होगी। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

भारत विश्व में संभवत: एकमात्र ऐसा देश है, जहां वोल्टेज को स्थायी रखने के लिए उपभोक्ताओं के स्तर पर वोल्टेज स्टेबिलाइजरों का उपयोग किया जाता है। ग्रिड को स्थाई रखने की जिम्मेदारी ग्रिड आपूर्तिकर्ता और ग्रिड प्रबंधक की है। इस प्रकार, यह अतिरिक्त लागत है, जो हम उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं। लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है, जिसे श्री शिंदे ने उत्पन्न किया है। यह समस्या अनेक वर्षों से पनपती आ रही है। मेरी चिंता यह है कि जब हम व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण करने जा रहे हैं, तो हमें इस बारे में सुस्पष्ट होना चाहिए कि बिजली की गुणवत्ता प्रभावित न हो और हम पहले से ही अत्यधिक दबाव झेल रहे मूलभूत ढांचे पर अधिक दबाव न डालें।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा विश्वसनीयता का है क्योंकि विद्युत अधिनियम का मूलभूत आधार तीन चीजें हैं अर्थात् गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनक्षमता। अत:, विश्वसनीयता भी एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के गृह राज्य और मेरे गृह राज्य सहित अनेक राज्यों में अब हमें 18 घंटों तक बिजली नहीं मिल रही है। कभी कभी जब लोड शेडिंग प्रक्रिया बदलती है, तो यह 24 घंटे से ज्यादा हो जाती है क्योंकि यदि यह बदलती है तो एक और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वास्तव में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अत: विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और वहन क्षमता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह इसलिए है क्योंकि एनरान के मामले में जो कि अब रत्नागिरी पावर कंपनी बन गई है, उस समय जब माननीय मंत्री महोदय महराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वे बिजली उपलब्ध कराना चाहते थे लेकिन एनरान द्वारा उत्पादित बिजली की उच्च लागत के कारण महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड उस बिजली को नहीं खरीद पाया। इसलिए, बिजली की लागत वहनक्षमता भी महत्वपूर्ण विचारणीय बातों में से एक है। इसलिए, मैं समझता हूं कि नीति तैयार करते वक्त, हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस विधेयक द्वारा हम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 का संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं कि हमें इन तीनों महत्वपूर्ण पहलुओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

अन्य मुद्दा क्रास सब्सिडाइजेशन दिये जाने से संबंधित है। मेरे विचार से इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। अत:, हम ऐतिहासिक स्थिति पर नजर डालें। उद्योग वास्तव में अन्य सभी के लिए भुगतान कर रहा है। वे वास्तव में अधिक भुगतान कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र बिल्कुल भी भुगतान नहीं कर रहा है अथवा कोई और कदाचित कम भुगतान कर रहा है। लेकिन हमने यही स्थिति समझी कि हमें भारत में राजसहायता दिये जाने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि बाजार मूल्य पर हर किसी के द्वारा बिजली नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए, हमें राजसहायता की नितांत आवश्यकता है। इनके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय गरीब बिजली खरीदना वहन नहीं कर सकता और फिर बिजली का प्रावधान गरीबी हटाने और लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने से निधि तौर पर जुड़ा है। इसलिए बिजली महत्वपूर्ण है लेकिन हमें राजसहायता किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए? वस्तुत: विद्युत अधिनियम में राजसहायता देने का एक विशिष्ट प्रावधान है, जो कि पिछले अधिनियम में नहीं था। हमने सोच समझकर इसका उपबंध किया और उसी रूप में। हमने कहा कि हमें राजसहायता देनी चाहिए लेकिन यह राजसहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जानी चाहिए, जोकि उस राशि के अंतरण के माध्यम से उपयोगिता के लिए राजसहायता देना चाहती हैं, जो कि नियामक द्वारा निर्धारित किये जाने वाली दरों और आपके द्वारा दिये जाने वाली राजसहायता राशि के अंतर के बराबर है। अत:, यह राजसहायता प्रदान किये जाने का सबसे पारदर्शी तरीका है। इसके परिणामस्वरूप, गरीब राजसहायता प्राप्त दर पर विद्युत प्राप्त कर सकता है और इसके साथ-साथ प्रणाली में पाई जाने वाली गड़बड़ियां दूर हो जाएंगी। आज इस प्रकार का संशोधन करके हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्रास सब्सिडाइजेशन की वही व्यवस्था, जोकि पहले मौजूद थी, पुन: शुरू होने वाली है। इसलिए, यह उपभोक्ता को नहीं प्राप्त होगी क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि उद्योग, जिसे क्रास सब्सिडाइजेशन के कारण बिजली के लिए उच्च दर से भुगतान करना चाहिए। वह रक्षित उत्पादन करेगा क्योंकि लागत बहुत अधिक है। इस प्रकार, आपको इस प्रक्रिया में अच्छे औद्योगिक उपभोक्ता गंवाने पड़ेंगे और क्रास सब्सिडी देने की उद्योग की क्षमता में भी कमी आएगी। इस प्रकार किसको परेशानी होगी? एक बार फिर गरीब को नुकसान होगा। राजसहायता लक्षित समूह तक नहीं पहुंचेगी और इस प्रकार गड़बड़ियां फिर से उजागर होने लगेंगी। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रावधान से वास्तव में उस उद्देश्य का भला नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हम यह संशोधन लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपका विचार गरीब की सहायता करने का है, तो आप इसे उस प्रकार पारदर्शी और बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसाकि विद्युत अधिनियम में उपबंध किया गया है यानि कि राज्य सरकार की ओर से राजसहायता राशि का राज्य विद्युत बोर्डों अथवा जो कोई भी उपयोगकर्ता हो, को अंतरण करके कर सकते हैं।

यह एक महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हम क्रास-सब्सिडी के माध्यम से लाने का अब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर बहुत ही बारीकी से नजर डाली जाए क्योंकि यही वह चीज हैं, जो कि फिर से कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। जैसाकि आप जानते होंगे, आज स्थिति यह है कि यहां ऐसे अधिक कामगार नहीं है जो विनिर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मजदूरों की संख्या में अधिक वृद्धि की जाए और ऐसा इसलिए है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र को जी.डी.पी. में भागीदारी मात्र 23 प्रतिशत है। जब तक कि हमारे यहां विनिर्माण क्षेत्र की जी.डी.पी. में भागीदारी लगभग 53 प्रतिशत नहीं हो जाती, जैसाकि चीन के मामले में है, तब तक हम अपने आपको एक नई विश्व शक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।

हम केवल एक समृद्ध सेवा क्षेत्र, जोकि हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक है, को देखकर स्वयं को विश्व शक्ति नहीं कह सकते। हमें विनिर्माण क्षेत्र में और कार्य करना है। यदि हम अधिक विनिर्माण करेंगे, तो हमें यह भी देखना होगा कि विनिर्माण तभी बना रह सकता है जब इसकी लागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो क्योंकि अब दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं। कोलकाता, मुम्बई या हैदराबाद में काम करने वाले कामगार को विनिर्मित उत्पाद के लिए अमरीका या चीन या किसी अन्य जगह के विनिर्मित उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। निवेश लागत महत्वपूर्ण है। यदि विनिर्माण लागत बढ़ती है तो हम वह स्तर खो देंगे, विनिर्माण क्षेत्र में जिस पर इस समय भारत है।

महोदय, इस संशोधन के संबंध में मेरी दूसरी बात चोरी के बारे में है। यह स्वागतयोग्य है। हमें बिजली की चोरी रोकनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं विद्युत मंत्री था हमने चोरी से होने वाले नुकसान का हिसाब लगाया था और यह प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये था। यह काफी परिमित आकलन था। मुझे नहीं पता आज यह नुकसान कितना है। देश को बिजली की चोरी से प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के कारण यह क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं बन सकता और चूंकि यह वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है इस कारण क्षमता वृद्धि भी संभव नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह अच्छी बात है कि अब इसे संज्ञेय अपराध के रूप में समझा जा रहा है। इसकी भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ सरकार से मेरा अनुरोध यह भी है कि वह इसके लिए आवश्यक दो या तीन अन्य समानान्तर उपायों को भी ढूंढें।

इनमें से पहला प्रबंधकीय उपाय है। चोरी, उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के स्तर पर जिम्मेदारी की कमी से संबंधित एक मुद्दा है। यदि सरकार कोई ऐसा प्रावधान कर सके जिससे कोई वितरण ट्रांसफार्मर लाभ का एक केन्द्र बन सके तथा साथ ही यह एक लागत केन्द्र बन सके जिससे हम वास्तव में जिम्मेदारी निश्चित कर सकें तो अच्छा होगा। मान लीजिए, यदि वितरण ट्रांसफार्मर में उतनी ही विद्युत आए जितनी उपभोक्ता को पहुंचाई जानी है, यदि हम वास्तव में इसकी पहचान कर सकें और कह सकें कि इतनी विद्युत आई है और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो वितरण ट्रांसफार्मर चलाने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जा सकता है और चोरी कम की जा सकती है। सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात है। दूरसंचार क्षेत्र में इस प्रकार के कतिपय उपायों के कारण चोरी कम हो गई है।

दूसरा उपाय प्रौद्योगिकीय है।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करें क्योंकि इस विधेयक पर अभी कई और वक्ताओं को बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: हैदराबाद के श्री टाटा राव विद्युत क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रख्यात इंजीनियर हुआ करते थे। वह हमेशा कहा करते थे कि यदि एक उच्च शक्ति वितरण तथा पारेषण नेटवर्क बनाया जाए तो बिजली की चोरी काफी हद तक कम की जा सकती है। यह एक प्रौद्योगिकीय समाधान जितना हम जहां भी संभव हो करने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह ऐसा करना संभव नहीं है। परन्तु सरकार को जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा ऐसे उपाय करने होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं।

कृषि क्षेत्र का उदाहरण लें। अब यदि सरकार केवल कृषि प्रयोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए फीडर उपलब्ध कराने पर विचार करें तो इससे भी मदद मिलेगी। कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं। हम सरकार द्वारा शुरू किये गये त्वरित विद्युत सुधार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसा करने वाले हैं। लाइनों पर नियंत्रण जिसका सुझाव दिया गया है सहित, में सारे उपाय सरकार को करने चाहिए तथा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये समानान्तर उपाय कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ किये जाएं। यह सभी स्वागतयोग्य है। परन्तु इन चीजों के बिना हमें कोई सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि केवल कानून बनाने से यह होगा कि सैकड़ों हजारों लोग बिजली की चोरी के लिए जेल में होंगे और पुलिस के पास इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। अतः सरकार को कुछ और प्रावधान भी लाने चाहिएं।

महोदय, अन्य प्रावधान रक्षित उत्पादन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 9 में संशोधन के बारे में है। वास्तव में केन्द्र सरकार

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

हमेशा से यह कहती रही है कि उन्होंने कानून के द्वारा रक्षित उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। अब कोई भी एक रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकता है। दुर्भाग्यवश कुछ राज्य उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और साथ ही किसी दूसरों को ओर क्षमता सृजित नहीं करने दे रहे हैं। वे कबाब में हड्डी बनने की नीति अपना रहे हैं न वे खुद यह काम कर रहे हैं और न ही किसी दूसरे को करने दे रहे हैं। यह एक गम्भीर मुद्दा है। सरकार यह संशोधन ला रही है। मैं समझता हूं यह ऐसा उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कर रही है परन्तु सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो वह और सख्त संशोधन लाए जिससे राज्य इन संशोधन की भावना का उल्लंघन न कर सकें।

अन्यथा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमने ऐसा जानबूझ कर किया है। वास्तव में, कतिपय मामले में जल विद्युत को छोड़कर भारत में पूरा उत्पादन लाइसेंस मुक्त है। इसे छोड़कर उत्पादन लाइसेंस मुक्त है। रक्षित क्षमता स्वागत योग्य है क्योंकि विद्युत की भारी कमी है परन्तु राज्य सरकारों ने उत्पाद शुल्क लेना शुरू कर दिया है जोकि काफी आपत्तिजनक बात है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसकी जांच करें।

मेरी अंतिम बात ओपन एक्सेस के बारे में है। वास्तव में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूरसंचार में आपने एक्सेस के कारण न केवल दूरसंचार की दरों में कमी आई है बल्कि इससे गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है तथा प्रतिस्पर्धा के लिए यह पूर्व शर्त है। इस मामले में मैंने यह कहा है कि विद्युत अधिनियम में ओपन एक्सेस, जैसाकि ब्रिटेन में किया जाता है एक मेगावाट से अधिक से शुरू होगी। यह काफी जानबूझकर किया गया था। मैं समझता हूं हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम ओपन एक्सेस कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैं यह अनुरोध करूंगा कि राज्यों का सारा केन्द्रीय वित्तपोषण अब इससे जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप इसे इसके साथ जोड़ सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि राज्यों को और अधिक ओपन एक्सेस मिले, तो शायद इससे उत्पादन स्तर पर और क्षमता सृजित होगी। उत्पादक को राज्य विद्युत बोर्ड से न केवल पीपीए मांगना चाहिए बल्कि उसे उपभोक्ता को सीधे बिजली बेचने का प्रयास करना चाहिए जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, अधिक क्षमता का सृजन होगा और परियोजनाओं के लिए और विश्वास पैदा हो सकेगा। यदि आप यह सब चाहते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर ओपन एक्सेस शुरू करनी चाहिए और मैं आपसे ऐसा करने का अनुरोध करूंगा।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): महोदय मैं विद्युत (संशोधन) विधेयक 2005 पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय जैसाकि आप जानते हैं बिजली इंसान की आवश्यक जरूरतों में से एक है और बिजली ने आधुनिक जीवन की अर्थव्यवस्थाओं पर जोरदार असर डाला है। आप जानते हैं कि इस विधेयक में ग्रामीण भारत का विद्युतीकरण करने की बात की गई है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत का विद्युतीकरण करना तथा आम आदमी तक बिजली पहुंचाना है।

इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूंगा। उन्हें अच्छी तरह जानकारी है कि उड़ीसा बिजली के उत्पादन के संबंध में एक अतिशय राज्य है। आज तक पूरे देश में उपलब्धि के संबंध में आपके द्वारा अपनाए गए सुधारात्मक उपाय भी अद्वितीय हैं। परन्तु वित्तीय सहायता के मामले में इस राज्य के साथ भेदभाव होता रहा है।

मैं अपनी जानकारी के लिए कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के प्रावधान यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि देश की आम जनता को सस्ती, पर्यावरण अनुकूल और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध हो पाए। यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह आश्वासन दिया गया था कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। परन्तु अब हम यह लक्ष्य 2012 तक पूरा कर पाएंगे। हम यह मान सकते हैं कि 2012 तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। परन्तु जब तक इस विधेयक को व्यवहार में कोई वास्तविक दृष्टिकोण नहीं दिया जाता तब तक ग्रामीण भारत को प्रदीप्त करने का स्वप्न पूरा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मेरा पुरजोर अनुरोध है कि यह देश प्रति वर्ष 28,000 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा की बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति से कैसे निपटा जाए? धारा 151 में किया गया संशोधन अलग-अलग उपभोक्ताओं से संबधित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिजली की चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए इस विधेयक में क्या उपाय किये गये हैं। यह हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है।

जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जाता, हमारा स्वप्न, स्वप्न ही रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी आम आदमी विशेषकर वे आदमी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुलता है, ने बिजली नहीं देखी है। उनके लिए आज भी यह एक स्वप्न है।

इसलिए, इस संदर्भ में, मैं एक अन्य पहलू पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि क्या हम क्षमता संवर्धन कर सकते हैं और साथ ही साथ वितरण सुधारों के मुद्दों का भी समाधान कर सकते

हैं। इससे ही इसे वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है और राजस्व में सुधार किया जा सकता है। इससे क्षमता संवर्धन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

अन्य मुद्दा पारेषण घाटा है जो वर्तमान में हमारे देश में 40 प्रतिशत है। जब तक इसे दस से पन्द्रह प्रतिशत नहीं कर दिया जाता तब तक ग्रामीण भारत को विद्युतमय बनाने का स्वप्न साकार नहीं हो पायेगा। निस्संदेह, यह विधेयक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छा है। किन्तु जब तक इस विधेयक के उपबंधों को पूर्णनिष्ठा के साथ लागू नहीं किया जाता तब तक हम अपने लक्ष्यों से बहुत दूर रहेंगे फिर चाहे हम इस सम्माननीय सभा में कितना भी शोर शराबा कर लें कि यह विधेयक आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए है। आदिवासी, अनुसूचित जाति और दलित इन अच्छे कार्यक्रमों का लाभ उठाने से वंचित हैं।

75 प्रतिशत ऊर्जा की खपत औद्योगिक इकाइयों द्वारा की जाती है। ये औद्योगिक इकाइयां विद्युत विभाग के अधिकारियों जैसे निरीक्षक और मीटर रीडरों से सांठ गांठ कर लेते हैं। विद्युत विभाग के साथ धोखाधड़ी करने के लिए मीटरों के साथ छेड़छाड़ करना आम बात हो गई है। सम्पूर्ण प्रणाली की निगरानी के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके न होने पर, यह मेरी विनम्र राय है कि ग्रामीण भारत के अंधकार को दूर करना एक स्वप्न ही रहेगा।

इसके अलावा, मैं आपके समक्ष यह भी दर्शाना चाहता हूं कि प्रति राजसहायता को जारी रखा जाए। देश के निर्धनतम व्यक्ति को राजसहायता मिलनी चाहिए। इसका लाभ विशेष वर्गों जैसे औद्योगिक इकाइयों के स्वामियों आदि को ही नहीं मिलना चाहिए जो कि देश में आम बात हो गई है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे राज्य ने सम्पूर्ण राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधारों को अपनाया है जिसकी देखभाल राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी, उड़ीसा ग्रिड निगम ने 1996 से 1999 तक की। इनका वर्ष 1999 में निजी क्षेत्र के निवेशकों के पक्ष में 51 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करके पूर्ण निजीकरण कर दिया गया। राज्य सरकार की यह सक्रिय कार्यवाही निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा इसे अधिक दक्ष बनाने के लिए थी।

माननीय ऊर्जा मंत्री इससे अवगत होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली हो। उनका उद्देश्य यह है कि गरीब और आम आदमी को आधुनिक भारत के लाभ मिल सकें। इसीलिए उन्होंने गोपाबन्धु ग्रामीण योजना आरम्भ की। श्री गोपा बन्धु एक समाज सुधारक और आधुनिक भारत के निर्माता थे।

महोदय, मैं कुछ ही मिनटों में बात पूरी करता है। विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने अनुदान देने से इस आधार पर मना कर दिया कि उड़ीसा की वितरण कम्पनियां राज्य के स्वामित्व में न होकर निजी कम्पनियां हैं। वास्तव में, वितरण कम्पनियां संयुक्त उद्यम में हैं क्योंकि प्रबंधन नियंत्रण में ग्रिड को 49 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के निवेशकों के पास 51 प्रतिशत की शेयरधारिता है।

उड़ीसा राज्य सरकार ने जून, 2005 से निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2003-2004 के लिए 264.74 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की मांग के लिए एक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को भेजा था। यह राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनी ग्रिड को और राज्य में विद्युत की खुदरा आपूर्ति में कार्यरत चार वितरण लाइसेंसों को हुए घाटे का वर्ष 2000-01 को आधार वर्ष मानते हुए वास्तविक घाटे का 50 प्रतिशत है।

दोनों मंत्रालयो की इस प्रकार की सोच राज्य सरकार को विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के अपने अभूतपूर्व प्रयासों के लिए दंड देने जैसी है।

सभापति महोदय, जहां तक विद्युत का प्रश्न है, हमारा राज्य अधिशेष विद्युत वाला राज्य है। हम विभिन्न रोगों की वजह से पर्यावरण से पीड़ित हो रहे हैं और पर्यावरण दूषित हो रहा है। जैसाकि आप जानते हैं, तलचर जहां ताप विद्युत का उत्पादन होता है वहां उष्मीय तरंगे इतनी तीव्र होती हैं कि पेड़ों से पक्षी भी गिर जाते हैं। यह उस क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की वजह से है। यदि हम आधुनिक भारत के उत्थान के लिए बहुत सा सहयोग दे रहे हैं तो हम केन्द्र सरकार से भी उतनी ही सहायता की आशा करते हैं। दोनों मंत्रालयों की इस प्रकार की सोच राज्य सरकार को विद्युत क्षेत्र में सुधारों के अपने अभूतपूर्व प्रयासों के लिए दंड देने की है तथा उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1995 और विद्युत अधिनियम, 2003 के उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है जिनका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का है।

महोदय, विशेष अदालतों के गठन के संबंध में मुकदमे का निर्णय करने के लिए नियत समय सीमा होनी चाहिए जिसके न होने पर मुकदमें वर्षों तक चलते रहते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने देखा है कि मामले वर्षों से लंबित हैं और राज्य की ओर से

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

इन मामलों में समुचित रूप से अभियोजन नहीं किया जाता है। इसलिए एक नियत समयावधि निर्धारित होनी चाहिए। इसके अलावा, एक स्वतंत्र जांच अभिकरण को इन मामलों में जांच करनी चाहिए और ये बड़ी औद्योगिक इकाइयां किस प्रकार इस अधिनियम के दायरे में आयेगी यह भी महत्वपूर्ण है। जब तक इस पर गौर नहीं किया जाता। तब तक इस अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि मेरी पार्टी बीजू जनता दल है जिसका नामकरण एक महान समाज सुधारक बीजू पटनायक के नाम पर हुआ है और आधुनिक भारत के सामाजिक उत्थान में उनका अत्यधिक सहयोग है। मैं भगवान जगन्नाथ के पवित्र राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जो देश के आम आदमी को वास्तविक प्रकाश दे रहा है और मेरे राज्य को विद्युत विकास के क्षेत्र में समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं आपको इस विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं यह महसूस करता हूं कि विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन उचित और अनिवार्य हैं। मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं। इन संशोधनों का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ मुद्दे लाना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि प्रति राजसहायता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर भी, हम सब इससे सहमत हैं। तथापि, किन्तु उद्देश्यों में यह कहा गया है कि इसे चरणबद्ध प्रक्रिया से कम किया जायेगा। इसे कम करने में समय लगेगा। मैं सोचता हूं कि यह भी विवरण है जिसे संशोधित किया जाना चाहिए। इसे भविष्य में भी कुछ समय के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

मुझे भरोसा है कि इसका संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से है। हमारे देश से गरीबी उन्मूलन किये बिना आप पूर्णतः प्रति राजसहायता को समाप्त नहीं कर सकते हैं यदि आप देश के सभी जरूरतमंद लोगों को विद्युत की आपूर्ति करना चाहते हैं। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण विद्युत सुधारों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे देश में जो विद्युत सुधार किये गये थे उनका उद्देश्य राज्यीय विद्युत बोर्डों को संकट से उबारना है। किन्तु सुधार का यही उद्देश्य वैश्वीकरण के अधीन है। विद्युत और विद्युत आपूर्ति वाणिज्यिक है। मैं यह नहीं कहता कि देश में निशुल्क विद्युत की आपूर्ति की जानी चाहिए किन्तु इस देश में जनता का एक ऐसा वर्ग भी है जो गरीबी की रेखा से बहुत नीचे है और सरकार का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि उन्हें विद्युत राजसहायता प्राप्त दरों पर की जाए।

इस संशोधन विधेयक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ग्रामीण विद्युतीकरण का है, हमें राज्य और केन्द्र सरकार दोनों से अधिक जिम्मेवारी की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी राजसहायता की भी घोषणा की गई थी। यह बहुत ही अच्छी इच्छा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब जबकि विद्युत आपूर्ति महंगी से महंगी होती जा रही है तो ऐसी स्थिति में उन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विद्युत आपूर्ति करने का क्या लाभ है जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते हैं? आप जनजातियों, दलितों जो देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं आंध्र प्रदेश राज्य से हूं जहां अब कई दलितवाड़े और अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, जो बगैर बिजली के अंधेरे में जी रहे हैं। महीनों महीनों तक वे बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विद्युत प्रशुल्कें काफी बढ़ गई हैं।

विगत कुछ वर्षों से विद्युत उत्पादन का निजीकरण हो रहा है। यह निजीकरण बिजली बोर्डों को महंगा पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि अनजाने में यह बताया गया हो कि प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, बिजली बोर्डों में ज्यादा कार्यकुशलता लायी जानी चाहिए और इसी प्रकार की अन्य बातें। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में दाभोल परियोजना का अनुभव क्या है? मंत्री महोदय, आप महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को गंभीर संकट से निकालना चाहते थे। दाभोल परियोजना के कारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को अधिकाधिक गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। सभी को यह विदित है कि उन्होंने पूरे राष्ट्र को ठगा है। जो भी मदद दाभोल परियोजना को दी जाती है, उनकी मदद करने के बजाय यदि यही मदद वित्तीय रूप से महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को दी जाती, तो मेरे विचार से वे संकट से बाहर आ गए होते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाली किसी निजी बिजली कंपनी की मदद करने, ऐसी संस्थाओं की मदद करने के स्थान पर हमें अपने राज्य बिजली बोर्डों की मदद करनी चाहिए थी। यह धारणा है कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण अथवा निजी सरकारी संयुक्त उद्यम से तेजी से उत्पादन में सहायता मिलेगी और इसी तरह की अन्य बातें भी।

लेकिन हम महसूस करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादक

कंपनियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। निजी कंपनियों को दी जाने वाली बैंक गारंटी तथा अन्य वित्तीय मदद जैसी समान प्रकार की सुविधाएं सरकारी स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों को नहीं दी जा रही है। यह दृष्टिकोण बदलना चाहिए।

विद्युत विनियामक आयोगों के अस्तित्व में आने के बावजूद मेरे विचार से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अभी विद्युत क्षेत्र में संकट है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या निजीकरण के पश्चात् दिल्ली में बिजली की स्थिति में कोई सुधार हुआ है। सरकार उन्हें हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है और इसके बावजूद वे और अधिक सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। इस सब्सिडी का कोई उपयोग नहीं है। वास्तव में सरकार को भारी क्षति हो रही है और इससे भी ज्यादा क्षति लोगों को हो रही है। जब विद्युत विनियामक आयोगों को लाया गया तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें अधिक स्वायत्तता दी जा रही है और वे उचित निर्णय आदि ले रहे हैं। अनेक राज्यों में विद्युत विनियामक आयोग बगैर उचित आधार के लाइसेंस दे रहे हैं। हमने आंध्र प्रदेश में गैस आपूर्ति की यथेष्ट गारंटी के बिना विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाइसेंस देने के खिलाफ तर्क दिया था। मैंने स्वयं इसके विरुद्ध अपील की थी। लेकिन उन्होंने अनुमति प्रदान की, लेकिन अब उनको गैस आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं है। वे यह मांग कर रहे हैं कि या तो निर्धारित प्रभारों का भुगतान किया जाना है, अथवा उन्हें नाप्था की आपूर्ति की जाएगी, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया था। लेकिन नाप्था काफी महंगा है तथा स्वाभाविक रूप से इस सभी अतिरिक्त व्यय का वहन उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना है।

महोदय, मेरा मानना है कि हमारे देश में विद्युत सुधार आवश्यक हैं, लेकिन जो सुधार किये गये हैं वे ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लिए सही तरीके से उपयोग नहीं किये गये हैं। मेरी राय में पूरी नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि जब इन संशोधनों को लाया जाए तो इन अनुभवों को ध्यान में रखा जाए तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति पर पुनर्विचार किया जाए। एक नई नीति आनी चाहिए तथा विद्युत को मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 30 प्रतिशत लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें पेय जल की आपूर्ति की जानी चाहिए, उन्हें विद्युत की आपूर्ति की जानी चाहिए तथा सभी चीजों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र में नए सुधारों तथा नई राष्ट्रीय विद्युत नीति में इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 लोक सभा में 23 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित किया गया था तथा इसे स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने अपने विवेक से विधेयक पर विस्तारपूर्वक चर्चा की तथा मई, 2006 में सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं कि विद्युत मंत्री अब विद्युत मंत्रालय में नए नहीं है, लेकिन जब स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तो वे विद्युत मंत्री नहीं थे। लेकिन विद्युत मंत्रालय ने विधेयक को लोक सभा में पारित कराने के लिए लाने में एक वर्ष का समय लिया है।

वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को कितना महत्व दिया गया यह देखा जा सकता है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने यह ठीक ही कहा है कि 2003 के अधिनियम की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता है और मैं इस बात पर सुस्पष्ट रूप से जोर देना चाहूंगा क्योंकि 2003 में हुआ यह कि एक काफी अच्छा अधिनियम आया तथा उस विधेयक के अम्बेडकर श्री रंगराजन कुमारमंगलम थे तथा श्री सुरेश प्रभु ने इसका अनुसरण किया।

लेकिन चार वर्ष के पश्चात् जब हम इसे देखते हैं, इसके क्या कारण हैं? क्या हमने कोई आकलन किया है? वास्तव में श्री सुरेश प्रभु जिसकी बात कर रहे थे वह यह है कि खुली पहुंच को वास्तव में क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। क्या राज्य स्तर पर इसे क्रियान्वित किया गया है? क्या अन्य उपबंधों को वास्तव में क्रियान्वित किया गया है? अगर हम परिणामों पर गौर करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम पीछे चल रहे हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41000 मेगावाट का लक्ष्य है और वास्तव में हम अभी तक 8,500 से अधिक हासिल नहीं कर सके हैं। दसवीं योजना में 41,000 मेगावाट का लक्ष्य था, लेकिन हम 19,000 मेगावाट से अधिक नहीं प्राप्त कर सके। ग्यारहवीं योजना में हम यह कह रहे हैं कि हम पुन: लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं एक सपना था और हम अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को मूर्त रूप देंगे और वह भी दस अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं को इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? हमने यह स्वीकार किया है कि ये परियोजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं होंगी। अगर यही सब हो रहा है तो विद्युत अधिनियम 2003 का आकलन आवश्यक है तथा मैं इसी पर जोर दे रहा हूं, जैसाकि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने किया था।

क्या मैं यह भी कहूं कि स्थायी समिति ने 126 सिफारिशें की थीं? यह वह समय था जब संप्रग सरकार सत्ता में आई। उन्होंने

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

यह कहा था कि वे इसकी समीक्षा करेंगे और मेरा यह मानना है कि यह पता लगाने के लिए समीक्षा आवश्यक है कि क्या कोई दोष है, यदि कुछ और किया जाना है। मैं बिजली दरों का जिक्र कर सकता हूं। विद्युत अधिनियम 2003 में एक नया खंड था जिसमें यह कहा गया था कि कंपनियों द्वारा बिजली की ट्रेडिंग की जा सकती है। अब राज्यों ने स्वयं ट्रेडिंग कंपनियों का गठन किया है तथा राज्य उस बिजली को 6 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बेच रहे हैं। अब अगर राज्य स्वयं ट्रेडिंग करना आरम्भ कर दे, तो विनियमन कहां रहा? सी.ई.आर.सी. तथा एस.ई.आर.सी. क्या कर रहे हैं?

इस विद्युत अधिनियम 2003 में ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए आरंभ की गयी थी कि हमें प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश करना चाहिए ताकि कीमतें नीचे आ सकें। लेकिन ट्रेडिंग को दूसरे अर्थ में लिया गया है तथा कीमतें बढ़ रही हैं। अगर यह सब हो रहा है, तो इसका आकलन काफी आवश्यक है।

अब मैं उपलब्धता आधारित बिजली की दरों के बारे में बात करूंगा। एन.टी.पी.सी. तथा सी.ई.आर.सी. के बीच काफी मुकदमे चल रहे हैं। ये सभी मुकदमे उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में हैं। क्या इसके लिए विद्युत अधिनियम 2003 की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है?

विद्युत अधिनियम 2003 में एक बात यह है कि हम निजी भागीदारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में क्या निजी भागीदारी हुई है? अगर हम केन्द्र के मूल लक्ष्य को देखें तो यह 22,000 मेगावाट है। राज्य का लक्ष्य केवल 7,121 मेगावाट है। अगर यही स्थिति रहेगी, अगर हमने यह सोचा कि विद्युत विधेयक 2003 से वास्तव में निजी भागीदारी आएगी तथा यह खुली पहुंच के कारण भी आएगी, जिसके बारे में श्री सुरेश प्रभु बात कर रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

आप समूची चीज का पुनर्आकलन क्यों नहीं करते हैं? जो भी नए संशोधन आवश्यक हो। उन्हें लाया जाना चाहिए। ये तीन अहानिकारक, अगर में यह कहूं, संशोधन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक संशोधन लाए जाने की आवश्यकता है।

सं.प्र.ग. सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना घोषित की है और यह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। यह कहें कि इस विधेयक में संशोधन आने का एक महत्वपूर्ण कारण है-जो धारा 6 में है-केवल राज्य सरकारों पर ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार पर भी संयुक्त उद्यम के रूप में गांवों तक पहुंच प्रदान करने की जिम्मेवारी है। तथ्य यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी सैकड़ों तथा हजारों गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई। हमने सोचा कि आप धनराशि प्रदान करेंगे। इस योजना की क्या स्थिति है?

अपराह्न 5.01 बजे

[**श्रीमती कृष्णा तीरथ** *पीठासीन* हुईं]

आपने केवल 3000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। अब आपने अन्य 4,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। वास्तव में, यह केवल 8,500 करोड़ रुपये हैं जबकि आवश्यकता सैकड़ों या हजारों लाख करोड़ रु. है। आपने यह भी आकलन नहीं किया कि कितने गांव है: कितनी उपग्राम हैं। यदि आकलन किया गया होता तो यह संख्या उपग्राम सहित दो लाख गांवों तक पहुंच गई होती। लेकिन आपने कहा कि केवल 1,16,000 गांव हैं। 1,16,000 गांवों में आपको क्या सफलता मिली? आपने केवल 18,000 गांवों को दो सालों में विद्युतीकृत किया यदि यह किया गया तो मैं नहीं जानता कि गांवों के विद्युतीकरण को कब तक आप पूरा कर पाएंगे। बिजली कहां है जब आप लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं?

महोदया, मुझे अन्य मुद्दे पर भी बोलने दें। हम प्रति राजसहायता की बात करते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में यह कहा गया था कि प्रति राजसहायता का पूर्ण अंत होना चाहिए। प्रति राजसहायता की पूरी समाप्ति नहीं की जानी चाहिए, इसे कम किया जाना चाहिए। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है। हम अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का आयात करने में सफल क्यों नहीं रहे? हम 'भेल' पर केवल निर्भर करते हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं। मैं जानता हूं कि 'भेल' अच्छा काम कर रहा है। इससे किसी को इंकार नहीं है। लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग करनी चाहिए तथा और प्रौद्योगिकी प्राप्त करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कहते हैं कि 'भेल' की सीमाएं हैं, वे इससे ज्यादा आपूर्ति नहीं कर सकते हैं, दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने की एक सीमा है, तब हम आयात क्यों नहीं करते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग क्यों नहीं करते?

दूसरी बात राज्यों से संबंधित है। आप राज्यों को अपना विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सके हैं। एनटीपीसी अच्छा काम कर रहा है, एनएचपीसी भी अच्छा काम

कर रहा है, लेकिन आवश्यकता इसकी है। राज्य स्तर पर आपने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू की हैं। वे अगले छह साल तक अस्तित्व में नहीं आएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ भी प्रगति नहीं होगी। हमें राज्यों में और ज्यादा परियोजनाएं क्यों नहीं लगाने चाहिए तथा आप राज्यों को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की तरह छूट क्यों नहीं देते हैं? इसे उसी प्रकार निजी परियोजनाओं को भी छूट दी जानी चाहिए। तभी हम मांग को पूरा कर पाएंगे। बिजली की कमी है तथा यदि हमें देश में 9.2 प्रतिशत से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद बनाए रखनी है-क्योंकि यह आवश्यकता पर निर्भर है-विद्युत वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए।

उसके लिए आपको बहुत से कार्य करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात में से एक यह है कि आपको पुनर्आंकलन करना चाहिए कि विद्युत अधिनियम, 2003 क्यों कर तेजी नहीं लाया गया तथा इसके विकास के लिए जो भी आवश्यक हो, वह करें।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदया, सर्वप्रथम, मैं पीठासीन अधिकारी को विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय विद्युत मंत्री, श्री शिन्दे जी को विद्युत अधिनियम, 2003 में सं.प्र.ग. द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के अनुसार संशोधन करने वाले इस विधान को लाने के लिए बधाई तथा धन्यवाद देता हूं।

हमारा युग वैज्ञानिक आविष्कारों का युग है जिसने जीवन को सरल तथा आरामदायक बना दिया है। सबसे उपयोगी आविष्कारों में बिजली है। विद्युत विज्ञान का आश्चर्य तथा आशीर्वाद है।

जब लेनिन अक्तूबर, 1917 में क्रांति के बाद रूस में सत्ता में आए, तो लोगों को उनका संदेश था'' क्रांति का मतलब समाजवाद और बिजली है। यदि किसी देश में पूंजीवाद और बिजली हो तो उस देश की तुलना में जहां समाजवाद बिना बिजली के हो, वहां के लोग ज्यादा समृद्ध, खुश तथा आधुनिक होंगे।''

महोदया, भारतीय विद्युत अधिनियम 1903 में लागू किया गया था, इसमें 1910 तथा सबसे बाद 1959 में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत नियम 1937 तथा बाद में 1959 में बनाए गए। भारतीय विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 में विद्युत उत्पादन को तर्कसंगत करने तथा देश में विद्युत विकास को सुगम बनाने के लिए उपाय करने हेतु लागू किया गया था। इसमें 1959 में थोड़ा संशोधन किया गया।

विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988, 30 दिसम्बर, 1998 को लागू किया गया। विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में कई संशोधन किये गये हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य पारेषण को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गतिविधि के रूप में प्रावधान करना है। विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार तथा उपयोग से संबंधित कानून विद्युत अधिनियम, 2003 में दिया गया है।

वर्तमान संशोधन प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 पर आधारित हैं। वर्तमान विधेयक धारा 6, धारा 38 तथा अन्य धाराओं में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करता है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 6 यह प्रावधान करता है कि समुचित सरकार गांवों तथा उपग्रामों सहित सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास करेगी। इस प्रावधान के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य सरकार के उद्देश्य में हैं। धारा 6 में वर्तमान संशोधन यह व्यवस्था करता है कि संबद्ध राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से गांवों तथा उपग्रामों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करेंगे।

2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण घरों में से केवल 44 प्रतिशत घरों की विद्युत अवसंरचना तक पहुंच हैं। ग्रामीण विद्युत अवसंरचना में सुधार ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें सुधार के लिए, हमारी सं.प्रग. सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, चार वर्ष की अवधि के दौरान सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत पहुंचाने के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को कार्यान्वित किया।

यह अनुमान किया गया है कि इस योजना में 14,570 करोड़ रु. की राजसहायता का अवयव होगा तथा दो चरणों में भारत की संचित निधि से वित्तपोषित की जाने वाली 16,255 करोड़ का परिव्यय है। चरण-एक वर्ष 2005-2006 से 5,000 करोड़ रु. की आवंटित राशि से शुरू हुई।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। नई योजना के अंतर्गत 9 फरवरी, 2007 तक 28,241 गांवों को विद्युतीकृत किया गया तथा 5,14,141 गरीबी रेखा से नीचे घरों को कनेक्शन जारी किये गये। 2007-08 के लिए लक्ष्य 40,000 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 40 लाख अविद्युतीकृत गरीबी रेखा में नीचे रह रहे परिवारों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंड के अनुसार नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने का है। अतएव,

[श्री एस.के. खारवेनथन]

धारा 6 में वर्तमान संशोधन माननीय मंत्री द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन वर्तमान अधिनियम, 2003 की धारा 151 से संबंधित है। धारा 151 के अनुसार बिजली की चोरी या मीटर से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है। यदि वे कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय दंड संहिता के उपबंध में इसे शामिल करना होगा। वर्तमान संशोधन के अनुसार, और धारा 151 में धारा 151(2) (3) अंतर्विष्ट होने से पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार अपराध का संज्ञान लेकर जांच करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे अपराध कम होंगे और दोषियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। उदाहरण के लिए, विद्युत अधिनियम की धारा 39। यदि कोई मामला दर्ज होता है, पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 379 इस्तेमाल करती है। अत: ऐसे सभी मामलों का अंतिम परिणाम दोषमुक्ति होता है। किन्तु इस संशोधन द्वारा दोषसिद्ध होना बढ़ेगा तथा अपराध भी घटेंगे। प्रस्तावित विधेयक में यह एक और महत्वपूर्ण तथा अच्छा संशोधन है।

धारा 153 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों को अपराध के मामले सौंपे बिना धारा 135 से 138 के अंतर्गत मुकदमे चलाने के लिए त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव है। किन्तु इस प्रस्तावित संशोधन पर मेरी छोटी सी आपत्ति है। इस संशोधन के आधार पर राज्य सरकारों को विशेष न्यायालय गठित करने का निर्देश दिया गया है। यह राज्य सरकारों पर अनावश्यक बोझ है। इसके अलावा, सभी अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे, यहां तक की मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी 2000 से अधिक मामले लम्बित हैं। अतएव, भारत सरकार को विशेष न्यायालय, विशेष अभियोजक तथा संरचनात्मक सुविधाओं के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु और अधिक धनराशि का आवंटन करना चाहिए।

महोदया, अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं दिल्ली की स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। देश में बिजली की स्थिति चिन्ताजनक है। देश की राजधानी दिल्ली में 800 मेगावाट की कमी है। प्रत्येक 100 मेगावाट की कमी का मतलब है एक घंटे की कटौती। देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई में 400 मेगावाट की कमी है और यही परिस्थिति तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। हमारे देश में 1,29000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 70000 मेगावाट की कमी है। सामान्यत: मांग में वृद्धि के साथ विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए किन्तु मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद हो रहा है कि गत 10 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वर्ष 1996 से 2004 तक जो सत्तासीन थे वे जनता की सहायता के लिए विद्युत पर ध्यान देने में विफल रहे हैं। किन्तु अब हमारे माननीय विद्युत मंत्री श्री शिंदेजी, जो अत्यन्त योग्य मंत्री हैं, ने अधिक विद्युत उत्पादन तथा देश में लोगों की समस्याएं हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें बधाई देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले शिंदे जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये सारे संशोधन स्वीकार किए। यह बिल पहले संसद की संयुक्त स्थायी समिति में गया था। उस समिति ने सभी बिंदुओं पर विचार करके अपने सुझाव दिये थे। उस समिति में मेरी पार्टी के भी सदस्य थे और उन्होंने भी अपने सुझाव दिये थे। उन सभी को आपने स्वीकार किया इसलिए आप बधाई के पात्र हैं।

कुछ खास मुद्दों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय सुरेश प्रभु ने सब्सिडी के बारे में यहां जिक्र किया था, मुझे लगता है कि वह ठीक नहीं है। सरकार आपको चलानी है। भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सब्सिडी तो देनी ही पड़ती है। अमरीका कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी देता है वह हमारी कल्पना से परे है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी राशि की वे लोग सब्सिडी देते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आप तो महाराष्ट्र के चीफ-मिनिस्टर भी थे। आप बहुत अनुभवी हैं और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आये हैं। जब महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्याएं कीं तो स्वयं वहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी गये। चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया, यह भी तो एक प्रकार की सब्सिडी ही है। सब्सिडी से किसान को परेशानी थी, इसलिए उन लोगों ने सुसाइड किया। इसके बाद आपको फिर सब्सिडी देना पड़ता है। स्पेशल पैकेज करके आपने सब्सिडी दी, यह बात ठीक है। अगर इकोनोमिक अपलिफ्टमेंट करना है 9-10 परसेंट से ज्यादा जीडीपी करना है तो आपको सब्सिडी तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए माननीय सुरेश प्रभु जी ने क्रॉस-सब्सिडाइजेशन से जो कुछ बताया, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय सुरेश प्रभु जी ने क्रॉस-सब्सिडाइजेशन से जो कुछ बताया, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय सुरेश प्रभु जी ने जो कुछ बताया वह कारपोरेट हाउस की बात है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की कोई बात नहीं की। उन्होंने कारपोरेट हाउस को कैसे बचाना है उसका तरीका बताया। इसलिए सुरेश प्रभु जी से मेरा

विरोध है। जो कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स हैं जैसे स्वजल धारा प्रोजैक्ट है जो रूरल डैवलेपमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल के बारे में है। इसमें लाभार्थी की कमेटी गठन करने के बाद और पंचायत से उसका अनुमोदन होने के बाद 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी देता है और 90 प्रतिशत हिस्सा इसमें रूरल डैवलपमेंट डिपार्टमेंट देता है। मेरे जिले में 200 से अधिक स्वजल धारा स्कीम्स को बिजली का कनैक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि यह सब्सिडी खत्म होने के बाद, इलैक्ट्रिसिटी कनेक्शन का इतना बड़ा चार्ज हो गया कि वह स्कीम वायबल नहीं रही। यह सवाल हमारे सामने है। बिजली से जो क्रीमेटरी चलती है उसका लाभ हम उठाते हैं क्योंकि जो जंगल की लकड़ी है उसको बचाया जा सके। उसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा, उसका कनैक्शन चार्ज ज्यादा हो जाएगा, उसका टैरिफ ज्यादा हो जाएगा तो लोग लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो हम जंगल को बचाने के बजाय जंगल को खत्म करेंगे। इसलिए मैंने भी एमपीलैड से सिंचाई स्कीम को किया, 33 लाख रुपया खर्च हुआ, 107 एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, सिंगल क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप हो जाएगी। इसमें विकास का काम होगा लेकिन बिजली का चार्ज बहुत ज्यादा है जिससे सिंचाई स्कीम को चलाना मुश्किल हो गया। इसलिए मुझे यह कहना है कि जो कम्युनिटी बेस प्रोजैक्ट्स हैं जैसे कोआपरेटिव सोसाइटीज, पंचायत और सरकार के प्रोजैक्ट्स हैं उनमें क्रॉस-सब्सिडाइजेशन होना चाहिए।

दूसरा, यह जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आप लोगों ने बनाई, बहुत अच्छा किया। एक्ट के एक सैक्शन को अमेंड करके आप एक सैक्शन लाए, बहुत अच्छा काम किया। ये लोग जो उधर बैठे हैं, इन्होंने यह नहीं किया। देश को कैसे पीछे ले जाना है, यही काम इन्होंने किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: प्रो. रासा सिंह रावत जी, कृपया चर्चा न करें। कृपया बाधा न पहुंचाएं।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु: इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसी कोई स्कीम भी हो सकती है।

महोदया, इतने बड़े नेता थे लेकिन किसी ने भी देश के बारे में नहीं सोचा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री अनिल बसु, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। उनका उत्तर न दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु: महोदया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 16,225 करोड़ रुपयों की परियोजना है। इसमें 14,750 करोड़ रुपयों का सब्सिडी कम्पोनेंट है। इसका इम्प्लिमेंटेशन दो तरीके से और दो फेस में होगा। फेस-1 वर्ष 2005-06 से शुरू हुआ है और वर्ष 2005-06 में इसकी सब्सिडी 5 हजार करोड़ रुपये थी। आप कृपया हाउस को यह जानकारी दीजिए कि 5,000 करोड़ रुपयों की जो सब्सिडी कम्पोनेंट है, उसमें कितने करोड़ रुपये आपने वर्ष 2005-06 में रिलीज किये और वर्ष 2006-07 में कितने रुपये आपने रिलीज किये तथा वर्ष 2007-08 में आप क्या करने वाले हैं? मेरे राज्य को इस परियोजना के तहत कुछ भी नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण सारे देश के लिए जरूरी है, लेकिन इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? आप इस साल हमारे राज्य को कितना पैसा देंगे, कृपया करके आप बताने का कष्ट करें?

मेरा तीसरा प्रश्न है, मैंने तारांकित प्रश्न के समय पूछा था, लेकिन इसका उत्तर आपने नहीं दिया। वह प्रश्न पावर जैनरेटिंग कैपेसिटी से संबंधित था। मैंने पूछा था कि राज्य सरकार का जो आउटलेट पावर जैनरेटिंग स्टेशन है, उसमें कितना मेगावाट पावर जैनरेटिंग स्टेशन आउटलेट हो जाएगा? इस बारे में आप क्या कर रहे हैं और इसे करने का क्या तरीका है? पावर स्टेशन का जो जैनरेटिंग कैपेसिटी है, वह आउटलेट होने के कारण खत्म हो जाएगी। उसे रिप्लेस करने का क्या कोई स्कीम है? अगर स्कीम है तो क्या है और उसमें आपका एलोकेशन क्या है? क्वालिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिजली प्रयोक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों की एफोर्डिबिलिटी देखने के बाद टैरिफ ठीक होना चाहिए। हाई टैंशन का क्वालिटी आफ इलेक्ट्रीसिटी आपने ठीक किया है। हाई टैंशन में ग्रिड का रेग्यूलेशन करना भी बहुत जरूरी था, लेकिन जो टैंशन लाइन में क्या हो रहा है? लो टैंशन लाइन में चोरी ज्यादा होती है। हमारे देश में लो टैंशन लाइन की स्थिति सुधारने के लिए मैंने एक बार प्लानिंग कमीशन में बात की थी। उस समय मुझे बताया गया कि इस काम के लिए लगभग 70 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत है। अगर लो टैंशन लाइन में चोरी रोकनी है, पावर इलैक्ट्रिसिटी देनी है, क्वालिटी अच्छी करनी है, तो आपको 70 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत है। इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। श्री सुरेश प्रभु ने ठीक कहा है कि ट्रांसफार्मर में जो इनपुट आती है और ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट होती है, उसमें रेव्युलेशन जेनरेशन की दृष्टि से विचार करके रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, तभी चोरी बंद होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा ही यह काम होना चाहिए।

[श्री अनिल बसु]

आदरणीय महोदया, बिजली ऐसा क्षेत्र है, जिसकी जरूरत चेयर पर बैठने वालों को भी होती है और यहां से खड़े हो कर बोलने वाले लोगों को भी होती है तथा जो बीच में टेबल के पास लोग बैठे हैं, उन्हें भी बिजली की जरूरत होती है। पारेषण एवं वितरण प्रणाली में कोई रुकावट आए, यह बात ठीक नहीं है। मैं श्री सुशील कुमार शिंदे जी को बधाई देता हूं कि वे अनुभवी हैं और जो कुछ किया है, वह अच्छा किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जो काम रुके हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाइए, हमारा समर्थन आपको मिलेगा। इस वक्तव्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): आदरणीय सभापति महोदया, विद्युत अधिनियम, 2003 का संशोधन करते हुए विद्युत संशोधन विधेयक, 2005 पर यहां चर्चा हो रही है। मैं इस बिल के बारे में थोड़े सुझाव देना चाहूंगा। देखा गया है कि हम मांग की अपेक्षा उत्पादन पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। जहां तक यह संशोधन है, वह उत्पादन और वितरण से संबंधित है। दुर्भाग्य की बात है कि हम बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कानून पर कानून और संशोधन पर संशोधन करते जा रहे हैं। उसी व्यवस्था में इतने कानून बना रहे हैं और इतने संशोधन कर रहे हैं कि उत्पादन पर हमारा ध्यान हटा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि हम प्रोडक्शन की तरफ विशेष ध्यान दें। इसके पहले भी मैं सदन में कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में दादरी प्रोजैक्ट बन कर तैयार है जो गैस पर आधारित है। 1500 मेगावाट का बिजली संयंत्र जो बन कर तैयार है, गैस न मिलने के कारण चालू नहीं हो पाया है। अगर चालू हो जाए तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश, जो देश का हृदय प्रदेश है, उसे पूरी तरह चौबीस घंटे बिजली भी मिलेगी और हम अन्य राज्यों को भी बिजली की सप्लाई कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रोजैक्ट काफी साल पुराने हैं जैसे अनपरा जैसे तमाम ऐसे प्रोजैक्ट हैं जो पुराने हैं। अगर आर्थिक मदद देकर, आप उन्हें चला दें तो मेरे ख्याल में विद्युत की कमी को पूरा किया जा सकता है। आपने बिल में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की बात कही है जो स्वागत योग्य है। आपने यह भी कहा है कि केन्द्र और राज्य के संयुक्त उत्तरदायित्व में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हो रहा है। देखा गया है कि गांवों की आबादी बढ़ रही है। हम लोगों से सांसद निधि से मांग की जाती है कि कुछ खंभे और तार के लिए सहायता दीजिए। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए विद्युतीकृत गांवों के विस्तार की भी जरूरत है। इसी के साथ मेन गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है लेकिन तमाम मजरे और पूरबे जो गांव के बराबर हैं, उनका आज भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है। उसके लिए मैं मांग करूंगा कि तमाम मजरों और पूरबों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में लिया जाए ताकि वे पूरी तरह से सैचुरेटिड हो सकें।

जैसाकि रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि बिजली की दरें भारत में अधिक हैं। उन्हें कम करने की जरूरत है। सब्सिडी के बारे में सदन में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं चाहूंगा कि आप केवल शहरी क्षेत्रों को न देखें बल्कि ग्रामीण क्षेत्र जो देश के विकास की धुरी हैं, जहां किसान विद्युत का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, उन्हें सब्सिडी देकर बिजली की सप्लाई करें। हो सके तो उन्हें मुफ्त बिजली दी जाए। तभी हम देश को विकास की तरफ ले जा सकेंगे।

बिल में लिखा गया है कि इंसपैक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इंसपैक्टर राज को पूरी तरह समाप्त करने की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इंसपैक्टर राज का खात्मा हो गया है। इंसपैक्टर राज का इसमें समावेश होगा को मेरे ख्याल से इस संशोधन की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। तमाम सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि निजीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां निजीकरण के तहत बिजली की सप्लाई हो रही है, वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है जैसे गुजरात और दूसरे कई प्रदेश हैं। वहां बिजली की सप्लाई अच्छी है और बिजली भी समय पर मिल रही है। इसलिए निजीकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक कटिया और चोरी की बात कही गई है, मीटर रीडिंग या मीटर में हेरफेर करके चोरी होती है। मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं एक तार आता है जो प्लास्टिक कोटिड होता है, अगर उसमें कटिया लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से सप्लाई नहीं होती है। अगर आप यह व्यवस्था कर दें तो मेरे ख्याल से विद्युत चोरी पर काफी प्रतिबंध लग सकता है।

जहां तक इसमें पुलिस को और अधिकार देने की बात कही गई है, मेरे ख्याल से इसमें चोरी और बढ़ेगी, अपराध और बढ़ेंगे इसलिए मेरे विचार में इसमें थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। अब देखा गया है कि बिजली विभाग का नियंत्रण तो कम है लेकिन पुलिस विभाग का ज्यादा नियंत्रण और सख्ती होने से लोगों को बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक बिल के बकाए की बात है, मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बड़े उद्योगपति और बड़े फैक्ट्री वालों पर करोड़ों रुपए का बकाया है लेकिन उनसे वसूली सख्ती से नहीं हो पाती है। वे बड़े लोग हैं, पैसा देकर कहीं न कहीं से एडजस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन अगर कोई किसान है तो तहसील से आरसी इश्यू किया जाता है, उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे जेल जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से यह दोहरा मापदंड पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि गरीब किसानों के मुख्य

उत्पादन का कारण बिजली है। वे बिजली की सहायता से ही छोटे-छोटे उद्योग धंधे करते हैं, इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली दे रहे हैं, उसमें सब्सिडी करके कम रेट पर बिजली दी जानी चाहिए, ऐसा करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं।

मैं कुछ संशोधन देते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल पर बल देता हूं। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे इस बिल को लाए हैं इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। मैं इसके साथ ही एक मांग करके अपनी बात समाप्त करूंगा, मैंने दो-तीन पत्र आपको लिखे थे कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है। वहां राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में 212 गांवों को शामिल किया है, अगर 500 गांवों को इसमें शामिल कर लेंगे तो मझोले गांवों का भी विद्युतीकरण हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं आपके माध्यम से विद्युत संशोधन विधयेक, 2005 के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। अभी हमारे कामरेड साथी बोल रहे थे और बीच में जो सरकार आई थी, उसे वे सारा दोष दे रहे थे। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि 60 वर्ष इस देश को आजाद हुए हो गए हैं और साठ वर्ष में दस साल की अवधि को छोड़ कर पचास साल किनका शासन रहा?

सभापति महोदया: आप बिल के संबंध में बोलें। समय कम है, आपके बोलने का समय पांच मिनट है।

प्रो. रासा सिंह रावत: संकेत ही पर्याप्त मात्र है। उन लोगों को भारत के विद्युतीकरण की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने का जितना प्रयास किया जाना चाहिए, उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। एनडीए सरकार ने ही तो विद्युत अधिनियम, 2003 बनाया, जो इतना सशक्त और सक्षम है, उसमें जो कमियां रह गई थीं जो आप पूरी कर रहे हैं। आपको उस सरकार का आभार मानना चाहिए कि पहले के जो विधेयक और कानून बने हुए थे, उन सबमें एक काम्प्रेहेन्सिव बिल लेकर आये थे और उसमें थोड़े संशोधन आप लेकर आए हैं। इस तरह से दोषारोपण की बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ''न इधर-उधर की बात तू कर, यह बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गुरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है'' इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत गांवों का देश है। हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जब तक सारे गांव विद्युतीकृत नहीं होंगे, तब तक न तो प्रकाश मिलेगा, न ऊर्जा प्राप्त होगी, न ही सिंचाई के साधन प्राप्त होंगे और न ही खेती का विकास होगा, इसलिए गांवों में बिजली तो जानी चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है चाहे 9वीं या 10वीं पंचवर्षीय योजना हो, या जो लक्ष्य पहले निर्धारित किये गये थे, उनकी जो पूर्ति होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई और परिणामस्वरूप सब लक्ष्य पीछे रह गए। प्रयास तो हुए, चाहे एनटीपीसी के माध्यम से हुए, चाहे हाइड्रो इलैक्ट्रिक के माध्यम से, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि राजस्थान में कोटा और रावतभाटा में आणविक शक्ति से विद्युत उत्पादन किया जाता है और आए दिन कभी एक रिएक्टर खराब होता है तो कभी दूसरा रिएक्टर खराब होता है। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां, जितने चरण हैं उनमें पता नहीं अमरीका ने टेक्नोलॉजी नहीं दी है या निर्माण में कोई कमी रह गई है? परिणामस्वरूप महीने में एक-दो बार वह खराब हो जाता है। वैसे ही राजस्थान में बिजली की बहुत कमी है और हमें बिजली दूसरे राज्यों से लेनी पड़ती है। महंगे भाव की बिजली अन्य राज्यों से या केन्द्र सरकार से खरीदकर सस्ते भाव पर देनी पड़ती है। आज सब्सिडी की बीमारी ऐसी लगी है, कहने को यह बड़ी अच्छा लगती है कि गांवों के लोगों को सब्सिडी दी जानी चाहिए। रशिया कोलैप्स हो गया और अन्यान्य देश संभल गये। लेकिन हम लोगों की आदत है, 'माले मुफ्त, दिले बेरहम' जब मुफ्त का माल मिलता है तो दिल बेरहम हो जाता है। 'मुफ्त का माल, कुण कमावे रे लाल' यह राजस्थानी में कहावत है कि जब मुफ्त का माल मिलता है तो कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो गरीब राज्य है, जहां गरीब लोग हों, कमजोर वर्ग हों, वहां सब्सिडी का सहारा अवश्य दिया जाए, जब तक कि वे उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें या उस स्थिति में न पहुंच जाएं। लेकिन सबको एक जैसे तरीके से लेते हैं और करोड़ों, अरबों रुपया सब्सिडी में देते हैं, जिसके कारण आदत बिगड़ गई है। आज जितने भी स्टेट इलैक्ट्रसिटी बोर्डस हैं, सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। इस घाटे और सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 लाया गया था, जिससे जनरेशन, पारेषण, डिस्ट्रीब्यूशन, व्यापार और उपयोग के संदर्भ में नियम और उप-नियमों का निर्माण हुआ। यह अच्छी बात हुई। लेकिन जहां निजी कम्पनियां हैं, वे बहुत अच्छी सर्विस दे रही हैं और उनकी बिजली भी कम जाती है। लेकिन सरकारी बिजली कब आ जाए, कब चली जाए, कब एक फेज आ रहा है, कब दूसरा फेज आ रहा है और कभी तीनों ही फेज गायब हो जाते हैं। इसके अलावा कभी हाई और लो वोल्टेज के कारण टी.वी. तथा बिजली के अन्य उपकरण खराब हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसे भी सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है शासन करना, सरकार का काम है व्यवस्था करना, सरकार का काम है कानून

[प्रो. रासा सिंह रावत]

बनाना, सरकार का काम है कानूनों का पालन करवाना। लेकिन सरकार जब स्वयं व्यापार करने लग जाती है और स्वयं ऐसे कार्यों में पड़ जाती है तो कर्मचारियों की मानसिकता ऐसी होती है कि अब तो मैं नकद जमाई बन गया, काम नहीं करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जायेगा या और कुछ हो जायेगा। इस वजह से वे काम नहीं करते हैं। लेकिन गुजरात आदि राज्यों में बिजली समय पर क्यों मिलती है और सब कुछ क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वहां बिजली प्राइवेट हाथों में हैं। मुंबई में और अन्य स्थानों पर भी यही व्यवस्था है। महाराष्ट्र में आप दाभोल कम्पनी लाये, लेकिन बाद में पता नहीं किन कारणों से दाभोल कम्पनी का आपने क्या किया। इसलिए मेरा कहने का मतलब है केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निजी कम्पनियां और सभी सक्षम संगठन प्रयास करें, ताकि हमारे यहां विद्युत का संकट समाप्त हो सके।

महोदया, मैं आपके माध्यम से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में बिजली की बहुत कमी है। माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो थोड़ा इस बारे में बताने का कष्ट करें कि हमारे यहां अंता तथा रामगढ़ में जो गैस आधारित विद्युत उत्पादन का केन्द्र प्रारम्भ हुआ था, उसके लिए राज्य सरकार को गैस चाहिए। अब जैसलमेर और बाड़मेर में गैस मिलने लग गई है या अंता, उत्तर प्रदेश या भरतपुर के पास में जो एरिया पड़ता है, वहां भी गैस की आवश्यकता है। लेकिन गैस की सप्लाई केन्द्र सरकार के हाथ में है। जब गैस नहीं मिलेगी तो जो विद्युत उत्पादन गृह स्थापित किये गये हैं, वे संचालित नहीं हो सकते हैं और परिणामस्वरूप बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अरुणाचल और उत्तर-पूर्व के राज्य हैं, जहां बिजली बहुतायत से होती है, उन राज्यों से बिजली लाने की व्यवस्था की जाए। इस काम में एक बार खर्चा अवश्य होगा, लेकिन इससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बिजली का संकट कम होगा।

सभापति महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। आज जो सरकारों में होड़ चली है कि कौन बिजली मुफ्त देता है। सरकार सस्ती वाहवाही लूटने और जनता के वोट बटोरने के लिए कहती है कि हम बिजली बहुत सस्ती कर देंगे और सस्ती बिजली देने के कारण क्या स्थिति हो जाती है और लोगों की आदत कैसी बन जाती है। इस मामले में हम सब लोगों को सस्ती वाहवाही से ऊपर उठकर और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर विद्युत उत्पादन कैसे बढ़ें, विद्युत का सही उपयोग कैसे हो, कैसे किसानों तक बिजली पहुंचे, कैसे किसानों को बिजली सहज सुलभ कराई जाए और जितना खर्च हो, उसके अनुसार कैसे उनमें भावना पैदा की जाए कि हमें देश के लिए बिजली के पूरे पैसे देने हैं, जितना जिसके हिस्से बिजली का उपभोग आयेगा, बिजली का खर्चा हम आपस में बांटकर देंगे, सबमें यह भावना पैदा होनी चाहिए। इसलिए शॉर्टेज वाले राज्यों में उन राज्यों से बिजली लाने की व्यवस्था की जाए, जहां इसकी बहुलता है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जहां केन्द्र के पावर ग्रिड हैं, वहां भी पावर फेल्योर हो जाती है, जिसके कारण पूरे उत्तरी भारत में अंधेरा हो जाता है। आखिर क्या कारण है, क्या कमी है? इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में मैं यही कहूंगा कि राजस्थान के बहुत से गांवों का विद्युतीकरण होना अभी बाकी है। मलू पंचायत को तो ले लिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायतों में ढाणियां बिखरी हुई रहती हैं। मूल पंचायत में बिजली के खम्भे लग गये, लट्टू भी लग गये और प्रकाश आ गया लेकिन जितनी भी ढाणियां हैं, वे मूल पंचायत के गांव से भी बड़ी हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रावत जी, मंत्री जी अभी जवाब देंगे। राजस्थान के बारे में वे बताएंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत: राजीव गांधी विद्युतीकरण प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हो गया। कहां हो गया? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण में राजस्थान के ज्यादा गांव लिये जाएं। जिन नियमों में आपने संशोधन किये हैं, वे हित में हैं और इसलिए हितकारी जो संशोधन हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन सब्सिडी वाली नीति पर बहुत ज्यादा वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदया, मैं आपकी इजाजत से विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005, के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि जो बिजली है, वह आज इंसान के जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। चाहे विकास की दृष्टि से देखें या एक इंसान की व्यक्तिगत मुश्किलों के हिसाब से देखें, इंसान बिजली का हैबिचुअल सा हो गया है कि इसके बिना वह नहीं रह सकता। मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकली हमने देखी हैं। मैं एक ऐसे राज्य से हूं जो पहाड़ी राज्य है और सबसे ज्यादा पानी भी हमारे राज्य में है। वहां इतने दरिया हैं, इतनी नदियां हैं और पाकिस्तान के साथ जो संधि की गई थी, उसमें भी हमारा नुकसान हुआ है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि उस जमाने के हालात अलग थे और आज के जमाने के हालात अलग हैं। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान की भी सोच को देखते हुए मैं कहूंगा कि उस ट्रीटी को तोड़ना चाहिए। उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी बिजली तैयार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर इजाजत मिलेगी तो हमारा

प्रोजेक्ट बनेगा। इसलिए मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे तो हमें उस ट्रीटी के बारे में बताएं और साथ ही मैं कहूंगा कि हमारे कुछ ऐसे दरियां हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स की पहचान भी हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं। इसलिए सरकार उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, जैसे हमारा पैंतीस जी का प्रोजेक्ट है, कठुआ जिले का है और उजरीपुर में बनना है, उसे भी देखें। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स डोडा जिले के हैं और एनएचपीसी जो आपका संगठन है, यह संगठन जब टेंडर लेती है और इसके साथ टेंडर आगे सबमिट होता है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो टेंडर आपने दिया और जो प्रोजेक्ट उन्होंने खड़ा करना है, उसके बाद जब वह आगे सबमिट करती है तो दूसरी भी प्रॉफिट कमाती होगी और जो एग्रीमेंट उस इलाके के साथ हुआ होता है, जैसे जिस इलाके में जिन किसानों की जमीन ली गई है, जो जमीन सबमर्ज हुई है, उस जमीन के किसानों को कहा गया है कि इनके घर से एक आदमी को सर्विस देंगे। लेकिन होता यह है कि प्रोजेक्ट बन गये, जैसे राजीव सागर डैम बन गया, दूसरा एक और पूरा होने जा रहा है और बगलेहार का प्रोजेक्ट भी पूरा होने जा रहा है, लेकिन जो उन लोगों को सर्विस देने की बात कही गई थी, वह अभी तक उन्हें नहीं दी गई है और जो सर्विस में लगते हैं तथा जब उसकी बारी कम्पलीशन में आ जाती है तो कम्पलीशन के समय उन लोगों की छंटनी करके उनको दूरदराज के राज्यों में लगाया जाता है।

जो प्रभावित लोग थे, उन्हें उठाकर चौथी रियासत में भेज दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट्स होते हैं, वहां दूसरी स्टेट के लोग क्यों लगा दिये जाते हैं? हालत यह है कि वहां प्रोजैक्ट में जगह होती है, उनको शिफ्ट मुश्किल नहीं है। जो आदमी जिस राज्य का रहने वाला है, जहां काम करता है, उसे वहां रखा जाये, यह मेरी सजैशन है। इस पर ध्यान दिया जाये। बाद में प्रोजैक्ट का आल्टरनेटिव रूट बदल जाता है। बीच में रीवर पड़ती है, झीलें बन जाती हैं या रास्ते लम्बे हो जाते हैं। जो रास्ता 40 किलोमीटर का होता है, वह 140 किलोमीटर हो जाता है। इसमें गांव के ऐरियाज का कोई कुसूर नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका आल्टरनेटिव क्या है, उन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? रंजीत सागर डैम बसोली में था, जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर कठुआ से 40 किलोमटीर दूर था लेकिन आज उसका डिसटैंस इतना हो गया है कि इलाके में 97 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। आज गरीब को किराया ज्यादा देना पड़ रहा है। आज आल्टरनैटिव रूट की क्या हालत है? यहां पर 467 नौकरियां सैंक्शंड हुई पड़ी हैं लेकिन दी नहीं गई हैं। कहा जाता है कि प्रोजैक्ट बना, यह करो, वह करो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

सभापति महोदया, प्रोजैक्ट्स के बारे में हम बहुत बड़ी बातों पर गौर करें तो मालूम होगा कि जिन लोगों की जमीन आप लेते हैं, उनके रहने के लिए आप कोई इन्तजाम करें। मैंने प्रैक्टिल तौर पर देखा है कि एक लाइनमैन को पहाड़ी एरिया में 4-5 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है। अगर एक जगह बिजली चली जाती है तो उसे ढूंढना पड़ता है। इस तरह कई महीने तक बिजली कट रहती है। इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। एक एरिया में कितने लाइनमैन होने चाहिए? ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, फिर विचार और चर्चा होती रहती है कि बिजली का वॉल्टेज लो होता है। सरकार कहती है कि हमने बिजली लगा दी है लेकिन हमारे गांव का एक बुजुर्ग अपने बेटे को बुलाकर पूछता है कि बेटा, जरा मोमबत्ती जलाकर देखो कि बिजली जली है? जब यह दिखाना है कि बिजली दी हुई है, बिजली का किराया देना है तो बिजली लगाकर देनी चाहिए। बिजली देने का रिवाज जरूर बनाया गया है लेकिन वह प्रॉपर वे से न देना, ठीक नहीं है। इसका एक सिस्टम होना चाहिए।

सभापति महोदया, डेली वेजर्स और छोटे-छोटे लैवल के लोगों को एम्पलाय करने वालों को प्रोजैक्टस पर महीनों तनख्वाह नहीं मिलती है। केवल दुलहस्ती प्रोजैक्ट की बात नहीं, ऐसे कई प्रौजैक्ट्स के बारे में शिकायतें मिलती हैं। यह बात सही है कि सब से ज्यादा हाईडल पॉवर प्रोजैक्ट्स हमारे स्टेट में हैं। हमारे यहां जिनकी जमीन ली जाती है, यदि उनकी ट्रांसफर के लिए लिखते हैं, उसे उस इलाके से उठाकर अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूर-दराज के इलाकों में भेज दिया जाता है। जब जमीन ली गई, तब कहा गया कि नौकरी करोगे। हम जब चिट्ठी लिखते हैं तो जवाब आता कि हमारे यहां ऐसा कानून नहीं है। जिस दिन आपकी जमीन ली गई थी, उस दिन कहा था कि हम आपको फायदा देंगे। माननीय मंत्री जी जमीन से जुड़े हुए मिनिस्टर हैं, कोई ऊपर से आए हुए नहीं हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपने ग्राउंडवर्क किया हुआ है, आप देखें, अगर आप नहीं देखेंगे तो सही नहीं होगा।

सभापति महोदया, मैं अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार ने दुनिया में चर्चा की होगी और हमने देखा है कि दिल्ली में बिजली रहती है लेकिन हमारे यहां बिजली नहीं है। हमारे यहां इतने सारे गांव हैं लेकिन वहां बिजली नहीं लगी है। इस प्लानिंग के तहत 2005 में यह योजना पूरी हो जाती लेकिन हमारे यहां एक भी खम्भा नहीं लगा पाये हैं। एक भी पोल नहीं लग पाया। मैं जानना चाहता हूं कि ये स्कीमें बनाकर कहां रख दी जाती हैं, क्योंकि मेरी कांस्टीट्यूएंसी

[चौधरी लाल सिंह]

17 हजार किलोमीटर क्षेत्र में है, लेकिन वहां एक भी इलैक्ट्रिसिटी पोल नहीं लगा? जब मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक भी पोल नहीं लगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि पोल कहां लगाए गए हैं? इसके तहत बिजली पहुंचाने की जब बात आई, तो चूंकि हमारे यहां मिलीटेंसी है, इसलिए वहां काम करने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ लोकल लोगों को दे दिए। एक ने कहा कि इस काम को एन.एच.पी.सी. करेगी। एन.एच.पी.सी. वाले तीन-चार महीने पहले देखने आए थे। उसके बाद से आज तक वे हमें दिखे नहीं कि वे कहां हैं, वे बिजली कब लगाएंगे? पैसा अगर आपने दिया है, उसे यदि कोई यूटीलाइज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता, उसके अनुसार काम नहीं करता, तो आपका रोल बनता है कि आप एक्शन लें। अदरवाइज ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपके इस बिल की ताईद करता हूं और जो मैंने कहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, मैं विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के माध्यम से तीन महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए मैं माननीय मंत्री की प्रशंसा करता हूं। मूलतः विद्युत अधिनियम, 2003 को अगस्त, 2001 में लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। फिर इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया और तब संसद के दोनों सदनों द्वारा इस विधान को पारित किया गया। यह 10.6.2003 से प्रभावी हुआ। अतः हमने चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। क्या गत चार वर्षों में अधिनियम के उद्देश्य पूरे किये गये हैं? यदि हां, तो माननीय मंत्री को इसे स्पष्ट करना होगा।

अधिनियम के आधार पर हमने राष्ट्रीय विद्युत नीति बनायी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास, सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं और अन्य भागीदारों के हितों की रक्षा करना है। अन्य उद्देश्यों में अगले पांच वर्षों में प्रत्येक परिवार को बिजली की पहुंच, बिजली की उपलब्धता, वर्ष 2012 तक मांग को पूरी तरह से पूरा करना, व्यस्ततम समय में विद्युत की कमी को पूरा करना; स्पिनिंग रिजर्व उपलब्ध होना चाहिए; प्रभावी ढंग से संतोषजनक मानक वाली विश्वसनीय और गुणवत्ता वाली बिजली की उचित दर पर आपूर्ति, वर्ष 2012 तक बिजली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को 1000 यूनिट से अधिक करना; बिजली क्षेत्र का वित्तीय कारोबार तथा व्यावसायिक अर्थक्षमता तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण।

हमने ऐसे सुधार दूरसंचार क्षेत्र, विमानन क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में भी किए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में सुधार शुरू करने के बाद हमने निजी व्यक्तियों को लाइसेंस दिया है। प्रतिस्पर्धा के बाद शुल्कों में भारी कटौती हुई है। उपभोक्ता आईटी और दूरसंचार क्षेत्र में भी सुधार के बाद बहुत खुश हैं। अब, मुक्त आकाश नीति की घोषणा के बाद विमानन क्षेत्र में भी कई निजी पक्ष आ गये हैं। अब, विमान किराए में भी भारी कमी आयी है। सस्ते दर के कारण आम आदमी भी विमान यात्रा कर रहा है।

हमने यह अधिनियम चार वर्ष पूर्व पुरःस्थापित किया था और हमने राष्ट्रीय विद्युत नीति बनायी थी। किन्तु शुल्क प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में हमने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये हैं। भारत सरकार तथा विद्युत मंत्रालय को शुल्क में कटौती हेतु पहल करनी चाहिए। निर्धनतम व्यक्ति के लिए भी यह सस्ता होना चाहिए। तभी सुधार प्रक्रिया का कोई अर्थ है। किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। अतएव मंत्री महोदय को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

पहले, दूसरा कोई उल्लेख नहीं था कि ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण का ध्यान कौन सी सरकार रखेगी। अब धारा 6 में एक संशोधन के अनुसार भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को इसका ध्यान रखना है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों से भारत सरकार द्वारा काफी धन दिया जा रहा है।

चोरी के बारे में, वर्ष 2002 में 50 प्रतिशत चोरी थी।

अब यह घटकर 33 प्रतिशत हो गयी है। 33 प्रतिशत भी विश्व मानक से तुलना योग्य नहीं है। कुछ देशों में वितरण पारेषण और चोरी के कारण मात्र 7 से 10 प्रतिशत ही नुकसान है। यदि हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकें तभी उपभोक्ताओं को हम सस्ती बिजली दे सकेंगे। इन उत्पादों को शुरू करने के बाद भी सरकार राज्यों को 15000 करोड़ रु. की राजसहायता दे रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस रूप में राजसहायता देने के स्थान पर बेहतर होगा यदि आईएसआई पंप और ऐसी चीजों के रूप में किसानों को सीधे राजसहायता दी जाए तो यह बेहतर होगा। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करके किसान कम बिजली की खपत से अपनी खेती कर सकता है और इस प्रकार बड़ी मात्रा में बिजली की बचत हो सकेगी। कुछ कंपनियां अब ऐसे बल्ब बना रही हैं जो कम बिजली खपत करते हैं किंतु उनके अधिक मूल्य के कारण आम आदमी उन्हें नहीं खरीद सकता है। सरकार उन बल्बों पर राजसहायता देने के बारे में सोच सकती है जिससे बिजली की खपत कम हो सकेगी। आंध्र प्रदेश सरकार को वितरण एवं पारेषण क्षति में कटौती के लिए उठाए गए कदमों पर सर्वोच्च क्रिसिल रेटिंग मिली थी। तेलुगु देशम पार्टी के शासन काल में विद्युत क्षेत्र में किये गये सुधारों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

आंध्र प्रदेश पारेषण तथा वितरण में होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए पहल करने वाला पहला राज्य था। माननीय मंत्री महोदय अब विद्यमान अधिनियम की धारा 151 में संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं। चोरी को रोकने तथा पारेषण एवं वितरण में होने वाली क्षतियों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार इन सुधारों की शुरुआत कर चुकी है। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप हमें अच्छा क्रिसिल रेटिंग मिला है।

महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की स्थिति अलग-अलग है। कुछ राज्यों ने अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है तथा कुछ राज्यों ने कम संख्या में गांवों का विद्युतीकरण किया है। किसी राज्य को दी जाने वाली धनराशि की मात्रा उस राज्य की आवश्यकता पर निर्भर करनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निधि का वितरण दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। बिहार, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को अधिक राशि दी जानी होगी। पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों ने 80 से 90 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया है; जबकि उड़ीसा तथा बिहार जैसे राज्यों में 50 प्रतिशत गांवों का भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। अतः, आवंटित की जाने वाली राशि विद्युतीकरण किये जाने वाले गांवों की संख्या पर निर्भर करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी करने के लिए कुछ इस प्रकार का तरीका निकाला जाना चाहिए और इसके पश्चात् ही राज्य अधिक गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रयास करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): आदरणीय सभापति महोदया, मैं विद्युत संशोधन विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें इस देश में महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र के समक्ष कुछ मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं।

जैसाकि आपको विदित है कि विद्युत न केवल व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था के लिए भी आवश्यक संघटक है। अर्थव्यवस्था का विकास विद्युत की अबाधित आपूर्ति पर निर्भर करता है और कृषि को, उद्योग को तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों को भी विद्युत की यह आपूर्ति करना सरकार का कर्त्तव्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश में आपूर्ति हमेशा मांग से कम रही है। अतः, कई मुद्दे हैं। लेकिन सभी समस्याओं का समाधान विधेयक में संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जैसाकि हमारे विद्वान साथी ने उल्लेख किया है, राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं, लेकिन इस विधेयक द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है। इस विधेयक का केवल सीमित उद्देश्य है। अतः, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि यह विधेयक विद्युत क्षेत्र की प्रमुख सीमाओं का समाधान करता है।

सायं 6.00 बजे

जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि इस संशोधन विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करना है, और अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को दिया गया था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के विद्युतीकरण के सभी प्रयासों के बावजूद राज्य सरकारें इस संबंध में कुछ अधिक करने में सक्षम नहीं हो सकी।

सभापति महोदया: अब सायं 6 बज चुके हैं। मेरे पास इस विधेयक पर बोलने के लिए आठ और सदस्यों की सूची है। अगर सभा सहमत हो तो सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदया, फिर शून्यकाल के बारे में आपका क्या विचार है?

सभापति महोदया: हम सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा देंगे और फिर इस पर विचार करेंगे।

प्रो. एम. रामदास: अतः ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति काफी खराब है। आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में अंतर है। मई 2006 की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत मात्र 79.5 है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 44 प्रतिशत घर विद्युतीकृत हैं। लेकिन जब आप बिहार जैसे राज्यों को लेते हैं तो यह पाते हैं कि केवल 5 प्रतिशत घरों में विद्युत है और वह भी एक अथवा दो घंटे के लिए और समग्रतया ऐसे क्षेत्रों में विद्युत की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में केवल 20 प्रतिशत से कम घरों में कुछ समय के लिए विद्युत की सुनिश्चित आपूर्ति की जाती है। अतः, राज्य सरकारें विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। इसी कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में अधिकाधिक भागीदारी करेगी और इसलिए

[प्रो. एम. रामदास]

सरकार 16,225 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लाई है, जिसका उद्देश्य 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी देकर विद्युत अवसंरचना में वृद्धि करने तथा घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रादन करना है। इन सबके बावजूद सरकार के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं हो सका है। अत:, केन्द्र सरकार की ओर से संवैधानिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि विद्युत की आपूर्ति के प्रयास में यह राज्य सरकारों को भी साथ लेगी तथा इस विधेयक से यही प्राप्त किया जा रहा है। यही इस विधेयक का मुख्य लाभ है।

दूसरा बिंदु सब्सिडी के बारे में है। भारत जैसे गरीब देश में अधिकांश उपभोक्ता विद्युत की बढ़ती लागत को वहन करने में सक्षम नहीं हैं तथा उन्हें सब्सिडी दी जानी होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि सब्सिडी का वहन कौन करेगा। राज्य सरकारें सब्सिडी नहीं दे सकती हैं और इसलिए समृद्ध वर्ग को अपने कंधों पर विद्युत लागत को वहन करना होगा। फिर यह महसूस किया गया कि अगर आप यह बोझ कुछ विनिर्माण क्षेत्रों अथवा औद्योगिक क्षेत्र पर डाल देते हैं तो उनका विकास बाधित होगा। हम एक ऐसे प्रतिस्पर्धी समाज में रह रहे हैं जिसमें विद्युत एक महत्वपूर्ण इन्पुट है और इसलिए इसकी लागत में कमी करनी पड़ेगी तथा सब्सिडी को भी कम करना पड़ेगा। यद्यपि, हमने सब्सिडी को खत्म करने के बारे में सोचा था, तथापि, स्थायी समिति ने यह महसूस किया कि इसमें कमी की जानी चाहिए तथा यह विधेयक इस उद्देश्य को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन, इसके साथ ही सरकार को उन लोगों को लक्ष्य करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें सब्सिडी दी जानी हैं। यह अंधाधुंध नहीं होना चाहिए लेकिन सब्सिडी की टार्गेटिंग आवश्यक है। दूसरा, राज्य सरकार को विनियामक आयोगों के माध्यम से एक उचित क्रॉस सब्सिडी नीति तैयार करनी चाहिए ताकि सब्सिडी का पूरा बोझ औद्योगिक क्षेत्र पर न पड़े जो कि अभी तरक्की कर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में 13 से 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है जोकि कार्यरत विभिन्न गत्यात्मक बलों के कारण है और इस वजह से गत्यात्मक बलों पर नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए।

तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यह विधेयक विद्युत की चोरी को रोकने के लिए कानून लागू करने हेतु पुलिस को व्यापक अधिकार देता है। यह कहा जाता है कि 18 से 62 प्रतिशत तक विद्युत की क्षति वितरण तथा पारेषण चरण में होती है। मात्र 10 प्रतिशत क्षति का कारण प्राकृतिक कारक है। शेष प्रतिशत का कारण अप्राकृतिक कारक हैं जिसमें विद्युत की चोरी शामिल है जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। अत:, अब तक पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के पास आना पड़ता है। लेकिन आज हम पुलिस को स्वत: प्राधिकार प्रदान कर रहे हैं। हम इसके लिए एक विशेष न्यायालय का गठन कर रहे हैं। विद्युत की चोरी गैर-जमानती अपराध होगा तथा विद्युत का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

अत:, इस विधेयक का यह एक महत्वपूर्ण एवं मुख्य विशेषता है। इन सभी चीजों के बारे में कोई भी समझ सकेगा तथा स्वीकार कर सकेगा। लेकिन इसके साथ ही इससे उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा जिनका हम सामना कर रहे हैं। अत:, सरकार को एक पहलू नामत: विद्युत के उत्पादन के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा।

यद्यपि, विद्युत सुधारों के साथ सरकार देश में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि के रास्ते पर चल रही है, लेकिन अभी भी इस उद्योग को अनेक प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों का सामना करना पड़ रहा है। अत:, विद्युत क्षेत्र में अभी भी लाइसेंस राज जारी है। अत:, माननीय मंत्री महोदय को इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अन्यथा, ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया, क्रॉस सब्सिडी प्रदान करना, विद्युत चोरी रोकना निरर्थक हो जाएगा। जब तक विद्युत का उत्पादन नहीं होता है तब तक राजसहायता देने का सवाल ही नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का विस्तार आगे आने का सवाल ही नहीं है।

अत: मूल बात यह है कि हमें विद्युत की आपूर्ति बढ़ानी होगी। हमें निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देकर तथा अनुकूल माहौल बनाकर उन्हें आमंत्रित करना होगा ताकि विद्युत का उत्पादन हो सके ...*(व्यवधान)*

आज विद्युत की मांग बढ़ रही है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। उद्योगों तथा कृषि को विद्युत की जरूरत होती है। लेकिन इसकी आपूर्ति बहुत ही अपर्याप्त है। अत: जो भी विद्युत उपलब्ध है वह गैर-कृषि क्षेत्र तथा गैर-ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी। अत: विद्युत उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसाकि हमारे विद्वान साथी श्री के. येरननायडू ने कहा कि इसका प्रशुल्क निर्धारित करते समय प्रत्यक्ष तथा क्रॉस सब्सिडी दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विद्युत का संरक्षण विद्युत उत्पादन जितना ही महत्वपूर्ण है। अत: हमें विद्युत के संरक्षण के आधुनिक तरीके खोजने होंगे तथा विद्युत बोर्डों के स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि यह अमूल्य विद्युत सभी को वितरित की जा सके तथा यह हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन सके। मैं आशा

करता हूं कि हमारे ऊर्जावान मंत्री जी इस संबंध में सभी अपेक्षित पहल करने में समर्थ होंगे।

यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय विद्युत नीति की भी समीक्षा की जाए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदया, मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: हां, आप बोल सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इस विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ साझा प्रयास कर रही है। अत: मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के अन्य प्रावधानों जैसे क्रॉस-सब्सिडी में धीरे-धीरे कमी करना, विद्युत चोरी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए नीति को सशक्त बनाना आदि का समर्थन करता हूं। हमारा विचार विद्युत को आधारिक संरचना के रूप में सभी गांवों तथा सभी घरों में पहुंचाने का है। लेकिन इसे कैसे किया जाए? विद्युत कहां है? पिछले बजट में विद्युत उत्पादन के लिए केवल 300 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जो बहुत ही कम है। संभवत: सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादन में आगे आयेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन करेंगे ताकि विद्युत सभी गांवों तथा सभी घरों में उपलब्ध करायी जा सके।

मेरे पास विद्युत संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन है। इसमें सरकार को निम्न प्रकार आगाह किया गया है:

> "राज्यों को धनराशि के वितरण की प्रणाली आवश्यक नहीं है कि सभी राज्यों के लिए एक जैसी हों, क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की हैं क्योंकि उचित रूप से विकसित तथा औद्योगिक राज्यों को विद्युत का पूर्णत: ग्रामीण विद्युतीकरण की तुलना में आधारित संरचना के विकास के लिए अधिक आवश्यकता होगी।"

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राजसहायता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ पूरी क्रॉस, सब्सिडी का भार औद्योगिक घरानों पर ही नहीं डाला जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे तथा रुग्ण हो जाएंगे।

विद्युत संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि वर्ष 2010-2011 तक क्रॉस-सब्सिडी में बढ़ोत्तरी या कमी 10 प्रतिशत के दायरे में ही होनी चाहिए। यह प्रतिशतता केन्द्रीय विनियामक आयोग के साथ विचार-विमर्श करके निर्धारित की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि विनियामक आयोग को क्रॉस-सब्सिडी में कटौती करने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए या इन लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्री जी विद्युत संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विधेयक में उपबंध कहां पर है? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा एक भी लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किया है।

महोदय, एफआरबीएम अधिनियम पारित हो गया है। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रतिवर्ष वित्तीय घाटे को 0.5 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए जब तक कि वह शून्य तक न पहुंच जाए। मंत्री जी क्या आप एफआरबीएम अधिनियम की तरह ही पारेषण तथा वितरण के संबंध में कोई कानून बना सकते हैं ताकि पारेषण तथा वितरण में हानि लगभग दस प्रतिशत या वहनीय बन सके?

महोदय, विद्युत की चोरी के संबंध में, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्य सरकारों ने विद्युत की चोरी रोकने के लिए विधेयक पारित किये हैं जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं। मंत्री महोदय, क्या आप सभी राज्यों के लिए यह अनिवार्य बना सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक जैसे विधेयक पारित करें ताकि विद्युत की चोरी पर कुछ नियंत्रण लग सके।

अब मैं, अपने राज्य पर आता हूं। विधेयक में कहा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि आवंटित भी है। केवल दो ही जिलों को आवश्यक धनराशि का 25 प्रतिशत धन उपलब्ध कराया गया है तथा अन्य छह जिलों का सैद्धांतिक रूप से चयन किया गया है कि उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उड़ीसा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता है तथा जब तक केन्द्र सरकार हमें यह धनराशि उपलब्ध नहीं कराती तब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे उड़ीसा राज्य को धनराशि कब तक उपलब्ध करवा देंगे।

अब उड़ीसा राज्य में वृहद् ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हो रहे हैं और उड़ीसा सरकार ने कई प्रवर्तकों के साथ समझौता ज्ञापन

[श्री खारबेल स्वाईं]

पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार का कहना है कि उसने राज्यों को निदेश दिये हैं ऐसे वृहद ताप विद्युत संयंत्रों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे वृहद ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए जब राज्य सरकार ने प्रवर्तकों के साथ हस्ताक्षर किये तो निजी प्रवर्तक कई निबंधन एवं शर्तें मानने को सहमत हो गए थे। ये निबंधन एवं शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो यह है कि वे राज्य सरकार को रियायती दर पर बिजली देंगे। दूसरी यह कि वे पर्यावरणीय अवक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार को धनराशि देंगे। परन्तु यहां आप कहते हैं कि इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाएंगे। प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाता आएंगे लेकिन उनका कोई दायित्व नहीं होगा। ये बोलीदाता राज्य सरकार को रियायती दर पर विद्युत उपलब्ध नहीं कराएंगे न ही पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार को धनराशि उपलब्ध कराएंगे। श्री ब्रह्मानंद पांडा जो कि हमारे राज्य के प्रमुख अधिवक्ता हैं कह रहे थे कि हमारे राज्य में तालचेर नामक एक स्थान है जहां पर मई तथा जून के महीने में तापमान 50 डिग्री तक हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां पर ताप विद्युत केन्द्र है। यही एकमात्र कारण है। महोदय, इस ताप विद्युत केन्द्र के लगने से पूर्व तापमान इतना अधिक कभी नहीं हुआ। यदि अब इतने आर्थिक ताप विद्युत केन्द्र होंगे तो फ्लाई ऐश का क्या होगा तथा इसका निपटान कौन करेगा? हमें अधिक ताप सहना पड़ेगा। केन्द्र सरकार अब उड़ीसा में 10,000 मेगावाट ताप विद्युत का उत्पादन करेगी। उड़ीसा को मुश्किल से 2,000 मेगावाट ताप विद्युत की आवश्यकता है।

शेष 8,000 मेगावाट विद्युत अन्य राज्यों को बेची जाएगी। उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। केवल हमें ही ताप सहन करना होगा। हमें ताप तथा धूल सहन करनी पड़ेगी। हमें सभी नकारात्मक पहलू सहन करने पड़ेंगे। हमें सभी समस्याएं सहन करनी पड़ेंगी जबकि हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा वे इसे पढ़ लें। उन समझौता ज्ञापनों का क्या होगा जिन पर राज्य सरकारों ने हस्ताक्षर किए हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केवल नई बस्तियों के लिए है। पुरानी बस्तियों का क्या होगा? मैडम, आप संसद सदस्या हैं। माननीय मंत्री महोदय भी संसद सदस्य हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइये। लोग पहली मांग यही करेंगे कि "हमारे गांवों की बिजली दी जाए।" जहां भी बिजली है, आप पाएंगे कि वहां ट्रांसफार्मर जला हुआ है और वह पुराना है। सब लोग हमारे पास आकर कह रहे हैं कि "एमपीलैड्स से आप हमें ट्रांसफार्मर खम्बा (पोल) और तार प्रदान करें।" हम यह कैसे दे सकते हैं?

उड़ीसा पहला राज्य है, जिसने बिजली का निजीकरण किया है। इसमें सभी प्राइवेट पार्टियों की कुछ ही हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त वे कोई सुधार भी नहीं कर रही है। पारेषण और वितरण घाटे के लिए वे कोई धनराशि भी नहीं दे रही हैं। प्रौद्योगिकी में बदलाव लाने के लिए वे कोई धनराशि प्रदान नहीं कर रही हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वे सड़कों की मरम्मत पुनःस्थापन और सुधार हेतु बनी केन्द्रीय मार्ग निधि की तरह एक निधि की स्थापना करें। बिजली अवसंरचना के सुधार के लिए उन्हें अपने स्तर पर एक निधि बनानी चाहिए ताकि वे राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान कर सकें और बिजली की पुरानी अवसंरचना को बदला जा सके। निजी कंपनियां इसे कभी नहीं बदलेंगी। मंत्री महोदय, केवल आप ही ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात कोयले के ब्लाकों के बारे में है। ताप विद्युत संयंत्रों को भी वे प्रदान किए जाने चाहिएं। आप इस्पात संयंत्र के प्रोमोटरों को रक्षित लौह-अयस्क खानें दे रहे हैं। जब तक आप वे नहीं देंगे तब वे कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप देंगे तो वे बिजली का उत्पादन करेंगे।

इसके अतिरिक्त देशभर में ताप विद्युत संयंत्रों की ऊष्मा प्रौद्योगिकी के शून्य उत्सर्जन के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। उन्हें नैनो प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए और उसे प्रयोग करके संपूर्ण कार्बन डाइआक्साइड को पृथ्वी के नीचे स्थानांतरित कर देना चाहिए। अन्यथा, यदि आप उन्हें वातावरण में ऊष्मा के उत्सर्जन की अनुमति देंगे तो स्वाभाविक है कि हमें बहुत ही गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः उनके लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि जहां भी किसी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की जानी है, उन्हें ऐसी प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जो ऊष्मा में वृद्धि न करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदया, मैं बिजली (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने श्री गुरुदास कामत के समर्पित नेतृत्व में समिति के सभी सुझावों को मान लिया है।

विद्युत के बिना विश्व में कोई भी नहीं रह सकता। आम जनता, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र, किसी भी प्रकार के उत्पादन क्रियाकलाप आदि के लिए विद्युत बहुत आवश्यक है। कृषि सबसे व्यवहार्य क्षेत्र है, जिसे और विद्युत चाहिए। सामान्यतः कृषि क्षेत्र को विद्युत से वंचित रखा जाता है। बहुत से लोग, पांच वर्षों अथवा दस वर्षों से बिजली का कनैक्शन मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

महोदया, मेरा मानना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृषि से जुड़े जितने भी लोगों को बिजली की आवश्यकता है, उन सभी को बिजली का कनैक्शन दिया जाना चाहिए। बिजली के बिना, पानी के बिना वे इस देश के सौ करोड़ लोगों के लिए कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत आवश्यक है।

1989 में, डा. करूणानिधि के नेतृत्व वाली डी एम के सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली दी थी। यह जारी रहनी चाहिए। उसके बाद किसानों को बिजली के नए कनेक्शन नहीं दिए गए। यदि एक परिवार पांच अथवा दस एकड़ के साथ विभाजित हो जाए तो दूसरे को बिजली का कनैक्शन नहीं मिल सकता।

वह भूमि अब बंजर भूमि बन चुकी है। अत: सरकार को इस मामले के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए और उन सभी किसानों को बिजली के कनैक्शन देने चाहिएं जो नए कनैक्शन की प्रतीक्षा में हैं।

गांवों में सरकार ने पहले झोपड़ियों में एक बल्ब का कनैक्शन दिया था। अब इसे बढ़ाकर दो बल्बों के लिए कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों तथा लघु उद्योगों को भी बिजली के प्रशुल्क में रियायत देनी चाहिए।

हमारे देश में अब बहुत सी नई विद्युत परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और उन्हें इसके लिए समुद्री पत्तनों के निकट और भूमि की आवश्यकता है ताकि वे अन्य देशों से कोयले का आयात कर सकें। सरकार ने इन विद्युत कंपनियों को कोयला आयात करने के लिए कुछ रियायतें दी हैं, परन्तु उनके पास भूमि नहीं है। अत: सरकार को समुद्री पत्तनों के निकट की बंजर भूमि को विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों को आवंटित करने पर विचार करना चाहिए। नए उद्यमियों को तुरन्त स्वीकृति तथा वित्तीय मदद नहीं दी जाती। विद्युत वित्त निगम और अन्य वित्तीय संस्थाएं नए उद्यमियों के लिए बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खरीद समझौतों को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन कंपनियों को पूरी सहायता देने के लिए विद्युत वित्त निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को उचित निदेश दें। तत्पश्चात् इन कंपनियों को अन्य देशों से कोयला आयात करने के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए।

भूटान जैसा छोटा देश लोगों को 50 पैसे प्रति यूनिट तथा व्यावसायिक इकाइयों की 1 रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया करा रहा है, परन्तु हम व्यावसायिक संगठनों से 5 रु. प्रति यूनिट वसूल रहे हैं। भूटान में जल विद्युत की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश में भी पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत की भारी संभावनाएं हैं परन्तु सुरक्षा के अभाव के कारण बहुत सी कंपनियों ने वहां परियोजनाएं शुरू नहीं की हैं। रेलवे के अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल जैसा एक पृथक पुलिस बल है। सी आर पी एफ और विभिन्न अन्य केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल भी हैं। इसी प्रकार से विद्युत का उत्पादन करने वाली इकाइयों की अपने प्रतिष्ठानों तथा वहां कार्य कर रहे लोगों की रक्षा के लिए एक केन्द्रीय पुलिस बल दिया जाना चाहिए। अन्यथा, पूर्वोत्तर राज्यों में असामाजिक तत्व निजी विद्युत उत्पादकों से फिरौती वसूल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में नई परियोजनाएं शुरू नहीं हो रही हैं। अत: सरकार को इन कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि हम पूर्वोत्तर राज्यों से और अधिक बिजली का उत्पादन कर सकें।

महोदया, हमारे देश में हमें अब 2 लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, परन्तु हम केवल 1,25,000 मेगावाट का ही उत्पादन कर रहे हैं। हमें और 75,000 मेगावाट की आवश्यकता है। हाल ही में एक निविदा निकाली गई थी जिसमें लेंकों ग्लोबेक और अन्य कंपनियों ने बहुत कम मूल्य दिया था, परन्तु अभी तक उनके साथ विद्युत खरीद समझौता नहीं हुआ है। बड़ी कंपनियां—मैं यहां किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही हैं और वे छोटी कंपनियों को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आने नहीं दे रही हैं।

हमारे देश में बहुत सी नई निजी विद्युत कंपनियां आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन भूस्वामियों ने अपनी जमीनें इन कंपनियों को दी हैं, उनके पुत्रों को नौकरियां दी जा रही हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। जब स्थायी समिति जम्मू और कश्मीर गई तो बहुत से लोग उद्वेलित थे क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें दी थीं परन्तु उनके पुत्रों को वहां रोजगार नहीं दिया गया। सरकार को कदम उठाने चाहिएं ताकि सभी वर्तमान कर्मचारियों को पहले नियमित किया जा सके और जिन गरीब लोगों ने अपनी जमीन दी है, उन्हें भी नौकरियां दी जा सकें। सरकार को सभी राज्यों को निदेश देना चाहिए कि वे हमारे कृषि उत्पादकों को युद्ध स्तर पर बिजली के कनैक्शन दें। महोदया, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि इस देश का प्रमुख व्यवसाय है। ताकि इन लोगों द्वारा गेहूं, चावल, मक्का आदि जैसे कृषि उत्पादों का बहुतायात में उत्पादन किया जा सके।

सभापति महोदया: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: तो, मैं अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप इसे माननीय मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: ठीक है, महोदया, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशानिर्देश में माननीय मंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं स्थायी समिति और स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री गुरुदास कामत की ओर से उन्हें बधाई देता हूं।

सायं 6.26 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं $6.26^1/_2$ बजे

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005—*जारी*

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदया, आपने मुझे विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने के लिए माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी और माननीय सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त का धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं अपने आपको इस विधेयक के संबंध में अपने सहयोगी द्वारा व्यक्त किए विचारों से संबद्ध करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि बिजली, पानी, हवा ये सब चीजें मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं और किसी भी मनुष्य के जीवन-यापन के लिए अति आवश्यक है। भारत 110 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला एक विशाल देश है और बिजली की मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण हमारा देश बहुत नुकसान उठा रहा है। केवल कुछ राज्यों को छोड़कर देश के 90 प्रतिशत से ज्यादा राज्य विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं।

जहां तक मेरे राज्य कर्नाटक का संबंध है, यह पीछे चल रहा है। हमारे यहां कोई बड़ी विद्युत परियोजना नहीं है। मेरा राज्य गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है। लेकिन उत्तरी भारत में बड़ी नदियों की मौजूदगी से अधिक विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्य अपनी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अतिरिक्त विद्युत की बिक्री कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नई विद्युत परियोजनाएं शुरू करने में भी अनेक बाधाएं हैं। मैं 'मेकंधातु' का उदाहरण देना चाहता हूं यह वह स्थान है जहां पर कर्नाटक में 'कावेरी' और 'अर्कावती' नदियों का संगम होता है। यह 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे घटिया स्थान है। लेकिन इस परियोजना को शुरू करने से पहले ही तमिलनाडु सरकार ने आपत्तियां उठाई हैं। जल विवाद के कारण, इसे लम्बित रखा गया है। मेरा कहना यह है कि हम एक देश के नागरिक हैं और एक सरकार द्वारा शासित हैं। यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो हम अपने विद्युत संकट का समाधान कैसे कर पाएंगे। इसलिए 'मेकेधातु' में जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु कर्नाटक सरकार की मदद करने के लिए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही सरकार को देश में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने हेतु आगे आना चाहिए।

मैं एक पिछड़े जिले से आता हूं। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। आजादी के 60 वर्ष बाद भी अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है। आपको मालूम होगा कि चंदन तस्कर वीरप्पन भी जंगलों में रहता था। अत: घने जंगल होने के कारण अभी तक अनेक गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। वन विभाग भी इन गांवों के विद्युतीकरण के प्रति आपत्तियां जता रहा है क्योंकि इससे जंगल के जानवर प्रभावित होंगे। वे गांवों तक भूमिगत लाइनों अथवा खंभों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर गौर करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जहां तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध है, यह सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को बिना भेदभाव के विद्युत उपलब्ध कराना है। लेकिन इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए कर्नाटक के केवल 5 जिलों को चुना गया है। अत: मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह इस कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू करे। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि कृषि प्रयोजनों के लिए नि:शुल्क विद्युत दी जानी चाहिए। जैसाकि मेरे सहयोगी श्री जे.एम. आरून रशीद जी ने बताया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए नि:शुल्क विद्युत दी जा रही है। ताकि इससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। उदाहरण के लिए कर्नाटक में हमें एक दिन में 3 तीन घंटे विद्युत नहीं मिल पा रही है। इसलिए जब तक सरकार और अधिक विद्युत उत्पादन के लिए कदम नहीं उठाती तब तक लोगों की मांगों को पूरा करना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और फैक्टरियों द्वारा बिजली चोरी एक गंभीर समस्या है। अनेक अधिकारी भी विद्युत चोरी में लिप्त हैं। यदि सरकार बिजली की चोरी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाती है तभी सभी गांवों के विद्युतीकरण का सपना साकार होगा। ऐसी गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षा के दौरान भी विद्युत की आपूर्ति न होना भी एक आम बात है। इससे छात्रों के प्रदर्शन पर गंभीर असर पड़ता है। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा की अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं को समुचित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। आखिर में, मैं सरकार को बेलीबेलकु, भाग्यज्योति के विद्युत आपूर्ति माडल की शुरूआत करने की आवश्यकता का सुझाव देना चाहूंगा। जिसे केरल में पहले ही लागू किया जा चुका है। केन्द्र सरकार को समूचे देश में इसे लागू करना चाहिए।

मैं एक बार पुन: जनता दल (एस) संसदीय दल की ओर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि मैं आखिरी वक्ता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य अविवादित है। इसकी पहली बात शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों के प्रत्येक वर्ग को विद्युत उपलब्ध कराने से संबंधित है जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के साझा कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

मेरी दूसरी बात क्रास सब्सिडी से संबंधित है। इस समय क्रास-सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कमी की जा सकती है। अन्यथा अनेक राज्यों को मुश्किलें होंगी। अत: मैं केन्द्र सरकार से तत्काल क्रास-सब्सिडी को समाप्त नहीं करने का अनुरोध करता हूं।

अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए इसे जारी रखा जा सकता है।

तीसरी बात अपराधों के संज्ञान से संबंधित है, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अब पुलिस को विद्युत संबंधी अपराधों की जांच करने का अधिकार मिल गया है। यह भी अच्छी बात है।

चौथा, विशेष न्यायालय जो अब कार्य कर रहे हैं, को स्वत: ही इन अपराधों के संबंध में संज्ञान लेने का अधिकार हो चाहे मामला इनके पास भेजा गया हो या नहीं। इन मामलों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है और ये न्यायसंगत है।

अब, इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री का ध्यान कतिपय मामलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे याद है कि विद्युत विधेयक, 2003 संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए, जिसे सभा में पुर:स्थापित किया गया था, के संबंध में मैंने कतिपय सच्चाइयां बताई थी।

इस संविधि का मुख्य उद्देश्य अर्थात् विद्युत अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य भारत के राज्यों में मौजूद राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करना था। अत: सभी राज्य विद्युत बोर्डों को भंग करके उसके स्थान पर एक किसी छोटी इकाई की स्थापना की जाएगी। दूसरा, विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी कंपनियों को अनुमति देने से संबंधित था। इसके यही दो मुख्य उद्देश्य थे। इसके साथ ही मैंने सभा में कहा था कि यह विधान जल्दबाजी में तैयार किया गया है।

हम सभी जानते हैं कि विद्युत उत्पादन संविधान में सम्मिलित एक समवर्ती विषय है। इसलिए, जब हम समवर्ती विषय से संबंधित कोई कार्रवाई करते हैं, तो विधिवत परामर्श और सर्वसम्मति की भी आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश, उस समय हमने राज्यों के साथ इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विद्युत बोर्ड, जो दशकों से अभी भी अस्तित्व में है, को समाप्त किये जाने से समस्याएं उत्पन्न होंगी। सर्वप्रथम, कर्मचारी विभिन्न बोर्डों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और न केवल स्थापना बल्कि विद्युत बोर्ड में कार्य करने वाले कामगार भी कतिपय समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए हमें इस प्रणाली, जो कि दशकों से अस्तित्व में थी, को समाप्त करने से पहले, राज्य सरकारों के

[श्री वरकला राधाकृष्णन]
साथ गहन विचार-विमर्श करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, सरकार ने मेरी सलाह पर विचार नहीं किया। अब, अड़चनें पैदा करने वाले कई मुद्दे अभी भी लम्बित हैं।

केरल का मामला लें। वह अभी भी राज्य विद्युत बोर्ड को समाप्त करने की स्थिति में नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्दे अभी भी काफी जटिल बने हुए हैं। यह राज्य इस तथ्य के बावजूद केरल राज्य विद्युत बोर्ड, जो कि दशकों से कार्य कर रहा था, को समाप्त करने अथवा बंद करने के संबंध में मुश्किल में है कि सांविधि में निर्धारित तारीख दिये जाने का एक उपबंध था और उसके बाद इसके कार्यकरण की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या हुआ? हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ा। यदि इस अधिनियम को अधिनियमित करते समय राज्यों के साथ विधिवत् रूप से विचार-विमर्श किया गया होता, तो इसे रोका जा सकता था। अभी भी अड़चनों वाले मुद्दे बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है। अब हम अचानक ही इस प्रणाली को समाप्त करने का संकट और परेशानी झेल रहे हैं। स्थिति यह है।

यहां तक कि इस विधेयक में भी कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक को इस सभा में दिसंबर, 2005 में पुरःस्थापित किया गया था। सोलह महीने बीत चुके हैं। मूल अधिनियम को पारित किये जाने के पश्चात् इस संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि सरकार ने पाया कि मूल अधिनियम पर्याप्त नहीं था। इसलिए, हमें संशोधन करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम उस स्थिति में आ पहुंचे हैं, जहां विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने में और अधिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। सोलह महीने बीत चुके हैं। मेरे विद्वान मित्र और माननीय मंत्री महोदय को मूल अधिनियम में एक अन्य संशोधन के साथ शीघ्र ही सभा के समक्ष आना होगा। इस दोहरे कार्य को रोका जा सकता था, यदि सरकार ने विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण के कार्य में उचित ध्यान दिया होता और सावधानी बरती होती जो कि उसने नहीं किया है।

यह विधेयक, जो कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने वितरित किया था, अब माननीय मंत्री महोदय के पास है।

महोदया, 16 महीने बीत चुके हैं। लेकिन क्या हुआ है? अब विद्युत उत्पादन के संबंध में नए मुद्दे अप्रत्याशित रूप से सामने आ रहे हैं। हमें उन मुद्दों का समाधान निकालना है, जो अभी भी लंबित हैं।

केरल राज्य को एक विशेष अनुभव रहा है। हमारे यहां केवल जलविद्युत परियोजनाएं हैं और ये सभी परियोजनाएं पहाड़ी और वन क्षेत्रों में चल रही हैं। इनमें दो अड़चने हैं। एक तो वन अधिनियम ही है और दूसरी पर्यावरणीय स्वीकृति है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु केन्द्रीय प्राधिकरण को इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए तीव्र कार्रवाई करनी होगी। यदि वह तीव्रता से कार्रवाई नहीं करेगा तो परियोजनाओं को कभी भी स्वीकृति नहीं मिल पायेगी। केरल में पचराकारावु परियोजना के संबंध में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह साइलेंट वैली के बहुत निकट है और इसे पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु केन्द्रीय प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही इसे कार्यान्वित कर पाएगा। लेकिन वह परियोजना अभी भी लंबित है। इसी प्रकार अनेक परियोजनाएं केन्द्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से स्वीकृति हेतु लंबित हैं।

महोदया, इसलिए विद्युत मंत्रालय को केन्द्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से स्वीकृति दिलाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि संभव हो, शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति दी जाए ताकि अनेक परियोजनाओं, जो कि अभी भी लंबित हैं, को कार्यान्वित किया जा सके। इसलिए, मैं इस अवसर पर माननीय विद्युत मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि वे वचन निभाने वाले व्यक्ति हैं और मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे बिना किसी विलंब के इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई करें ताकि केरल की जनता को विद्युत की भारी कमी से निजाद दिलाई जा सके।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): मैं इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, 2005 के संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और इस चर्चा के क्रम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इस देश में विद्युत का अभाव है और यह अभाव आज पैदा नहीं हुआ है, यह लंबे समय से है। उत्पादन शुरू से हमेशा आवश्यकताओं के पीछे चलता रहा है और कभी-कभी यह बहुत पीछे भी रहा है। यदि उत्पादन बढ़ाया जाए और व्यवस्था ठीक की जाए तो दोनों की दूरी में कमी हो जाए। हम उस दिन को सपने की तरह देखते हैं कि जिस दिन आवश्यकता और उत्पादन में तारतम्य बैठेगा और दोनों में दूरी कम होगी, स्लैप खत्म होगा। हमें आशा है कि यूपीए सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में योजना लाई है जो आने वाले दिनों में यह कामयाब होगी और इस सपने को साकार कर

सकेगी। यह सपना सिर्फ मेरा नहीं पूरे देश की अवाम का है, चाहे वे गांवों में रहते हों या शहरों में रहते हों। पिछले कुछ वर्षों से गांवों में विद्युत का बड़ा अभाव रहा है और किसान विद्युत की किल्लत को झेलने के लिए मजबूर हैं। गत दिनों में लंबे समय से विद्युत के क्षेत्र में चोरी, पिलफ्रेज की शिकायतें आती रही हैं। हम एक तरफ विद्युत उत्पादन करते हैं लेकिन दूसरी तरफ इसका बड़ा हिस्सा चोरी, पिलफ्रेज या किसी तरह के लॉस में चला जाता है। इन बिंदुओं पर बहुत बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। पिलफ्रेज से मतलब है यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पुराना हो गया है या जहां पावर ट्रांसमिशन में लास हो रहा है, इन सब बिंदुओं पर विचार करके पावर लॉस रोकने की आवश्यकता है। इसी तरह से चोरी को रोकने के क्रम में इस अमेंडमेंट बिल में जो प्रावधान किये गये हैं वे बिल्कुल सकारात्मक प्रावधान हैं। इस संबंध में और कड़ाई बरतनी चाहिए और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक हैं, जिन्हें विद्युत की आवश्यकता है, वहां सब्सिडी को घटाने नहीं बल्कि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, हम इस बात की वकालत करते हैं। जो कृषि प्रधान देश हो, जहां कृषि उत्पादकता देश की उत्पादकता का बहुत बड़ा हिस्सा हो, वहां पर कृषि के क्षेत्र में यदि विद्युत का उपयोग सब्सिडाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र की उत्पादकता में विद्युत विभाग का बहुत कम सहयोग हो पायेगा।

सभापति महोदया: धन्यवाद आलोक जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: मैडम, मैं अपनी पार्टी का पहला स्पीकर हूं और मुझे थोड़ा समय और दिया जाए, जिससे कि कुछ बेसिक प्वाइंट्स मैं यहां रख सकूं। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदया: समय की पाबंदी है, आप एकाध बेसिक प्वाइंट दे दीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: आज निजीकरण की बड़ी होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्युत की पूरी व्यवस्था में जो पार्ट पहले से प्रोफिटेबल है, उस पार्ट को प्राइवेट सैक्टर के लोग बहुत आसानी से ले लेते हैं और वह प्रोफिटेबल पार्ट उनके हिस्से में चला जाता है। लेकिन जो पार्ट प्रोफिटेबल नहीं है, उसे नॉन-वॉयबल कहकर छोड़ देते हैं और बोर्ड और कारपोरेशन उसे अपने सिर पर लेकर ढोते फिरते हैं और हम रोते रहते हैं कि विद्युत बोर्ड और विद्युत विभाग घाटे में चल रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पावर सैक्टर में प्राइवेटाइजेशन के लिए भी एक अच्छी नीति बनाई जानी चाहिए और उसकी मानिटरिंग यूनिफोर्मिटी के साथ होमोजनिटी के साथ की जानी चाहिए। यदि प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी और अथारिटी दोनों उनकी रहनी चाहिए और मॉनिटरिंग के लिए कमान सरकार के पास रहनी चाहिए।

सभापति महोदया: आलोक जी, आप अपने सुझाव रिटर्न में दे दीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: मैडम, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पिछले दिनों शिकायतें आई हैं कि जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वहां अनाप-शनाप बिल दिये जा रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है।

सभापति महोदया: आप अपने सुझाव लिखकर मंत्री जी को भेज दीजिएगा।

श्री आलोक कुमार मेहता: कम्पलेन्ट्स पर कम्पलेन्ट्स की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

सभापति महोदया: धन्यवाद, आलोक जी, आप सुझाव लिखकर मंत्री जी को भेज दीजिएगा।

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं अंतिम बिंदु पर कहना चाहता हूं कि कृषि कार्यों के लिए विद्युत में सब्सिडी दी जानी चाहिए और कृषि आधारित उद्योगों के लिए बिहार जैसे राज्य में जहां उद्योग के नाम पर कुछ नहीं है, वहां पर वैसे उद्योगों को भी विद्युत में सब्सिडी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सभी सांसदों ने बिहार में परमाणु संयंत्र लगाने की मांग माननीय प्रधान मंत्री जी से की थी। हम निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में परमाणु संयंत्र लगाने की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए और बिहार जैसे राज्य को विद्युत के क्षेत्र में यदि आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया कि हम मानकर चलेंगे कि पिछले वर्षों बिहार के साथ अन्याय हुआ है।

सभापति महोदया: अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री मणि चारेनामै, कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें क्योंकि मंत्री महोदय को अपना जवाब देना है।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): महोदया, मैं यथाशीघ्र अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मणि चारेनामै]

महोदया, सर्वप्रथम, मैं विद्युत अधिनियम, 2005 में यह संशोधन लाने के लिए हमारे माननीय विद्युत मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। वस्तुतः, यह ग्रामीण लोगों के लिए एक वरदान है। विशेष रूप से मणिपुर जैसे राज्य में ग्रामीण लोगों के लिए, जहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 90 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनेक गांवों का अभी भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य वास्तव में एक कठिन कार्य है। इसलिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद अभी भी अनेक गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। कदाचित समस्याएं इसलिए बनी हुई थीं क्योंकि राज्य स्वयं अकेले जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब, हम प्रसन्न हैं कि राज्य और केन्द्र संयुक्त रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कर रहे हैं।

हालांकि, मणिपुर एक छोटा राज्य है, फिर भी प्राकृतिक संसाधनों के रूप में और कृषि तथा बागवानी उत्पादों के रूप में हमारे यहां अनेक संभावनाएं हैं। लेकिन जब लोग इन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं की स्थापना करना चाहते हैं, तो बैंक की ओर से आने वाला और निवेशकों द्वारा पूछा जाने वाले पहला प्रश्न यह होता है कि क्या आपके यहां समुचित बिजली उपलब्ध है अथवा आपके यहां बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता कैसी है? ये प्रमुख प्रश्न हैं। जो कि पूछे जाते हैं।

यह कहना वास्तव में मुश्किल है कि विद्युत की आपूर्ति नियमित है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि हमारे पास जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की अपार क्षमता है। राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए लगभग 90 संभावित स्थलों की पहचान की है। हम यह नहीं कहते हैं कि इन सभी क्षेत्रों का दोहन किया जाना चाहिए अथवा इनमें इतनी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए, किंतु जिलों में कम से कम 304 लघु जलविद्युत परियोजनाओं से मणिपुर के विद्युत अभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में वास्तव में सहायता मिलेगी।

सायं 6.51 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

राज्य इन क्षेत्रों में विद्युत की नियमित आपूर्ति उपलब्ध नहीं करा पाया है। पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त दूरसंचार सुविधाएं मूलभूत अवसंरचना प्रमुखतः विद्युत पर निर्भर करती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ समय पहले लौकटक डाउनस्ट्रीम परियोजना के नाम से एक विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी, जो कि 90 मे.वा. की परियोजना है, जिस पर लगभग 420 करोड़ रु. की लागत आएगी। यह एक बहुप्रतीक्षित योजना है, लेकिन विद्युत मंत्रालय इस परियोजना को शुरू करने की बजाय तिपाईमुख जलविद्युत परियोजना को बंद करने का प्रयास कर रहा है। इस कदम का लोगों द्वारा घोर विरोध किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे लौकटक डाउनस्ट्रीम परियोजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित करें।

उपाध्यक्ष महोदयः अगले वक्ता श्री गणेश सिंह हैं। मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए मात्र दो मिनट दे पाऊंगा। आप इस मुद्दे पर बोलने वाले अंतिम वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005, जो यहां प्रस्तुत किया है, उस पर मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। विधेयक की धारा 6 में दिया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर अब गांवों को विद्युत देने का प्रयास करेंगी। बड़ी खुशी की बात है कि 60 वर्षों बाद सरकार को यह याद आया कि गांवों को भी हमें बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाना है। यह इनका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन विधेयक में उपभोक्ता पक्ष को तो कानूनी सीमा में रखा गया है, लेकिन जो विद्युत संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान की जाती है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको इस विधेयक से बाहर रखा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अधिनियम में और संशोधन करने की जरूरत है। यह सही कहावत है: "कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे फिरता है।" आज भी लाखों की संख्या में गांव ऐसे हैं जहां बिजली अभी नहीं पहुंची है। यह प्राथमिकता पहले से तय होनी चाहिए थी कि सभी गांवों को विद्युत व्यवस्था से जोड़ा जा सके। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। किसानों को विद्युत की उतनी ही आवश्यकता है जितना उद्योगों को बिजली आवश्यक है। लेकिन किसानों को जो बिजली दी जाती है, जब उनको जरूरत होती है, तब उनको समय पर बिजली नहीं मिलती, पूरी क्षमता की बिजली नहीं मिलती। किसानों को पूरी बिजली मिले कभी भी इस तरह का कानूनी प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए हमारा निवेदन है कि किसानों के लिए बिजली देने का कानूनी प्रावधान बनना चाहिए कि इतने घंटे हम किसानों को बिजली देंगे। ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लाइनें टूटी हुई हैं, इसके बावजूद भी किसानों से बिजली का बिल वसूला जा रहा है, वह भी बढ़ी हुई दरों पर वसूला जा रहा है। यह देश कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान की इस देश के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी स्थिति में

किसान को निर्धारित समय पर बिजली मिले, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए। आज किसान जब बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? बड़े-बड़े कारखानों वालों की ओर करोड़ों रुपये बकाया है, उनके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है लेकिन जब भी छोटा किसान या आम उपभोक्ता जब भी समय पर बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता है, किन्हीं कारणोंवश, भले ही वहां लाइन ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी बिल जा रहा है और वह बिल जमा नहीं कर पाया तो उसे जेल भी जाना पड़ रहा है और पैसे भी जमा करने पड़ते हैं।

एक अपराध के लिये दो-दो सजायें क्यों? मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि विद्युत (संशोधन) विधेयक में इस तरह का प्रावधान करें ताकि किसानों को प्राथमिकता आधार पर बिजली मिल सके और एक समय सीमा के अंदर गांवों में बिजली दी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में एक निवेदन यह करूंगा कि मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार ने इंटरफ्रीक्वैंसी की श्रेणी में डाल दिया है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह निर्णय एकदम क्यों ले लिया गया। आज मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्य बिजली संकट से पीड़ित हैं। ऐसी हालत में उन्हें केन्द्र सरकार की मदद की जरूरत है। कटौती करने से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग हमेशा से इस बात की मांग करते रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बिजली संकट से उबारने के लिये केन्द्र सरकार की मदद की जरूरत है। आपका सहयोग चाहिये और इसे इंटरफ्रीक्वैंसी से बाहर निकालें।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): उपाध्यक्ष जी, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर पिछले दो दिन से चर्चा चल रही है। मैं सभी 30 माननीय सदस्यों के भाषण गौर से सुन रहा था। ऐसा बहुत कम अवसर आता है जब किसी मंत्री और उसके विभाग की ज्यादा टीका-टिप्पणी न होती हो। सभी माननीय सदस्यों ने अभिनन्दन किया है और इस बिल के समर्थन में कहा है, इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि कोई माननीय सदस्य इस पर टीका-टिप्पणी करता या विरोध करता तो बात अलग रहती लेकिन उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और हमारे साथ जो काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी दुगनी हो जाती है, इंट्रोस्पैक्शन के वक्त आती है। मैं समझता हूं कि दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे भाषण दिये हैं, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने एक सवाल किया कि जब स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें आ गई थी तो इस बिल को इतने दिन तक क्यों रोका गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब मई, 2006 में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें आ गईं, उसके बाद ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी अपाइंट की गई। फिर, कई राज्यों ने इस दिशा में जो अच्छे काम किये थे, उनके बारे में विचार किया गया। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल मुख्य हैं। जब ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स मिले तो उन बातों का समावेश किया गया, इसके अलावा जो अच्छी बातें थीं, उनका भी समावेश कर दिया गया। उन सब सुझावों पर अप्रूवल के लिये कैबिनेट के पास जाना था। तत्पश्चात् फरवरी, 2007 में नोटिस निकला और आज डिसकशन के लिये यह बिल आपके सामने आया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशें कीं, उन पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। परन्तु, इसके साथ कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। प्रो. रासा सिंह रावत का भाषण मुझे इसलिये अच्छा लगा क्योंकि उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई विरोधी दल से अपनी बात कह रहा हो। जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में काम अच्छा हो रहा हो तो बिजली मिलनी चाहिये। कई बार राजीव गांधी के नाम से लोगों को एलर्जी होती है लेकिन माननीय सदस्यों की बातों से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। एक राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री बना हो, चाहे किसी भी दल का हो, जब उसके नाम पर कोई योजना बनती है तो उसे सब लोग स्वीकार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सायं 7.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: मैं, माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही सायंकाल 7.00 बजे तक बढ़ाई गई थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद शून्य-काल की चर्चा भी होनी है। अभी मंत्री जी को विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब भी देना है। अत: मैं सदन की सहमति से सदन की कार्यवाही मंत्री महोदय के जवाब और शून्य काल की चर्चा होने तक बढ़ाता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे बहुत सहयोग दिया है, इसलिए मैं भी विधेयक पर उठाए गए प्रश्नों के विस्तार से उत्तर न देकर, केवल तीन-चार प्रमुख बातें ही बताना चाहता हूं। एक बात हमारे बहुत सीनियर सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन जी ने कही है। वे राज्य की विधान सभा में स्पीकर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पावर सब्जैक्ट कन्करेंट लिस्ट में है। जो असली बात है, वह यही है कि यह विषय कन्करेंट लिस्ट में है। इस पर भाषण करना ठीक है, क्योंकि यह राज्य सरकार की रेस्पांसिबिलिटी होती है, लेकिन पूरे देश में ऐसा हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सप्लीमेंट्री काम करती है, उसकी रेस्पांसिबिलिटी स्टेट की बनी हुई है। मैं

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में पावर कैपेसिटी एडीशन का काम ही नहीं हुआ। माननीय सदस्यों ने ही इस बात को कहा, मुझे इसकी बहुत खुशी है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही, हम बार-बार मानीटर करते रहे, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहता हूं। यदि हमने बिजली निर्माण की एडीशनल कैपेसिटी डैवलप की होती, तो आज हमारे पास 78 हजार मैगावाट बिजली होती। यदि हम पिछले 10 सालों में एडीशनल बिजली निर्माण की कैपेसिटी बढ़ाते, तो आज हम इस मामले में सरप्लस कंट्री बन जाते, लेकिन इस बारे में हमने कभी नहीं सोचा। इसमें कई गलतियां हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब व्यू ले रहा था, तो मैंने देखा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट फिक्स किया था, उसमें किसी राज्य का वहां 5 हजार करोड़ रुपए का डैफिसिट है, शार्टेज है। वह राज्य आता है और 3 हजार की मान्यता लेकर जाता है और उसमें से केवल 500 या 1000 करोड़ रुपए बिजली निर्माण पर खर्च करने का काम करता है। इस प्रकार यदि चलेगा, तो बिजली का काम कैसे पूरा होगा? इस प्रकार से वह बैकलाग बढ़ता गया। मैं पिछले छः महीने से प्रयास कर रहा हूं। प्रदेश के बिजली मंत्रियों को हमने यहां बुलाया, प्रदेश के चीफ सैक्रेट्री और सैक्रेट्रीज को बुलाया और सब से कहा कि जो आपके राज्य का डैफीसिट होगा, उससे 5 परसेंट अधिक टार्गेट आपको लेना होगा। अभी हमारे सदस्य महोदय ने कहा कि टारगेट लेने के बाद भी, उनकी जो दिक्कते हैं, वे भी केन्द्र सरकार ने देखी हैं। उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया है कि हमारा जो पावर फायनेंस कार्पोरेशन है, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन है, उनसे लोन एडवांस कर के हम राज्यों को देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम पी.एल.एफ. बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो हमारे पुराने संयंत्र हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की हमारे पास क्या योजना है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे पास ए.पी.डी.आर.पी. की योजना है। उसके लिए हम बहुत पैसे देते हैं। उसके अंतर्गत कई राज्यों को हमने इतना पैसा दे दिया है कि उन्होंने उसे खर्च ही नहीं किया। आज प्रश्न-काल में मेरा एक प्रश्न था, जिसमें मेरे पास ये आंकड़े थे कि किस राज्य ने कितना पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन इस समय वे फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। हम पी.एल.एफ. बढ़ा रहे हैं। हमारे पास बिजली कम है, इसलिए हमने एन.टी.पी.सी. की 89 से 93 परसेंट तक बिजली बढ़ाने की सूचना दी है—इसलिए कि गर्मी के दिनों में हमें बिजली लोगों को देनी है, लेकिन कई जगह मैंने देखा और मैं कल ही, एक जगह जाकर आया हूं, उसका मैं यहां नाम बताना उचित नहीं समझता हूं, वहां जो मशीनें चलती हैं, उसका पी.एल.एफ. 15 और 17 परसेंट है। यदि पी.एल.एफ. 15 और 17 परसेंट रहेगा, तो बिजली कैसे मिल सकेगी? इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। हम खुद व्यू ले रहे हैं। मेरे मंत्रालय के सैक्रेट्री, सभी अधिकारी और जितने भी हमारे पी.एस.यूज. हैं, वे भी व्यू ले रहे हैं, ताकि सभी देशवासियों को बिजली मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009 तक देश के हर गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली देने का प्रयास हम कर रहे हैं। देश में इस समय 1 लाख 25 हजार गांव हैं। इनमें से 25 हजार गांवों में बिजली देने का काम नान-कन्वेंशनल मिनिस्ट्री कर रही है। आपने जो 16 हजार का फिगर कहा था, मैं बताना चाहता हूं कि 16 हजार नहीं, बल्कि 39 हजार विलेजेज इस समय तक इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। दसवीं योजना में केवल दो साल में हो गये हैं और पांच हजार करोड़ रुपये पूंजी हमें मिली थी। मैंने अभी वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उनसे चर्चा भी की है। प्लानिंग कमीशन के साथ मैं इस वीक में बैठ रहा हूं कि हमें 25 हजार करोड़ और उससे भी ज्यादा जो पैसा हमारा लगने वाला है, एकदम से हमें देना है, इस तरह की मैंने उनसे विनती की है।

यह गरीब लोगों का, देश का काम है, हम आपकी बात से भी सहमत हैं कि हमें स्वतंत्र हुए 60 साल हो गये, लेकिन आज ग्रामीण इलाके में बिजली नहीं है। इसका दुख हमें भी है, क्योंकि ये जो लोग स्वतंत्रता देखते हैं, उनका स्वातंत्र्य कहां है। उनके लिए महात्मा गांधी जी कहते थे, 'अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाओ' जो आदमी अंधेरे में है, उसे प्रकाश में लाओ। लेकिन इस बात की खुशी है कि किसने एक्ट की शुरूआत की, उस डैप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी ने तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की और उसे एक्ट के रूप में लाये। केवल इतना ही नहीं, हर गांव में पहले क्या होता था कि ग्रामीण विद्युतीकरण में हमारे पास कुटीर ज्योति जैसी बहुत सी योजनाएं थीं, लेकिन ग्राम तक हमारा एक खम्भा जाता था और वहां खम्भा लगाते थे और कहते थे कि ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया। आज उस तरह से नहीं है। अब उस गांव में बिजली जानी चाहिए, ग्राम पंचायत में जानी चाहिए, उस गांव के स्कूल में जानी चाहिए, उस गांव की डिस्पेंसरी में जानी चाहिए। जो उस गांव के बी.पी.एल. हैं, उनको फ्री कनैक्शन दिया जाना चाहिए और 10 परसेंट का भी जब तक नहीं होता है, जब तक उस गांव का सरपंच सिग्नेचर नहीं करता है, तब तक उस गांव में हम रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं हुआ, ऐसा समझते हैं और जब सर्टिफिकेट मिलता है, तभी हम कहते हैं कि इस गांव में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन

हो गया है। लेकिन हमारा कहना एक है कि एक परसेंट हिस्सा हमने वहां खर्च करने के लिए रखा है, उस गांव में, जहां ट्रांसफार्मर है, गांव जहां शुरू होता है, वहां इतना लिखना चाहिए कि यह गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रकाशमय हुआ है। ऐसा हमारा एक बोर्ड वहां लगना चाहिए, लेकिन वह बोर्ड लगता ही नहीं। उसके लिए भी पूंजी रखी है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए प्रोवीजन नहीं है। हमारे सदस्य सिंह साहब हंस रहे हैं, जो सही बात है।

अभी उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे साथी कह रहे थे। उन्होंने अनपरा के बारे में कहा, हमारे दूसरे प्रोजैक्ट्स के बारे में कहा। यहां दादरी में जो गैस पर चलने वाला प्रोजैक्ट है, वह प्रोजैक्ट शुरू नहीं हुआ है। वह प्राइवेटाइजेशन में आ गया है। उसमें गैस अभी मिलने वाली ही नहीं है। जिसके पास गैस है, वह एग्रीमेंट कर रहा है और वह कहता है कि हम लाएंगे और वह लाता नहीं है। अभी 2008 तक वह गैस आने की कोई संभावना नहीं है। जो भी प्रोजैक्ट गैस पर आधारित है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश का हो गया या उत्तर प्रदेश के दादरी प्रोजैक्ट के बारे में मैं कह रहा था, जो आपने कह दिया था, लेकिन वहां शुरू नहीं हुआ है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जो भी थोड़े प्रोजैक्ट्स हैं, आपके यहां गैस पर चलते हैं, वे स्पाट मार्केट पर गैस लेकर चला सकते हैं। जैसे ही मैं आया, तभी मई महीने में हमने आर्डर कर दिया कि स्पाट मार्केट से गैस ले लो, एल.एन.जी. ले लो और इन्हें चलाओ। ये 6 यूनिट्स हमारे चलते हैं, कोई राजस्थान में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का राज चलता है, वहां चला रहे हैं, क्योंकि बिजली सब को चाहिए। यह बात सही है कि क्लीन बिजली देनी है, एफोर्डेबल बिजली देनी है, सस्ती बिजली देनी है, यह हमारा महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए तो अल्ट्रा मैगा प्रोजैक्ट्स हम लाये हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य यहां कह रहे थे, हमें 1.19 रुपये पर यूनिट बिजली 25 साल तक मिलेगी और 4000 मैगावाट के प्रोजैक्ट की कीमत 20 हजार करोड़ रुपये की आज हो गई है। हमें इस बात की खुशी है कि दो प्रोजैक्ट्स चले गये, अभी 8 लाइन पर हैं। अभी कल मैं बिहार में जाकर 500 मैगावाट बिजली का प्रोजैक्ट शुरू करके आया हूं।

महाराष्ट्र का दाभोल प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था और उसमें कई दिक्कतें थीं, लेकिन अब उसकी समस्याओं से भी छुटकारा हो गया है। इसके लिए गैस नहीं मिलती थी, तो हम इसे नाफ्था पर चला रहे हैं। यह कास्टली है। भारत सरकार ने नाफ्था पर टैक्स को भी कंडोन कर दिया है। इस तरह से सस्ते दामों पर बिजली देने का प्रयास हम हर तरह से कर रहे हैं। विशेषतः यह जो बिल क्रास सब्सिडी के लिए आया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पर थोड़ी चर्चा भी हो गयी। इस संबंध में राधाकृष्णन जी ने भी कहा था कि इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, यह बात सही है। मैं जब महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर था, जिसको वे अनबन्डलिंग कहते हैं, मैं वह शब्द नहीं यूज नहीं करता हूं, मैं इसके लिए री-स्ट्रक्चरिंग शब्द यूज करता हूं, किसका अनबन्डलिंग करें, यह री-स्ट्रक्चरिंग का काम है। इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली है, लेकिन हमने इसे महाराष्ट्र में किया, वेस्ट बंगाल में किया, आंध्र प्रदेश में किया और उसका फायदा हुआ। कुछ साथियों ने दिल्ली सरकार के बारे में पूछा कि उसकी सब्सिडी क्यों बच जाती है? री-स्ट्रक्चरिंग करने के बाद, 12 सौ करोड़ रुपए की सब्सिडी बची है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इसे किया गया है और वैसे ही आंध्र प्रदेश में किया गया। इसमें शुरू में तकलीफ तो होगी, जब यह नया-नया होता है, तो थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, लेकिन हमने उसमें कोई स्टाफ नहीं लगाया है और उसकी एक्सटेंशन हम देते रहेंगे। अगर वास्तव में डिफिकल्टी होगी, तो यह भी हमें सोचना चाहिए। केवल यह मिलता है, ऐसा कहकर एक्सटेंशन मांगते रहना भी गलत बात है। जहां डिफिकल्टी हो, तो हम भी इस बात को समझते हैं और हम उन्हें मदद भी करेंगे, क्योंकि हम सारे देश को एक लाइन में लाना चाहते हैं।

महोदय, जब मैं हिस्ट्री में जाता हूं, तो देखता हूं कि प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने वर्ष 1925 में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम अमेरिका में शुरू किया था। इसमें शुरू में बहुत तकलीफ आयी थी और 15 सालों तक उनको आगे जाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन अब वहां ग्रामीण विभाग में फ्रेंचाइज शुरू हो गया है। मुझे यह बोलते हुए प्रसन्नता है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में उत्तराखंड में फ्रेंचाइज का एक अभूतपूर्व काम हुआ। वहां औरतों की एक कमेटी फार्म हुयी। उस कमेटी में सारा चार्ज ले लिया है और एक्स-सर्विसमैन, युवकों और विधवा महिलाओं, उन सभी को उन्होंने काम दिया है। राजीव गांधी विद्युतीकरण में जो बल्क इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और जो ओपन एक्सेज की बात कह रहे हैं, वह काम वहां काफी जबर्दस्त रूप से हुआ है. हमें इस बात की प्रसन्नता है और हम इसे पूरे देश में लाना चाहते हैं।

यहां थेफ्ट के बारे में सभी ने कहा, ओपन एक्सेज आने से जो चोरी होती है, ग्रामीण विद्युतीकरण में ओपन एक्सेज आने से चोरी कम हो जाएगी, क्योंकि देहात में मालूम है कि कौन चोरी करता है? इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन में सिटी में मालूम हो जाएगा कि कौन चोरी करता है और किस तरह से करता है? महाराष्ट्र के भिवंडी में प्राइवेट को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया गया है। वहां इसे चलाने वालों पर शुरू में बड़े डंडे पड़े, और लोगों को जख्मी किया गया, लेकिन अब वहां वे डटकर काम कर रहे हैं। वहां अब प्राफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां इतने दिनों से चोरी हो रही थी, लेकिन किसी को उन्हें पकड़ने

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

की हिम्मत नहीं होती थी। हमने एक्ट में यह सब प्रोवीजन करके रखा है। चोरी के संबंध में भी प्रोवीजन हमने किया। आप अन-औथोराइज्ड की बात कह रहे हैं, इस बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे किसी के घर या फैक्ट्री में बिजली है, लेकिन बगल वाली फैक्ट्री को वे बिजली दे देते हैं, वह अन-औथराइज्ड है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट जरूर होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फैक्ट्री और घरों में बिजली देने की बात बहुत होती है और हमने इसे भी कानून में रखा है। इस तरह जो-जो प्रावधान में आ सकता है, जिससे देश की बिजली का कारोबार सुधर सकता है, उसके लिए ही हम यह कानून लाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट जरूर होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। फैक्ट्री और घरों में बिजली देने की बात बहुत होती है और हमने इसे भी कानून में रखा है। इस तरह जो-जो प्रावधान में आ सकता है, जिससे देश की बिजली का कारोबार सुधर सकता है, उसके लिए ही हम यह कानून लाए हैं।

मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। ऐसा कहा गया है कि प्रशासकीय अधिकारियों को पकड़ें, उन पर भी केस कीजिए। इसमें अबेटमैंट का कानून है। यदि अबेटमैंट किया गया है तो बिल में उसके बारे में भी इंतजाम है। पहले केस लम्बे समय तक चलता था लेकिन जो नया कानून बनाया गया है, उसमें टाइम लिमिट दी गई है। लिमिटेड टाइम में पनिशमैंट हो जाएगी, यह बात सही है। मैं भी डर रहा था कि कई जगह पनिशमैंट ज्यादा हो जाती है। यदि कोई फैक्ट्री वाला दो-तीन बार बिजली चोरी करता है तो उसे सजा होती है। लेकिन यह कहकर कि यह कानून में है, एक एप्लीकेशन दे दी और तीस दिन के अंदर उसे बिजली सैंक्शन करें। कानून में जो लूपहोल था, उसे भी करैक्ट करने का काम किया गया है। जो व्यक्ति दो-दो, तीन-तीन बार गुनाह करता था, उसे कानून का सहारा था, बिजली लेने का मौका था। लेकिन अब उसे छः महीने बिजली नहीं मिलेगी, ऐसा इंतजाम किया गया है। हमारे एटीएंडटी लासेज बहुत बढ़ रहे हैं। यह बात सही है कि पिछले साल, डेढ़ साल में एटीएंडटी लासेज 3 प्रतिशत कम हो गए हैं। यह अच्छा है लेकिन हम उसे 15 प्रतिशत तक लाना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे बीस हजार करोड़ रुपये का नुकसान बच सकता है। बीस हजार करोड़ रुपये नहीं बल्कि उससे ज्यादा है और उससे बच सकते हैं। मैंने बार-बार इस हाउस में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पालिसी के लिए कहा है। हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी का कार्य बहुत डिफिकल्ट जगह होता है। वहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं सोच रहा था कि 60 साल में ज्यादा कार्य क्यों नहीं हुआ, सिर्फ 20 प्रतिशत कार्य ही हुआ है। यदि आप प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं, उन्हें कुछ मिले बिना वह कैसे जाएंगे, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। जब तक किसी इंटरप्रेन्योर को वहां जाने से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तब तक वह वहां नहीं जाएगा। हम ज्यादा कनसैशन देकर, एट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जो 1 लाख, 20 हजार रुपये से ऊपर की बिजली हिमालय की रेंज में राह देख रही है, यदि हम उसे ला सकें तो बहुत सरप्लस हो सकती है। हमारे साथियों ने यहां करैक्ट असैसमैंट दिया। यहां समिति के सभापति जी बैठे हुए हैं। उन्हें भी खुशी होगी कि उनके द्वारा दी गई रिकमैंडेशन्स यहां पास हो रही हैं। इस बात की खुशी है कि उन्होंने करैक्ट असैसमैंट किया कि आज 14 हजार मेगावाट की शार्टेज है। लेकिन उसके लिए हमें रोज 21 हजार मेगावाट बिजली तैयार करनी पड़ेगी। हमें 78 हजार का कैपेसिटी एडिशन करना पड़ेगा। तभी हम स्वयं पूर्ण हो सकेंगे।

कैप्टिव के बारे में कहा गया कि ओपन एक्सैस में सहूलियत देनी है। उसके लिए आपने जो कहा, वही कानून है। महाराष्ट्र में जो केस हुआ, उससे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। हम कानून में ओपन एक्सैस का रास्ता बता रहे हैं। यदि ऐसा कोई लूपहोल होता तो उसे भी करैक्ट कर दिया गया है। अब डरने की बात नहीं है। अभी आप ओपन एक्सैस में पूना पैटर्न जैसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे लोगों को सस्ते में बिजली मिल जाएगी।

महोदय, मैं सभागृह का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस तरह सब सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की, मैं उनसे सहमत हूं। आज भी यदि आपको कुछ गलत लगता हो, मैं इसे स्वीकार करने में बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैंने पहले बताया था कि उड़ीसा में आपने कम्पीटिटिव बीडिंग के लिए कहा है, लेकिन हमारा एमओयू साइन हो गया है। इस बारे में आप रिप्लाई दीजिए। दूसरा, आप एपीडीआरपी के लिए जो पैसे दे रहे हैं, क्या वह ट्रांसफार्मर वगैरह की रिप्लेसमैंट के लिए दे रहे हैं? हमें तो यह मालूम है कि वह पैसे गांव में बिजली देने के लिए है। मैंने यह भी कहा था कि आप एक फंड दीजिए जिससे इलैक्ट्रीसिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? तीसरा, आप हमारे स्टेट उड़ीसा को कब पैसे देंगे? अभी आपने उसे कुछ भी पैसा नहीं दिया। आपने सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के लिए 25 परसेंट ही पैसा दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को आप कब पैसा दे रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी प्रश्नों का जवाब लास्ट में दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैंने अपने भाषण में यह कहा है कि विद्युत में तेजी से कमी आई है। केन्द्रीय पूल से केरल को पहले 148.6 मेगावाट मिलती थी और अब यह कम होकर 13.6 मेगावाट रह गई है। यह काफी तीव्र कमी है। ऐसा क्यों है और क्या सरकार इसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय मंत्री जी केन्द्र द्वारा जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही है, वह बहुत अच्छी योजना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण हो गया है लेकिन हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। क्या आप वहां भी इस योजना को लागू करेंगे? दूसरा, हमारे बुन्देलखंड क्षेत्र में तीन साल से पानी नहीं बरसा है। इस कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जिन किसानों के ज्यादा बिल हो गये हैं या जिन्हें बिजली नहीं मिली है और उनके बिल ज्यादा हो गये हैं, तो क्या उनकी समीक्षा करके आप उन्हें थोड़ा बहुत राहत देने की कोशिश करेंगे?

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): केन्द्रीय पूल से आवंटन के मूल्य को 7.45 रुपये से बढ़ाकर 9.45 कर दिया गया है और केरल जैसा राज्य इतना मूल्य नहीं दे सकता क्योंकि इससे विद्युत खरीदने की लागत बढ़ जाती है। जैसा कि मेरे साथी श्री करूणाकरन ने कहा है कि केरल अब काफी कठिन परिस्थिति में है और विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ गई है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कोटा और रावतभाटा में आणविक शक्ति से चलने वाले विद्युत उत्पादक यंत्र बार-बार बंद क्यों हो जाते हैं?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ट्रेडिंग की बात इलैक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003 में थी। कम्पीटिशन से वह पैसा कम होना चाहिए लेकिन वह बढ़ता जा रहा है। एक-एक स्टेट अपनी ट्रेडिंग कम्पनी लगाकर पर-यूनिट छः रुपये में बेच रही है। इसका जवाब भी आपने नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): मुझे माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहिए। आज ऊर्जा संरक्षण में एन टी पी सी ने 37 करोड़ रुपये की धनराशि को बचाई है। परन्तु वे एन टी पी सी संयंत्रों के लिए उनके बाहरी विकास और अन्य कार्यों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कालाहांडी में लगभग 600 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है और यह लगभग 150 मेगावाट आंध्र प्रदेश को देता है तथा अन्य राज्यों के पास उपयुक्त 400 के.वी. सब-स्टेशन नहीं हैं। मैंने कालाहांडी के मुख्यालय भवानीपटना में 132 के.वी. के एक सब-स्टेशन के लिए मंत्री जी को लिखा है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: ग्रिड समस्या के बारे में मैंने पहले ही संबंधित चेयरमैन को इस समस्या पर विचार करने को कहा है। वह इसकी जांच करेंगे। मुझे आपका आवेदन मिल गया है।

अनाबंटित विद्युत के संबंध में हमने 7.45 रुपये तक कभी प्रभार नहीं लगाया है। इसकी जांच करनी होगी क्योंकि केरल से दोनों सदस्यों ने यही प्रश्न पूछा है। शायद आपने उस ग्रिड से लिया होगा जो आपको आबंटित नहीं किया गया होगा। आपको यह विद्युत उसी ग्रिड से लेनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)* मुझे पता लगाना होगा। यह अनाबंटित अथवा आबंटित विद्युत की बात नहीं है। मैं इसकी जांच करूंगा।

जहां तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का सवाल है मैं पहले ही कह चुका हूं कि ग्यारहवीं योजना में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, देश के हर गांव पर ध्यान दिया जाएगा और 2009 तक हर गांव का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा।

जहां तक बोली लगाने की प्रक्रिया का सवाल है, संसद में इस विधेयक के पारित होते ही समझौता ज्ञापन वाले रूट को रोक दिया जाएगा। अभी इस समझौता ज्ञापन को स्वीकार नहीं गया है। सबसे अच्छा तरीका बोली लगाने की प्रक्रिया को अपनाना होगा।

आपके मुख्य मंत्री जी काफी अच्छे इंसान हैं जो कि अल्ट्रा मेगा परियोजना में शामिल होने पर तुरंत सहमत हो गए। मेरे विद्युत मंत्री बनने के दो महीने बाद आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक अल्ट्रा मेगा परियोजना देने का अनुरोध किया था। वह समझ गए कि इसका क्या अर्थ होगा। ऐसा काफी बड़े स्तर पर किया जाएगा जो कि राज्य के लिए उपयोगी होगी। मेरे विचार से इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

हमारे पास काफी पैसा है। राज्यों द्वारा प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राज्यों के जो प्रपोजल्स आते हैं, हम उनको एग्जामिन करके भेज देते हैं और अगर वे ठीक होते हैं तो पैसे देते हैं। हरिजन बस्ती, गिरिजन बस्ती, जो लोग गांवों में रहते हैं, उनको प्रायरिटी दी जा रही है क्योंकि यहां जो बीपीएल कानून पारित किया गया है, वे उसमें आते हैं। यह बात सही है कि जो हैमलेट्स हैं, उनको भी बिजली मिलनी चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 300 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों को लिया गया है और आगे भविष्य में हम इससे कम जनसंख्या वाली बस्तियों को भी इसमें शामिल करेंगे, इसके बारे में आपके मन में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में यह बात सही है कि पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन यहां है, लेकिन स्टेट्स में अभी जहां ट्रेडिंग हाउस नहीं हैं, लेकिन वे लोग बेचते हैं। हमारे सामने यह सुझाव है, हम इस पर क्या कर सकते हैं, वह जरूर देखेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत: राजस्थान के जो न्युक्लियर पावर प्लान्ट्स बार-बार बन्द हो जाते हैं, उसके बारे में भी बताइए?

श्री सुशील कुमार शिंदे: आपके पास न्युक्लियर का जो साधन है, वह अभी कम है। इसकी वजह से देश में न्युक्लियर पावर केवल 3 प्रतिशत है। यही बात मैंने कैगा के बारे में कही है। वह कार्य जितनी जल्दी हो सके, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। राजस्थान के लिए कोई डरने की बात नहीं है। आप राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चालू कीजिए, हम आपको देते जाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(1) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 2(क) – *धारा 9 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:—

2क. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह और कि इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार और किसी उपभोक्ता को, धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, किसी आबद्ध उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत के प्रदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।" (3)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खण्ड 2क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्डा 2क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6क–*धारा 43 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,–

6क. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में,–

(1) "प्रत्येक वितरण" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में यथा उपबंधित सिवाय, प्रत्येक वितरण" शब्द रखे जाएंगे;

(2) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "आवेदन" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो आवश्यक प्रभारों और अन्य अनुपालनों के संदाय को दर्शाने वाले दस्तावेजों सहित, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अपेक्षित समुचित प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण है।'।'। (4)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 6क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

नया खंड 6ख

धारा 50 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

6ख. मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

''राज्य आयोग, विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिलों के अंतरालों, प्रभारों के असंदाय के लिए विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटने, विद्युत प्रदाय के प्रत्यावर्तन, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइनों या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति को रोकने के लिए उपाय, प्रदाय की लाइन को काटने और मीटर को हटाने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्र या मीटर को बदलने, परिवर्तित करने या उनके अनुरक्षण के लिए प्रवेश और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए एक विद्युत प्रदाय कोड विनिर्दिष्ट करेगा।''।'। (5)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 6ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 6ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 6 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क-*धारा 126 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:-

7क. मूल अधिनियम की धारा 126 में,-

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''(3) वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (2) के अधीन आदेश की तामील की गई है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम निर्धारण के विरुद्ध आक्षेपों, यदि कोई हो, फाइल करने का हकदार होगा, जो उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनंतिम निर्धारण के ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत प्रभारों के निर्धारण का अंतिम आदेश पारित करेगा।'';

(ii) उपधारा (4) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है तो उस पूर्ण अवधि का, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, निर्धारण किया जाएगा और यदि, तथापि, उस अवधि को जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी अवधि, निरीक्षण

की तारीख से ठीक पहले के बारह मास की अवधि तक सीमित होगी।'';

(iv) उपधारा (6) में, ''डेढ़ गुने'' शब्दों के स्थान पर, ''दोगुना'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

''(iv) उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, जिसके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत था; या

(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए, जिनके लिए विद्युत का प्रदाय प्राधिकृत था।''।''। (6)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 7ख—*धारा 127 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:-

7ख. मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, ''निर्धारित रकम के एक तिहाई'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्धारित रकम के आधे'' शब्द रखे जाएंगे;'। (7)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 7ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से

[श्री सुशील कुमार शिंदे]

सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 8 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड *7ग–धारा 135 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:-

7ग. मूल अधिनियम की धारा 135 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"135. (1) जो कोई बेईमानी से,–

(क) यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता की शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाइनों या केबिलों या सर्विस तारों या सर्विस सुविधाओं से कोई टैप करता है, कनेक्शन करता है या, करवाता है; या

(ख) मीटर से छेड़छाड़ करता है, बिगाड़े गए मीटर, धारा प्रत्यवर्ती ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य युक्ति या पद्धति को संस्थापित करता है या उपयोग करता है, जिससे विद्युत धारा के ठीक-ठीक या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या मापने में बाधा पड़ती है या उसका किसी रीति से अन्यथा परिणाम निकलता है, जिससे बिजली की चोरी होती है या बिजली बर्बाद होती है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, साधित्र, उपस्कर या तार को नुकसान पहुंचाता है या उसे नष्ट करता है अथवा उनमें से किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचवाता है या नाश करवाता है या होने देता है जिससे की विद्युत के उचित या ठीक-ठीक मापने में बाधा पड़ती है; या

(घ) बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत उपयोग करता है।

(ङ) उन प्रयोजनों से, जिनके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करता है, जिससे कि विद्युत खिंचती है या उसका उपभोग होता है या उपयोग होता है तो वह, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु जहां खींचा गया, उपभोग किया गया, उपयोग किया गया विद्युत भार या खींचे जाने, उपभोग किये जाने, उपयोग किये जाने के लिए, किये गये प्रयास से विद्युत भार–

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां पहली बार सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और दूसरी बार या उसके पश्चात् सिद्धदोष ठहराए जाने पर विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां पहली बार सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और दूसरी बार या उसके पश्चात् सिद्धदोष ठहराए जाने पर कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं हो सकेगी किन्तु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से जो विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति के द्वितीय और पश्चात्वर्ती, ऐसी दोषसिद्धी की दशा में, जहां 10 किलोवाट से अधिक का भार, खींचा; उपभोग या उपयोग किया गया है या खींचने का प्रयत्न या उपभोग या प्रयत्न या उपयोग का प्रयत्न किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी विद्युत के किसी प्रदाय को प्राप्त करने से भी विवर्जित किया जाएगा और वह किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केन्द्र से उस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के लिए भी विवर्जित होगा:

परन्तु यह और भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता के पास ऐसे कृत्रिम साधन या साधन, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं तो यह उपधारणा की जाएगी कि, जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, विद्युत का खींचना, उपभोग या उपयोग, उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है।

(1क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, विद्युत की ऐसी चोरी के निरोध पर, विद्युत के प्रदाय को रोक सकेगा:

परन्तु समुचित आयोग द्वारा, इस प्रयोजन के लिए यथा प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का केवल ऐसा अधिकारी या ऐसी प्राधिकृत पंक्ति के उच्चतर पंक्ति का, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अन्य प्राधिकारी, विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिदारी या प्रदायकर्ता का ऐसा अधिकारी, ऐसे काटे जाने के समय से, चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में ऐसे अपराध को किए जाने से संबंधित लिखित रूप में एक शिकायत दाखिल करेगा:

परंतु यह और भी कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, निर्धारित रकम या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्युत प्रभारों को जमा करने का संदाय पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट शिकायत को दाखिल करने बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या संदाय के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाइन को प्रत्यावर्तित करेगा;

(ख) उपधारा (2) में, ''प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, या कोई अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे;'। (8)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 7ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7घ–*धारा 150 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

7घ. मूल अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(3) धारा 135 की उपधारा (1), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए समझे गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति या सक्षमता का प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या ऐसा अन्य प्राधिकार जारी किया गया है, जो एक विद्युत ठेकेदार, पर्यवेक्षक या कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, धारा 135 की उपधारा (1), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 या धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो ऐसे दुष्प्रेरण के लिए उसको दोषसिद्ध किए जाने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द भी किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसे रद्द किए जाने का कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना, नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त ऐसी अनुज्ञप्ति या सक्षमता का प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या ऐसा अन्य प्राधिकार जारी या नवीकृत करता है।''।'। (9)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7घ विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7घ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8–*धारा 151 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 से 37 और पृष्ठ 3, पंक्ति 1 तथा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

8. मूल अधिनियम की धारा 151 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन फाइल की गई किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, संज्ञान भी ले सकेगा:

परंतु यह और कि धारा 153 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय, किसी अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।"।'। (10)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (1) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 11 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क–*नई धारा 151क और धारा 151ख का अंत:स्थापन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित रखें:-

8क. मूल अधिनियम की धारा 151 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

151क. इस अधिनियम का दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 में यथा उपबंधित शक्तियां रखेगा।'।

151ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से धारा 140 तक या धारा 150 के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। (11)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8ख–*धारा 153 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:-

'8ख. मूल अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) में "धारा 135 से धारा 139 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 135 से धारा 140 तक और धारा 150" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (12)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 8ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8ग–*धारा 154 का संशोधन*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित रखें:-

8ग. मूल अधिनियम की धारा 154 में,–

(i) "धारा 135 से धारा 139 तक" शब्दों और अंकों, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "धारा 135 से धारा 140 तक और धारा 150" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, "विशेष न्यायालय, किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के रूप में सिविल दायित्व का अवधारण कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय, किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के रूप में सिविल दायित्व का अवधारण करेगा" शब्द रखे जाएंगे;'। (13)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 8ग विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 8ग विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1—*संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" के स्थान पर "2007" रखें। (2)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" के स्थान पर "अठावनवें" रखें। (1)

(श्री सुशील कुमार शिंदे)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लिए जाएंगे।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): भारत में रबड़ का 92% उत्पादन केरल में होता है जिसमें से 87% का उत्पादन सीमान्त कृषकों द्वारा किया जाता है। रबड़ एक कृषि उद्योग आधारित उत्पाद है जिसमें लगभग 10 लाख कृषक प्रत्यक्षत: लगे हुए है तथा 60 लाख कृषक अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर हैं।

सायं 7.45 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

यदि आप पूंजी-रोजगार के अवसर अनुपात को देखें तो आप पाएंगे कि एक करोड़ रु. पर रबड़ 40% रोजगार उपलब्ध कराता है जबकि अन्य क्षेत्र में यह एक करोड़ रु. पर मात्र 10% है। केरल में रबड़ वितरण तथा प्रसंस्करण इकाइयों से राज्य सरकार को बिक्री कर के रूप में लगभग 50 करोड़ रु. प्राप्त होते हैं।

यह सच है कि आज विश्व बाजार में प्राकृतिक रबड़ की लगभग 2 लाख टन की कमी है। भारत में हमारे पास लगभग 50 हजार टन का अतिरिक्त भण्डार है। अतएव, आयात शुल्क में 20% की कटौती सहित थाईलैंड से भारत रबड़ आयात का निर्णय बेतुका तथा अकारण है।

महोदय, पाम आयल के आयात के कारण केरल के नारियल उत्पादक पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण केरल के किसान कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और रबड़ क्षेत्र ही एकमात्र कृषि था जिससे किसानों को कुछ आशाएं थीं। यदि दो देश द्विपक्षीय व्यापार

---

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समझौता करते हैं तो इसे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश के कृषि क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र बर्बाद न हों।

लाखों रबड़ उत्पादक तथा केरल के 14 जिलों में फैले रबड़ विपणन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति आज बेचैन हैं। अतएव, मैं केन्द्र से समय पर हस्तक्षेप करने तथा केरल में लाखों रबड़ किसानों को बचाने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, बाहुदा नदी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लोगों की सिंचाई तथा पेयजल की जरूरतों को पूरा करती है। बाहुदा नदी पर पहले से ही आयाकुट बगलत्ती बांध है। 20 वर्ष पूर्व उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बांध का निर्माण कराया था।

वर्ष 1975 में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नीलमणि राउत्रोय तथा आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. एम. चेन्ना रेड्डी ने बांध का निर्माण करने तथा बांध से आंध्र प्रदेश के लिए 1.5 टीएमसी पानी छोड़े जाने के लिए एक समझौता किया। यह पूरा पानी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

गत बीस वर्षों से हमें बगलत्ती बांध से 1.5 टीएमसी पानी नहीं मिल रहा है। इस बीच हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बांध की ऊंचाई और नौ मीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। यदि बांध की वर्तमान ऊंचाई से हमें पानी नहीं मिल रहा है तो नौ मीटर ऊंचाई और बढ़ जाने के बाद क्या होगा? ये उसके बाद पांच फीट ऊंचाई और बढ़ाने का भी विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बांध की ऊंचाई 109 मीटर हो जाएगी।

अत: मैं भारत सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा उड़ीसा सरकार से फोन पर संपर्क करने का अनुरोध करूंगा ताकि कार्य की आगे की प्रगति को तब तक रोका जा सके जब तक कि दोनों ही राज्यों के तकनीकी कर्मी स्थल पर जा कर बांध की ऊंचाई के बारे में सही निष्कर्ष पर न पहुंच जायें। अन्यथा, लोगों को बाहुदा आयाकुट से सिंचाई तथा पीने के लिए जल प्राप्त नहीं हो सकेगा जो लगभग 95 ग्रामों तथा 24,000 एकड़ भूमि को जल उपलब्ध करा रहा है। उन्हें आपूरणीय क्षति होगी। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा दोनों ही सरकारों से तकनीकी दल भेजने के लिए कहना चाहिए। यदि एक आम राय बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु तब तक के लिए काम को रोका जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, ऐसा ही मामला ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं। केवल श्रीमती सुजाता जो कह रही हैं वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा कुछ और नहीं।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं यहां आपको अवसर देने के लिए ही बैठा हूं। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो मुझे रोक देना पड़ेगा।

श्रीमती सी.एस. सुजाता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री येरननायडु ने अपना उल्लेख पूरा कर लिया है और अब श्रीमती सी.एस. सुजाता बोलेंगी।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): भारत सरकार ने 31 जिलों में किसानों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी है जिसमें केरल के चार अन्य जिलों के अलावा अलप्पुझा जिला शामिल है। यह ज्ञात हुआ है कि स्वामीनाथन फाउन्डेशन को कुट्टनाड नम भूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के सतत विकास संबंधी अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। फाउन्डेशन को सौंपे गए विचारार्थ विषय से यह पता चलता है कि यह अध्ययन कुट्टनाड के केवल एक भाग तक ही सीमित है। यह सच है कि कृषि संकट को पूरे जिले में महसूस किया जा रहा है तथा किसान गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। अलप्पुझा में उपरी कुट्टनाड, अनाट्टुकारा तथा कारी भूमि प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्र तथा पोक्काली के धान के खेत वर्तमान संकट से मुक्त नहीं हैं। अल्लेप्पी जिले में खेती वाले इलाकों की समस्याएं परस्पर जुड़ी हुई हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अध्ययन के विचारार्थ विषय में पूरे जिले को शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, यूपीए सरकार किस तरह से काम कर रही है, मैं इसका नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भूतल परिवहन एक महत्वाकांक्षी योजना थी और पूरे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग को सही ढंग से बढ़ाने का काम हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो सरकार आई, उस सरकार के मंत्री पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं एक मीटिंग में मौजूद था और मैंने माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया कि जो काम पिछली सरकार के पेंडिंग पड़े हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मैं आपको इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर 30 किलोमीटर का बाईपास छः साल पहले से स्वीकृत है, भूमि का अधिग्रहण और अन्य काम हो चुके हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर भारत में इस राष्ट्रीय राजमार्ग-24 सहित सारे काम पेंडिंग हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि अधिकांश काम एक सूबे, एक राज्य में हो रहे हैं और मुझे माननीय मंत्री द्वारा जवाब यह दिया गया कि इस राज्य की उपेक्षा रही है, अब हम मंत्री बन गए हैं तो इस राज्य में सब काम होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जहां आवश्यकता हो, वहां कार्य होना चाहिए और जो कार्य पेंडिंग हैं, जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उन कार्यों को ध्यान में रखा जाए। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर, बरेली में जो बाईपास बनना है, इसके अलावा दो-तीन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपास बनने हैं, यह पिछले पांच वर्षों से स्वीकृत हैं। इन पर काम होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान सरकार उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** (शिवकाशी): महोदय, इस वर्ष तमिलनाडु में गन्ने के उत्पादन में 275 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। आम तौर पर गन्ने की फसल की कटाई 12 महीने में पूरी कर ली जाती है किंतु यह 16 महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। अतः, किसानों को फसल कटाई में विलम्ब, वजन में कमी और खरीद में हुई देरी के कारण घाटा उठाना पड़ा है। पिछले साल तक गन्ना उत्पादकों को 15 दिनों के भीतर अपने गन्ने का भुगतान मिल जाता था। अब गन्ने की खरीद के दो या तीन महीनों के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। निजी गन्ना मिलें गैर-पंजीकृत गन्ना किसानों से आधी कीमत पर गन्ना खरीद रही हैं। तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा को देखते हुए केन्द्र सरकार को गन्ना विकास कोष के माध्यम से किसानों को दीर्घकालिक ऋण देना चाहिए। यह ऋण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भी दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गन्ने की खरीद की मात्रा को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर यह दबाव बनाए कि वह सारा गन्ना खरीदे ताकि किसानों को और अधिक घाटा होने से बचाया जा सके। मेरा केन्द्र से यह अनुरोध है कि वह इस समस्या का तत्काल समाधान करे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, सभापति महोदय 121वीं शताब्दी के इस आधुनिकोत्तर युग में, जिसे ज्ञान के विस्फोट का युग कहा जाता है, जब सभी प्रकार की सीमाएं समाप्त हो रही हैं और मध्यकाल की विभेदकारी प्रवृत्ति अतीत की बात हो गई है, यह आरोप काफी शर्मनाक और निंदात्मक है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र विभिन्न प्रकार के जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं और इसकी पुष्टि यूजीसी के अध्यक्ष श्री सुखदेव थोराट की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति ने भी की है।

यह भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के संकाय द्वारा अपनाई जा रही छूआछूत की प्रथा का स्पष्ट मामला है। जब छात्र यह सोचते हैं कि उन्हें दूर रखा जाता है और संकाय द्वारा उनकी जातिगत पृष्ठभूमि के कारण उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है तथा सिद्धान्त तथा व्यावहारिक परीक्षाओं में मूल्यांकन के समय उनके साथ पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो श्रीमान, अब समय आ गया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए क्योंकि ऐसा बर्ताव गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह संकाय की कुछ मनोवृत्ति संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं लागू करे तथा और अधिक पारदर्शी तरीके से आंतरिक मूल्यांकन किया जाए।

संस्थान के निदेशक के रूप में शक्तियों का गैर-कानूनी रूप से प्रयोग करके जातिगत दृष्टिकोण को स्थापित करना और आरक्षण

*मूलतः तमिल भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहन देना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रतिष्ठा पर एक दाग है। निदेशक द्वारा एक भड़काऊ भूमिका निभाना काफी अशोभनीय बात है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल अनुकरणीय कार्रवाई करे।

धन्यवाद।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, मैं भी इस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आपने कोई नोटिस दिया है?

डा. रामचन्द्र डोम: जी, हां।

सभापति महोदय: आप केवल अपने को संबद्ध कर सकते हैं। अब आप बोल नहीं सकते हैं। अब, श्री पी. करूणाकरन बोलेंगे।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप केवल एक वाक्य बोल सकते हैं।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो हमारे देश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, में काफी शर्मनाक और कष्टदायक घटना घटी है। कल के राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र में सरकार द्वारा इन आरोपों की जांच हेतु गठित की गई है एक जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

महोदय, प्रो. एस. थोराट की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव करने, उन्हें नीचा दिखाने, गाली देने तथा धमकाने की कई बातों के बारे में बताया है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, परीक्षा के मूल्यांकन में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि थोराट समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ के इस प्रकार का जातिगत भेदभाव करने हेतु जिम्मेदार संस्थान के दोषी प्रशासनिक प्रमुख और संकाय सदस्यों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यह मेरा अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री आरून रशीद, यदि आप चाहें तो स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध कर सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जिन सदस्यों ने इस मुद्दे पर नोटिस दिया है वे अपने को इससे संबद्ध कर सकते हैं।

अब श्री पी. करूणाकरन बोलेंगे।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा के समक्ष हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को रखना चाहता हूं। महोदय, काफी स्वतंत्रता सेनानी जो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस समय तक कोई भी सदस्य यहां पर नहीं रुकता है। मैं हर रोज ऐसा देख रहा हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, हम सभी आपके आभारी हैं।

सभापति महोदय: मैं इसी उद्देश्य के लिए हर रोज यहां रुकता हूं।

अब, श्री पी. करूणाकरन बोलेंगे।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, काफी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें राज्य की ओर से पेंशन मिलती है, उन्हें बिना वैध कारणों के केन्द्रीय पेन्शन से वंचित कर दिया गया है।

रात्रि 8.00 बजे

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने वर्षों पहले स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की थी। कई राज्य सरकारों ने राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की थी। इन्हीं समितियों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों ने हकदार व्यक्तियों को पेंशन देने का निर्णय लिया था। किंतु गृह मंत्रालय ने केवल थोड़े से व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय पेंशन मंजूर की है। हकदार व्यक्तियों को केन्द्रीय पेंशन न देने का कोई तर्क नहीं दिया है। केरल में कय्यूर, करिवल्लूर, मुनायमकुन्नु, पुन्नापरा, वायालार, आदि तथा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जैसी प्रसिद्ध साम्राज्यवाद रोधी लड़ाइयां और गोवा तथा कई अन्य राज्यों में हुई लड़ाइयां भी स्वतंत्रता संघर्ष का एक भाग थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कम है। उनमें से कई वृद्ध हैं और बीमार हैं। किंतु यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी यूपीए सरकार इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार नहीं है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष जैसे नेक कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, के साथ तो न्याय किया जाए।

सभापति महोदय: अब, श्री खारवेनथन.....

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं श्री करूणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, श्री करूणाकरन ने जो कहा है, उसके साथ मेरा नाम भी संबद्ध कर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, सभी सदस्य जिन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है, ''मैं संबद्ध हूं, मैं संबद्ध हूं'' कहते हुए खड़े होंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं यह रिकार्ड करता हूं कि यहां उपस्थित सभी लोग नोटिस दिए बिना इस मुद्दे से संबद्ध हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय, पूरे देश में दो करोड़ बीड़ी कामगार सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकिंग तथा लेबलिंग) नियम, 2006 लागू करने का विरोध कर रहे हैं। इस अधिनियम के अनुसार बीड़ी तथा तम्बाकू पाउचों के लेबलों पर विशेषकर खोपड़ी एवं हड्डी, स्वास्थ्य हानि संबंधी चेतावनी, प्रतिकूल प्रभाव तथा स्वास्थ्य संबंधी संदेश आदि मुद्रित किया जाना अनिवार्य है।

अकेले तमिलनाडु में बीड़ी उद्योग में 15 लाख कामगार लगे हुए हैं तथा वे प्रतिदिन 50 करोड़ बीड़ी बना रहे हैं तथा 8 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर रहे हैं तथा उत्पाद शुल्क के रूप में 1 करोड़ रुपये भारत सरकार को भुगतान कर रहे हैं। बीड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के ग्राहक मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तथा उनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं। वे सामान्यत: लेबल से ब्रांड का नाम पहचानते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के कारण वे सही ब्रांड को नहीं पहचान सकते हैं। अब इस बात की पूरी सम्भावना है कि नकली ब्रांडों से उन्हें ठगा जाएगा। इसके अलावा वे खुली बीड़ियां भी खरीदते हैं।

इसलिए, मेरा मानना है कि इस प्रस्ताव से किसी उद्देश्य का समाधान नहीं होगा। इस प्रस्ताव से ग्रामीण क्षेत्र की लाखों अकुशल महिलाओं पर प्रभाव पड़ेगा जो कि बीड़ी तथा तम्बाकू उद्योग से होने वाली आय पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा, किसानों, पान के दुकानदारों तथा अन्य लोगों पर इस कड़े नियम का अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि 'सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकिंग तथा लेबलिंग) नियम, 2006' को लागू न करें तथा उद्योग तथा गरीब कामगारों को बचायें।

सभापति महोदय: जिनके पास लिखित निवेदन है वे पहला वाक्य पढ़ दें तथा निवेदन या शेष भाग सभा पटल पर अधिकारियों को दे दें तथा उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सा समय बच जाएगा। कृपया पूरी बात न पढ़ें।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय संविकास योजना के तहत जो धन मुहैया कराया जाता है, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन को भी सम्मिलित किया गया है। यहां से जो करोड़ों रुपया उपलब्ध कराया गया है, जिले के अधिकारियों ने वन विभाग को जो धन उपलब्ध कराया है यानी वृक्ष की सुरक्षा के लिए चारों तरफ जो घरुआ बनाये जाते हैं, उसमें बिल्कुल थर्ड क्लास के गुम्भे लगाये जा रहे हैं। उसके आसपास लाल रंग की गेरी पोतकर यह साबित करना चाहते हैं कि यह बहुत अच्छा घरुआ बनाया गया है। एक तरफ घरुआ बनाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ से टूटते चले जा रहे हैं। न उनमें पेड़ लगाये जा रहे हैं क्योंकि यदि पेड़ लगाए जाएं तो यह भी लगे कि पेड़ लगाये जा रहे हैं और उसकी सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय संविकास योजना के तहत जो हमारे जनपद को धन दिया गया है, उसकी जांच की जाए और जो अधिकारी उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, यह नेहरू युवक केन्द्र की निधियों के दुरुपयोग के बारे में है। नेहरू युवक केन्द्र के कार्यक्रम 2.30 लाख ग्राम स्तरीय सम्बद्ध युवक क्लबों तथा महिला मण्डलों के जरिए क्रियान्वित करने होते हैं। इन युवक क्लबों तथा महिला मंडलों के जरिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। केरल में बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नेहरू युवक केन्द्र की निधियों का दुरुपयोग हो रहा है। धनराशि उन क्लबों के जरिए भी

खर्च की जाती है जो नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध नहीं है। ऐसा कतिपय निहित समूहों के हितों में कारण होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार यथाशीघ्र केरल में नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि की जांच कराए। सरकार जिला केन्द्र स्तर पर प्रबन्धन समितियों का गठन भी कर सकती है। जिसमें संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य शामिल किए जा सकते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं अपने आप को इस विषय के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): सभापति महोदय, मेरे सम्माननीय साथी श्री एस.के. खारवेनथन मेरे से पहले बीड़ी कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं विशेषकर बीड़ी बंडलों पर खोपड़ी का चित्र दर्शाते हुए खतरा मार्का सहित वैधानिक चेतावनी दर्शाने की अनिवार्यता लगाए जाने पर प्रकाश डाल रहे थे।

**देश में लगभग 2 करोड़ बीड़ी कामगार हैं। लगभग 20 करोड़ लोग, बीड़ी कामगारों के परिवार के सदस्य तथा आश्रित और सम्बद्ध कामगार इस उद्योग पर पूरी तरह निर्भर हैं। पहले ही उत्पाद शुल्क में बढ़ोत्तरी इस उद्योग को प्रभावित कर रही है। माननीय वित्त मंत्री ने कुछ सीमा तक इसमें ढील दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने धूम्रपान पर प्रतिबन्ध की बात उठाई है। यह प्रशंसनीय है। लेकिन बीड़ी बंडलों पर खोपड़ी और हड्डियों के रूप में खतरे का निशान तथा वैधानिक चेतावनी दर्शाये जाने की बातें मुझे दिल तोड़ने वाली लगती है। जब सरकार द्वारा चलायी जा रही मदिरा की दुकानों पर लगाए गए नारे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत उपयुक्त नहीं लगते हैं। यहां तक कि सिगरेट उद्योग पर यह कठोर बात लागू नहीं की गई है जबकि बीड़ी के बंडलों पर चेतावनी मुद्रित होनी चाहिए अत: बीड़ी उद्योग की छोटी इकाइयों पर सरकार के इस उपाय का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तथा गत एक साल से ऐसी इकाइयां अपनी इकाइयां बंद करने संबंधी आन्दोलन कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलइगनार करुणानिधि ने इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के साथ उठाया है। सुन्दरता की दृष्टि से खोपड़ी का चित्र अच्छा नहीं लगता है तथा भावनाओं के प्रतिकूल है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त उपाय करे। तमिलाडु में गभग 50 लाख बीड़ी कामगार हैं, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी में लगभग 5 लाख बीड़ी कामगार हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह धूम्रपान की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढे लेकिन बिना सोचे-समझे ऐसा निर्णय लागू किए जाने से अनेक गरीब बीड़ी कामगारों की अजीविका प्रभावित होगी।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**मूलत: तमिल में सभा पटल पर रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय: आप शेष भाषण को प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, असम और मेघालय के सीमा सुरक्षा बल के आई जी ने हाल ही में चिटगांव में बांग्लादेश के बी डी आर से भेंट की। उन्होंने 4 मई को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। उसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने बांग्लादेश में स्थित भारतीय उग्रवादियों के 172 शिविरों की सूची और बांग्लादेश में रह रहे 72 उग्रवादी नेताओं की सूची तथा बांग्लादेश के 79 समर्थकों की सूची सौंपी है। सरकार बदलने के कारण बांग्लादेश ने सकारात्मक उत्तर दिया और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

परन्तु श्री मिश्रा ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बांग्लादेश की सीमा पर कट्टरपंथी गतिविधियों के साथ-साथ उग्रवादी हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी और सीमा-पार से चलाई जाने वाली आपराधिक गतिविधियों, अवैध घुसपैठ और पशुओं की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वे सीमा पर बाड़ न होने तथा वृहत तटवर्ती क्षेत्रों में खुली सीमा का लाभ उठाते हैं।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह वर्ष 2005 में त्रिपक्षीय वार्ता के अनुसार बाड़ लगाने का कार्य पूरा करे और सीमा पार से चलाई जा रही आपराधिक गतिविधियों, हथियारों और गोलाबारूद तथा पशुओं की तस्करी तथा अवैध घुसपैठ पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करे। धन्यवाद।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में रियायत देगी। हजारों छात्रों की फीस में रियायत देगी। हजारों छात्रों ने यह सोचकर प्रवेश लिया कि सरकार रियायतें देगी। परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु 52 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी करने में हुए अनावश्यक विलंब के कारण, कर्नाटक सरकार व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को फीस में रियायत देने की स्थिति में नहीं है। इससे छात्र मानसिक तनाव में हैं। सरकार के आश्वासन के आधार पर अधिकांश छात्रों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था। व्यावसायिक कालेजों का प्रबंधन अब उन पर पूरी फीस का भुगतान करने पर दबाव डाल रहा है। प्रभावित छात्र और उनके माता-पिता को अब भी उम्मीद है कि उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। दूसरी ओर कर्नाटक सरकार को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलने की प्रतीक्षा है।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्र को कर्नाटक सरकार को 52 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के सशस्त्र बलों को विद्रोही गतिविधियों, आतंकवाद, भीतरी तथा बाहरी खतरों से निरंतर जूझना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सैनिकों को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया जाता है। पिछले पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से सशस्त्र बलों के लिए कई प्रकार की विसंगतियां सामने आई हैं, जिनमें ब्रिगेडियर को मेजर जनरल से अधिक पेंशन देने की सिफारिश शामिल है। इतना ही नहीं, सैनिक की सेवानिवृत्ति पर केन्द्र सरकार के चपरासी की आधी पेंशन की सिफारिश की थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन विसंगतियों के कारण सेना, जल सेना में और वायु सेना में योग्य अधिकारी नहीं आ रहे हैं। सैनिकों की भर्ती भी अपेक्षाकृत कम हो रही है और हजारों पद खाली हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सशस्त्र सेनाओं के लिए छठा वेतन आयोग अलग से गठित किया जाए। अभी जो वेतन आयोग गठित किया गया है, उसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए उनके साथ अन्याय होने की संभावना है। अतः विसंगतियों को दूर करने और सशस्त्र सेनाओं को न्याय देने के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अन्त में समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, भारत के पवित्र तीर्थस्थल श्री रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच निर्मित 30 किलोमीटर से भी लम्बा सेतु देश के करोड़ों हिन्दुओं की सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय गौरव है। यह रामसेतु सभी हिन्दुओं के लिए उतना ही पवित्र है, जितना इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए मक्का और ईसाई धर्म मानने वालों के लिए वेटीकन या वेथलहम। इस पवित्र सेतु का उल्लेख बाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, महाभारत आदि सहित सभी पुराणों व अन्य इतिहास के ग्रन्थों में है। इस पवित्र सेतु को तोड़ने का काम समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजैक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन तूतीकोरिन ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसे तोड़ने का ठेका इटली की कम्पनी रामबोल और एल.ए.डी.टी. मद्रास को दिया गया है। इस सेतु को तोड़ने के बाद भारत में सुनामी जैसी आपदाओं को झेलना पड़ सकता है। इसके साथ जल की 365 तरह की जीव जन्तुओं की प्रजातियां भी मर जाएंगी।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस पवित्र रामसेतु को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए पूर्व में सुझाए गए अन्य विकल्प अपनाए और कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री जी. करूणाकर रेड्डी** (बेल्लारी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेरे राज्य कर्नाटक के बेल्लारी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। संसद का सदस्य चुने जाने के बाद 3 वर्षों से मैंने इस मार्ग के उचित रख-रखाव के लिए सरकार को कई अभ्यावेदन दिए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेल्लारी और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थिति जोलाडा रासी के बीच लगभग 30 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है। मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय और माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था। परन्तु माननीय मंत्री महोदय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि इस क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय और उसके अधिकारी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे और उनके कार्य करने के तौर-तरीकों में मानवीयता का पुट नहीं है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि 15 दिन के भीतर इस मार्ग की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाएं। यदि सड़क परिवहन मंत्रालय इस संबंध में कदम उठाने में विफल रहता है तो इस क्षेत्र के लोग मंत्रालय की लापरवाही के विरोध में सड़कों पर आ जाएंगे। इससे स्थिति बिगड़ सकती है। आंध्र प्रदेश में इसी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 की कर्नाटक सीमा तक मरम्मत कर दी गई है। परन्तु मेरे राज्य में इसकी मरम्मत नहीं की गई है। मैं कह सकता हूं कि गांवों की सड़कें इस राष्ट्रीय राजमार्ग से कहीं बेहतर हैं। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से इस मार्ग की स्थिति को सुधारने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: सभा कल 8 मई, 2007 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 08 मई, 2007/18 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	डा. एम. जगन्नाथ श्री शिशुपाल एन. पटले	441
2.	श्री विजय कृष्ण श्री चंद्रकांत खैरे	442
3.	श्री रवि प्रकाश वर्मा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	443
4.	डा. के. धनराजू	444
5.	श्री बापू हरी चौरे प्रो. महादेवराव शिवनकर	445
6.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	446
7.	श्री रामदास आठवले	447
8.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	448
9.	श्री पी.सी. थामस श्री कैलाश मेघवाल	449
10.	श्री हरिभाऊ राठौड़	450
11.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील श्री दानवे रावसाहेब पाटील	451
12.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्रीमती किरण माहेश्वरी	452
13.	श्री भर्तृहरि महताब	453
14.	श्री रशीद मसूद	454
15.	श्री महावीर भगोरा	455
16.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	456
17.	श्री निखिल कुमार श्रीमती पी. सतीदेवी	457
18.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री हेमलाल मुर्मू	458
19.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	459
20.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	460

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	4287
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4335, 4357, 4365, 4368
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4271, 4292, 4299, 4339, 4369
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	4283, 4344
5.	अर्गल, श्री अशोक	4370
6.	आ०वले, श्री रामदास	4326
7.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4320
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4270, 4285, 4327, 4352
9.	बर्मन, श्री हितेन	4351
10.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	4294
11.	भगोरा, श्री महावीर	4329, 4354, 4363
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	4298
13.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4308
14.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4304, 4341
15.	चौरे, श्री बापू हरी	4336
16.	चिन्ता मोहन, डा.	4301
17.	चौधरी, श्री पंकज	4369
18.	चौधरी, श्री अधीर	4287, 4288, 4333
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	4289
20.	धोत्रे, श्री संजय	4336
21.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4302
22.	गंगवार, श्री संतोष	4312
23.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	4336

1	2	3
24.	हसन, चौधरी मुनव्वर	4296, 4345
25.	हुसैन, श्री अनवर	4362
26.	जगन्नाथ, डा. एम.	4334, 4356, 4361
27.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4307
28.	झा, श्री रघुनाथ	4319, 4370, 4372
29.	जोशी, श्री प्रहलाद	4313
30.	कनोडीया, श्री महेश	4327
31.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4312, 4323, 4334, 4353
32.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4272
33.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4274, 4357
34.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4279, 4330
35.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	4290
36.	कृष्ण, श्री विजय	4350, 4369, 4370
37.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	4311
38.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	4310
39.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4309, 4370
40.	महतो, श्री नरहरि	4364
41.	महताब, श्री भर्तृहरि	4337, 4359, 4374
42.	माझी, श्री परसुराम	4280
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	4302
44.	मरांडी, श्री बाबू लाल	4300
45.	मेघवाल, श्री कैलाश	4276, 4312, 4325, 4353
46.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4293, 4348
47.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4297
48.	मंडल, श्री अबु अयीश	4303, 4340
49.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4291

1	2	3
50.	नायक, श्री अनंत	4295, 4342, 4360, 4363, 4367
51.	ओराम, श्री जुएल	4314, 4367
52.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4321, 4335
53.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4271
54.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4281
55.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4322
56.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4358, 4362, 4366
57.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4271
58.	पाठक, श्री हरिन	4312
59.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	4271
60.	पिंगले, श्री देविदास	4360
61.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4286
62.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	4312
63.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4306, 4343
64.	राजगोपाल, श्री एल.	4275, 4316, 4349, 4373
65.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4316
66.	राणा, श्री काशीराम	4343
67.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	4315
68.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4276, 4307, 4346
69.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4324
70.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4278
71.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4273
72.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4305, 4361
73.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	4284, 4332, 4355
74.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	4318
75.	सत्पथी, श्री तथागत	4277

1	2	3
76.	सेठी, श्री अर्जुन	4359
77.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4335, 4357, 4365, 4368
78.	शिवन्ना, श्री एम.	4357
79.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4351, 4360, 4367
80.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4271
81.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4347
82.	सिंह, श्री दुष्यंत	4317
83.	सिंह, श्री गणेश	4312
84.	सिंह, श्री राकेश	4282, 4331
85.	सिंह, श्री सुग्रीव	4328, 4358, 4362, 4366

1	2	3
86.	सिंह, श्री उदय	4269
87.	सुमन, श्री रामजीलाल	4301
88.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4270, 4327
89.	ठुम्मर, श्री वी.के.	4306, 4322
90.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4338
91.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4311, 4312
92.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4292, 4347
93.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4335, 4357, 4365, 4368
94.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	4323
95.	यादव, श्री राम कृपाल	4371

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	442, 444, 446, 448, 449, 453, 455
रसायन और उर्वरक	:	441, 443
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	450, 458, 460
पर्यावरण और वन	:	447, 452, 454, 456, 459
श्रम और रोजगार	:	445, 451, 457
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	4270, 4273, 4274, 4278, 4282, 4286, 4292, 4294, 4298, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4309, 4314, 4316, 4317, 4325, 4328, 4329, 4334, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4351, 4357, 4361, 4363, 4365, 4367, 4368, 4371, 4473, 4474
रसायन और उर्वरक	:	4269, 4271, 4287, 4288, 4295, 4296, 4299, 4302, 4350, 4356, 4359, 4360
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	4275, 4280, 4285, 4301, 4319, 4322, 4333, 4337, 4345, 4349, 4369, 4370, 4372
पर्यावरण और वन	:	4272, 4276, 4281, 4283, 4289, 4290, 4291, 4311, 4312, 4313, 4315, 4320, 4321, 4323, 4324, 4327, 4330, 4331, 4332, 4335, 4336, 4344, 4347, 4352, 4353, 4366
श्रम और रोजगार	:	4293, 4297, 4300, 4308, 4318, 4326, 4343, 4348, 4358
इस्पात	:	4277, 4346, 4354, 4364
जल संसाधन	:	4279, 4284, 4310, 4345, 4362.